उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों एवं अधिकारियों को अनुमन्य सुविधाओं से सम्बन्धित अधिनियमों, नियमावलियों तथा शासनादेशों का संकलन

विधान सभा सचिवालय,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों एवं अधिकारियों को अनुमन्य सुविधाओं से सम्बन्धित अधिनियमों, नियमावलियों तथा शासनादेशों का संकलन

विधान सभा सचिवालय,
उत्तर प्रदेश,

लेखा अनुभाग–1
2019

च

भूमिका

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों एवं अधिकारियों को अनुमन्य सुविधाओं से सम्बन्धित अधिनियमों, नियमावलियों तथा शासनादेशों के संकलन का यह त्रयोदश संस्करण माननीय विधान सभा सदस्यों के प्रयोगार्थ विधान सभा सचिवालय द्वारा तैयार किया गया है। इस संकलन में समाहित सूचनायें अद्यतन हैं।

आशा है कि यह संकलन सदस्यों के लिये उपयोगी सिद्ध होगा।

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
दिनांक : 09 मई, 2019

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
1-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-23, 1980) ...	1-20
2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981	21-83
3-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (नेता विरोधी दल को सुविधायें) नियमावली, 1981 एवं अधिसूचना सं0-1221/सं/सत्रह-1-89-94 सं/81, दिनांक 25 मार्च, 1989	84-87
4-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) नियमावली, 1987	88-117
5-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) नियमावली, 1988	118-123
6-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन भत्ते) अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-11, 1952) ...	123-127
7-उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के (यात्रा संबंधी सुविधाओं तथा भत्तों के) नियम, 1955 तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के पदाधिकारियों के (यात्रा संबंधी सुविधाओं तथा भत्तों के) नियम, 1955 ...	127-132
8-विज्ञप्ति सं0-544सं/सत्रह-73-273-69, दिनांक 28 फरवरी, 1973..	133
9-उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष की पेंशन अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-10, 1974)	134
10-उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपलब्ध) अधिनियम, 1981	135-137
11-उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1997	138-145
12-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप मंत्रियों और सभा सचिवों के (वेतन, भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8, 1956) से उद्धरण	146-148
13-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल रिवाल्विंग फण्ड नियमावली, 2009	148-151

विषय	पृष्ठ-संख्या
14-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के चिकित्सीय उपचार के सम्बन्ध में चिकित्सा (ख) विभाग का शासकीय आदेश संख्या-यू0ओ0 522-बी /पांच-601 (39)-56, दिनांक 4 अप्रैल, 1956 ई0 …..	152
15-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के परिवारों को चिकित्सा सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में चिकित्सा अनुभाग-7 का शासकीय आदेश संख्या-280 (सात) पांच-72, दिनांक 1 जुलाई, 1972 ई0 …	153-154
16-भूतपूर्व सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं-	
(क) चिकित्सा अनुभाग-7 का शासकीय आदेश संख्या-3824/ V-7-1033-81, दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 …	154-156
(ख) चिकित्सा अनुभाग-7 का शासकीय आदेश संख्या-1832/ V-7-1033-81, दिनांक 14 मई, 1982 …	157-158
(ग) चिकित्सा अनुभाग-7 का शासकीय आदेश संख्या-एस0एम0/ 161/ V-7-1033-81, दिनांक 12 मई, 1983 ……	159-160
(घ) चिकित्सा अनुभाग-2 का शासकीय आदेश संख्या-1989/ सेल-2/5-4-84-84, दिनांक 21 मई, 1986 …	161-163
(ङ) चिकित्सा अनुभाग-7 का शासकीय आदेश संख्या-5404/ 5-7-1033-81, दिनांक 12 अगस्त, 1986 …	164-165
(च) चिकित्सा अनुभाग-7 का शासकीय आदेश संख्या-3788/ 5-7-87, दिनांक 25 जुलाई, 1987 … …	166-167
17-उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नेता विरोधी दल/सदस्यों आदि को वेतन एवं भत्ते आदि का चेक द्वारा भुगतान से सम्बन्धित विधान सभा सचिवालय, लेखा अनुभाग का पत्र सं0-906/वि0 सभा/202/ले/77, दिनांक 6 अप्रैल, 1981 …	168-171
18-उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) संशोधन अधिनियम 2016 … … …	172-176
19-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों का अनर्हता निवारण अधिनियम, 1951 … … …	177-178

विषय	पृष्ठ-संख्या
20-उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (राष्ट्रीय नियोजन ऋण) (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1954	178-180
21-उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1955	181-182
22-उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) अधिनियम, 1956	182-183
23-उत्तर प्रदेश के मंत्री एवं सदस्य के (वेतन एवं भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 1957	184-186
24-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारी, मंत्री, उप-मंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1961	187-190
25-उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) अधिनियम, 1964	191-193
26-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अनर्हता निवारण) अध्यादेश, 1967	194-198
27-उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) अधिनियम, 1975	199-206
28-उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) अधिनियम, 1976	207-216
29-उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1976	216-226
30-उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) अधिनियम, 1978	226-235
31-उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) अधिनियम, 1979	236-247
32-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) अधिनियम, 1980	248-281
33-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और	282-286

विषय	पृष्ठ-संख्या
पेंशन) अधिनियम, 1981	
34-उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981	287-296
35-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1984	297-304
36-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1984	304-308
37-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1985	309-311
38-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1986	311-317
39-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1986	318-324
40-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1987	325-328
41-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1988	329-330
42-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1989	331-339
43-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1991	340-342
44-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1992	343-345
45-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1994	346-349
46-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1997	350-355

विषय पृष्ठ-संख्या

47-उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997... ... 356-365

48-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1998 366-368

49-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1998... ... 369-377

50-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2000 378-380

51-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 380-383

52-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2004... ... 384-392

53-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) अधिनियम, 2005 393-398

54-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005 398-406

55-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006 407-410

56-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) अधिनियम, 2007 410-414

57-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2007 414-418

58-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 418-422

59-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2008 422-425

60-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री 426-433

च

विषय	पृष्ठ-संख्या
सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2010... ...	
61-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (तेइसवां संशोधन) अधिनियम, 2010	434-454
62-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2013	455-460
63-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2015	461-469
64-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल रिवाल्विंग फण्ड (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2015	469-473
65-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2016	473-479
66-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) (पंचम संशोधन) नियमावली, 2018	480-488

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980*

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-23 सन् 1980)

[1-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-10 सन् 1981
2-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-13 सन् 1984
3-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-21 सन् 1984
4-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-28 सन् 1985
5-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-13 सन् 1986
6-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-22 सन् 1986
7-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-21 सन् 1987
8-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-17 सन् 1988
9-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-15 सन् 1989
10-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-5 सन् 1990
11-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-15 सन् 1991
12-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-13 सन् 1992
13-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-16 सन् 1994
14-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-4 सन् 1997
15-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-30 सन् 1998
16-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-25 सन् 2000
17-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-27 सन् 2000
18-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-10 सन् 2004
19-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-21 सन् 2005
20-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-7 सन् 2006
21-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-37 सन् 2007
22-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-39 सन् 2007
23-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-11 सन् 2008
24-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-09 सन् 2010
25-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-04 सन् 2013
26-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-03 सन् 2015
27-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-21 सन् 2016 द्वारा यथा संशोधित

तथा

28-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (बीसवां संशोधन) नियमावली, 2007
29-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (इक्कीसवां संशोधन) नियमावली, 2007
30-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (बाइसवां संशोधन) नियमावली, 2008
31-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (तेइसवां संशोधन) नियमावली, 2010
32-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (चौबीसवां संशोधन) नियमावली, 2012
33-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) नियमावली, 2013
34-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (पच्चीसवां संशोधन) नियमावली, 2015
35-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल रिवाल्विंग फण्ड (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2015 द्वारा यथासंशोधित]

---

* दिनांक 25 अक्टूबर, 1980 के असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ किन्तु अधिसूचना सं0-4425/सं0/सत्रह-80-125 सं/80, दिनांक 24 दिसम्बर, 1980 द्वारा यह अधिनियम दिनांक 1 जनवरी, 1981 से प्रवृत्त हुआ।

राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन और भत्तों के भुगतान और अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 कहा जायगा।

(2) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करें।*

परिभाषायें

2-इस अधिनियम में-

(क) ''सभा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा से है;

(ख) ''सभापति'' का तात्पर्य विधान परिषद् के सभापति से है;

(ग) ''परिषद्'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से है;

(घ) ''उप सभापति'' का तात्पर्य परिषद् के उप सभापति से है;

(ङ) ''उपाध्यक्ष'' का तात्पर्य सभा के उपाध्यक्ष से है;

(च) किसी सदस्य के सम्बन्ध में सदस्यता की अवधि का तात्पर्य--

(एक) यथास्थिति उसके निर्वाचन या नाम-निर्देशन की अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से, या भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 के अनुसार शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के दिनांक से, इनमें जो भी पहले हो, प्रारम्भ होने वाली, और

(दो) उस दिनांक को, जब वह मृत्यु या पद-त्याग के कारण या अन्यथा ऐसा सदस्य न रह जाय, समाप्त होने वाली अवधि से है;

---

* दिनांक 25 अक्टूबर, 1980 के असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ किन्तु अधिसूचना सं0-4425/सं0/सत्रह-80-125सं/80, दिनांक 24 दिसम्बर, 1980 द्वारा यह अधिनियम दिनांक 1 जनवरी, 1981 से प्रवृत्त हुआ।

(छ) ''आनुषंगिक व्यय'' का तात्पर्य--

(एक) रेल द्वारा की गयी यात्रा की दशा में एक व्यक्ति के लिये [1] [वातानुकूलित] टू टायर में ऐसी यात्रा के रेल किराये के बराबर धनराशि से है;[1]

(दो) किसी अन्य दशा में विहित दर से इस रूप में देय धनराशि से है;

(ज) ''नेता विरोधी दल'' का तात्पर्य सभा या परिषद् के उस सदस्य से है, जिसे, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति द्वारा तत्समय इस रूप में अभिज्ञात किया गया हो;

(झ) ''सदस्य'' का तात्पर्य सभा या परिषद् के उस सदस्य से है जो मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उप सभापति या [सभा सचिव] [3] के पद पर आसीन न हो;

[(झझ) ''परिवार का सदस्य'' का तात्पर्य सभा या परिषद् के किसी सदस्य के सम्बन्ध में, चाहे वह खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या नहीं, उसके पति या उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई या बहिन से है, जो ऐसे सदस्य के साथ निवास करता हो और उस पर पूर्णतया आश्रित हो;] [2]

(ञ) ''मंत्री'' के अन्तर्गत मुख्य मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री भी है;

(ट) किसी सदस्य के सम्बन्ध में ''निवास स्थान'' का तात्पर्य उस स्थान से है जिसका किसी सभा या निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि के अनुसार सदस्य सामान्यतः निवासी है, और यदि सदस्य ऐसे स्थान में परिवर्तन कर दे तो उत्तर प्रदेश में उस स्थान से है जिसे सदस्य के अनुरोध पर प्रमुख सचिव द्वारा ऐसा स्थान अभिसूचित किया जाय :

परन्तु कोई ऐसी अधिसूचना, यथास्थिति, निर्वाचन के पश्चात् या इस खण्ड के अधीन जारी की गयी पूर्व अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् छः मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व जारी नहीं की जायगी;

---

[1] उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 25 सन् 2000 द्वारा संशोधित।
[2] उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13 सन् 1986 द्वारा बढ़ाया गया।
[3] उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 15 सन् 1989 द्वारा संशोधित।

(ठ) ''रेल कूपन'' का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये रेलवे बोर्ड के प्राधिकार से, जारी किये गये निःशुल्क असंक्रमणीय रेल यात्रा कूपन से है;

(ड) ''[1]प्रमुख सचिव'' का तात्पर्य सभा के सदस्यों के सम्बन्ध में, सभा के [1]प्रमुख सचिव से है, और परिषद् के सदस्यों के सम्बन्ध में, परिषद् के [1]प्रमुख सचिव से है;

(ढ) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष से है;

(ण) ''वर्ष'' का तात्पर्य पहली जून को प्रारम्भ होने वाली और अनुवर्ती इकतीस मई को समाप्त होने वाली बारह मास की अवधि से है।

अध्याय-दो

वेतन और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता

वेतन

3-(1) सभा के नेता विरोधी दल से भिन्न, प्रत्येक सदस्य अपनी सदस्यता की अवधि के लिए [पच्चीस हजार रुपये][2] प्रतिमास वेतन पाने का हकदार होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट वेतन का भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्-

(क) वेतन में अनुपस्थिति या अन्य कारण के आधार पर ऐसी कटौतियां की जा सकेंगी जैसी विहित की जायं;

(ख) किसी सदस्य को उस अवधि के लिए जिसमें वह किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी विनिश्चय के फलस्वरूप, यथास्थिति, सभा या परिषद् में बैठने के लिये अक्षम हो जाय, कोई वेतन देय नहीं होगा;

(ग) सभा के किसी सदस्य को सभा के गठन के दिनांक की पूर्ववर्ती अवधि के लिये कोई वेतन देय न होगा;

(घ) परिषद् के किसी सदस्य को उस रिक्ति के, जिस रिक्ति के फलस्वरूप वह सदस्य निर्वाचित या नाम-निर्देशित हुआ है, दिनांक की पूर्ववर्ती अवधि के लिये कोई वेतन देय न होगा।

1-अधिसूचना संख्या-905/सत्रह-सं-1-2003-93सं/2002, दिनांक 25 अप्रैल, 2003 द्वारा संशोधित।

2-अधिसूचना संख्या : 1409/79-वि-1-16-1(क)-32-2016, दिनांक 16 सितम्बर, 2016 द्वारा संशोधित।

4-सभा या परिषद् का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या न हो, अपनी सदस्यता की अवधि में (पचास हजार रुपये)[7 व 10] प्रतिमास का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता पाने का हकदार होगा। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता

अध्याय-तीन

यात्रा सुविधा

5-(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभा या परिषद् के प्रत्येक सदस्य को, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में किसी पद पर आसीन हो या नहीं, [दिनांक 1 जून, 1991 से 15 अगस्त, 1991 तक की अवधि के लिये, पैंतालीस हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक मूल्य के और दिनांक 16 अगस्त, 1991 से 1 मई, 1994 तक चउवन हजार रुपये से अनधिक मूल्य के तथा 2 मई, 1994 से दिनांक 1 जून, 1997 तक पचासी हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक[1] 1 जून, 1998 से अट्ठासी हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक[2]] और 01 अप्रैल, 2004 से एक लाख बीस हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक][3] और 01 जून, 2005 से एक लाख पचास हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक[4] 01 जून, 2008 से दो लाख रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक[6] 01 जून 2013 से रुपये दो लाख पचास हजार प्रतिवर्ष से अनधिक[8] और 01 जून 2015 से तीन लाख पच्चीस हजार प्रतिवर्ष से अनधिक[9] और 16 सितम्बर 2016 से चार लाख पच्चीस हजार प्रतिवर्ष से अनधिक[10] मूल्य के रेल कूपन विहित रीति से दिये जायेंगे, जो ऐसे सदस्य के द्वारा अपने लिये और अपने परिवार के सदस्यों या अपने सहवर्तियों[10] के लिये किसी रेल से किसी श्रेणी में किसी समय उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर यात्रा के लिये ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, जो विहित किये जायें, उपयोग में लाये जा सकते हैं। रेल कूपन

[1]-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1997 द्वारा संशोधित।
[2]-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1998 द्वारा बढ़ाया गया।
[3]-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2004 द्वारा संशोधित एवं निकाला गया।
[4]-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2005 द्वारा बढ़ाया गया।
[5]-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37 सन् 2007 द्वारा संशोधित।
[6]-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2008 द्वारा संशोधित।
[7]-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2010 द्वारा बढ़ाया गया।
[8]-अधिसूचना संख्या : 373/79-वि-13-1(क)-5-2013, दिनांक 26 मार्च, 2013 द्वारा संशोधित।
[9]-अधिसूचना संख्या : 445/79-वि-15-1(क)-16-2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा संशोधित।
[10]-अधिसूचना संख्या : 1409/79-वि-1-16-1(क)-32-2016, दिनांक 16 सितम्बर, 2016 द्वारा संशोधित।

"(2) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य को [एक लाख रुपये][7] प्रतिवर्ष से अनधिक मूल्य के रेल कूपन विहित रीति से दिये जायेंगे, जो ऐसे भूतपूर्व सदस्य के द्वारा अपने लिये और अपने परिवार के सदस्यों [या एक सहवर्ती][8] के लिये उपयोग में लाये जा सकते हैं और उस उपधारा के अधीन दिये गये रेल कूपनों पर उपधारा (1) के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।"[1]

स्पष्टीकरण-इस धारा में निर्दिष्ट रेल यात्रा के लिये रेल कूपन का मूल्य राज्य सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड के परामर्श से समय-समय पर निर्धारित किया जायगाः

3["परन्तु किसी सदस्य को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, इस धारा के अधीन दिये जाने वाले रेल कूपनों में से उसके विकल्प पर उतने मूल्य के रेल कूपन के बजाय, जितने वह चाहे,-

(क) समान मूल्य के कूपन उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर किसी समय वायुयान द्वारा यात्रा के लिये उसे दिये जायेंगे, और

(ख) उसके निजी वाहन के लिये पेट्रोल या डीजल हेतु [पच्चीस][6] हजार रुपये प्रतिमाह से अनधिक की धनराशि नकद भुगतान की जायेगी :।][3]

"परन्तु यह और कि जब कभी भी[4][वातानुकूलित टू टायर] के रेल किराये में वृद्धि होगी, राज्य सरकार अभिसूचित आदेश द्वारा रेल कूपन के मूल्य में** [सात हजार रुपये प्रतिवर्ष की]* अनुपातिक वृद्धि करते हैं :"[1]

[परन्तु यदि और कि किसी भूतपूर्व सदस्य को उपधारा (2) के अधीन दिये जाने वाले रेल कूपनों में से किसी भी समय वायुयान द्वारा यात्रा करने के लिये उसके विकल्प पर समान मूल्य के कूपन दिये जायेंगे।][5]

["परन्तु यह भी कि किसी भूतपूर्व सदस्य को उसको दिये जाने वाले रेल कूपनों में से उसके निजी वाहन के लिए पेट्रोल या डीजल हेतु पचास हजार रुपये से अनधिक वार्षिक की धनराशि का नकद भुगतान किया जायेगा।"][6]

[6- ** ** **][2]

** अधिसूचना सं0 842/सत्रह-सं0-1-2002-42 सं0/2002, दिनांक 07 जून, 2002 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1]-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1998 द्वारा बढ़ाया गया।

[2]-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1986 द्वारा निकाला गया।

[3]-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1986 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4]-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2000 द्वारा संशोधित।

[5]-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2006 द्वारा बढ़ाया गया।

[6]-अधिसूचना संख्या : 1409/79-वि-1-16-1(क)-32-2016, दिनांक 16 सितम्बर, 2016 द्वारा बढ़ाया गया।

[7]-अधिसूचना संख्या : 1409/79-वि-1-16-1(क)-32-2016, दिनांक 16 सितम्बर, 2016 द्वारा संशोधित।

[8]-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37 सन् 2007 द्वारा संशोधित।

7-किसी सदस्य को अपने साथ रेल यात्रा में [* * *] [1] निम्नलिखित दशाओं में एक सहवर्ती ले जाने के लिये भी धारा 5 में निर्दिष्ट रेल कूपन का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात्-- सहवर्ती के साथ यात्रा

(क) यथास्थिति, ''सभा या परिषद् के प्रत्येक सत्र में अधिक से अधिक दो बार अपने निवास स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन से लखनऊ तक आने और लखनऊ से ऐसे रेलवे स्टेशन तक वापस जाने के लिये;

(ख) किसी महिला सदस्य की स्थिति में, ऐसी यात्रा के लिये जो उसके द्वारा ऐसा सदस्य होने के नाते अपने कर्तव्यों और कृत्यों के सम्बन्ध में अपनी अपेक्षित उपस्थिति के लिये और ऐसी उपस्थिति के पश्चात् अपने निवास स्थान वापस जाने के लिये,

[8- ** ** **] [1]

[9-धारा 5 में निर्दिष्ट रेल कूपन का उपयोग प्रत्येक सदस्य द्वारा जो धारा 2 के खण्ड (झ) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन है, अपने लिये और अपने परिवार के सदस्यों के लिये शासकीय कर्तव्यों के पालन से भिन्न प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर किसी भी समय किसी रेल द्वारा किसी श्रेणी में यात्रा के लिये विहित रीति से किया जा सकता है।][2] मंत्री, अध्यक्ष आदि द्वारा यात्रा

10-इस अध्याय के अधीन जारी किया गया रेल कूपन ऐसी अवधि के लिये विधिमान्य होगा, और प्रत्येक अप्रयुक्त कूपन प्रमुख सचिव को, ऐसी रीति से लौटा दिया जायगा जो विहित की जाय। रेल कूपन की विधि मान्यता

[11- ** ** **]

[12- ** ** **] [1]

''13-(1) प्रत्येक सदस्य, जब वह उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से, जिसके अन्तर्गत वातानुकूलित या डीलक्स बस भी है, उत्तर प्रदेश के भीतर यात्रा करता है, और उसका टिकट प्रस्तुत करता है, तब उसे ऐसे टिकट की धनराशि का भुगतान प्रमुख सचिव द्वारा किया जाएगा। बस द्वारा यात्रा

---

[1]-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1986 द्वारा निकाला गया।

[2]-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1986 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधा का उपयोग सदस्य द्वारा बस में अपने साथ एक सहवर्ती को ले जाने के लिये भी किया जा सकता है।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जो अध्याय आठ के अधीन पेंशन का हकदार है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन देय यात्री कर का भुगतान किये बिना किसी भी समय उत्तर प्रदेश के भीतर यात्रा करने के लिये विहित रीति से निःशुल्क असंक्रमणीय बस-पास का भी हकदार होगा :

परन्तु यह कि यदि उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति किसी वातानुकूलित या डीलक्स बस में यात्रा करता है तो उसे किराये की अधिक धनराशि का वहन स्वयं करना होगा।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट पास का उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा बस में अपने साथ एक सहवर्ती को ले जाने के लिये भी किया जा सकता है। [1]

अध्याय-चार

आनुषंगिक व्यय और दैनिक भत्ता

आनुषंगिक व्यय

14-प्रत्येक सदस्य को, ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों या कृत्यों के सम्बन्ध में अपनी उपस्थिति के लिये ऐसी दरों पर और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाय, निम्नलिखित दशाओं में आनुषंगिक व्यय देय होगा, अर्थात्--

(क) यथास्थिति, सभा या परिषद् के प्रत्येक सत्र में या उसकी किसी समिति के किसी उपवेशन में उपस्थित होने के लिये किसी कलेण्डर मास में अधिक से अधिक दो बार, केवल उपवेशन के स्थान पर आने के लिये और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिये की गयी यात्रा के लिये :

परन्तु यदि कोई सदस्य एक ही कलेण्डर मास में दो या अधिक समितियों के उपवेशन में भाग लेता है तो इस खण्ड के अधीन आनुषंगिक व्यय किसी भी दशा में ऐसे मास में चार से अधिक बार देय नहीं होगा।

---

[1]-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2005 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति द्वारा बुलाई गई किसी बैठक में उपस्थित होने के लिये, बैठक के स्थान पर आने के लिये और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिये की गई यात्रा के लिये;

(ग) समिति के ऐसे कार्य के सम्बन्ध में, जो समिति की बैठक से भिन्न हो, किसी समिति के सभापति के रूप में, उसके द्वारा किसी कलेण्डर मास में अधिक से अधिक दो बार लखनऊ आने के लिये और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिये की गयी यात्राओं के लिये;

(घ) संवैधानिक अध्ययन या किसी सेमिनार या पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति या किसी अन्य राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष या यथास्थिति विधान परिषद् के सभापति द्वारा या उसके प्राधिकार से या भारतीय संसदीय अध्ययन संस्थान के द्वारा बुलाई गई या किसी अन्य प्रकार से आयोजित किसी बैठक में उपस्थित होने के लिये की गयी यात्राओं के लिये :

परन्तु ऐसा सदस्य धारा 2 के खण्ड (ढ) में यथा परिभाषित अध्यक्ष या उक्त धारा के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित सभापति द्वारा ऐसी बैठक में उपस्थित होने के लिये नाम-निर्दिष्ट किया गया हो :

परन्तु यह और कि ऐसी किसी बैठक में भाग लेने के लिये [पांच][5] से अधिक सदस्य नाम-निर्दिष्ट नहीं किये जायेंगे और कोई ऐसा नाम-निर्देशन एक वर्ष में दो बार से अधिक के लिये नहीं किया जायगा।][1]

दैनिक भत्ता

15-(1)[2] [प्रत्येक सदस्य चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या न हो[3] [दो हजार रुपये][4]

---

[1]-उ0प्र0 अधिनियम संख्या 13 सन् 1984 द्वारा प्रतिस्थापित।
[2]-उ0प्र0 अधिनियम संख्या 16 सन् 1994 द्वारा संशोधित।
[3]-उ0प्र0 अधिनियम संख्या 22 सन् 1986 द्वारा संशोधित।
[4]-उ0प्र0 अधिनियम संख्या 21 सन् 2016 द्वारा संशोधित।
5-उ0प्र0 अधिनियम संख्या 10 सन् 2004 द्वारा संशोधित।

प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता का हकदार होगा जिसकी संगणना निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार की जायेगी, अर्थात्--

(एक) उक्त भत्ता, यथास्थिति, सभा या परिषद् के सत्र के दौरान या उसकी किसी समिति के किन्हीं उपवेशनों में, प्रत्येक दिन की उपस्थिति के लिये देय होगा;

(दो) उक्त भत्ता, यथास्थिति, सभा या परिषद् के लगातार उपवेशन के एक दिन पूर्व और एक दिन पश्चात् के लिये भी देय होगा, यदि सदस्य, उन दिनों में ऐसे लगातार उपवेशन के स्थान पर उपस्थित हों;

(तीन) उक्त भत्ता, यथास्थिति, सभा या परिषद् के या उसकी समिति के किसी लगातार उपवेशन के दौरान स्थगन के दिनों के लिये और ऐसे लगातार उपवेशनों के बीच पड़ने वाली छुट्‌टी के दिनों के लिये भी देय होगा, यदि सदस्य ऐसे सभी दिनों में उपवेशन के स्थान पर उपस्थित हों;

(चार) उक्त भत्ता चार से अनधिक ऐसे दिनों के लिये भी देय होगा जो सभा या परिषद् के या उसकी समिति के किसी उपवेशन के अन्तिम दिन और उसी या किसी अन्य समिति के या सभा या परिषद् के उपवेशन के प्रथम दिन के बीच पड़े, यदि सदस्य ऐसे सभी दिनों में उपवेशन के स्थान पर उपस्थित हों;

(पांच) जहां खण्ड (तीन) या खण्ड (चार) के अधीन आने वाली किसी स्थिति में कोई सदस्य उपवेशन के स्थान से अपने निवास स्थान या अपने निर्वाचन क्षेत्र को चला जाए, वहां वह धारा 14 में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबन्धों के अनुसार दैनिक भत्ता का, या धारा 14 के अनुसार आनुषंगिक व्यय का इनमें जो भी कम हो, हकदार होगा।

[(पांच-क) उक्त भत्ता किसी सदस्य को किसी समिति के सभापति के रूप में समिति की बैठक से भिन्न ऐसी समिति के कार्य के सम्बन्ध में भी लखनऊ आने पर, यदि इस धारा के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन उसे कोई ऐसा भत्ता अन्यथा देय नहीं है, देय होगा, परन्तु कोई ऐसा भत्ता एक कलेण्डर मास

में अधिक से अधिक दो बार आने पर और एक बार के लिये अधिक से अधिक दो दिन के लिये देय होगा।

(पांच-ख) उक्त भत्ता धारा 14 के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी बैठक, सेमिनार, या अध्ययन पाठ्यक्रम में उपस्थिति के लिये भी देय होगा।[1]

(पांच-ख ख-------------------------)

(पांच-ग ---------------------------)[1]

(2) प्रत्येक सदस्य उन दिनों के लिये भी जिनमें वह जनसेवा के कार्यों के लिये दौरा करें और जिसके लिये उपधारा (1) के अधीन दैनिक भत्ता या आनुषंगिक व्यय अनुमन्य न हो या न हो सकता हो, [एक हजार पांच सौ][5] रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ते का हकदार होगा।]1

(3) उपधारा (1) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन सदस्य और नेता विरोधी दल को उसके सम्पूर्ण कार्यकाल में जिसमें वह ऐसे पद पर आसीन है, प्रत्येक दिन के लिये [आठ सौ रुपये][4] प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता देय होगा, सिवाय उन दिनों के जिनके लिये वह उपधारा (1) के अधीन दैनिक भत्ता का दावा करें।] [3]

[(छ) ** ** **][2]

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिये किसी उपवेशन को लगातार समझा जायगा यदि किसी बैठक के अन्तिम दिन और दूसरी बैठक के प्रथम दिन के बीच दिनों की संख्या 4 से अधिक न हों।

---

[1]-उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30 सन् 1998 द्वारा संशोधित।

[2]-उ0प्र0 अधिनियम संख्या 22 सन् 1986 द्वारा निकाला गया।

3-उ0प्र0 अधिनियम संख्या 30 सन् 1998 द्वारा संशोधित।

4-उ0प्र0 अधिनियम संख्या 3 सन् 2015 द्वारा संशोधित।

5-उ0प्र0 अधिनियम संख्या 21 सन् 2016 द्वारा संशोधित।

अध्याय-4-क

सचिवीय भत्ता

15-क-सभा या परिषद् का प्रत्येक सदस्य चाहे वह धारा-2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या न हो, जिसमें नेता विरोधी दल भी सम्मिलित हैं, अपनी सदस्यता की अवधि में या, यथास्थिति अपने सम्पूर्ण कार्यकाल में, जिसमें वह ऐसे पद पर आसीन हैं, [20 हजार रुपये][3] प्रतिमास की दर से सचिवीय भत्ता पाने का हकदार होगा।"[2]

अध्याय-पांच

सदस्यों के लिये आवास व्यवस्था

लखनऊ में आवास व्यवस्था

16-(1) प्रत्येक सदस्य (जिसके अन्तर्गत संसदीय सचिव भी है) अपनी सदस्यता की अवधि और ऐसी अग्रेतर अवधि, जैसी विहित की जाय, के लिये लखनऊ में ऐसे आवास का किराये का भुगतान किये बिना, उपयोग करने का हकदार होगा जिसकी उसके लिये व्यवस्था की जाय।

[(1-क) प्रत्येक सदस्य जिसके उपयोग के लिये उपधारा (1) के अधीन लखनऊ में आवास की व्यवस्था की गयी हो, उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात् ऐसे आवास को रिक्त कर देगा और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी इस आवास का कब्जा ले सकेगा और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का भी प्रयोग कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में आवश्यक हो।

स्पष्टीकरण-इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये 'सदस्य' के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, जो सदस्य न रह गया हो][1]

(2) जहां किसी सदस्य को किसी आवास की व्यवस्था न की गयी हो, वहां वह [तीन सौ रुपये प्रतिमास की दर से][1] आवास भत्ता पाने का हकदार होगा।

---

[1]-उ0प्र0 अधिनियम संख्या-5 सन् 1984 द्वारा संशोधित।

[2]-उपरोक्त अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित।

[3]-उ0प्र0 अधिनियम संख्या-21 सन् 2016 द्वारा बढ़ाया गया।

[(3) ....][3]

स्पष्टीकरण-किसी सदस्य को आवास की व्यवस्था उस दिनांक को की गयी समझी जायेगी, जब उसके पक्ष में उसे प्रदिष्ट करने की सूचना उसे दे दी जाय चाहे ऐसा सदस्य प्रदेशन को स्वीकार करे या न करे या आवास पर अध्यासन करे या न करे।

17-(1) धारा 16 के अधीन आवास के प्रदेशन के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है जिसमें निम्नलिखित बातों की व्यवस्था की जायगी, अर्थात्-- आवास व्यवस्था के सम्बन्ध में

(क) आवास का, जिसके लिये कोई सदस्य हकदार होगा, मानक निर्धारित करना;

(ख) ऐसा मानक नियत करना जिसके अनुसार प्रत्येक ऐसा आवास सुसज्जित किया जायगा;

(ग) [किसी][2] आवास का मानक किराया नियत करना

[(घ) * * *][2]

(ङ) राज्य सरकार द्वारा समस्त व्यय का जिसके अन्तर्गत विद्युत और जल का व्यय भी है, भुगतान किये जाने के लिये और ऐसे आवास में जल और विद्युत के सम्भरण को विनियमित करने के लिये उपबन्ध बनाना।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियम उन सदस्यों के सम्बन्ध में भी बनाये जा सकते हैं जो धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हों।

1-उ0प्र0 अधिनियम संख्या-21 सन् 1984 द्वारा प्रतिस्थापित एवं संशोधित।
2-उपरोक्त अधिनियम द्वारा निकाला गया।
3-उ0प्र0 अधिनियम संख्या-04 सन् 2013 द्वारा निकाला गया।

अध्याय-5-क

सदस्यों के लिए ऋण की व्यवस्था

सदस्यों को अग्रिम

17-क-राज्य सरकार किसी व्यक्ति को, जो सदस्य है, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन न हो, या जो सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में पद पर आसीन रहा हो, या तो निवास-स्थान का निर्माण या क्रय करने के लिये या वाहन क्रय करने के लिये ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अनुसार जैसी विहित की जाय, दो लाख रुपये से अनधिक प्रतिसंदेय अग्रिम स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था कर सकती है :][1]

[परन्तु यह कि यदि किसी ऐसे सदस्य को एक प्रयोजन के लिये स्वीकृत किया गया अग्रिम और उस पर देय ब्याज प्रतिसंदत्त कर दिया गया हो तो उस सदस्य को दूसरे प्रयोजन के लिये भी अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है।][2]

अध्याय-छः

टेलीफोन की सुविधा

सदस्यों को टेलीफोन

18-प्रत्येक सदस्य लखनऊ में और अपने सामान्य निवास स्थान पर या सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में [टेलीफोन और मोबाइल फोन सम्बन्धी ऐसी सुविधाओं का हकदार होगा जैसी विहित की जाय।][4]

अध्याय-छः-क

चिकित्सा सुविधायें

[18-क-सभा या परिषद् का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह धारा-2 के खण्ड (झ) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन हो या नहीं, ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार जो विहित किये जायें निम्नलिखित का हकदार होगा, अर्थात्--

(क) राज्य सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी अस्पताल या औषधालय में प्रदान की जाने वाली वाह्य चिकित्सा और सुविधाओं के बदले में जिसके अन्तर्गत औषधियां भी हैं, [तीस हजार रुपये][3] प्रतिमास की धनराशि का दिया जाना ;

1-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-4 सन् 1997 द्वारा बढ़ाया गया।
2-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-25 सन् 2000 द्वारा बढ़ाया गया।
3-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-21 सन् 2016 द्वारा संशोधित।
4-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-7 सन् 2006 द्वारा संशोधित।

(ख) ऐसे अस्पताल में अपने लिये और अपने परिवार के सदस्यों के लिये, जिन्हें अस्पताल में चिकित्सा के लिये भर्ती करना अपेक्षित हो निःशुल्क स्थान और चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराया जाना।][1]

चिकित्सा सुविधायें

अध्याय-सात

नेता विरोधी दल को सुविधायें

नेता, विरोधी दल को वेतन, आवास, सवारी तथा अन्य सुविधायें

[19-नेता विरोधी दल ऐसे वेतन, आवास, सवारी तथा ऐसी अन्य सुविधायें पाने का हकदार होगा जो मंत्रि-परिषद् के किसी सदस्य को उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की धारा 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के उपबन्धों के अधीन अनुमन्य है और उक्त धाराओं के और उनसे सम्बन्धित नियमों के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, नेता विरोधी दल के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे मंत्रि-परिषद् के किसी सदस्य के सम्बन्ध में लागू होते हैं।][2]

[20- * * *

21- * * *

21-क * * *

22- * * *][3]

अध्याय-आठ

भूतपूर्व सदस्यों को पेंशन

कतिपय पदों का अर्थ

23-इस अध्याय के प्रयोजनार्थ

[(क) पद ''सभा'' या ''परिषद्'' के अन्तर्गत क्रमशः यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव असेम्बली या यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव कौंसिल भी है।

(एक) जिसने इस रूप में इंडियन इंडिपेन्डेन्स एक्ट, 1947 के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया एक्ट, 1935 के अधीन गठन के पश्चात् कार्य किया ; या

---

[1]-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-25 सन् 2000 द्वारा बढ़ाया गया।

[2] व [3]-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-15 सन् 1989 द्वारा प्रतिस्थापित/निकाला गया।

(दो) जिसने ''भारत का संविधान'' के अधीन राज्य के लिये अस्थायी विधान मण्डल के रूप में कार्य किया।][1]

(ख) एक ''वर्ष'' का तात्पर्य बारह कलेण्डर मास की किसी अवधि से है;

(ग) जिस अवधि में कोई व्यक्ति सभा या परिषद् में अपनी सदस्यता के आधार पर धारा 2 के खण्ड (झ) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन रहा हो, उस अवधि की भी गणना ऐसी सदस्यता की अवधि अवधारित करने के लिये की जायेगी।

भूतपूर्व सदस्यों को पेंशन

24-''(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसने सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में किसी भी अवधि के लिये कार्य किया हो, अपने जीवनपर्यन्त [पचीस हजार रुपये][6] प्रतिमास की दर से पेंशन का हकदार होगा :

परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने उपर्युक्तानुसार एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये कार्य किया हो, वहां वह एक वर्ष से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये [दो हजार रुपये][6] रुपये प्रतिमास की दर से अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार होगा :''[3]

[परन्तु यह और कि विधान सभा भंग होने की स्थिति में विधान सभा के भंग होने की तिथि से नयी विधान सभा के प्रथम उपवेशन तक की अवधि की गणना ऐसे सदस्य के पेंशन प्रयोजनों के लिये की जायेगी जो भंग विधान सभा का अध्यक्ष रहा हो और उक्त अवधि के दौरान इस रूप में अपने पद पर आसीन रहा हो। ''**स्पष्टीकरण**-जहां किसी व्यक्ति ने सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में छः माह या उससे अधिक किन्तु एक वर्ष से कम अवधि के लिये कार्य किया हो वहां इस धारा के प्रयोजनार्थ यह समझा जायेगा कि उस व्यक्ति ने एक वर्ष के लिये सदस्य के रूप में कार्य किया है।'']4

1-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-13 सन् 1994 द्वारा प्रतिस्थापित।
2-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-21 सन् 2005 द्वारा संशोधित।
3-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-30 सन् 1998 द्वारा प्रतिस्थापित।
4-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-10 सन् 2004 द्वारा संशोधित एवं बढ़ाया गया।
5-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-37 सन् 2007 द्वारा संशोधित।
6-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-21 सन् 2016 द्वारा संशोधित।

“(2) जहां उपधारा (1) के अधीन पेंशन का हकदार कोई व्यक्ति किसी अन्य पेंशन का भी हकदार हो, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसी पेंशन के साथ-साथ उपधारा (1) के अधीन पेंशन पाने का हकदार होगा।”[1]

कतिपय व्यक्तियों को पेंशन की सुविधायें

[24-क-जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन पेंशन या अतिरिक्त पेंशन का इस आधार पर हकदार हो जाता है कि उसने पहली जनवरी, 1946 के पूर्व गठित या विद्यमान सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य किया है, वहां यथास्थिति, ऐसी पेंशन या अतिरिक्त पेंशन ऐसे व्यक्ति को दिनांक पहली जनवरी, 1977 से देय समझी जायगी।][2]

पेंशन कब देय नहीं होगी अधिनियम संख्या 30 सन् 1954

25-धारा 24 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति निम्नलिखित स्थिति में इस अध्याय के अधीन कोई पेंशन पाने का हकदार न होगा, अर्थात्--

(क) [X X X X]”[3]

(ख) जहां कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन सवेतन नियोजित हो, या ऐसी सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम से या किसी स्थानीय प्राधिकारी से कोई पारिश्रमिक पाने का अन्यथा हकदार हो जाय और ऐसा वेतन या पारिश्रमिक प्रतिमास [धारा 24 के अधीन अनुमन्य पेंशन की धनराशि][4] के बराबर या इससे अधिक हो और इस प्रकार नियोजित या ऐसा पारिश्रमिक पाने का हकदार बना रहे;

(ग) [X X X X] [5]

(घ) जहां कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित किया जाय या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त किया जाय और ऐसे पद पर आसीन रहे;

(ङ) जहां कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् के या संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट किया जाय और ऐसा सदस्य बना रहे।

1-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-4 सन् 1997 द्वारा संशोधित।
2-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-13 सन् 1992 द्वारा प्रतिस्थापित।
3-उक्त अधिनियम द्वारा निकाला गया।
4-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-4 सन् 1987 द्वारा संशोधित।
5-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-30 सन् 1998 द्वारा निकाला गया।

[(च) जहां कोई व्यक्ति भारत का नागरिक न रह जाय।] [1]

कतिपय मामलों में पेंशन की धनराशि

26–जहां धारा 25 के [X X X][2] खण्ड (ख) [X X X][2] में उल्लिखित परिस्थितियों में, कोई व्यक्ति [धारा 24 के अधीन अनुमन्य पेंशन की धनराशि][1] प्रतिमास से कम धनराशि की कोई पेंशन, वेतन या पारिश्रमिक का हकदार हो, वहां धारा 24 के अधीन ऐसे व्यक्ति को देय पेंशन उतनी धनराशि से अधिक नहीं होगी जितनी से ऐसी पेंशन, वेतन या पारिश्रमिक [धारा 24 के अधीन अनुमन्य पेंशन की धनराशि][3] प्रतिमास से कम पड़ती हो।

मृत सदस्यों के आश्रितों को वित्तीय सहायता

[26-क (1) यदि सदस्यता की अवधि के दौरान किसी आसीन सदस्य की मृत्यु हो जाय तो मृत्यु के समय दिवंगत सदस्य को अन्यथा अनुमन्य पेंशन या रुपये दस हजार की पेंशन जो भी अधिक हो, के बराबर पारिवारिक पेंशन का ऐसा पति/पत्नी आजीवन हकदार हो जायेगा।

(2) यदि भूतपूर्व सदस्य, जो धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत पेंशन का हकदार हो, की मृत्यु हो जाय, तो मृत्यु के समय ऐसे भूतपूर्व सदस्य की पेंशन या रुपये दस हजार की पेंशन जो भी अधिक हो पारिवारिक पेंशन का ऐसा पति/पत्नी आजीवन हकदार हो जायेगा।][5]

[परन्तु यह कि यदि पति/पत्नी धारा 3 के अन्तर्गत वेतन अथवा धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी पेंशन का हकदार हो, तो वह उपधारा (1) या उपधारा (2) के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन का हकदार नहीं होगा।][4]

[(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) ऐसे पति/पत्नी जो उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम 2015 के आरम्भ के दिनांक को जीवित है, पर भी लागू होगी।][5]

अध्याय–नौ

प्रकीर्ण

वेतन आदि का त्याग

27–कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किसी वेतन, भत्ता या अन्य सुविधाओं का हकदार है, ऐसा सम्पूर्ण वेतन, भत्ता या सुविधा या उसके किसी भाग को, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति को लिखित सूचना देकर त्याग सकता है :

परन्तु ऐसी किसी त्यजन को वह किसी भी समय, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति को लिखित सूचना देकर भविष्यलक्षी प्रभाव से रद्द कर सकता है।

सदस्यों के वेतन बिल से सरकारी एवं अन्य देयों की वसूली

28–[(1) जब कभी किसी सदस्य पर किसी सरकारी देय (जैसे आवास किराया या प्रभार, टेलीफोन देय-इत्यादि) के बकाया होने की सूचना दी जाय और उसके समर्थन में सम्बद्ध प्राधिकारी से समुचित मांग या बिल प्राप्त हो, और ऐसा सदस्य ऐसे देय का भुगतान न करे, तब ऐसे देय के बराबर

1–उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-24 सन् 1991 द्वारा बढ़ाया गया।

2–उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-30 सन् 1998 द्वारा निकाला गया।

3–उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-4 सन् 1987 द्वारा संशोधित।

4–उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-39 सन् 2007 द्वारा बढ़ाया गया एवं अधिनियम सं0 9 सन् 2010 द्वारा पूर्ण रूपेण हटाया गया एवं पुर्नस्थापित।

5–अधिसूचना संख्या-445/79-वि-1-15-1(क)-16-2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा संशोधित।

धनराशि या जहां सरकार द्वारा किसी सदस्य को प्रति संदेय अग्रिम की व्यवस्था की गयी हो, वहां ऐसे सदस्य द्वारा देय ऐसे अग्रिम या उसकी किसी किस्त के बराबर धनराशि ब्याज सहित, यदि कोई हो, प्रमुख सचिव द्वारा ऐसे सदस्य के वेतन या यात्रा या दैनिक या प्रतिकर आवास या किसी अन्य भत्ता बिल से काट ली जायगी।

(1-क) ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में जो सदस्य न रह जाय या जो उस समय सदस्य न हो, जब उसे सरकार द्वारा कोई प्रतिसंदेय अग्रिम दिया गया हो, उपधारा (1) में निर्दिष्ट धनराशि ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन देय पेंशन की धनराशि या किसी अन्य धनराशि से काट ली जायगी :][1]

''परन्तु यह कि यदि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी सरकारी धन का बकाया हो, चाहे वह उसके सदस्य रहने की अवधि का हो या उसके सदस्य न रह जाने की अवधि का हो, तो उसकी कटौती ऐसे व्यक्ति के पेंशन से की जायेगी।''

(2) साधारणतया किसी सदस्य पर बकाया किन्हीं गैर सरकारी देयों की वसूली उसके वेतन या भत्तों से नहीं की जायेगी किन्तु जहां ऐसी देय धनराशि उसके संसदीय कर्तव्यों के दौरान उसको दी गयी किन्हीं सेवाओं के कारण हो, जैसे जब वह किसी समिति के साथ दौरे पर हो, और ऐसी सेवाओं के लिये व्यवस्था राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों के अनुरोध पर अर्द्ध सरकारी संस्थाओं या निजी पार्टियों या उनके अनुरोध पर की गयी हो, और ऐसा सदस्य ऐसे देयों का भुगतान नहीं करता है वहां उसकी वसूली ऐसे सदस्य के वेतन या यात्रा या दैनिक भत्ता बिलों से की जा सकती है।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

29-(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई, विशेष रूप से धारा-31 द्वारा निरसित अधिनियमित के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी अवधि में, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वे उपान्तर, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से

---

[1]-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-22 सन् 1986 द्वारा प्रतिस्थापित।

दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था।

नियम बनाने की शक्ति

30-(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) धारा 31 द्वारा निरसित अधिनियमित के अधीन बनाये गये और इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को प्रवृत्त सभी नियम जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समझे जायेंगे, और वे तब तक विधिमान्य और प्रभावी बने रहेंगे जब तक कि उन्हें निरसित न कर दिया जाय।

निरसन

31-उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन का) अधिनियम, 1952 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12 सन् 1952

उत्तर प्रदेश सरकार

संसदीय अनुभाग-1

संख्या 2752-सं0/सत्रह-81-170-सं0-80

लखनऊ : 26 जून, 1981

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980) की धारा 30 के अधीन शक्ति का और इस निमित्त समर्थकारी अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 कही जायगी।

(2) यह 1 जुलाई, 1981 को प्रवृत्त होगी सिवाय नियम-16 के जो उस दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

परिभाषायें

2-इस नियमावली में--

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 से है;

(ख) ''परिशिष्ट'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न परिशिष्ट से है;

(ग) ''समिति'' का तात्पर्य सदन या उसके पीठासीन अधिकारी द्वारा नियुक्त किसी समिति से है और इसके अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 208 के अधीन बनाये गये किसी भी सदन के नियमों के अधीन या दोनों सदनों द्वारा अंगीकृत संकल्प के अधीन गठित दोनों सदनों की संयुक्त समिति भी है और इसके अन्तर्गत किसी समिति द्वारा नियुक्त कोई उप समिति या अध्ययन दल भी है;

(घ) ''प्रपत्र'' का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न किसी प्रपत्र से है;

(ङ) ''सदन'' का तात्पर्य यथास्थित, सभा या परिषद् से है;

(च) ''बैठक'' का तात्पर्य सदन की या एक साथ समवेत् दोनों सदनों की या किसी समिति की बैठक से है;

(छ) ''उपवेशन का स्थान'' का तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहां पर कोई बैठक हो;

(ज) ''परिवहन निगम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से है;

(झ) ''यात्रा भत्ता'' का तात्पर्य अधिनियम और इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन सदस्य द्वारा की गयी यात्रा के लिये उसे स्वीकृत भत्ता से है;

(ञ) अधिनियम में प्रयुक्त और परिभाषित किन्तु इस नियमावली में अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं।

अध्याय-दो

वेतन, निर्वाचन क्षेत्र और आवास भत्ता

वेतन कब देय होगा

3-(1) इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी सदस्य का वेतन अनुवर्ती मास के प्रथम दिन को देय हो जायगा, और उसे उसी दिन या किसी भी पश्चातवर्ती दिन को आहरित किया जा सकता है।

(2) ऐसे सदस्य की स्थिति में जिसका स्थान रिक्त हो जाय, उसका वेतन रिक्ति के दिनांक के अगले दिन को देय हो जायेगा, और उसे उसी दिन या किसी भी पश्चातवर्ती दिन को आहरित किया जा सकता है।

आहरण अधिकारी

4-(1) प्रत्येक सदस्य अपने वेतन बिल का आहरण अधिकारी होगा और प्रमुख सचिव ऐसे बिल के सम्बन्ध में नियंत्रक अधिकारी होगा।

(2) ऐसा प्रत्येक बिल प्रपत्र 'क' में तैयार किया जायेगा और प्रमुख सचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायगा।

(3) प्रत्येक सदस्य उस जिले के, जहां वेतन बिल का भुगतान अपेक्षित हो, कोषागार अधिकारी को, और प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश के समस्त कोषागार अधिकारियों को, ऐसे बिल के भुगतान के पूर्व सत्यापन के प्रयोजनों के लिये हस्ताक्षर का नमूना भेजेगा।

महालेखाकार को सूचना

5-जब कोई व्यक्ति त्याग-पत्र देने या मृत्यु के कारण या अन्यथा सदन का सदस्य न रह जाय, तब आवश्यक अधिसूचना की एक प्रति तत्काल महालेखाकार को भेजी जायेगी।

वेतन से कटौतियां

6-[यदि कोई सदस्य किसी बैठक में लगातार छः दिन से अधिक (उपवेशन न होने के दिनों को छोड़कर) अवधि के लिये उपस्थित नहीं होता है तो ऐसे सदस्य को देय वेतन से उस सम्पूर्ण अवधि के लिये जिसमें ऐसी अनुपस्थिति जारी रहे दस रुपये प्रतिदिन की दर से कटौती की जायेगी, जब तक कि ऐसी अनुपस्थिति के दिनांक से एक मास की अवधि के भीतर, वह प्रपत्र-ख में यह प्रमाण-पत्र न दे-दे कि उसकी अनुपस्थिति निम्नलिखित कारण से थी--

(क) अपनी बीमारी, या

(ख) अपने परिवार में गम्भीर बीमारी या शोक, या

(ग) अपने घर पर कोई धार्मिक अनुष्ठान, या

(घ) भारत में या भारत के बाहर राज्य सरकार या भारत सरकार की ओर से किसी कर्तव्य का पालन करने, या

(ङ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निवारक निरोध।][1]

निर्वाचन क्षेत्र और आवास भत्ता

7-इस अध्याय के उपबन्ध सिवाय नियम 6 के, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और आवास भत्ता की मांग के सम्बन्ध में यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे वेतन की मांग के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

---

[1]-अधिसूचना संख्या-1755सं/17-1-85-149-84, दिनांक 15-07-85 द्वारा बढ़ाया गया।

अध्याय-तीन

रेल द्वारा यात्रा

रेल कूपन के लिये व्यवस्था

8-धारा-5 और 9 में निर्दिष्ट रेल कूपन सम्बद्ध सदस्य को प्रमुख सचिव द्वारा दिये जायेंगे जो रेलवे बोर्ड से ऐसे कूपनों को मंगाने की, और अप्रयुक्त कूपनों को लौटाने की भी आवश्यक व्यवस्था करेगा।

वर्ष के भाग के लिये रेल कूपन का मूल्य

[9-(1) जहां किसी वर्ष में यात्रा करने के लिये रेल कूपन उसी वर्ष के किसी भाग के लिये जारी किये जाने हों वहां कूपन केवल उस वर्ष के ऐसे भाग के अनुपात में जारी किये जायेंगे।

(2) इस नियम के अधीन रेल कूपन पूर्णांकों में जारी किये जायेंगे और यदि किसी सदस्य को पचास रुपये या इससे अधिक किन्तु एक सौ रुपये से कम के मूल्य के कूपन दिये जाने हों तो उसे एक सौ रुपये के रेल कूपन दिये जायेंगे और पचास रुपये से कम के लिये कोई रेल कूपन जारी नहीं किये जायेंगे।][1]

रद्द की गयी यात्राओं के लिये नये कूपनों का जारी किया जाना

10-(1) यदि कोई सदस्य रेल कूपनों के बदले में रेलवे टिकट प्राप्त करने के पश्चात् अपनी प्रस्तावित यात्रा रद्द कर देता है तो वह रेल प्रशासन से टिकट रिफण्ड रसीद प्राप्त करेगा और उसे यथाशीघ्र प्रमुख सचिव को प्रस्तुत करेगा।

[(2) जहां टिकट डिपाजिट[2] रसीद उसी वर्ष के, जिसमें सम्बद्ध रेल कूपन [x x x][2] जारी किये गये थे, भीतर प्रस्तुत की जाय, वहां प्रमुख सचिव ऐसे टिकटों की [x x x][2] धनराशि के साठ प्रतिशत के बराबर नये कूपन जारी कर सकेंगे।][1]

---

[1]-अधिसूचना संख्या-2541/सत्रह-सं0-1-91-72सं0/87, दिनांक 27 नवम्बर, 1991 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2]-अधिसूचना संख्या-3112/सात-सं0-1-2005-68 सं0-2005, दिनांक 21 नवम्बर, 2005 द्वारा संशोधित एवं हटाया गया।

11-प्रत्येक सदस्य धारा 7 के अधीन अपने सहवर्ती द्वारा की गयी प्रत्येक यात्रा के लिये ऐसी यात्रा करने के दिनांक से तीन मास के भीतर प्रमुख सचिव को प्रपत्र-ग में एक विवरण पत्र प्रस्तुत करेगा। सहवर्ती द्वारा की गयी यात्राओं का विवरण पत्र

12-जहां किसी सदस्य या उसके सहवर्ती या उसके परिवार के सदस्य द्वारा अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके यात्रा की जाय वहां प्रमुख सचिव इस नियमावली के अध्याय-दो में निर्दिष्ट किसी भी बिल से ऐसी यात्रा के लिए प्रयुक्त रेल कूपनों के मूल्य के बराबर धनराशि काटकर आवश्यक समायोजन करेगा। अधिनियम का उल्लंघन करके की गयी यात्रा के लिये कटौती

13-[xx xx][1]

[14-(1) सामान्यतः किसी सदस्य को एक बार में [[2]xxx] [बीस हजार रुपये][5] से अधिक धनराशि के रेल कूपन जारी नहीं किये जायेंगे। नये कूपन तभी जारी किये जायेंगे जब प्रमुख सचिव का यह समाधान हो जाय कि उस सदस्य को पहले जारी किये गये कूपन प्रयुक्त कर लिये गये हैं या उप नियम (2) के अधीन वापस कर दिये गये हैं।][1] नये कूपनों का जारी किया जाना

(2) प्रत्येक सदस्य प्रति वर्ष जून के आठवें दिनांक तक प्रमुख सचिव को प्रपत्र ''ङ'' में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा और सभी अप्रयुक्त कूपनों को उक्त प्रमाण-पत्र के साथ वापस कर देगा। किसी व्यतिक्रम सदस्य को कोई नया कूपन जारी नहीं किया जायेगा।

[15-कोई सदस्य रेल कूपन का अग्रिम रूप में पाने का हकदार नहीं होगा।] [3] कोई अग्रिम कूपन जारी नहीं किया जायेगा

[16- xxx xxx][4]

17-रेल कूपनों के खो जाने की स्थिति में सम्बद्ध सदस्य पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायेगा और प्रमुख सचिव को भी ऐसे कूपन खोने और रिपोर्ट के बारे में सूचित करेगा। रेल कूपनों का खो जाना।

1-अधिसूचना संख्या-336/सं0/-17-1-87-78-सं0-86, दिनांक 11 फरवरी, 1987 द्वारा निकाला गया एवं प्रतिस्थापित।
2-अधिसूचना संख्या-1318/सत्रह-सं0-1-2002-53सं0/2002, दिनांक 03 अगस्त, 2002 द्वारा संशोधित।
3-अधिसूचना संख्या-2541/सत्रह-सं0-1-91-72सं0/87, दिनांक 27 नवम्बर, 1991 द्वारा प्रतिस्थापित।
4-अधिसूचना संख्या-453/सं0-17-1-85-231/83, दिनांक 21 फरवरी, 1985 द्वारा निकाला गया।
5-अधिसूचना संख्या-2444/79-सं-1-2008-53सं/2002, दिनांक 6 अक्टूबर, 2008 द्वारा संशाधित।

रेल कूपनों की विधि मान्यता — [18-धारा-5 और 9 के अधीन किसी सदस्य को जारी किये गये रेल कूपन जारी किये जाने के दिनांक से आगामी 31 मई तक विधिमान्य होंगे।][1]

रेल कूपनों के संबंध में अन्य उपबन्ध — 19-रेल कूपनों की मांग, जारी किये जाने, प्रयोग, वापसी और लौटाये जाने से संबंधित अन्य सभी मामले परिशिष्ट-एक में दिये गये उपबन्धों द्वारा नियंत्रित होंगे।

भूतपूर्व सदस्यों को रेल कूपन — 19-क (1) धारा-5 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट रेल कूपन धारा 5 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट रेल कूपन से भिन्न रंग के होंगे।

(2) धारा-5 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट रेल कूपनों पर नियम 8 से 19 तक के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।[2]

अध्याय-चार

बस द्वारा यात्रा

सदस्यों को बस पास — [20-(1) धारा-13 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट बस पास ऐसे व्यक्ति को प्रमुख सचिव द्वारा दिया जाएगा जो परिवहन निगम से ऐसे पास मांगने की आवश्यक व्यवस्था करेगा।

(2) प्रत्येक बस पास पर सम्बद्ध व्यक्ति का सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित फोटोग्राफ और उसके हस्ताक्षर होंगे।

(3) यदि कोई बस पास खो जाय, नष्ट हो जाय या विकृत हो जाय तो उसकी दूसरी प्रति दस रुपये की फीस का भुगतान करने पर जारी की जायेगी।] [3]

सहवर्ती द्वारा बस यात्रा — [21-नियम-20 में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो बस में अपने साथ किसी सहवर्ती को ले जाने का इच्छुक हो, प्रपत्र ''च'' भरेगा और उसे यात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व कन्डक्टर या बुकिंग क्लर्क को देगा और ऐसा प्रपत्र यात्री सूची (वे बिल) के साथ संलग्न किया जायेगा।][3]

---

[1]-अधिसूचना संख्या-336/सात-सं-17-1-87 सं/86, दिनांक 11 फरवरी, 1987 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2]-(ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 1998 अधिसूचना सं0 2840/सत्रह-सं-1-98-131 सं/98, दि0 7 नवम्बर, 1990 द्वारा प्रवृत्त।

[3]-अधिसूचना संख्या-3112/सात--सं0-1-2005-68सं0-2005, दिनांक 21 नवम्बर, 2005 द्वारा प्रतिस्थापित।

[22(1) नियम-20 में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो उक्त नियम के अधीन जारी किये गये बस पास से यात्रा कर रहा हो, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अधिरोपित तीर्थ यात्री कर, सीमा कर और यात्री बीमा अधिभार, यदि कोई हो, का देनदार होगा। — तीर्थ यात्रा कर आदि का भुगतान करने का कर्तव्य

(2) प्रत्येक सहवर्ती, जो उप नियम (1) में निर्दिष्ट ऐसे व्यक्ति के साथ यात्रा कर रहा हो, किसी ऐसे विधि के अधीन यात्री कर और अतिरिक्त कर, यदि कोई हो, के अतिरिक्त उपनियम (1) में निर्दिष्ट कर और अधिभार का देनदार होगा।

[(3) उप नियम (1) में निर्दिष्ट कर और अधिभार की धनराशि का भुगतान यात्रा आरम्भ करने के पूर्व नकद किया जायेगा।][1]

[23-नियम 20 में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति जो परिवहन निगम की बस से यात्रा कर रहा हो, कन्डक्टर या निगम के किसी अधिकारी द्वारा मांग करने पर निरीक्षण के लिए अपना बस पास प्रस्तुत करेगा। — निरीक्षण के लिये बस पास प्रस्तुत करने का कर्तव्य

24-नियम-20 में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति और उसका सहवर्ती परिवहन निगम के नियमों या आदेशों के अधीन यथा अनुमन्य सामान निःशुल्क ले जाने का हकदार होगा और अतिरिक्त सामान का, यदि कोई हो, विहित दर पर भुगतान करेगा। — अतिरिक्त सामान

25-(1) नियम-20 में निर्दिष्ट व्यक्तियों और उनके सहवर्तियों द्वारा की गयी यात्राओं के लिए प्रमुख सचिव निम्नांकित धनराशि भुगतान करेगा :- — परिवहन निगम को देय धनराशि

(क) परिवहन निगम को एक मुश्त में वह धनराशि जो बस पास के एवज में परस्पर तय की जायं।

(ख) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) अधिनियम, 1962 के अधीन नियुक्त कर अधिकारी को वह धनराशि जो अधिनियम की धारा-13 में सन्दर्भित यात्री कर के एवज में परस्पर तय की जाय,

---

[1] –अधिसूचना संख्या-3112/सात--सं0-1-2005-68सं0-2005, दिनांक 21 नवम्बर, 2005 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) यदि उप नियम (1) के अधीन परस्पर सम्मति संभव न हो तो मामला राज्य सरकार के निर्दिष्ट किया जाएगा और सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।] [1]

[26-नियम-20 में निर्दिष्ट व्यक्तियों और सहवर्ती द्वारा बस पास से यात्रा करने से सम्बन्धित अन्य शर्तें और निबन्धन और लेखों का रखा जाना और अन्य सम्बद्ध विषय राज्य सरकार के सामान्य या विशेष निदेशों द्वारा विनियमित होंगे।][1]

27-[x x x x x x x x x][1]

---

[1] -अधिसूचना संख्या-3112/सात--सं0-1-2005-68सं0-2005, दिनांक 21 नवम्बर, 2005 द्वारा प्रतिस्थापित एवं निकाला गया।

अध्याय-पांच

आनुषंगिक व्यय और दैनिक भत्ता

सड़क से यात्रा

28-जहां किसी सदस्य से, ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों या कृत्यों के संबंध में अपनी उपस्थिति के लिए ऐसे स्थानों के बीच यात्रा करने की अपेक्षा की जाय जो रेल से संयोजित न हों, यहां ऐसी यात्रा परिवहन निगम के बस से की जायगी। यदि यात्रा का स्थान ऐसे बस से संयोजित न हो तो यात्रा किसी निजी बस से की जा सकती है। यदि निजी बस भी उपलब्ध न हो तो यात्रा राज्य सरकार के अधीन सेवारत प्रथम वर्ग के राजपत्रित अधिकारियों पर लागू नियमों के अनुसार की जा सकती है।

सड़क से यात्रा के लिये आनुषंगिक व्यय

29-जहां कोई सदस्य नियम-28 के अनुसार सड़क से यात्रा करता है, वहां वह राज्य सरकार के अधीन सेवारत प्रथम वर्ग के राजपत्रित अधिकारियों के लिये अनुमन्य दरों पर और उन पर, प्रयोज्य अन्य सभी शर्तों के अधीन आनुषंगिक व्यय का (जिसके अन्तर्गत यथास्थिति, वास्तविक किराया या माइलेज भी है) पाने का हकदार होगा।

[29-क-जहां कोई सदस्य अपरिहार्य परिस्थितियों में अधिनियम की धारा-14 के खण्ड (घ) के प्रयोजनार्थ यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से वायुयान यात्रा करता है, तो वहां वह एकोनॉमी क्लास के किराये के बराबर आनुषंगिक व्यय पाने का हकदार होगा।][1]

स्थानीय यात्राओं के लिये माइलेज

30-स्थानीय यात्राओं के संबंध में भी माइलेज नियम-29 में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार देय होगा।

आनुषंगिक व्यय के भुगतान के लिये शर्तें

[31-नियम-29 में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन रेल या सड़क से की गयी यात्राओं के लिये आनुषंगिक व्यय का भुगतान निम्नलिखित शर्तों और निबन्धनों के अधीन होगा, अर्थात् :-

(क) दो स्थानों के बीच की यात्रा के लिये आनुषंगिक व्यय की गणना उपलब्ध निकटतम मार्ग के आधार पर की जाएगी;

(ख) आनुषंगिक व्यय की गणना करते समय, किलोमीटर के भिन्नांश को किसी यात्रा के बिल के योग से छोड़ दिया जायगा किन्तु बिल की विभिन्न मदों से नहीं;

1-अधिसूचना संख्या-827/सं0-1-2015-52 सं0-2013, दिनांक 06 अगस्त, 2015 द्वारा बढ़ाया गया।

(ग) निवास स्थान से भिन्न किसी स्थान से, यथास्थिति, लखनऊ या उपवेशन के स्थान तक और वापसी के निमित्त किसी भी यात्रा के लिये आनुषंगिक व्यय की धनराशि उस धनराशि से अधिक नहीं होगी जिसके लिये सदस्य हकदार होता, यदि उसके द्वारा यात्रा निवास स्थान से यथास्थिति, लखनऊ या उपवेशन के स्थान तक और वापसी के लिये की गयी होती।] [1]

[1]-अधिसूचना संख्या 1755 सं0/17-1-85-149-84, दिनांक 15 जुलाई, 1985 द्वारा प्रतिस्थापित।

अध्याय-छः

यात्रा भत्ता बिल

32-(1) प्रत्येक सदस्य, जो किसी यात्रा भत्ता का हकदार हो, अपनी यात्रा का ब्यौरा प्रपत्र-''छ'' में प्रमुख सचिव को प्रस्तुत करेगा। प्रमुख सचिव तब सदस्य द्वारा, प्रपत्र-''छ'' में दिये गये ब्यौरों के आधार पर प्रपत्र-''ज'' में यात्रा भत्ता बिल तैयार करायेगा और प्रपत्र ''छ'' को बिल के साथ अनिवार्यताः संलग्न किया जायगा। यात्रा भत्ता के बिल का नकद भुगतान

(2) तत्पश्चात् प्रमुख सचिव बिल की जांच करेगा और यदि वह ठीक हो तो उस पर अपने प्रति-हस्ताक्षर करके उसे सम्बद्ध सदस्य को भेज देगा जो प्राप्तिकर्ता उन्मोचन पर हस्ताक्षर करने और आवश्यक टिकट लगाने के पश्चात् उसे भुनाने के लिये अपने जिले के कोषागार में प्रस्तुत करेगा। यदि सदस्य अपना बिल किसी उप कोषागार में भुनाना चाहे तो वह जिले के कोषागार अधिकारी के साथ यह व्यवस्था कर सकता है कि वह सम्बद्ध उप कोषागार अधिकारी को आवश्यक प्राधिकार दे दे।

(3) यात्रा भत्ता के बिल का भुगतान जिला कोषागार, लखनऊ में भी नियंत्रक अधिकारी से बिल पर ऐसे कोषागार का नाम-निर्दिष्ट करा कर लिया जा सकता है।

33-यदि कोई सदस्य अपने बिल का भुगतान नकदी में कराना चाहे तो वह ऐसे किसी बिल को प्रस्तुत करने से पूर्व सम्बद्ध कोषागार अधिकारी के पास अपने हस्ताक्षर का नमूना तीन प्रतियों में भेजेगा। भुगतान करते समय, कोषागार अधिकारी, बिल के हस्ताक्षर के नमूने के हस्ताक्षर मिलान करने से सम्बन्धित नियमों का सावधानी से पालन करेगा। यात्रा भत्ता के बिल का नकद भुगतान

34-(1) कोई सदस्य, जो उपवेशन के स्थान पर अपना यात्रा भत्ता अग्रिम लेना चाहें, उपवेशन के स्थान पर पहुंचने के पश्चात् यथाशीघ्र प्रपत्र ''झ'' भरेगा जिसमें वह अपनी वहां तक आने की यात्रा और आशयित वापसी यात्रा का और उपवेशन के स्थान पर जितने दिनों तक ठहर चुका है, उसका विवरण देगा। प्रमुख सचिव एक बिल तैयार करायेगा जिसमें प्रपत्र ''झ'' में सदस्य द्वारा की गई प्रविष्टियों के आधार पर वहां तक आने की यात्रा के लिये यात्रा भत्ता उन दिनों का दैनिक भत्ता जितने दिन सदस्य ठहर चुका हो और अग्रिम यात्रा भत्ता

वापसी यात्रा के लिये अग्रिम यात्रा भत्ता दिया होगा और प्रपत्र ''झ'' को बिल के साथ संलग्न किया जायेगा। प्रमुख सचिव, बिल की जांच करेगा और यदि वह ठीक हो तो अपना प्रतिहस्ताक्षर करने के पश्चात् उसे सम्बद्ध सदस्य को भेज देगा जो प्राप्तिकर्ता उन्मोचन पर हस्ताक्षर करने और आवश्यक टिकट लगाने के पश्चात् भुनाने के लिये उसे प्रमुख सचिव के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

(2) सदस्य को प्रपत्र ''ञ'' की एक प्रति भी दी जायेगी जिसमें वह अपने निवास स्थान पर पहुंचने पर यात्रा का ब्योरा भरेगा और तब उसे प्रमुख सचिव को वापस कर देगा। तदुपरान्त प्रमुख सचिव पूरी यात्रा के लिये समेकित बिल तैयार करायेगा।

(3) अधिक भुगतान का, यदि कोई हो, समायोजन अगले यात्रा भत्ता बिल या ऐसे सदस्य से संबंधित इस नियमावली के अध्याय दो में निर्दिष्ट किसी अन्य बिल से किया जायेगा।

यात्रा भत्ता बिल तैयार करने की प्रक्रिया

35-बिल में प्रविष्टियां पूर्ण से होंगी और यात्राओं के दिनांक (नियम-34 के अधीन यात्रा भत्ता की मांग की जाने की दशा में वापसी यात्रा को छोड़कर) विनिर्दिष्ट किये जायेंगे और मांगी गई कुल धनराशि अंकों में और शब्दों में लिखी जायेगी। बिलों में लेख का मिटाना और उनके ऊपर फिर से लिखना निषिद्ध है और यदि कोई शुद्धियां आवश्यक हों तो अशुद्ध प्रविष्टि को लाल रोशनाई से काट दिया जायेगा और शुद्ध प्रविष्टि को पंक्तियों के बीच लिखा और उसे सम्यक् रूप से लघु हस्ताक्षरित किया जायगा।

स्थगित और रद्द की गई बैठकों के लिये यात्रा भत्ता

36-(1) कोई सदस्य, जो बैठक के स्थगन या निरसन की जानकारी न होने के कारण किसी बैठक के स्थान को जाता है, इस नियमावली के अनुसार यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा बशर्ते ऐसा सदस्य यह प्रमाणित करे कि उसे निवास-स्थान छोड़ने के पूर्व बैठक के स्थगन या निरसन की सूचना नहीं प्राप्त हुई थी।

(2) कोई सदस्य, जो बैठक के स्थान को जाय, किन्तु गणपूर्ति के अभाव में या अन्यथा स्थगित किये जाने के परिणामस्वरूप बैठक में उपस्थित न हों, इस नियमावली के अनुसार यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा।

अध्याय-सात

टेलीफोन-सुविधा

[37-इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नाम-निर्दिष्ट सदस्य से भिन्न, सभा का प्रत्येक सदस्य अपनी सदस्यता की अवधि के लिये एस0टी0डी0, इण्टरनेट और थ्री जी की सुविधा के साथ निम्नलिखित का हकदार होगा :-

(एक) राज्य सरकार की लागत पर निम्नलिखित प्रत्येक स्थानों पर एक टेलीफोन लगाये जाने अर्थात् :-

(क) लखनऊ नगर में अपने सामान्य निवास स्थान पर, और

(ख) लखनऊ नगर के बाहर राज्य में अपने सामान्य निवास स्थान पर या अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी स्थान पर, और

(दो) राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा सहित मोबाइल फोन का एक सिम कार्ड ।][1]

[38-इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन सभा का प्रत्येक नाम-निर्दिष्ट सदस्य और परिषद् का प्रत्येक सदस्य एस0टी0डी0, इण्टरनेट और थ्री जी की सुविधा के साथ निम्नलिखित का हकदार होगा :-

(एक) राज्य सरकार की लागत पर निम्नलिखित प्रत्येक स्थान पर एक-एक टेलीफोन लगाये जाने अर्थात् :-

(क) लखनऊ नगर में अपने सामान्य निवास स्थान पर, और

(ख) लखनऊ नगर के बाहर राज्य में अपने सामान्य निवास स्थान पर या अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी अन्य स्थान पर, और

(दो) राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा सहित मोबाइल फोन का एक सिम कार्ड :

परन्तु जहां ऐसे सदस्य का सामान्य निवास लखनऊ नगर में हो और लखनऊ नगर के बाहर राज्य में सामान्य निवास न हो, वहां ऐसे सदस्य खण्ड (ख) में निर्दिष्ट टेलीफोन लखनऊ नगर में उसी तरह अपने सामान्य निवास पर लगाये जाने का हकदार होगा जो अधिनियम की धारा-16 के अधीन दिये गये आवास से भिन्न हो।][1]

---

[1]-अधिसूचना संख्या : 229/90-सं-1-2012-77सं-2005, दिनांक 10 अप्रैल,2012 द्वारा संशोधित।

कतिपय मामलों में टेलीफोन अनुमन्य न होगा

38-क-नियम-37 या नियम-38 में किसी बात के होते हुये भी यदि किसी सदस्य को किसी सार्वजनिक उपक्रम, निकाय या प्राधिकरण में या किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संगठन में उसके द्वारा धृत किसी पद के आधार पर मोबाइल फोन का सिम कार्ड उपलब्ध कराया गया है या उक्त नियम-37 या 38 में निर्दिष्ट किसी स्थान पर टेलीफोन कनेक्शन दिया गया है तो वह इस नियमावली के अधीन मोबाइल फोन के सिम कार्ड अथवा ऐसे स्थान पर टेलीफोन कनेक्शन का हकदार नहीं होगा।] [1]

टेलीफोन के लिये आवेदन-पत्र

[39-(1) नियम-37 या नियम-38 में विनिर्दिष्ट सुविधा का उपभोग करने का इच्छुक प्रत्येक सदस्य प्रमुख सचिव को प्रपत्र ''ट'' में आवेदन-पत्र देगा।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, प्रमुख सचिव सिम कार्ड जारी करेगा और आवश्यक धनराशि टेलीफोन विभाग के पास जमा करायेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि टेलीफोन, इस नियमावली के अनुसार, यथाशीघ्र लगाये जायें।][1]

40-इस अध्याय के अधीन प्रत्येक टेलीफोन निम्नलिखित शर्तों के अधीन लगाया जायगा, अर्थात्-

(क) नियम-37 या नियम-38 में निर्दिष्ट स्थान या स्थानों पर टेलीफोन उस भू-गृहादि में लगाया जायगा, जहां सदस्य सामान्यतया निवास करता हो और जो या तो उसके स्वामित्व में हो या उसकी किरायेदारी में हो या जो उसे राज्य सरकार द्वारा प्रदिष्ट किया गया हो या जो अन्यथा उसके अनन्य रूप से कब्जे में हो। कोई टेलीफोन किसी सदस्य के मित्र या सम्बन्धी के किसी भू-गृहादि में नहीं लगाया जायेगा, जब तक कि ऐसा भू-गृहादि अनन्य रूप से ऐसे सदस्य के कब्जे में न हो।

स्पष्टीकरण-इस खण्ड के प्रयोजनार्थ, किसी भू-गृहादि को किसी सदस्य के अनन्य रूप से कब्जे में समझा जायगा, यदि वह उसके या, यथास्थिति उसकी पत्नी या उसके पति के या ऐसे सदस्य के पुत्र या पुत्री के अध्यासन में या तो अनन्य रूप से या एक दूसरे के साथ संयुक्त रूप से हो।

1-अधिसूचना संख्या-1666/सत्रह सं0-1-2006-77 सं0/2005, दिनांक 21 जून, 2006 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) कोई भी टेलीफोन किसी भू-गृहादि में नहीं लगाया जायगा जिसका उपभोग किसी दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान के प्रयोजन के लिये किया जाता हो।

(ग) कोई भी टेलीफोन तब तक नहीं लगाया जायेगा जब तक कि वह स्थान जहां ऐसा टेलीफोन लगाया जाना अभीष्ट है किसी वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंज के सामान्य प्रभार वाले प्रवर्तन क्षेत्र के भीतर स्थित न हो।

[(घ) x x x][3]

[(ङ) सदस्य एस0टी0डी0, इण्टरनेट और थ्री जी की सुविधा के साथ निम्नलिखित के हकदार होंगे :-

(एक) अपने निर्वाचन क्षेत्र और लखनऊ आवासों पर लगे टेलीफोन और-

(दो) मोबाइल फोन इस शर्त के साथ कि राज्य सरकार टेलीफोन और मोबाइल बिलों का छः हजार रुपये प्रतिमास के अनधिक की धनराशि का भुगतान करेगी और छः हजार रुपये से अधिक धनराशि सम्बन्धित सदस्य के वेतन/अन्य देयों से काट ली जायेगी :

परन्तु किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या प्रान्तीय दल, जिसकी सदस्य संख्या का विधान मण्डल के सदस्यों की कुल संख्या अन्यून 3 प्रतिशत हो, के किसी विधान मण्डल दल का नेता अपने लखनऊ आवास पर निःशुल्क स्थानीय टेलीफोन काल का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण :-शंकाओं के निराकरण के लिए एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि सदस्य इस खण्ड में उल्लिखित धनराशि की सीमा के भीतर दो टेलीफोन एवं एक मोबाइल फोन की सभी सुविधाओं का या किसी सुविधा का प्रयोग कर सकता है।][4]

(च) इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, राज्य सरकार टेलीफोन लगाये जाने के प्रारम्भिक व्यय, और खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट मोबाइल बिल सहित बिलों के संदाय की दायी होगी।

(छ) जहां सदस्य की ओर से कोई व्यतिक्रम किये जाने के कारण टेलीफोन या मोबाइल काटा गया हो, वहां काटे गये टेलीफोन या मोबाइल के पुनः संयोजन का समस्त व्यय और, जहां सदस्य के अनुरोध पर टेलीफोन का स्थान परिवर्तन किया गया हो, वहां स्थान परिवर्तन का समस्त व्यय सम्बद्ध सदस्य द्वारा वहन किया जायेगा।

1-अधिसूचना संख्या-2541/सत्रह सं0-1-91-72 सं0/2005, दिनांक 21 जून, 2006 द्वारा प्रतिस्थापित।

2-अधिसूचना सं0-1568/79सं0-1-2007-77सं-2005, दिनांक 22 अगस्त, 2007 द्वारा क्रमशः हटाया एवं जोड़ा गया।

3-अधिसूचना सं0-1457/90-सं0-1-2010-77सं-2005, दिनांक 30 दिसम्बर, 2010 द्वारा निकाला एवं संशोधित।

4-अधिसूचना संख्या : 229/90-सं-2012-77सं-2005, दिनांक 10 अप्रैल,2012 द्वारा संशोधित।

स्पष्टीकरण :-पद ''टेलीफोन का स्थान परिवर्तन'' में चाहे किसी भी कारण से एक स्थान पर टेलीफोन का बन्द किया जाना और दूसरे स्थान पर उसे या किसी नये टेलीफोन का लगाया जाना सम्मिलित है।

(ज) यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाय या वह अन्यथा सदस्य न रह जाय तो प्रमुख सचिव, यथास्थिति, ऐसे सदस्य की मृत्यु होने या सदस्यता समाप्त होने से पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के लिये मोबाइल फोन के उपयोग या टेलीफोन उसी स्थान पर लगे रहने की अनुज्ञा दे सकता है, बशर्ते, यथास्थिति, ऐसे सदस्य के विधिक प्रतिनिधि या सदस्य स्वयं उक्त अवधि के लिये उसके समस्त प्रभार का, जिसके अन्तर्गत ऐसे मोबाइल या टेलीफोनों पर देय समस्त बकाया भी है, भुगतान करने की जिम्मेदारी लें।][1]

[झ][1] जब कोई व्यक्ति सदस्य न रह जाये, तब वह और उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में, उसके विधिक प्रतिनिधि टेलीफोन यंत्र और उसके सभी अन्य उपकरणों को प्रमुख सचिव या टेलीफोन विभाग के प्राधिकृत अधिकारी को वापस करने और उसकी रसीद प्राप्त करने के लिये बाध्य होंगे, ऐसा न करने पर, यथास्थिति, वह या वे उसकी लागत का भुगतान करने के लिये बाध्य होंगे।

[ञ][1] सदस्य उसे दिये गये टेलीफोन और उपकरणों के उचित रख-रखाव के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। वह ऐसे टेलीफोन या उसके उपकरणों में हुई किसी हानि या क्षति के लिये भी उत्तरदायी होगा।

[ट][1] इस अध्याय में किसी बात के होते हुये भी कोई सदस्य एक ही भू-गृहादि में इस अध्याय के अधीन दो टेलीफोन लगाये जाने का हकदार नहीं होगा।

[ठ][1] कोई सदस्य इस अध्याय के अधीन लगाये गये किसी टेलीफोन के सम्बन्ध में किसी अतिरिक्त लाभ का हकदार न होगा जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के वित्तीय दायित्व में वृद्धि हो जाय।

---

[1]-अधिसूचना संख्या-1666/सत्रह सं0-1-2006-77 सं0/2005, दिनांक 21 जून, 2006 द्वारा प्रतिस्थापित एवं पुनः संख्यांकित।

41-(1) इस अध्याय के अनुसार लगाया गया प्रत्येक टेलीफोन प्रमुख सचिव के नाम से होगा।

टेलीफोन प्रमुख सचिव के नाम से होगा

[(2) इस अध्याय के अनुसार लगाये गये टेलीफोन के सम्बन्ध में टेलीफोन विभाग से प्राप्त सभी बिल और मोबाइल कम्पनियों से प्राप्त बिल प्रमुख सचिव को प्रस्तुत किये जायेंगे जो बिल का भुगतान उसके लिये विनिर्दिष्ट समय के भीतर करेगा और सदस्य द्वारा देय धनराशि को इस नियमावली के अनुसार उससे वसूल करने के लिये कार्यवाही करेगा।][1]

निजी टेलीफोन रखने वाले सदस्यों को टेलीफोन सुविधा

42-(1) जहां कोई सदस्य मोबाइल फोन का व्यक्तिगत सिम कार्ड रखता है अथवा उसने नियम-37 या 38 में विनिर्दिष्ट स्थानों पर निजी टेलीफोन लगा रखा है और ऐसा सदस्य नियम-39 के अनुसार किसी नये मोबाइल के सिम कार्ड और टेलीफोन के लिये आवेदन नहीं करता है, वहां वह ऐसे मोबाइल और निजी टेलीफोन के सम्बन्ध में अपने द्वारा भुगतान किये गये मोबाइल और टेलीफोन प्रभार की प्रतिपूर्ति पाने की मांग करने का हकदार होगा।

(2) जहां किसी सदस्य का नियम-37 या नियम-38 में विनिर्दिष्ट दो स्थानों में से किसी एक स्थान पर निजी टेलीफोन हो, और ऐसा सदस्य ऐसे स्थानों में से अवशिष्ट स्थान पर नियम-37 से 41 के उपबन्धों के अनुसार केवल एक टेलीफोन लगाने के लिये आवेदन करता है, वहां वह ऐसे निजी टेलीफोन के सम्बन्ध में अपने द्वारा भुगतान किये गये टेलीफोन प्रभार की प्रतिपूर्ति की मांग करने का हकदार होगा।

(3) इस नियम के अधीन किसी सदस्य को किसी मोबाइल और टेलीफोन प्रभार की प्रतिपूर्ति तब तक नहीं की जायगी जब तक कि उसने प्रमुख सचिव को प्रपत्र ''ठ'' में अपेक्षित ब्योरा और मोबाइल कम्पनी और टेलीफोन विभाग को उसका भुगतान किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत न कर दिया हो।

---

[1]-अधिसूचना संख्या-1666/सत्रह सं0-1-2006-77 सं0/2005, दिनांक 21 जून, 2006 द्वारा प्रतिस्थापित एवं पुनः संख्यांकित।

(4) किसी सदस्य को केवल उसकी सदस्यता की अवधि के लिये मोबाइल और टेलीफोन प्रभार की प्रतिपूर्ति की जायगी।

(5) जहां किसी सदस्य को नियम-37 से 41 के अनुसार मोबाइल फोन के सिम कार्ड या किसी टेलीफोन की व्यवस्था की गयी हो और ऐसा सदस्य बाद में अपना निजी सिम कार्ड ले लेता है या नियम-37 या नियम-38 में उल्लिखित किसी भी स्थान पर टेलीफोन लगा लेता है, वहां प्रमुख सचिव ऐसे निजी सिम कार्ड और टेलीफोन के सम्बन्ध में, उस दिनांक से जब पूर्ववर्ती सिम कार्ड बन्द हो या स्थान परिवर्तन के अधीन टेलीफोन बन्द हो और ऐसा सदस्य प्रपत्र ''ठ'' में अपेक्षित ब्योरा प्रस्तुत करे, मोबाइल फोन के बिल या टेलीफोन प्रभार की प्रतिपूर्ति कर सकता है।

स्पष्टीकरण-एक-इस नियम के प्रयोजनार्थ किसी निजी टेलीफोन के सम्बन्ध में, पद ''टेलीफोन प्रभार'' का तात्पर्य टेलीफोन विभाग द्वारा भेजे गये बिलों की धनराशि से है।

स्पष्टीकरण-दो-इस नियम के प्रयोजनार्थ किसी ऐसे सदस्य के सम्बन्ध में, जिसके नाम से व्यक्तिगत सिम कार्ड या निजी टेलीफोन नहीं है पद ''व्यक्तिगत सिम कार्ड'' या ''निजी टेलीफोन'' का तात्पर्य सदस्य के, यथास्थिति, पति या पत्नी के नाम से सिम कार्ड या लगे हुये टेलीफोन से है।][1]

अध्याय-आठ

भूतपूर्व सदस्यों को पेंशन

पेंशन के लिए आवेदन-पत्र

43-(1) अधिनियम के अध्याय आठ के अधीन पेंशन का हकदार प्रत्येक व्यक्ति प्रमुख सचिव को प्रपत्र ''ड'' में, दो प्रतियों में, आवेदन-पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी या सदन के किसी वर्तमान सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित पासपोर्ट आकार के अपनी तीन नवीनतम फोटो और नमूने के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करेगा।

(2) जहां कोई व्यक्ति दोनों सदन का सदस्य रहा हो, वहां वह उप नियम (1) के अधीन आवेदन-पत्र उस सदन के, जिसका वह अपेक्षाकृत दीर्घ अवधि के लिए सदस्य रहा हो, प्रमुख सचिव को प्रस्तुत करेगा।

1-अधिसूचना संख्या-1666/सत्रह सं0-1-2006-77 सं0/2005, दिनांक 21 जून, 2006 द्वारा प्रतिस्थापित एवं पुनः संख्याकित।

(3) जहां अधिनियम के अध्याय आठ के अधीन किसी पेंशन का हकदार व्यक्ति :-

(क) पागल हो, वहां ऐसे पागल व्यक्ति की सम्पदा का प्रबन्ध करने के लिए भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के उपबन्धों के अधीन नियुक्त व्यक्ति द्वारा उप नियम (1) के अधीन आवेदन-पत्र प्रपत्र ''ढ'' में प्रस्तुत किया जायगा ;

(ख) प्रपत्र ''ड'' में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व मृत हो, वहां भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अधीन उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र या महा-प्रशासक अधिनियम, 1963 के अधीन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा उप नियम (1) के अधीन आवेदन-पत्र प्रपत्र ''ढ'' में प्रस्तुत किया जायगा।

(4) उप नियम (1) या उप नियम (3) के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर, प्रमुख सचिव उसमें उल्लिखित तथ्यों का सत्यापन उपलब्ध अभिलेखों से करेगा।

पारिवारिक पेंशन

[43-क (1) अधिनियम की धारा-26-क की उपधारा (1) के अधीन पारिवारिक पेंशन का हकदार कोई व्यक्ति, प्रमुख सचिव, को प्रपत्र 'थ' में, दो प्रतियों में आवेदन-पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी या राज्य विधान मण्डल के किसी वर्तमान सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित पासपोर्ट आकार के अपनी तीन नवीनतम फोटो और नमूने के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करेगा।

(2) अधिनियम की धारा-26-क की उपधारा (2) के अधीन पारिवारिक पेंशन का हकदार कोई व्यक्ति, प्रमुख सचिव को प्रपत्र-द में दो प्रतियों में आवेदन-पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी या राज्य विधान मण्डल के किसी वर्तमान सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित पासपोर्ट आकार के अपनी तीन नवीनतम फोटो और नमूने के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करेगा।

(3) धारा-26-क की उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट पारिवारिक पेंशन पर नियम-43 से 47 तथा अधिनियम/नियमावली के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। जहां किसी दिवंगत सदस्य या पूर्व सदस्य के प्रति कोई सरकारी देय बकाया होने की सूचना दी जाय तो प्रमुख सचिव द्वारा पारिवारिक पेंशन से ऐसे देय की कटौती की जायेगी।

नये प्रपत्र थ और द का बढ़ाया जाना

6-उक्त नियमावली में, प्रपत्र ''त'' के बाद निम्नलिखित प्रपत्रों को बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

प्रपत्र-थ
पारिवारिक पेंशन के लिये आवेदन-पत्र
भाग-एक

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा-26-क(1) देखिये]

(वर्तमान सदस्य के पति या पत्नी द्वारा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाये।)

प्रेषक,

श्री/श्रीमती ....
....
....

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद्,
विधान भवन, लखनऊ।

विषय :-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 के अधीन पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति।

महोदय,

मुझे आपको सूचित करना है कि मेरी पत्नी/पति श्रीमती/श्री .... की मृत्यु दिनांक ....को हो गई है। वह दिनांक .... से दिनांक............................. तक और दिनांक ....से दिनांक .... तक कुल ...... वर्षों तक जिला .... निर्वाचन क्षेत्र .... से उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद् के/की सदस्य रहे थे/रही थी। (समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न की जाय)।

2-यह अनुरोध है कि कृपया मुझे अधिनियम की धारा 26-क (1) के अधीन पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने के लिये कार्यवाही की जाय। मैं अपनी पेंशन .... स्थित सरकारी कोषागार से लेना चाहता/चाहती हूं।

3-मैं इसके साथ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी या राज्य विधान मण्डल के वर्तमान सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहा/रही हूं।

(एक) अपने हस्ताक्षर का तीन नमूना।

(दो) पासपोर्ट आकार में नवीनतम फोटो की तीन प्रतियां।

4-(1) मेरा वर्तमान पता .... है।

(2) मेरा स्थाई पता .... है।

5-(एक) मेरा जन्म का दिनांक ईस्वी सन् के अनुसार .... है।

(दो) लम्बाई ....

(तीन) पहचान चिन्ह ....

(चार) अंगूठा और उंगलियों का चिन्ह ....

अंगूठा **तर्जनी** **मध्यमा** **अनामिका** **कनिष्ठिका**

6-पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति के पूर्व मेरी मृत्यु हो जाने की स्थिति में मेरी मृत्यु पर मेरे जीवित रहने की समयावधि की देय पेंशन के बकाया के भुगतान के लिये मैं श्री/श्रीमती .... (सम्बन्ध) को नाम-निर्दिष्ट करता हूं।

7-मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं किः-

(एक) वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद् का सदस्य नहीं हूं।

(दो) मैं न तो उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद् का सदस्य रहा हूं और न ही मैं किसी पूर्व सदस्य के रूप में पेंशन प्राप्त कर रहा हूं।

भवदीय,

( )

नाम-.......................

स्थान- ....

दिनांक- ....

भाग–दो

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .... दिनांक .... से दिनांक .... तक और दिनांक .... से दिनांक .... तक उत्तर प्रदेश विधान सभा/परिषद् के सदस्य रहे/रही।

प्रमुख सचिव,
विधान सभा/विधान परिषद्

भाग–तीन

<u>लेखा अनुभाग, उत्तर प्रदेश विधान सभा</u>
<u>लेखा अनुभाग, उत्तर प्रदेश विधान परिषद्</u>

श्री/श्रीमती .... को दिनांक .... से .... रुपये (.......................... रुपये) मात्र प्रतिमास की पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जाती है।

स्वीकृत प्राधिकारी,
पदनाम।

प्रपत्र-द

पारिवारिक पेंशन के लिये आवेदन-पत्र

भाग-एक

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा-26-क(2) देखिये]

(पूर्व सदस्य के पति या पत्नी द्वारा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाये।)

प्रेषक,

श्री/श्रीमती ....

....

....

सेवा में,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद्,

विधान भवन, लखनऊ।

विषय :-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 के अधीन पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति।

महोदय,

मुझे आपको सूचित करना है कि मेरी पत्नी/पति श्रीमती/श्री .... की मृत्यु दिनांक .... को हो गई है। वह दिनांक .... से दिनांक ....तकऔर दिनांक .... से दिनांक .... तक कुल .... वर्षों तक जिला .... निर्वाचन क्षेत्र .... से उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद् के/की सदस्य रहे थे/रही थी। और मृत्यु के समय वह पेंशन भुगतान आदेश संख्या .... दिनांक .... के अधीन जिला कोषागार .... से .... रुपये (........... रुपये) प्रतिमास की पेंशन ले रही थी/ले रहे थे। (समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र और पेंशन भुगतान आदेश की प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न की जाय)।

2-यह अनुरोध है कि कृपया मुझे अधिनियम की धारा-26-क (2) के अधीन पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाय। मैं अपनी पेंशन .... स्थित सरकारी कोषागार से लेना चाहता/चाहती हूं।

3-मैं इसके साथ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी या राज्य विधान मण्डल के वर्तमान सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहा/रही हूं।

(एक) अपने हस्ताक्षर का तीन नमूना।

(दो) पासपोर्ट आकार में नवीनतम फोटो की तीन प्रतियां।

4-(1) मेरा वर्तमान पता .... है।

(2) मेरा स्थाई पता .... है।

5-(एक) मेरा जन्म का दिनांक ईस्वी सन् के अनुसार .... है।

(दो) लम्बाई ....

(तीन) पहचान चिन्ह ....

(चार) अंगूठा और उंगलियों का चिन्ह ....

अंगूठा	**तर्जनी**	**मध्यमा**	**अनामिका**	**कनिष्ठिका**

6-पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति के पूर्व मेरी मृत्यु होने की स्थिति में और मेरी मृत्यु पर मेरे जीवित रहने की समयावधि की देय पेंशन के बकाया के भुगतान के लिये मैं श्री/श्रीमती .... (सम्बन्ध) को नाम-निर्दिष्ट करता हूं।

7-मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं किः-

(एक) वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद् का सदस्य नहीं हूं।

(दो) मैं न तो उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद् का सदस्य रहा/रही हूं और न ही मैं किसी पदेन सदस्य के रूप में पेंशन प्राप्त कर रहा/रही हूं।

भवदीय,

(   )

नाम-

स्थान-

दिनांक-

भाग-दो

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ....दिनांक............. से दिनांक .... तक और दिनांक .... से दिनांक .... तक उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्य रहे/रही और .... रुपये (....... रुपये) मात्र प्रतिमाह पेंशन पा रहे थे/रही थी।

प्रमुख सचिव,
विधान सभा/विधान परिषद्

भाग-तीन

लेखा अनुभाग, उत्तर प्रदेश विधान सभा
लेखा अनुभाग, उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

श्री/श्रीमती .... को दिनांक .... से .... रुपये (.......................... रुपये) मात्र प्रतिमास की पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जाती है।

स्वीकृत प्राधिकारी,
पदनाम।][1]

पेंशन का स्वीकृत किया जाना

[44-यदि आवेदन-पत्र में वर्णित तथ्य सही पाये जायं, और आवेदन-पत्र अन्यथा त्रुटिपूर्ण न हों तो प्रमुख सचिव, यथास्थिति, प्रपत्र ''ड'' या ''ढ'' के भाग दो में प्रमाण-पत्र देगा और ऐसे प्रपत्र के भाग तीन को भरकर आवेदक को पेंशन स्वीकृत करेगा। तत्पश्चात् पत्रादि, यथास्थिति, विधान सभा सचिवालय या विधान परिषद् सचिवालय के मुख्य लेखा अधिकारी/[वित्त नियंत्रक][2] को भेज दिये जायेंगे जो अपना

1-अधिसूचना संख्या-1457/90-सं0-1-2010-77 सं0/2005, दिनांक 30 दिसम्बर, 2010 द्वारा प्रतिस्थापित।

2-अधिसूचना संख्या-1666/सत्रह सं0-1-2006-77 सं0/2005, दिनांक 21 जून, 2006 द्वारा प्रतिस्थापित एवं पुनः संख्यांकित।

यह समाधान करने पर कि पेंशन की धनराशि ठीक-ठीक स्वीकृत की गयी है, पेंशन का भुगतान आदेश/प्राधिकार-पत्र जारी करेगा।][1]

कोषागार से भुगतान

45-(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसे नियम-44 के अधीन पेंशन स्वीकृत किया जाय, प्रपत्र ''ड'' या ''ढ'' में उल्लिखित कोषागार से उसे पाने का हकदार होगा।

(2) कोषागार से पेंशन पाने वाला पेंशन भोगी या नियम-43 के उप नियम (3) में उल्लिखित व्यक्ति कोषागार अधिकारी को, जब कभी वह अपने पेंशन के भुगतान की मांग करें, प्रपत्र ''ण'' में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा और ऐसा न करने पर कोई भुगतान नहीं किया जायगा।

[(3) नियम 50 में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन किसी मांग का, जिसे उसके देय होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो, भुगतान, यथास्थिति, विधान सभा सचिवालय या विधान परिषद् सचिवालय के मुख्य लेखा अधिकारी/[वित्त नियंत्रक][2] पूर्व स्वीकृत के बिना नहीं किया जायेगा।] [1]

पेंशन देय होना

46-इस नियमावली के अधीन स्वीकृत पेंशन उस मास की, जिससे वह सम्बन्धित हो, समाप्त पर ही भुगातन के लिए देय होगा।

[46-क-जहां अधिनियम के अध्याय-आठ के अधीन पेंशन के हकदार व्यक्ति की, जिसे प्रपत्र-ड में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् पेंशन स्वीकृत की गयी हो, मृत्यु हो जाती है वहां उसका नाम-निर्देशिती, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के दिनांक को उसे देय पेंशन की धनराशि के भुगतान के लिये, सम्बन्धित कोषागार अधिकारी को आवेदन करेगा और कोषागार अधिकारी आवेदक के पहचान के सम्बन्ध में स्वयं का समाधान कर लेने के पश्चात् देय पायी गयी धनराशि का उसे भुगतान करेगा।][3]

1-अधिसूचना संख्या-15/17-सं0-1-90-67 सं0-89, दिनांक 10 जनवरी, 1990 द्वारा संशोधित।

2-अधिसूचना संख्या-1666/सत्रह सं0-1-2006-77 सं0/2005, दिनांक 21 जून, 2006 द्वारा प्रतिस्थापित एवं पुनः संख्यांकित।

3-अधिसूचना संख्या-2541/17-1-91-72-सं/87, दिनांक 27 नवम्बर, 1991 द्वारा बढ़ाया गया।

[47-(1) यदि पेंशन स्वीकृत किये जाने का आदेश संसूचित किये जाने के पश्चात् प्रमुख सचिव की जानकारी में ऐसा कोई तथ्य लाया जाय जिसका पेंशन की स्वीकृति या पहले से स्वीकृत पेंशन की धनराशि पर प्रभाव पड़ता हो तो वह, यदि ऐसा करना आवश्यक समझे, तो सम्यक् सत्यापन करने के पश्चात् नियम-44 के अधीन दिये गये आदेश को रद्द करने या उपान्तरित करने का आदेश जारी करेगा। सम्बन्धित मुख्य लेखा अधिकारी/[वित्त नियंत्रक][1] तत्पश्चात् पेंशन भुगतान आदेश/प्राधिकार-पत्र वापस मांग लेगा और उसे उक्त आदेश के अनुसार रद्द या उपान्तरित कर देगा।

पेंशन आदेश का रद्द या उपान्तरित किया जाना

(2) उप नियम (1) के अधीन पेंशन रद्द या कम किये जाने के परिणामस्वरूप पेंशन भोगी द्वारा प्राप्त अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, किसी भावी भुगतान से समायोजन द्वारा वसूल की जा सकेगी और वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल की जा सकती है।][1]

अध्याय-नौ

प्रकीर्ण

48-(1) यदि कोई सदस्य यह चाहता है कि इन नियमों के अधीन उसकी मांग का भुगतान चेक द्वारा किया जाय तो प्रमुख सचिव सुसंगत बिल की जांच और प्रतिहस्ताक्षर करने के पश्चात् परिशिष्ट-दो में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

चेक द्वारा भुगतान

(2) प्रमुख सचिव, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से इन नियमों के अधीन समस्त दावों के भुगतान हेतु चेक प्रणाली लागू कर सकेंगे।

1-अधिसूचना संख्या-15/सत्रह सं0-1-90-67 सं0/89, दिनांक 10 जनवरी, 1990 द्वारा संशोधित।

प्रत्यायोजन

49-प्रमुख सचिव इस नियमावली के अधीन अपनी समस्त या कोई भी शक्ति सदन के सचिवालय के लेखा अधिकारी को या अनु सचिव के पद से अनिम्न श्रेणी के किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है।

एक वर्ष से अधिक की मांग के लिए पूर्व स्वीकृति

[50-(1) इस नियमावली के अधीन ऐसी किसी मांग का, जिसे उसके देय होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो या प्रस्तुत कर दिया गया हो, किन्तु एक वर्ष के भीतर भुगतान न किया गया हो, भुगतान यथास्थिति, सभा या परिषद् सचिवालय में नियुक्त उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के ज्येष्ठतम् अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायेगा।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निमित्त राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करेगा।][1]

मृत सदस्यों को देय मांग

[51-पूर्ववर्ती नियमों में किसी बात के होते हुए भी, इस नियमावली के अधीन किसी मृत सदस्य के देय किसी दावे का भुगतान मृत सदस्य की सम्पदा के दावेदार को सामान्य विधिक प्राधिकार प्रस्तुत किये बिना निम्नलिखित स्थिति में किया जा सकता है :-

(क) जहां दावा की गयी सकल धनराशि पांच हजार रुपये से अधिक न हो, वहां प्रमुख सचिव के आदेश से, यदि उस जिले का, जिसमें मृत सदस्य का अपना सामान्य निवास स्थान हो, कलेक्टर यह प्रमाण-पत्र दे कि दावेदार ऐसा भुगतान पाने के लिये समुचित व्यक्ति है ;

(ख) जहां दावा की गयी सकल धनराशि पांच हजार रुपये से अधिक हो, वहां प्रमुख सचिव के आदेश से ऐसे प्रतिभू सहित जैसी प्रमुख सचिव अपेक्षा करे, प्रपत्र ''त'' में क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र के निष्पादन पर ;

1-अधिसूचना संख्या-3019/सत्रह-सं0-1-2000-148 सं0/2001, दिनांक 15 दिसम्बर, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित।

[परन्तु प्रमुख सचिव उप खण्ड (क) में विहित शर्त के अधीन रहते हुए, सामान्य विधिक प्राधिकार जारी होने तक पांच हजार रुपये से अनाधिक धनराशि का अनन्तिम रूप से भुगतान कर सकता है।][1]

[**टिप्पणी** :-(1) सामान्यतया दो प्रतिभू होंगे, जो दोनों ही आर्थिक रूप से ज्ञात सुदृढ़ स्थिति के होंगे, जब तक कि दावे की सकल धनराशि सात हजार पांच सौ रुपये से कम होने की दशा में राज्यपाल के लिये और उनकी ओर से प्रपत्र ''त'' में क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र स्वीकार करने वाला प्राधिकारी प्रत्येक मामले के गुणावगुण पर यह विनिश्चय करेगा कि क्या दो के स्थान पर केवल एक प्रतिभू स्वीकार किया जाय।

(2) बाध्यताधारी और क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र का निष्पादन करने वाले-प्रतिभू-व्यस्क होने चाहिये जिससे कि बन्ध-पत्र का विधिक प्रभाव और बल हो सके। बन्ध-पत्र संविधान के अनुच्छेद 299 (1) के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राज्यपाल की ओर से स्वीकार किये जाने की भी अपेक्षा की जाती है।

(3) किसी सन्देह की स्थिति में, भुगतान केवल विधिक प्राधिकार प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को किया जायगा।][2]

निरसन और अपवाद

52-(1) उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) की नियमावली, 1976, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को टेलीफोन सुविधा) नियमावली, 1980 और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को रेल कूपन) नियमावली, 1981 एतद्द्वारा निरसित की जाती है।

(2) किसी ऐसे निरसन के होते हुए भी, उप नियम (1) में निर्दिष्ट नियमावलियों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही विधिमान्य होगी और सदैव से विधिमान्य समझी जायगी।

1-अधिसूचना संख्या-2541/17-1-91-72-सं0/87, दिनांक 27 नवम्बर, 1991 द्वारा प्रतिस्थापित।

2-अधिसूचना संख्या-453सं0/17-1-85-231/83, दिनांक 21 फरवरी, 1985 द्वारा प्रतिस्थापित।

परिशिष्ट-एक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को रेल कूपन जारी करने से सम्बन्धित नियम

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 देखिए।]

पैरा-1 रेल कूपनों के लिए मांग-रेल कूपनों के लिये प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद् द्वारा जनरल मैनेजर, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली से मांग की जायेगी।

[पैरा-2-रेल कूपन की आपूर्ति-ऐसी मांग की जाने पर, उक्त रेलवे प्रशासन, रेल कूपनों की पुस्तिकायें भेजेगा जिनका प्रयोग उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर किसी भी भारतीय रेल से किसी भी श्रेणी में यात्रा करने के लिए किया जा सकेगा और आवश्यक धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार के नाम डालेगा।

पैरा 3-प्रमाण-पत्र का प्रपत्र-प्रत्येक कूपन पुस्तिका में प्रमुख सचिव द्वारा दिया गया निम्नलिखित प्रमाण-पत्र होगा :-

''मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि श्री/श्रीमती/कुमारी -------- उत्तर प्रदेश विधान सभा/परिषद् के/की सदस्य हैं और इनके द्वारा नियमानुसार उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर यात्रा करने के लिये रेल कूपनों के बदले टिकट जारी किये जा सकते हैं।''

प्रमुख सचिव,
विधान सभा/परिषद् (मुहर)

पैरा 4-रेल कूपन-रेल कूपन पुस्तिकाओं के रूप में उपलब्ध होंगे। प्रत्येक कूपन पुस्तिका में ऐसे अभिधान के, जैसा रेलवे बोर्ड से परामर्श करके समय-समय पर विनिश्चित किया जाय, धन मूल्य के कूपन होंगे।][1]

1-अधिसूचना संख्या-336सं/सत्रह-1-87-78-सं0-86, दिनांक 11 फरवरी, 1987 द्वारा संशोधित।

पैरा-5-प्रत्येक कूपन, क्रमानुसार पुस्तिका संख्या और कूपन संख्या से संख्याकित किया जायगा।

पैरा-6-उपलब्धता-कूपन पुस्तिका केवल उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के उस सदस्य के ही प्रयोग के लिये उपलब्ध होगी जिसका नाम कूपन पुस्तिका पर विनिर्दिष्ट किया जायगा। सम्बद्ध सदस्य को पुस्तिका देने से पहले प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद् उसका नाम लिख देगा।

[पैरा-7--उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के सदस्यों द्वारा वचन देना-पुस्तिका का प्रयोग करने वाला सदस्य निम्नलिखित रूप से वचन देगा जो प्रत्येक कूपन पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर मुद्रित किया जायगा :-

''मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी ------------------------- एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करती हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 और उसके अधीन बनायी गई नियमावली के अधीन मुझे अनुमन्य कूपनों का प्रयोग मेरे द्वारा उक्त अधिनियम या नियमावली के अनुसार उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर की गयी यात्राओं के लिये किया जायेगा।

''सदस्य के हस्ताक्षर''।][1]

पैरा-8-सदस्य को पुस्तिका देने के पूर्व, प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद् द्वारा उक्त वचन सदस्य से लिखा लिया जायगा।

पैरा-9-कूपन पुस्तिका की उपलब्धता :-कूपन पुस्तिका की उपलब्धता की अवधि किसी वर्ष में पहली जून से उसके ठीक पश्चात् पड़ने वाले वर्ष में 31 मई तक होगी और वह उक्त अवधि में पहली जून या किसी अनुवर्ती दिनांक से जारी की जा सकती है।

पैरा-10-कूपन और कूपन पुस्तिकायें अन्तरणीय नहीं होगी :-इस नियमावली के अधीन जारी की गयी कूपन पुस्तिकायें और उसमें दिये गये कूपन अन्तरणीय नहीं होंगे और उनका प्रयोग केवल उस सदस्य द्वारा जिसके पक्ष में वे जारी किये जायं, यात्राओं के लिए ही किया जायगा। यदि सदस्य उत्तर प्रदेश विधान सभा/परिषद् का सदस्य न रह जाय तो कूपन पुस्तिका प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद् को लौटा दी जायगी।

---

[1] -अधिसूचना संख्या 336सं/सत्रह-1-87-78-सं0-86, दिनांक 11 फरवरी, 1987 द्वारा संशोधित।

पैरा-11-कूपन से टिकट खरीदने की रीति :-यात्रा करने वाला सदस्य कूपन पुस्तिका से कोई कूपन पृथक किये बिना उसे बुकिंग क्लर्क को प्रस्तुत करेगा। खुले हुए कूपन अर्थात पुस्तिका से पृथक किये गये कूपन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

पैरा-12-बुकिंग क्लर्क स्वयं पुस्तिका से उतने कूपनों को निकाल लेगा जितने यात्रा के लिये आवश्यक हों। प्रतिरूपण को बचाने के लिये बुकिंग क्लर्क पुस्तिकाधारी से उसका परिचय-पत्र दिखाने के लिये कह सकता है और कूपन पुस्तक के हस्ताक्षर से उसके हस्ताक्षर का मिलान करने के लिए उसे एक कागज पर अपना हस्ताक्षर करने को कह सकता है। बुकिंग क्लर्क द्वारा कूपन पुस्तिका से आवश्यकता से अधिक कूपन पृथक कर दिये जाने की स्थिति में बुकिंग क्लर्क कूपनों के पृष्ठ पर एक उचित अभियुक्ति ''गलती से पृथक कर दिया गया'' लिख देगा और ऐसे खुले हुए कूपन, जब वे टिकट देने के लिए प्रस्तुत किया जाय, स्वीकार कर लिये जायेंगे, बशर्ते :

(क) जिस कूपन-पुस्तिका से कूपन पृथक किये गये हों, उसे प्रस्तुत किया जाय ; और

(ख) कूपन पुस्तिका की उपलब्धता की अवधि समाप्त न हुई हो।

[पैरा-13-कूपनों के बदले में बुकिंग क्लर्क ऐसी श्रेणी में जैसी अपेक्षा की जाय, (द्वितीय श्रेणी स्लीपर) कम्पार्टमेन्ट के एक तरफ की यात्रा वापसी यात्रा का टिकट, जैसी अपेक्षा की जाय, उस पर मुद्रित किराये को काट देगा और टिकट के दूसरे तरफ लाल रोशनाई से ''केवल सदस्यों के लिए रेल कूपन'' इंगित करने वाले शब्द लिख देगा।][1]

पैरा-14-यदि एक ही सदस्य के पक्ष में जारी की गयी दो विभिन्न पुस्तिकाओं से रेल कूपन टिकट देने के लिए प्रस्तुत किये जायें तो उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए।

---

[1]-अधिसूचना संख्या 336सं/सत्रह-1-87-78-सं0-86, दिनांक 11 फरवरी, 1987 द्वारा संशोधित।

पैरा-15-सदस्य की पहचान-कोई भी सदस्य पूर्ववर्ती पैरा के अधीन दिये गये टिकट से यात्रा करते समय अपने पास अपना परिचय-पत्र रखेगा जिसमें प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित उसकी फोटो होगी और रेल प्राधिकारियों द्वारा मांगने पर उसे प्रस्तुत करेगा।

पैरा-16-रेल कूपनों पर दिये गये टिकटों की उपलब्धता-टिकटों की दिनांक और उपलब्धता की अवधि वही होगी जो साधारण टिकटों के लिए होती है।

पैरा-17-तीर्थ यात्रा और सीमाकर-उन स्थानों से और उन स्थानों तक, जहां पर तीर्थ यात्रा या सीमा-कर लगाया जाता हो, यात्रा के लिए रेल कूपनों के बदले में टिकट देते समय, कूपन प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से तीर्थ यात्रा या सीमा-कर नकद लिया जायगा। इस प्रकार वसूली गयी कर की धनराशि टिकटों के मुख भाग पर दर्ज की जायगी।

[पैरा-18-उच्चतर श्रेणी में यात्रा और आरक्षण शुल्क-कूपनों के बदले प्राप्त टिकटों को रेलवे स्टैडिंग रूल्स के अनुसार किसी उच्चतर श्रेणी में परिवर्तित किया जा सकता है और इन कूपनों का प्रयोग दो श्रेणियों के बीच के किराये के अन्तर का भुगतान करने के लिए भी किया जा सकता है। कूपनों का प्रयोग सीट और बर्थ के आरक्षण के शुल्क का भुगतान करने के लिए भी किया जा सकता है।] [1]

पैरा-19-सामान-साधारण टिकट के अनुसार सामान को निःशुल्क ले जाने की अनुमति दी जायगी। निःशुल्क सामान के अतिरिक्त सामान पर समान दर से शुल्क लिया जायगा और धनराशि नकद में ली जायगी।

पैरा-20-बिना बदले गये कूपन-जो सदस्य बिना बदले गये कूपनों पर यात्रा करते हुए पाये जायेंगे, उन्हें बिना टिकट यात्रा करने वाला समझा जायगा और वे विहित शास्तियों के भागी होंगे। ऐसे मामलों में किराया और अतिरिक्त प्रभार का भुगतान नकद किया जायगा।

[पैरा-21-कूपनों का प्रयोग-रेल कूपनों का प्रयोग किसी बुकिंग आफिस में यात्री टिकट, आरक्षण शुल्क, उच्चतर श्रेणी में यात्रा के लिये किराये में अन्तर, सुपर फास्ट गाड़ियों में अनुपूरक शुल्क और शयन-स्थान के लिए स्लीपर शुल्क के लिए बदलने के प्रयोजनों के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायगा। कूपनों को किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य शुल्क, अर्थात् सामान शुल्क आदि का भुगतान करने के लिए, जो अधिनियम और उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन अनुज्ञेय नहीं है, स्वीकार नहीं किया जायगा।][1]

---

[1]-अधिसूचना संख्या 336सं/सत्रह-1-87-78-सं0-86, दिनांक 11 फरवरी, 1987 द्वारा प्रतिस्थापित।

पैरा-22-कूपन का अधिहरण-रेल प्रशासन जिसने कूपन पुस्तिका जारी किया हो; इस प्रमाण पर उसका अधिहरण कर सकता है कि जिन शर्तों पर वह जारी किया गया था, उसका पालन नहीं किया गया है। ऐसा करने के पूर्व उसे इस मामले को प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद् को निर्दिष्ट करना चाहिये और इस प्रकार अधिहरण करने के लिये उसकी स्वीकृति लेनी चाहिये। इस प्रकार अधिहरण किये जाने पर, कूपन पुस्तिका का मूल्य प्रमुख सचिव को वापस कर दिया जायेगा या उसे भविष्य में दिये जाने वाले कूपनों के प्रति समायोजित किया जा सकता है।

पैरा-23-धनराशि की वापसी-अप्रयुक्त कूपनों पर किसी भी धनराशि को वापस करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि अप्रयुक्त कूपनों को रेल शासन को उनकी उपलब्धता की अवधि के भीतर लौटा न दिया जाय।

पैरा-24-अपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर कूपनों के बदले में दिये गये अप्रयुक्त या अंशतः प्रयुक्त टिकटों पर धनराशि की वापसी नहीं की जायेगी।

परिशिष्ट दो

चेक द्वारा मांगों के भुगतान की प्रक्रिया

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 का नियम 48 देखिये]

(1) प्रमुख सचिव, चेक बुक सीधे कोषागार अधिकारी, लखनऊ से या यदि बैठक का स्थान लखनऊ के अलावा कहीं और हो तो जहां बैठक हो, उस जिले के मुख्यालय के कोषागार अधिकारी से फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-पांच, भाग एक के नियम 54 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त करेगा।

(2) चेक, प्रमुख सचिव के हस्ताक्षर से उन सदस्यों को जारी किये जायेंगे जो चेक द्वारा भुगतान लेना चाहें। सभी चेक सम्बद्ध सदस्यों को दिये जायेंगे और आदिष्ट (आर्डर) चेक होंगे। वाहक (वेयरर) चेक किसी भी स्थिति में जारी नहीं किया जायेगा।

(3) चेक की धनराशि, यथास्थिति, उस कोषागार से जहां से चेक-बुक प्राप्त की गयी हो या स्टेट बैंक आफ इण्डिया की स्थानीय शाखा से देय होगी। सदस्य अपने बैंक द्वारा या अन्य प्रकार से चेक भुनाने के लिये अपना प्रबन्ध स्वयं करेगा।

(4) प्रमुख सचिव चेक के विषय में फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-पांच, भाग-एक, के अध्याय तीन के सेक्शन पांच में निर्धारित अनुदेशों का सावधानी से पालन करेगा।

प्रपत्र-क

राज्य/आयोजनेत्तर

विधान मण्डल के सदस्यों का वेतन और अन्य मांगों का बिल

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 का नियम-4 देखिये]

विधान सभा/परिषद् के सदस्य का नाम-------------------

जिला--------------------

लेखा परीक्षा संख्या आय व्ययक शीर्षक वर्ष 200 के लिये भुगतान की सूची का बाउचर संख्या

	मासिक दर		धनराशि	
	रुपया	पैसा	रुपया	पैसा

(1) ---------------------------- मास, 200 का अपना वेतन प्राप्त किया।

(2) ---------------------------- मास, 200 का अपना निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता प्राप्त किया।

(3) ---------------------------- मास, 200 का अपना आवास भत्ता, यदि कोई हो, प्राप्त किया।

(4)

(5)

सकल पावना

घटाइये-निम्नलिखित कटौतियां-

(1) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 के नियम-6 के अधीन

(2) --------------------------------

(3) --------------------------------

कुल कटौतियां

शुद्ध देय धनराशि

(क) (कुल धनराशि शब्दों में) --------------------

(ख) शुद्ध धनराशि सदस्य द्वारा अपने हाथ से लिखी जायेगी।

कृपया ----------------------- को भुगतान करें।

दिनांक -----, 200 हस्ताक्षर-----सदस्य के हस्ताक्षर------

रु0 शब्दों में रुपये के लिये

पारित नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर

*राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि श्री -------------- सदस्य, विधान सभा/परिषद् को लखनऊ में किसी निःशुल्क आवास की व्यवस्था नहीं की गयी है।

या

*राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि श्री -------------- सदस्य, विधान सभा/परिषद् ----------- रुपये प्रतिमास के आवास भत्ते के हकदार हैं।

नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर --------------

*(जो लागू न हो उसे काट दिया जाय)

निदेश

1-वेतन बिल उस माह के, जिसके लिये वेतन अर्जित किया गया हो, अन्तिम कार्य दिवस से दो दिन पूर्व किसी जिला कोषागार में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

2-यदि कोई सदस्य चाहे कि वेतन बिल का भुगतान किसी बैंकर या अभिकर्ता (एजेन्ट) को किया जाय तो बिल पर बैंकर या अभिकर्ता का नाम अंकित किया जा सकता है और तब उसे भुगतान के लिये

ऐसे बैंकर या अभिकर्ता के द्वारा प्रस्तुत किया जायगा। इससे सदस्य के लिये स्वयं या संदेशवाहक द्वारा उपस्थित होने की अवश्यकता न रह जायगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में भुगतान सीधे बैंकर या अभिकर्ता को किया जा सकेगा।

3-सरकार पर संदेशवाहक को दी गयी धनराशि या चेक या बिल के सम्बन्ध में किसी कपट या दुर्विनियोग के लिये कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

(क) कोषागारों में भुगतान होने की स्थिति में

-------------- रुपये

का भुगतान करें।

परीक्षा और प्रविष्टि की गई

दिनांक, 200 लेखाकार कोषागार अधिकारी

(ख) बैंक में भुगतान होने की स्थिति में

सेवा में,

एजेन्ट, स्टेट बैंक आफ इण्डिया -------------------

कृपया ------------- रुपये (---------) का भुगतान करें।

कोषागार

दिनांक ------------, 200 कोषागार अधिकारी

प्राप्तिकर्ता का बैंक के प्रति उन्मोचन

भुगतान प्राप्त हुआ

नाम --------------

पद ---------------

महालेखाकार के कार्यालय में प्रयोग के लिये

--------------------------- रुपये के लिये स्वीकृत

---------------- रुपये पर आपत्ति

लेखा परीक्षक

अधीक्षक

प्रपत्र-ख

अनुपस्थिति का प्रमाण-पत्र

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 का नियम-6 देखिये]

सदस्य का नाम ----------------- सदस्य, विधान सभा/सदस्य, विधान परिषद्

जिला ---------------------

उस बैठक का प्रकार जिससे अनुपस्थित रहा ----------------

अनुपस्थिति का दिनांक -------

मैं एतद्‌द्वारा प्रमाणित करता हूं कि सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों तथा कृत्यों के सम्बन्ध में उपस्थित रहने की जो अपेक्षा की गयी थी, उसमें मैं-

(क) अपनी बीमारी, या

(ख) अपने परिवार में गम्भीर बीमारी या शोक, या

(ग) अपने घर पर धार्मिक अनुष्ठान, या

(घ) भारत में या भारत के बाहर राज्य सरकार या भारत सरकार की ओर से किसी कर्तव्य के पालन, या

(ङ) निवारक निरोध से संबंधित विधि के अधीन निरुद्ध रहने के कारण अनुपस्थित रहा। अनुरोध है कि उपर्युक्त दिनों के लिये मेरे वेतन से कटौती न की जाय।

(हस्ताक्षर) ----------------

(दिनांक) ----------------

प्रपत्र-ग

सहवर्ती द्वारा की गई यात्रा का विवरण-पत्र

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 का नियम-11 देखिये]

1-सदस्य का नाम -------------- सदस्य, विधान सभा/सदस्य, विधान परिषद्

2-सहवर्ती का नाम और पूरा पता --------------------------------

3-यात्रा प्रारम्भ करने का दिनांक ---

4-रेलवे स्टेशन, जहां से यात्रा प्रारम्भ हुई ------------------------------------

5-रेलवे स्टेशन, जहां यात्रा समाप्त हुई ---------------------------------------

6-रेलगाड़ी की संख्या और नाम जिससे यात्रा की गयी थी ----------------------

7-वापसी यात्रा के प्रारम्भ का दिनांक --

8-रेलवे स्टेशन, जहां से वापसी यात्रा प्रारम्भ हुई -------------------------------

9-रेलवे स्टेशन, जहां वापसी यात्रा समाप्त हुई ---------------------------------

10-रेलगाड़ी का नाम और संख्या जिससे वापसी यात्रा की गयी थी ----------------

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त यात्रा उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा-7 के उपबन्धों के अनुसार की गयी है।

(हस्ताक्षर) ---------------

(दिनांक) ---------------

[प्रपत्र-घ][1]

[xxx xxx xxx]

प्रपत्र-ङ

नये कूपनों के लिये अनुरोध

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 का नियम-14 देखिये]

सदस्य का नाम ----------------- सदस्य, विधान सभा/सदस्य, विधान परिषद्

जिला --------------------

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने समस्त रेल कूपनों का, जो मुझे जारी किया गया था, उपयोग कर लिया है, सिवाय ----------- रुपये के मूल्य के कूपनों के, जिन्हें अप्रयुक्त कूपनों के रूप में मैंने वापस कर दिया है।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने रद्द की गई यात्राओं के लिये समस्त टिकट रिफंड रसीद प्रमुख सचिव को प्रस्तुत कर दी है।

---

[1] –अधिसूचना संख्या 336 सं0/17-1-87 सं/86, दिनांक 11 फरवरी, 1987 द्वारा निकाला गया।

कूपनों का ब्यौरा

(हस्ताक्षर) ---------------

(दिनांक) ---------------

प्रपत्र–च

सहवर्ती द्वारा बस से यात्रा का ब्यौरा

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 का नियम 21 देखिये]

सदस्य का नाम --------------------- सदस्य, विधान सभा/सदस्य, विधान परिषद्

जिला ---------------------

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी ------------------आयु लगभग -------------वर्ष ---- निवासी ------------ को उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा-13(2) के अधीन अपने सहवर्ती के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस संख्या -------- द्वारा (स्थान) ------------- से --------------- (स्थान) तक ले जा रहा हूं।

बस पास की संख्या--------

(हस्ताक्षर)----------------

(दिनांक)-----------------

प्रपत्र–छ

यात्रा भत्ता के लिये यात्रा का ब्यौरा

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 का नियम-32(1) देखिये]

(1)सदस्य का नाम ----------- सदस्य, विधान सभा/सदस्य, विधान परिषद्

(2) निवास स्थान ------------------------------------

(3) --------------- से प्रस्थान का दिनांक और समय

(4) ---------------- में आगमन का दिनांक और समय

(5) उपस्थिति का दिनांक ------------------------------

(6) ----------------- से प्रस्थान का दिनांक और समय ---------

(7) ----------------- में आगमन का दिनांक और समय ---------

(8) क्या यात्रा सड़क से की गयी, यदि हां, तो कैसे -----------------

(9) सड़क से की गयी यात्रा की दूरी ------------------------

(10) यदि यात्रा सड़क से की गयी तो वाहन का प्रकार बतायें और यह भी बतायें कि वाहन निजी था या किराये का --------------

(एक) निवास-स्थान से स्टेशन तक -----------------

(दो) ---------------- स्टेशन से निवास स्थान -----------------तक

(11) क्या इन यात्राओं का यात्रा भत्ता या इस अवधि के लिये दैनिक भत्ता किसी अन्य शासकीय स्रोत से आहरित किया गया है ?

(12) यात्रा का प्रयोजन ---------------------------

(हस्ताक्षर)----------------

(दिनांक)-----------------

प्रपत्र–ज

विधान मण्डल के सदस्यों का यात्रा भत्ता बिल

आयोजनेत्तर/राज्य

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 का नियम-34 (1) देखिये]

विधान सभा/परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश

2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधान मण्डल

101-विधान सभा/विधान परिषद्

04-यात्रा व्यय (मतदेय)

(यात्रा भत्ता का बिल बनाने के लिये अनुदेश)

1-विभिन्न प्रकार की यात्रा तथा यात्रायें और विराम एक ही पंक्ति में न लिखे जाने चाहिये।

2-किसी एक यात्रा के बिल के योग में आने वाले किलोमीटर के किसी अंश के लिए भत्ता नहीं लिया जाना चाहिए।

3-यदि यात्रा भत्ता के बिल में प्रथम मद विराम का हो तो इस विराम के आरम्भ का दिनांक अभ्युक्ति स्तम्भ में दिखलाया जाना चाहिए।

4-स्तम्भ-13 की प्रत्येक प्रविष्टि के साथ-साथ स्तम्भ-14 में भी तद्नुरूप प्रविष्टि होनी चाहिये।

5-यदि कोई व्यक्ति यह चाहे कि यात्रा भत्ता-बिल की धनराशि का भुगतान किसी बैंक या अभिकर्ता को किया जाय तो यात्रा भत्ता के बिल पर ऐसे बैंक या अभिकर्ता का नाम अंकित किया जा सकता है और तब उसे ऐसे बैंक या अभिकर्ता के द्वारा भुगतान पाने के लिये प्रस्तुत किया जायेगा। इससे सरकारी सेवक के लिये स्वयं या अपने किसी सन्देशवाहक के द्वारा उपस्थित होने की आवश्यकता न रह जायगी। क्योंकि ऐसी स्थिति में भुगतान सीधे बैंक या अभिकर्ता को किया जा सकेगा।

(यदि बिल पूर्व लेखा परीक्षण के लिए भेजा गया हो तो यहां पर पूर्व लेखा परीक्षण मुहर अंकित की जायेगी)

टिप्पणी-बिल बनाने में अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग होना चाहिये।

महालेखाकार के कार्यालय में प्रयुक्त किये जाने के लिये

लेखा शीर्षक जिसके लेखे से रुपया देय है।

--------------रुपये के लिए स्वीकृति

------------- रुपये के लिए आपत्ति की गई

आपत्ति के कारण ------------------------

ज्येष्ठ लेखाकार,

सरकारी आज्ञा

विधान सभा/परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश

यात्रा भत्ता बिल

विधान मण्डल के सदस्यों के लिये

जिला ------------------------

नाम-----------------------------

पद नाम ------------------------ मास के लिये

मुख्यालय --------------------

वेतन रु0 8000.00

यात्राओं और विरामों का विवरण						यात्रा किस प्रकार की गई	रेल का किराया की गई यात्रा की		सड़क या ट्राली द्वारा									
प्रस्थान			आगमन			अर्थात् रेल (डाक या सवारी गाड़ी) स्टीमर, सड़क अथवा ट्राली से	---------- स्टीमर का किराया ---------- किरायों की श्रेणी संख्या	धनराशि	दूरी ---------- भत्ता की मांग की गई है जिसके लिये मील भत्ता देय है ---------- साधारण दर से	अन्य दर से	दिनों की संख्या जिनके लिये दैनिक भत्ता की मांग की गई है जिसके लिये दैनिक भत्ता देय है	वास्तविक व्यय		विराम का प्रयोजन		यात्रा या अंतिम यात्रा का दिनांक		अभ्युक्ति
														विवरण		**धनराशि**		
स्थान	दिनांक	समय	स्थान	दिनांक	समय													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

गाड़ी और स्टीमर का किराया (स्तम्भ 10)	इस बिल की धनराशि प्राप्त हुई

रु0 पै0

सड़क द्वारा मील संख्या	स्टाम्प

मील दर से (स्तम्भ 11)

मील दर से (स्तम्भ 12)

---------- दिन जिसके लिये दैनिक भत्ता मांगा गया है (स्तम्भ 14)

-------------------------	यात्रा करने वाले सदस्य के हस्ताक्षर

कार्यालय ज्ञापन-पत्र

वास्तविक व्यय (स्तम्भ 16)

दिनांक --------- 200

योग — -------------

घटाइये .... सरकार को देय किराया
(फाइनेंशियल हैण्डबुक, खण्ड तीन, विनियोग 19--19 के लिये रु0 पै0
पैरा 29)

व्यय जिसमें इस बिल का धन सम्मिलित है।

अन्य कटौतियां

शुद्ध अभ्यर्थन ----------	शेष ----------

रुपये अंकों और शब्दों में ---

रुपये के लिये स्वीकृत -------------------

दिनांक ------------20 -------------------	नियंत्रक अधिकारी

(क) यदि कोषागार से भुगतान हो

रुपये का भुगतान कीजिये -------------------------

परीक्षित तथा प्रविष्ट किया गया---------------

दिनांक 20	लेखाकार	कोषागार अधिकारी

(ख) यदि बैंक में भुगतान हो

अभिकर्ता, स्टेट बैंक आफ इण्डिया

कृपया --------------- रुपये का भुगतान कीजिये

( )

कोषागार	कोषागार अधिकारी

दिनांक 20 प्राप्तकर्ता की ओर से बैंक की रसीद

भुगतान पाया

नाम ---------------------

पद ---------------------

टिप्पणी-यथास्थिति (क) या (ख) को काट दीजिये।

प्रपत्र-झ

अग्रिम यात्रा भत्ता के लिये अनुरोध

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 का नियम-34(1) देखिये]

(1) सदस्य का नाम ---------------------------------

(2) निवास स्थान -----------------------------------

(3) ---------- से प्रस्थान का दिनांक और समय ----------

(4) ---------- में आगमन का दिनांक और समय ---------

(5) --------- से प्रस्थान का दिनांक और समय ----------

(6) मूल निवास स्थान से ---------- तक का रेल का एक ओर का प्रथम श्रेणी का किराया --------- रुपया

(7) यदि यात्रा सड़क से की गयी हो तो वाहन का प्रकार बतायें और यह भी बतायें कि वाहन निजी था या किराये का

(एक) निवास स्थान से स्टेशन तक ------------------------

(दो) ------------------------ स्टेशन से निवास स्थान तक

(8) यात्रा का प्रयोजन --

(9) बीच में कितनी अवधि के लिये ठहर चुके हैं ------------------------

(हस्ताक्षर) -------------

(दिनांक) --------------

प्रमाणित किया जाता है कि इस यात्रा/अवधि के लिये सदस्य के रूप में मांगा गया धन मैंने किसी अन्य शासकीय स्रोत से आहरित नहीं किया है और न करूंगा।

(हस्ताक्षर) -------------

(दिनांक) --------------

प्रपत्र-ञ

वापसी यात्रा के ब्यौरे

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 का नियम-34(2) देखिये]

(निवास स्थान में आगमन के पश्चात् तुरन्त प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को लौटाया जायगा।)

प्रमाणित किया जाता है कि -

मैंने ------------------- तक वापसी यात्रा नीचे दिये गये विवरण के अनुसार की :

(1) ------------ से ------------ को प्रस्थान करने का समय और दिनांक

(2) आगमन का समय और दिनांक ----------------

(3) रेलगाड़ी का नाम और संख्या -------------------

(हस्ताक्षर) --------------------

(पता) ----------------------

(दिनांक) ---------------------

प्रपत्र-ट

टेलीफोन सुविधा के लिये आवेदन-पत्र

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 का नियम-39(1) देखिये]

1-सदस्य का नाम --

2-निर्वाचन-क्षेत्र का नाम ---------------------------------------

3-लखनऊ नगर में सामान्य निवास स्थान ---------------------------

4-लखनऊ नगर के बाहर सामान्य निवास स्थान ---------------------

5-स्थान जहां नये टेलीफोन लगाना अभीष्ट है :

(क) लखनऊ नगर में ----------------------------------

(ख) लखनऊ नगर के बाहर ------------------------------

6-(क) लखनऊ नगर स्थित उस भू-गृहादि का विवरण, जिसमें टेलीफोन लगाना अभीष्ट है ---

(ख) भू-गृहादि पर अध्यासन का प्रकार (क्या स्वामित्व या किरायेदारी में है, आवंटित है या अन्य प्रकार से अनन्य अध्यासन में है) ----------------

7-(क) लखनऊ नगर के बाहर स्थित उस भू-गृहादि का विवरण, जिसमें टेलीफोन लगाना अभीष्ट है

(ख) भू-गृहादि आ अध्यासन का प्रकार (क्या स्वामित्व या किरायेदारी में है, आवंटित या अन्य प्रकार से अनन्य अध्यासन में है)

8-निकटतम टेलीफोन एक्सचेंज का नाम -----------------------------

(क) स्तम्भ संख्या 6 में उल्लिखित भू-गृहादि के विषय में --------------

(ख) स्तम्भ संख्या 7 में उल्लिखित भू-गृहादि के विषय में -------------

9-कोई अन्य सूचना जिसे सदस्य [देना] [1] चाहें ------------------------

मैं एतद्द्वारा-

(क) घोषणा करता हूं कि ऊपर निर्दिष्ट नियमावली के द्वारा या अधीन आरोपित निबन्धन और शर्तें मेरे लिये आबद्ध कर होंगी।

(ख) घोषणा करता हूं कि पैरा-6 और 7 में उल्लिखित [परिसर] [1] का उपयोग किसी दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान के लिये नहीं किया जा रहा है।

(ग) सरकार को सभी अदत्त [मोबाइल और] [1] टेलीफोन बिल के भुगतान का बचन देता हूं।

(घ) मैं प्रमुख सचिव को ऐसी समस्त अदत्त धनराशि की, जिसे मैं उपर्युक्त नियमावली के अधीन या अनुसार भुगतान करने के लिये विधिक रूप से आबद्ध हूं अपने वेतन बिल और यात्रा बिल से कटौती करने का अधिकार देता हूं।

दिनांक

पूरा हस्ताक्षर

---

[1]-अधिसूचना संख्या-1666/सात-सं0-1-2006-77(सं0)/2005, दिनांक 21 जून, 2006 द्वारा संशोधित।

प्रपत्र-ठ

टेलीफोन प्रभार की प्रतिपूर्ति के लिये आवेदन-पत्र

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 का नियम-42(3) और (5) देखिये]

1-सदस्य का नाम ---

2-निर्वाचन-क्षेत्र का नाम --

3-लखनऊ में पता --

4-लखनऊ नगर के बाहर सामान्य निवास स्थान ----------------------

5-क्या प्रपत्र-ट में कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है ? यदि हां तो कब -

6-क्या कोई नया टेलीफोन कनेक्शन अभीष्ट है ? ---------------------

7-यदि स्तम्भ-6 का उत्तर हां में हो, तो उस स्थान और भू-गृहादि का विवरण दीजिये जहां टेलीफोन कनेक्शन लगाना अभीष्ट हो -------------------

8-भू-गृहादि पर अध्यासन का प्रकार (क्या स्वामित्व या किरोयदारी में है, आवंटित है या अन्य प्रकार से अनन्य अध्यासन में है) ----------------

9-निकटतम टेलीफोन एक्सचेंज का नाम -----------------------------

10-(क) क्या सदस्य के पास इस आवेदन-पत्र के दिनांक के पूर्व से कोई टेलीफोन है ---------

(ख) यदि ऐसा है तो उस स्थान और [परिसर][1] का विवरण दीजिये जहां टेलीफोन लगा है-- --------------------------------

(ग) टेलीफोन संख्या जिसके संबंध में टेलीफोन प्रभार की प्रतिपूर्ति [चाही] [1]है;

[(घ) क्या सदस्य के पास मोबाइल फोन का सिमकार्ड है जिसके सम्बन्ध में प्रभारों की प्रतिपूर्ति चाही गयी है। यदि ऐसा है तो उसका विवरण दीजिए।] [1]

11-कोई अन्य सूचना जिसे सदस्य [देना][1] चाहें -----------------------

मैं एतद्द्वारा-

(क) घोषणा करता हूं कि ऊपर निर्दिष्ट नियमावली के द्वारा या अधीन आरोपित निबन्धन और शर्तें मेरे लिये आबद्ध कर होंगी।

---

[1]-अधिसूचना संख्या-1666/सात-सं0-1-2006-77(सं0)/2005, दिनांक 21 जून, 2006 द्वारा संशोधित।

(ख) घोषणा करता हूं कि पैरा [पैरा-7 और 8][1] में उल्लिखित [परिसर][1] का उपयोग किसी दुकान या वाणिज्यिक अधिष्ठान के लिये नहीं किया जा रहा है।

(ग) सरकार को सभी अदत्त [मोबाइल और][1] टेलीफोन बिल के भुगतान का वचन देता हूं।

(घ) मैं प्रमुख सचिव को ऐसी समस्त अदत्त धनराशि की, जिसे मैं उपर्युक्त नियमावली के अधीन या अनुसार भुगतान करने के लिये विधिक रूप से आबद्ध हूं अपने वेतन बिल और यात्रा बिल से कटौती करने का प्राधिकार देता हूं।

दिनांक पूरा हस्ताक्षर

[1]-अधिसूचना संख्या-1666/सात-सं0-1-2006-77(सं0)/2005, दिनांक 21 जून, 2006 द्वारा संशोधित।

प्रपत्र-ड

पेंशन के लिये आवेदन-पत्र

भाग-एक

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा-24 देखिये]

(राज्य विधान मण्डल के भूतपूर्व सदस्य द्वारा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायगा।)

प्रेषक,

श्री/श्रीमती/कुमारी ---

(उत्तर प्रदेश विधान सभा/उत्तर प्रदेश विधान परिषद्/यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव असेम्बली/यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव कौंसिल का भूतपूर्व सदस्य) (यहां पर उस सदन का उल्लेख कीजिये जिसके सदस्य सब से अन्त में रहे हो)

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश विधान सभा/
उत्तर प्रदेश विधान परिषद्,
विधान भवन,
लखनऊ।

विषय : उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 के अधीन पेंशन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त अधिनियम की धारा-24 के अर्थान्तर्गत मैं निम्नलिखित अवधि के लिये निम्नलिखित रूप में कार्य के संबंध में पेंशन का हकदार हूं-

[(1) यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव असेम्बली के, जिसने इस रूप में इण्डियन इन्डिपेन्डेन्स ऐक्ट, 1947 के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 के अधीन गठन के पश्चात् 26 जनवरी, 1950 तक कार्य किया था, सदस्य और तत्पश्चात् (1952 में हुए प्रथम सामान्य निर्वाचन के पूर्व) अस्थायी उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में --------------से --------------- तक।

(2) यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव कौंसिल के, जिसने इस रूप में इण्डियन इन्डिपेन्डेन्स ऐक्ट, 1947 के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 के अधीन गठन के पश्चात् 26 जनवरी, 1950 तक कार्य किया था, सदस्य और तत्पश्चात् (1952 में हुए प्रथम सामान्य निर्वाचन के पूर्व) अस्थायी उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य के रूप में -------------- से ---------------------तक।[1]

---

[1]-अधिसूचना संख्या-453/17-1-85-231-83, दिनांक 21 फरवरी, 1985 द्वारा संशोधित।

(3) 1952 में हुए प्रथम सामान्य निर्वाचन के पश्चात् उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य के रूप में -------------से---------------तक।

(4) 1952 में हुये प्रथम सामान्य निर्वाचन के पश्चात् उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य के रूप में ------------ से --------------- तक।

उपर्युक्त अवधि का कुल योग ------------- वर्ष ------------- मास और ------------ दिन ----------------

2-यह अनुरोध है कि मुझे पेंशन स्वीकार करने के लिये कार्यवाही की जाय। मैं अपनी पेंशन ----------- स्थित सरकारी कोषागार से लेना चाहता हूँ।

3-मैं इसके साथ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारी/राज्य विधान मण्डल के वर्तमान सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहा हूँ :-

(एक) हस्ताक्षर का तीन नमूना

(दो) पास पोर्ट आकार में नवीनतम फोटो की तीन प्रतियां।

4-(एक) मेरा वर्तमान पता -------------------------------- है।

(दो) मेरा स्थायी पता ------------------------------------ है।

5-(एक) जन्म दिनांक ईस्वी (सन्) के अनुसार

(दो) लम्बाई

(तीन) पहचान चिन्ह

(चार) अंगूठा और उंगलियों के चिन्ह

अंगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

6-पेंशन स्वीकृत होने के पूर्व मेरी मृत्यु हो जाने की स्थिति में मेरी मृत्यु पर मेरे जीवित रहने की समयावधि की देय पेंशन के बकाया के भुगतान के लिये मैं श्री/श्रीमती --------------------- को नाम-निर्दिष्ट करता/करती हूं।

7-मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि-

(एक) मैं राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति के निर्वाचित पद या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक का पद धारण नहीं कर रहा हूँ ;

(दो) मैं संसद के किसी सदन या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् या उत्तर प्रदेश विधान सभा का सदस्य नहीं हूं ;

(तीन) मैं केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रण में किसी निगम या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन वेतन पर न तो नियोजित हूं और न ऐसी सरकार या निगम या स्थानीय प्राधिकारी से किसी पारिश्रमिक का अन्यथा हकदार हूं ;	या	मैं --------------- पद पर हूं या ------------------- का सदस्य हूं या ----------- के रूप में नियोजित हूं और मुझे कुल पारिश्रमिक -------- रुपये मिलता है (सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय)।
(चार) मैं संविधान सभा, अस्थायी संसद या लोक सभा/राज्य सभा का सदस्य कभी नहीं था;	या	मैं संविधान सभा, अस्थायी संसद या लोक सभा/राज्य सभा का -------------- से --------------- तक सदस्य था;
(पांच) मुझे कोई पेंशन नहीं मिलती है, न मैंने उसके लिये आवेदन-पत्र दिया है, और न ही मैं संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के अधीन किसी पेंशन का हकदार हूं ;	या	संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के अधीन ------------- रुपये की पेंशन के लिये मैंने आवेदन-पत्र दिया है;
(छः) मुझे कोई सैनिक/सिविल पेंशन नहीं मिलती है;	या	मुझे --------- रुपये सैनिक/सिविल पेंशन---------- से मिलती है (सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय;)
(सात) मुझे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार से कोई पेंशन नहीं मिलती है;	या	मुझे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार से ------------ रुपये की पेंशन मिलती है।

नाम---------------------------

स्थान---------------------------

दिनांक ------------------------

भवदीय,

( )

भाग-दो

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी --------------------- से --------------- तक और ------------से -----------------------तक ------------- सभा/परिषद् के सदस्य रहे/रहीं।

प्रमुख सचिव,
विधान सभा/परिषद्

भाग-तीन

लेखा/संसदीय अनुभाग, उत्तर प्रदेश विधान सभा

लेखा/संसदीय अनुभाग, उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

श्री/श्रीमती/कुमारी --------------- को दिनांक ------------------- से --------------------- रुपये (------------- रुपये) मात्र प्रति मास की पेंशन स्वीकृत की जाती है।

हस्ताक्षर,
स्वीकृति अधिकारी।
पदनाम ---------------

प्रपत्र-ढ

पेंशन के लिये आवेदन-पत्र

भाग-एक

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा-24 और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 का नियम-43(3) देखिये]

(राज्य विधान मण्डल के पागल भूतपूर्व सदस्य की सम्पदा का प्रबन्ध करने वाले व्यक्ति या राज्य विधान मण्डल के भूतपूर्व सदस्य के उत्तराधिकारी द्वारा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायगा।)

प्रेषक,

श्री/श्रीमती/कुमारी -----------------------------

(भूतपूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश विधान सभा/उत्तर प्रदेश विधान परिषद्/यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव असेम्बली/यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव कौंसिल की ओर से) (यहां पर उस सदन का उल्लेख कीजिये जिसमें सदस्य सबसे अन्त में रहे हों)

सेवा में,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश विधान सभा/उत्तर प्रदेश विधान परिषद्,

लखनऊ।

विषय :- उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 के अधीन पेंशन की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त अधिनियम की धारा-24 के अर्थान्तर्गत श्री/श्रीमती/कुमारी ------------------- निम्नलिखित अवधि के लिये निम्नलिखित रूप से कार्य करने के संबंध में पेंशन के/की हकदार थे/थी-

[(1) यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव असेम्बली के जिसने इस रूप में इण्डियन इन्डिपेन्डन्स ऐक्ट, 1947 के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 के अधीन गठन के पश्चात् 26 जनवरी, 1950 तक कार्य किया था, सदस्य और तत्पश्चात् (1952 में हुये प्रथम सामान्य निर्वाचन के पूर्व) अस्थाई उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में ------------ से ---------------------- तक।

(2) यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव कौंसिल के जिसने इस रूप में इण्डियन इन्डिपेन्डन्स ऐक्ट, 1947 के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 के अधीन गठन के पश्चात् 26 जनवरी, 1950 तक कार्य किया था, सदस्य और तत्पश्चात्
(1952 में हुये प्रथम सामान्य निर्वाचन के पूर्व) अस्थाई उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य के रूप में ------------ से ---------------------- तक।][1]

(3) 1952 में हुए प्रथम सामान्य निर्वाचन के पश्चात् उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा के सदस्य के रूप में --------------------------------- से --------------------------------- तक।

(4) 1952 में हुए प्रथम सामान्य निर्वाचन के पश्चात् उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद् के सदस्य के रूप में --------------------------------- से --------------------------------- तक।

[1] –अधिसूचना संख्या-453-सं0/17-1-85-231-83, दिनांक 21 फरवरी, 1985 द्वारा संशोधित।

उपर्युक्त अवधि का कुल योग-----------------------------------
वर्ष------------------------मास और-------------दिन---------------

2-यह अनुरोध है कि मुझे पेंशन स्वीकार करने के लिये कार्यवाही की जाय। मैं उनकी पेंशन-------------स्थित सरकारी कोषागार से लेना चाहता/चाहती हूं।

3-मैं इसके साथ प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट/केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारी राज्य विधान मण्डल के वर्तमान सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहा/रही हूं।

(एक) अपने हस्ताक्षर का तीन नमूना।

(दो) पासपोर्ट आकार में अपने नवीनतम फोटो की तीन प्रतियां।

(तीन) श्री/श्रीमती/कुमारी ---------------------- की सम्पदा का प्रबन्ध करने के लिये मुझे नियुक्त करने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र [(यदि इस नियमावली के अधीन अपेक्षित हो)][1]

4-(एक) मेरा वर्तमान पता ---------------------------------- है।

(दो) मेरा स्थायी पता ------------------------------------ है।

5-(एक) मेरा जन्म-दिनांक ईस्वी सन् के अनुसार ----------------- है।

(दो) लम्बाई ----------------------------------

(तीन) पहचान चिन्ह ---------------------------

(चार) अंगूठा और उंगलियों का चिन्ह ----------------------

अंगूठा	**तर्जनी**	**मध्यमा**	**अनामिका**	**कनिष्ठिका**

6-ईस्वी सन् के अनुसार भूतपूर्व सदस्य के जन्म का दिनांक ------------

7-मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि श्री/श्रीमती/कुमारी ----------

(एक) राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति का निर्वाचित पद या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक का पद इस समय धारण नहीं करते हैं/करती हैं, उस अवधि में जिसके लिये पेंशन मांगी जा रही है, धारण नहीं करते थे/करती थी;

[1] –अधिसूचना संख्या-453-सं0/17-1-85-231-83, दिनांक 21 फरवरी, 1985 द्वारा बढ़ाया गया।

(तीन) केन्द्रीय सरकार के या किसी राज्य सरकार के या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रण में किसी निगम या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन वेतन पर नियोजित नहीं हैं/थे/थी और न ऐसी सरकार या निगम या स्थानीय प्राधिकारी से किसी पारिश्रमिक के/की की अन्यथा हकदार हैं/थे/थी;	या	---------------------- पद पर हैं/थे/थी या ------------ के/की सदस्य हैं/थे/थी या ---------------------- के रूप में नियोजित थे/थी या ------------- में है और उसके द्वारा प्राप्त कुल मासिक पारिश्रमिक ------------- रुपये प्रतिमाह है/था (सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय);
(चार) संविधान सभा/ अस्थायी संसद या लोक सभा/राज्य सभा के/की सदस्य कभी नहीं थे/थी;	या	संविधान सभा/अस्थायी संसद या लोक सभा/राज्य सभा के/की ----------------- तक सदस्य थे/थी ;
(पांच) न तो कोई पेंशन पाते/पाती हैं/थे/थी, न उन्होंने कोई आवेदन-पत्र दिया है/दिया था, और न संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के अधीन किसी पेंशन के/की हकदार है;	या	संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के अधीन ------------- रुपये पेंशन पाते/पाती है/थे/थी या उन्होंने उसके लिये आवेदन-पत्र दिया है/दिया था;
(छः) कोई सैनिक/सिविल पेंशन नहीं पाते/पाती हैं या थे/थी ;	या	सैनिक/सिविल पेंशन के रूप में जो ---------------- आहरित किया जाता है/था/थी। रुपये पाते/पाती है/थे। (सक्षम प्राधिकारी या प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय) ।

(सात) स्वतंत्रता सेनानी के रूप में केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार से कोई पेंशन नहीं पाते/पाती हैं या/थे/थी ;	या	स्वतंत्रता सेनानी के रूप में केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार से ------------ रुपये की पेंशन पाते/पाती हैं/थे/थी ।

नाम---------------------------

स्थान---------------------------

दिनांक ------------------------

भवदीय,

( )

भाग–दो

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी -------------------- से -------------- तक और -----------------से --------------------तक सभा/परिषद् के सदस्य रहे/रहीं।

प्रमुख सचिव,
विधान सभा/विधान परिषद्

भाग–तीन

लेखा/संसदीय अनुभाग, उत्तर प्रदेश विधान सभा

लेखा/संसदीय अनुभाग, उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

श्री/श्रीमती/कुमारी ------------- को दिनांक ----------------- से ---------- रुपये (------------- रुपये) मात्र प्रतिमास की पेंशन स्वीकृत की जाती है।

हस्ताक्षर,
स्वीकृति प्राधिकारी
पदनाम

प्रपत्र–ण

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 का नियम–45(2) देखिये]

प्रमाण–पत्र

मैं एतद्‌द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मेरे आवेदन-पत्र में दिये गये या प्रमाणित किये गये तथ्यों में जिनके आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 के अधीन मुझे पेंशन स्वीकृत की गयी है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

पेंशनभोगी या सदस्य की सम्पदा का प्रबन्ध करने वाले
व्यक्ति के हस्ताक्षर
(दिनांक सहित)

टिप्पणी–यदि पेंशन के लिये अपने आवेदन-पत्र में पेंशन भोगी द्वारा दिये गये या प्रमाणित तथ्य में कोई परिवर्तन हो तो वह उसकी सूचना तुरन्त प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद् को देगा।

[1][प्रपत्र–त]

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 का नियम–51(ख) देखिये]

विधान सभा/परिषद् उत्तर प्रदेश के किसी मृत सदस्य को देय वेतन और भत्तों के बकाये या किसी अन्य दावे का या उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के किसी मृत भूतपूर्व सदस्य की पेंशन का आहरण करने के लिये क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र का प्रपत्र।

1–अधिसूचना संख्या 453–सं0/17–1–85–231–83, दिनांक 21 फरवरी, 1985 द्वारा बढ़ाया गया।

यह सब को ज्ञात हो कि मैं, -------------- (क) श्री/श्रीमती ---------------- (ख) का/की/विधवा/पति/पुत्र/पुत्री (ख) निवासी ---------------------------- (ग) ------------------- (जिसे आगे बाध्यता धारी कहा गया है जिस शब्द के अन्तर्गत, जब तक कि सन्दर्भ से उसे अपवर्जित न किया गया हो या उसके प्रतिकूल न हो, उसका/उसकी दायाद, निष्पादक, प्रशासक और विधिक प्रतिनिधि भी है) और मैं/हम (1) ---------------------- (घ) पुत्र श्री ------------------------ निवासी ------------------------ और (2) ------------------------- (ङ) -------------------- पुत्र श्री --------------------------------- निवासी --------------------- बाध्यताधारी की ओर से प्रतिभू (जिसे/जिन्हें आगे ''प्रतिभू'' कहा गया है जिस शब्द के अन्तर्गत, जब तक कि सन्दर्भ से उसे अपवर्जित न किया गया हो या उसके प्रतिकूल न हो, उसका/उसकी दायाद, निष्पादक, प्रशासक और विधिक प्रतिनिधि भी है) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को (जिसे आगे ''सरकार'' कहा गया है जिस शब्द के अन्तर्गत जब तक कि उसे सन्दर्भ से अपवर्जित न किया गया हो या उसके प्रतिकूल न हो, उसके पदोत्तरवर्ती और समुनुदेशिती भी है) मांग करने पर, और बिना आपत्ति के --- रुपये (च) (------------------------------ रुपये)

की धनराशि का संयुक्तता और पृथकता से भुगतान करने के लिये स्वयं को आबद्ध करता हूं/करते हैं। यह भुगतान पूर्णतः और सही रूप में करने के लिये हम अपने को इस विलेख द्वारा दृढ़तापूर्वक आबद्ध करते हैं।

दिनांक -------- मास ---------- वर्ष तद्नुरूप शक संवत् तिथि -------------

200 ---------------

चूंकि उपर्युक्त श्री/श्रीमती --------------- (ख) ------------------ जो अपनी मृत्यु के समय उत्तर प्रदेश विधान सभा/परिषद् के/की सदस्य थे/थी उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के भूतपूर्व सदस्य के रूप में ---------------------------- रुपये की पेंशन प्राप्त कर रह थे/रही थी/प्राप्त करने के लिये हकदार थे/थीं;

और चूंकि उक्त श्री/श्रीमती ------------------------- (ख) की मृत्यु दिनांक ------------, 200 ----------- को हो गयी और उन्हें वेतन और भत्तों

के लिये या उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के भूतपूर्व सदस्य के रूप में अपने पेंशन के संबंध में/उत्तर प्रदेश विधान सभा/परिषद् के सदस्य के रूप में ----------- से संबंधित (जिसे विनिर्दिष्ट किया जायगा।) अपने दावे के लिये ---------------- रुपये (च) (--------------------------------- रुपये) की धनराशि देय है;

और चूंकि उपर्युक्त बद्ध बाध्यताधारी (क) अपने पति/पत्नी/पिता, उक्त श्री/श्रीमती --------- (ख) के दायाद के रूप में उक्त धनराशि का हकदार होने का दावा करते/करती हैं, किन्तु उसने श्री/श्रीमती -------------------------------

(ख) की सम्पत्ति और परिसम्पत्ति का प्रबन्धाधिकार पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया है;

और चूंकि बाध्यताधारी ने सरकार का यह समाधान कर दिया है कि वह उपर्युक्त धनराशि का/की हकदार है और यह कि यदि उससे उक्त श्री/श्रीमती --------------------

(ख) की सम्पत्ति और परिसम्पत्ति का प्रबन्धाधिकार पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी तो इससे असम्यक् विलम्ब और कष्ट होगा ;

और चूंकि , सरकार बाध्यताधारी को उक्त धनराशि का भुगतान करना चाहती है किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों और आदेशों के अधीन बाध्यताधारी को उक्त धनराशि का भुगतान किये जाने के पूर्व यह आवश्यक है कि उक्त श्री/श्रीमती ------------------- (ख) को इस प्रकार देय धनराशि के समस्त दावों के प्रति सरकार की क्षतिपूर्ति करने के लिये वह प्रथमतः एक प्रतिभू/दो प्रतिभू के साथ बन्ध-पत्र निष्पादित करें ;

अब इस बन्धक पत्र की शर्त यह है कि यदि बाध्यताधारी को भुगतान करने के पश्चात् बाध्यताधारी या प्रतिभू उपर्युक्त ------------------- रुपये (च) (-------------- रुपये) की धनराशि के संबंध में सरकार के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये गये किसी दावे की दशा में, सरकार को ---------- रुपये (च) (------------------- रुपये) की धनराशि वापस करेंगे और अन्यथा भी उपर्युक्त धनराशि के संबंध में सरकार की क्षतिपूर्ति करेंगे और तत्संबंधी समस्त दायित्वों और उसके लिये किसी दावें के परिणामस्वरूप किये गये समस्त व्ययों की अपहानि से उसे

मुक्त रखेंगे। तदुपरान्त उपर्युक्त लिखित बन्ध-पत्र या बाध्यता शून्य हो जायेगी अन्यथा उक्त बन्ध-पत्र पूर्ण रूप से प्रवृत्त, प्रभावी और प्रभावोत्पादक रहेगा और एदतूद्वारा यह सम्मत है और घोषित किया जाता है कि किसी अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद् उत्तर प्रदेश के प्रमाण-पत्र पर जो अंतिम, निश्चायक और दावेदार और या प्रतिभू पर बन्धनकारी होगा, यहां इसके अधीन दिये गये समस्त देयों को भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर सकेगी।

इसके साक्ष्य स्वरूप इस पर ऊपर लिखित दिनांक और वर्ष को पक्षकारों ने अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं ------------------------

*ऊपर नामित बाध्यताधारी ने :-

ऊपर नामित प्रतिभू ने :-

** (1) ------------------------ (पता) साक्षी (1)

------------------- (पता)

(प्रथम प्रतिभू) (2)

------------------- (पता)

*** (2) ------------------- (पता) की उपस्थिति में

हस्ताक्षर किये।

(द्वितीय प्रतिभू)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये।

††--

† की उपस्थिति में -------------------------------------- द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिये और उनकी ओर से स्वीकार किया गया।

टिप्पणी :- (क) दावेदार का पूरा नाम

(ख) विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश के मृत सदस्य का उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के भूतपूर्व सदस्य के रूप में पेंशनभोगी का पूरा नाम

(ग) दावेदार के निवास-स्थान का पूरा पता

(घ) प्रथम प्रतिभू

(ङ) द्वितीय प्रतिभू

(च) दावे की धनराशि

---

* वाध्यताधारी का हस्ताक्षर

** प्रथम प्रतिभू का हस्ताक्षर

*** द्वितीय प्रतिभू का हस्ताक्षर

† संविधान के अनुच्छेद 299 के अनुसरण में राज्यपाल के लिये और उनकी ओर से बन्धपत्र स्वीकार करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम।

†† साक्षी का नाम और पदनाम।

टिप्पणी :- बाध्यताधारी और प्रतिभू को व्यस्क होना चाहिये जिससे बन्धक-पत्र का विधिक, भाव या बल हो।

इस बन्ध-पत्र पर समुचित स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिये।

आज्ञा से,

गंगा बख्श सिंह,

सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

संसदीय अनुभाग-1

संख्या 3533सं/सत्रह-81-94-सं-81

लखनऊ, 11 सितम्बर, 1981

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980) की धारा [***][1] 30 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (नेता विरोधी दल को सुविधायें) नियमावली, 1981

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (नेता विरोधी दल को सुविधायें) नियमावली, 1981 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2-इस नियमावली में,-

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 से है :

(ख) ''सदस्यों की उपलब्धियां नियमावली'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 से है :

(ग) अधिनियम में प्रयुक्त और परिभाषित, किन्तु इस नियमावली में अपरिभाषित, समस्त अन्य शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उसके लिये दिये गये हैं।

अध्याय-दो

वेतन और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता

वेतन कब देय होगा

3-(1) इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, नेता विरोधी दल का वेतन अनुवर्ती मास के प्रथम दिन को देय हो जायगा और उसे उसी दिन या किसी भी पश्चात्वर्ती दिन को आहरित किया जा सकता है।

---

[1]-अधिसूचना संख्या 3817/17-सं-1-90-94 सं-81, दिनांक 12 सितम्बर, 1980 द्वारा निकाला गया।

(2) यदि नेता विरोधी दल का अभिज्ञान, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति द्वारा वापस ले लिया जाय या तो नेता विरोधी दल का पद अन्यथा रिक्त हो जाय, तो उसका वेतन, ऐसी वापसी या रिक्ति के दिनांक के अगले दिन को देय हो जायेगा और उसे उसी दिन या किसी भी पश्चात्वर्ती दिन को आहरित किया जा सकता है।

आहरण अधिकारी

4-(1) नेता विरोधी दल अपने वेतन बिल का आहरण अधिकारी होगा, और प्रमुख सचिव ऐसे बिल के संबंध में नियंत्रक अधिकारी होगा।

(2) नेता विरोधी दल उस जिले के जहां वेतन का भुगतान किया जाना अपेक्षित हो, कोषागार अधिकारी को ऐसे बिल का भुगतान किये जाने के पूर्व सत्यापन के प्रयोजनार्थ अपने हस्ताक्षर का नमूना भेजेगा।

महालेखाकार को सूचना

5-जब कोई व्यक्ति त्याग-पत्र देने या मृत्यु के कारण या अन्यथा नेता विरोधी दल न रह जाय, तब प्रमुख सचिव महालेखाकार को उस दिनांक की, जिस दिनांक को ऐसा व्यक्ति नेता विरोधी दल न रह जाय, सूचना तत्काल देगा।

निर्वाचन क्षेत्र भत्ता

6-इस अध्याय के उपबन्ध, निर्वाचन क्षेत्र भत्ते की मांग के संबंध में, यथावश्यक परिवर्तन सहित, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे वेतन के संबंध में लागू होते हैं।

अध्याय-तीन

सवारी

[7 *** *** ***
8 *** *** ***
9 *** *** ***
10 *** *** ***

अध्याय-चार

वास्तविक व्यय

11 *** *** ***] [1]

---

[1] –अधिसूचना संख्या 3817/17-सं-1-90-94 सं-81, दिनांक 12 सितम्बर, 1980 द्वारा निकाला गया।

अध्याय-पांच

टेलीफोन

12-(1) नेता विरोधी दल सदस्य के रूप में ''सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन नियमावली'' के नियम-37 या नियम-38 के अधीन जिस टेलीफोन के लिये हकदार है उसके अतिरिक्त राज्य सरकार के व्यय पर सचिवालय में अपने कार्यालय कक्ष में एक आन्तरिक और एक बाह्य टेलीफोन लगाये जाने का हकदार होगा।

(2) नेता विरोधी दल उप नियम (1) में निर्दिष्ट समस्त टेलीफोन से ट्रंक राज्य, सरकार के व्यय पर निःशुल्क स्थानीय काल और उसके अतिरिक्त ऐसे काल का, जो लोक हित में किये जायें, हकदार होगा।

अध्याय-छः

कर्मचारीगण

नेता विरोधी दल के लिये कर्मचारीगण

[13-प्रमुख सचिव नेता विरोधी दल के लिये निम्नलिखित कर्मचारीगण की व्यवस्था करेगा अर्थात्-

नेता विरोधी दल के लिये कर्मचारीगण

(क) एक निजी सचिव ;
(ख) एक जन सम्पर्क अधिकारी निःसंवर्गीय;
(ग) दो अपर निजी सचिव[3] ;
(घ) एक समीक्षा अधिकारी[3] ;
(ङ) एक सहायक समीक्षा अधिकारी[3] ;
(च) कार चालक[3] ;
(छ) वरिष्ठ अनुसेवक ;
(ज) दो अनुसेवक।][2]

[14- * *][1]

अध्याय-सात

प्रकीर्ण

प्रकीर्ण उपबन्ध

15-नेता विरोधी दल को ऐसी अन्य सुविधायें मिलती रहेंगी जिनके लिये वह ''सदस्यों की उपलब्धियां नियमावली'' के अधीन सदस्य के रूप में हकदार है और जिनके लिये इस नियमावली के अधीन कोई स्पष्ट उपबन्ध नहीं किया गया है।

1-अधिसूचना संख्या 3817/17-सं-1-90-94सं-81, दिनांक 12 सितम्बर, 1980 द्वारा निकाला गया।

[2] –अधिसूचना संख्या 3164 सं0/17-1-82-94 सं-81, दिनांक 15 जुलाई, 1982 द्वारा प्रतिस्थापित।

3-अधिष्ठापित अनुभाग की पत्रावली सं0-81 (अधि0)/80 के पृष्ठ-111 व 112 पर अंकित आदेशानुसार।

16-सदस्यों की उपलब्धियां नियमावली के नियम-48 और 49 के उपबन्ध और उक्त नियमावली के अधीन विहित प्रपत्र, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस नियमावली के उपबन्धों के संबंध में लागू होंगे। सदस्यों की उपलब्धियां नियमावली के नियम-48 और 49 का लागू होना

17-यदि इस नियमावली के किसी उपबन्ध के निर्वचन के बारे में कोई सन्देह या विवाद हो, तो उस मामले को राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा। नियमावली का निर्वचन

आज्ञा से,

गंगा बख्श सिंह,

सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

संसदीय कार्य अनुभाग-1

संख्या-1221सं/सत्रह-1-89-94-सं0/81

लखनऊ, 25 मार्च, 1989

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश विधान सभा के नेता विरोधी दल को राज्यपाल महोदय तात्कालिक प्रभाव से कैबिनेट मंत्री का स्तर दिये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

2-तद्नुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा के नेता विरोधी दल के प्रति वही शिष्टाचार एवं सौजन्य बरता जायगा, जिसका उल्लेख शासन के प्रोटोकाल विभाग के शासनादेश संख्या 599/56-3 ख (1) 1-24-77, दिनांक 6 मार्च, 1979 में किया गया है।

आज्ञा से,

नारायण दास,

सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

संसदीय कार्य अनुभाग-1

संख्या 637/सात-सं0-1-97-31-सं0-97

लखनऊ, 25 जून, 1997

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 17-क के साथ पठित धारा-30 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राजयपाल उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) नियमावली, 1987 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1997

अध्याय-1

सामान्य

संक्षिप्त नाम — 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1997 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं — 2-इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-23 सन् 1980) से है;

(ख) ''अग्रिम'' का तात्पर्य इस नियमावली के अन्तर्गत दिये जाने वाले भवन निर्माण अग्रिम या यथास्थिति, वाहन अग्रिम से है;

[(ग) ''भूतपूर्व सदस्य'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य रहा हो किन्तु इस नियमावली के अधीन अग्रिम के लिये कोई आवेदन-पत्र देने के पूर्व ऐसा सदस्य नहीं रह गया था;

(घ) ''सदस्य'' का तात्पर्य किसी आसीन सदस्य या भूतपूर्व सदस्य से है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है जिसे इस नियमावली के अधीन प्रति संदेय अग्रिम स्वीकृत किया गया हो या स्वीकृत किया जाय;

(ङ) ''पेंशन'' का तात्पर्य अधिनियम के अध्याय आठ के अधीन देय पेंशन से है;

(च) ''आसीन सदस्य'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो इस नियमावली के अधीन अग्रिम के लिये कोई विधिमान्य आवेदन-पत्र देने के दिनांक को विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य हो।][1]

[3-(1) ''किसी आसीन सदस्य को इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निवास-स्थान का निर्माण या क्रय करने के लिये या वाहन क्रय करने के लिये अधिनियम की धारा-17-क के अधीन प्रति संदेय अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है। अग्रिम की अनुमन्यता

परन्तु यह है कि यदि किसी ऐसे सदस्य को एक प्रयोजन के लिये स्वीकृत किया गया अग्रिम और उस पर देय ब्याज प्रतिसंदत्त कर दिया गया हो तो इस नियमावली के अधीन उस सदस्य को दूसरे प्रयोजन के लिये भी अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है][2]

---

[1]-अधिसूचना संख्या-2713/सात-सं0-1-89-132(1)-सं0-80 (टी0सी0), दिनांक 7 सितम्बर, 1989 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2]-अधिसूचना संख्या-1850/सत्रह-सं0-1-2000-42(सं0)-99, दिनांक 3 जून, 2000 द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) किसी भूतपूर्व सदस्य को इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निवास-स्थान का निर्माण या क्रय करने के लिये अधिनियम की धारा-17-क के अधीन रहते प्रति संदेय अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है, बशर्ते कि-

(क) वह उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1989 के प्रारम्भ के दिनांक से छः मास के भीतर या उसके, यथास्थिति, सभा या परिषद् का सदस्य न रह जाने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के भीतर इनमें जो भी पश्चातवर्ती हो, ऐसे अग्रिम के लिए आवेदन करें;

(ख) वह 60 वर्ष से अधिक आयु का न हो;

(ग) वह अधिनियम की धारा-24 के अधीन पेंशन का हकदार हो ;

परन्तु ऐसे किसी भूतपूर्व सदस्य को जिसने उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1989 के प्रारम्भ के पूर्व ऐसे अग्रिम के लिये आवेदन किया हो, उसकी आयु को दृष्टि में लाये बिना ऐसा अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है और जहां ऐसा आवेदन-पत्र ऐसे प्रारम्भ के पूर्व अस्वीकार कर दिया गया हो, वहां पर ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी उचित समझी जाय, पुनः विचार किया जा सकता है।

[(3) यदि कोई सदस्य, जिसे इस नियमावली के अधीन अग्रिम स्वीकृत किया गया हो, स्वीकृति के दिनांक से तीन मास के भीतर अग्रिम की धनराशि और उसका ब्याज वापस कर देता है और फिर कारणों का उल्लेख करते हुये, अग्रिम स्वीकृत किये जाने के लिये पुनः आवेदन करता है तो प्रमुख सचिव [2][x x x] मामले के परिस्थितियों पर सम्यक् विचार करने के पश्चात् उप नियम (1) और (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अग्रिम को पुनः स्वीकृत कर[2] सकता [x x x] है।][1]

---

[1]-अधिसूचना संख्या-1850/सत्रह-सं0-1-2000-42सं0-99, दिनांक 3 जून, 2000 द्वारा प्रतिस्थापित।

2-अधिसूचना संख्या-2713/सात-सं0-1-89-132(1)-सं0-85, दिनांक 7 सितम्बर, 1989 द्वारा प्रतिस्थापित।

[(4) प्रमुख सचिव[3] [x x x] स्वविवेक से ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध कोई सरकारी देय बकाया हो, इस नियमावली के अधीन अग्रिम के किसी आवेदन-पत्र को ग्रहण करने से इन्कार कर [x x x] सकता है[3]।][1]

अग्रिम के मंजूरी और आहरण एवं वितरण प्राधिकारी

(4) प्रमुख सचिव[3] अग्रिम स्वकृत करने के संबंध में [***][3] मंजूरी प्राधिकारी होंगे। अग्रिम की स्वीकृति के आवश्यक आदेश [***][2] यथास्थिति सभा/परिषद् सचिवालय[3] द्वारा जारी किये जायेंगे और स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं वितरण [***] उक्त सचिवालय द्वारा किया जायेगा।][1]

अध्याय-2
भवन निर्माण अग्रिम

भूखंड/भवन क्रय या भवन निर्माण हेतु स्वीकृति

5[(1)][3]-भवन निर्माण अग्रिम उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अथवा प्रदेश के किसी विकास प्राधिकरणों से भूखण्ड क्रय तथा उस पर भवन निर्माण हेतु अथवा उक्त संस्थाओं द्वारा निर्मित भवन क्रय करने हेतु स्वीकृत किया जायेगा। अग्रिम स्वीकृत करने से पहले उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् या किसी विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्ड/भवन के आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित सदस्य से प्राप्त कर ली जायगी।

[(2) किसी सदस्य द्वारा अधिकार स्वरूप धृत भूमि पर निवास स्थान के निर्माण के लिये भी भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है। सदस्य ऐसी भूमि पर अपने हक के संबंध में संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे और यह [* * *][3] प्रमुख सचिव द्वारा सत्यापन किये जाने के अधीन होगा।][4]

1-अधिसूचना संख्या-1850/सत्रह-सं0-1-2000-42सं0-99, दिनांक 3 जून, 2000 द्वारा प्रतिस्थापित।

2-अधिसूचना संख्या-2713/सात-सं0-1-89-132(1)-सं0-85, दिनांक 7 सितम्बर, 1989 द्वारा प्रतिस्थापित।

3-अधिसूचना संख्या-905/सोलह-सं-1-2003-99सं0/2002, दिनांक 25 अप्रैल, 2003 द्वारा संशोधित।

4-अधिसूचना संख्या-2197/सत्रह-सं-1-87-132(1)सं0(80), दिनांक 29 जुलाई, 1987 पुरःस्थापित तथा प्रतिस्थापित।

पंजीकरण धनराशि

6-भू-खण्ड/भवन क्रय करने के लिये नियम-5 में निर्दिष्ट संस्थाओं के यहां अपना नाम पंजीकरण कराने हेतु देय वांछित धनराशि सदस्यों को अपने निजी स्रोतों से वहन करनी होगी।

अग्रिम की अधिकतम धनराशि

7-किसी सदस्य को स्वीकृत किये जाने वाले भवन निर्माण अग्रिम की अधिकतम धनराशि रु0 2,00,000.00 (दो लाख रुपये) होगी।[2]

अग्रिम की किश्तें

8-भवन निर्माण अग्रिम दो किश्तों में स्वीकृत किया जायगा जिसकी प्रथम किश्त 1,20,000.00 रुपये (रुपया एक लाख बीस हजार मात्र)[1] से अनधिक अथवा भू-खण्ड का मूल्य एवं नींव भरने तक के कार्य को पूरा करने हेतु अपेक्षित धनराशि, इनमें से जो भी कम हो, होगी। शेष धनराशि सामान्यतया दूसरी किश्त में प्रथम किश्त की धनराशि के उपयोग के संबंध में [* * *] प्रमुख सचिव[2] को संतोषजनक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर देने और अग्रिम की सम्पूर्ण धनराशि की प्रतिभूति में सम्पत्ति [* * *] (भू-खण्ड और उस पर निर्माण) शासन के पक्ष में बन्धक रख दिये जाने के पश्चात् ही अवमुक्त की जायेगी।[1]

परन्तु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्/विकास प्राधिकरण से भू-खण्ड के साथ बना बनाया मकान क्रय किये जाने की दशा में अग्रिम की राशि एक मुश्त अवमुक्त की जा सकेगी। इस प्रकार के मामलों में अवमुक्त की जाने वाली अग्रिम की राशि भू-खण्ड के साथ भवन का मूल्य या 2,00,000.00 रुपये मात्र, जो भी कम हो, होगी।

स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन

9-भूखण्ड/भवन के मूल्य के स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन व्यय भी सम्मिलित समझा जायगा।

व्यय धनराशि के आहरण के पूर्व अनुबन्ध-पत्र प्रस्तुत किया जाना भूमि भवन बन्धक रखना

[10-(1) नियम-5 के उप नियम (1) के अधीन भू-खण्ड क्रय करने हेतु अग्रिम की प्रथम किश्त की धनराशि या भवन क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि के आहरण के पूर्व संबंधित सदस्य को प्रपत्र संख्या 1 में एक अनुबन्ध-पत्र भर कर प्रस्तुत करना होगा।

1-अधिसूचना संख्या-2197/सत्रह-सं-1-87-132(1)सं0/80, दिनांक 29 जुलाई, 1987 पुरःस्थापित तथा प्रतिस्थापित।

2-अधिसूचना संख्या-905/सोलह-सं-1-2003-99सं0/2002, दिनांक 25 अप्रैल, 2003 द्वारा संशोधित।

(2) नियम-5 के उप नियम (1) के अधीन भू-खण्ड क्रय करने के लिये स्वीकृत प्रथम किश्त की धनराशि या भवन क्रय करने के लिये स्वीकृत धनराशि आहरित करने के एक मास के भीतर भू-खण्ड या भवन को विधिवत् क्रय करके शासन के पक्ष में बन्धक रखने हेतु [* * *] प्रपत्र संख्या-2 में बन्धक [* * *] विलेख 3 भरकर प्रस्तुत करना होगा [* * *] और जिसे भरे जाने की तिथि से चार माह के भीतर रजिस्टर्ड कराके [* * *][2] बन्धक-पत्र [* * *] सुरक्षित अभिरक्षा एवं अभिलेख हेतु प्रमुख सचिव [* * *][2] को प्रस्तुत करना होगा।

नियम-5(2) के अधीन अग्रिम का आहरण करने के पूर्व भूमि बन्धक रखना

11- नियम-5 के उपनियम (2) के अधीन निवास स्थान के निर्माण के लिये स्वीकृत अग्रिम की प्रथम किश्त की धनराशि आहरित करने के पूर्व राज्य सरकार के पक्ष में भूमि बन्धक रखने के लिये प्रपत्र संख्या-2-क में बन्धक पत्र भर कर प्रस्तुत करना होगा और बन्धक पत्र रजिस्टर्ड कराके उसे सुरक्षित अभिरक्षा [***] [2] एवं अभिलेख के लिये प्रमुख सचिव [***][2] को प्रस्तुत करना होगा।[1]

वसूली की किश्तें

12-अग्रिम की वसूली ब्याज सहित अधिकतम 120 मासिक किश्तों में की जायेगी।

सम्पूर्ण धनराशि एवं ब्याज की वसूली हो जाने पर सम्पत्ति को बन्धक मुक्त किया जाना

13-अग्रिम एवं उस पर देय ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि की वसूली प्रमाणित रूप से सुनिश्चित हो जाने के बाद अग्रिम की प्रतिभूति में बन्धक की गयी सम्पत्ति संलग्नक प्रपत्र-3 में बन्धक मुक्त कर दी जायेगी।

1-अधिसूचना संख्या-2197/सत्रह-सं-1-87-132(1)सं0/80, दिनांक 29 जुलाई, 1987 प्रतिस्थापित तथा हटाया गया।

2-अधिसूचना संख्या-905/सोलह-सं-1-2003-99सं0/2002, दिनांक 25 अप्रैल, 2003 द्वारा संशोधित।

14-भवन निर्माण अग्रिम के संबंध में इस नियमावली द्वारा निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के पंजीकरण हेतु देय स्टाम्प शुल्क शासन द्वारा वहन किया जायगा।

[15- *** *** ***
][1]

अन्य सस्थाओं से ऋण

16-यदि किसी सदस्य ने किसी अन्य संस्था जैसे उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, सहकारी आवास संघ, एवं किसी विकास प्राधिकरण अथवा किसी अन्य सार्वजनिक संस्था से अपने भू-खण्ड पर भवन निर्माण हेतु ऋण ले रखा है, तो उसे भी इस नियमावली के अधीन अग्रिम इस शर्त के अधीन उपलब्ध कराया जा सकता है कि उक्त संस्थाओं से लिया गया ऋण निर्माण कार्य के लिये अपर्याप्त हो और ऐसी दशा में भूमि/भवन पर शासन का द्वितीय भार (सेकेन्ड चार्ज) होगा।

अध्याय-3

वाहन अग्रिम

वाहन अग्रिम की अधिकतम धनराशि

17-(1) सदस्यों को वाहन (यथा मोटर कार या जीप) क्रय करने के लिये स्वीकृत किये जाने वाले अग्रिम की अधिकतम धनराशि, अधिनियम की धारा 17-क के अधीन रहते हुये, वाहन के वास्तविक मूल्य से अधिक नहीं होगी।

(2) वाहन क्रय हेतु सदस्य द्वारा विक्रेता के खाते में रजिस्ट्रेशन के लिये जमा की जाने वाली धनराशि, यदि कोई हो, स्वयं सदस्य द्वारा वहन की जायेगी।

अग्रिम एक मुश्त में

18-वाहन अग्रिम की धनराशि एकमुश्त में अवमुक्त की जा सकेगी।

अग्रिम के मूल्य से अधिक धनराशि की वापसी

19-यदि वाहन का मूल्य स्वीकृत धनराशि से कम हो तो शेष धनराशि शासन को तुरन्त लौटा दी जायगी।

1-अधिसूचना संख्या 2197/सत्रह-सं-1-87-132(1)सं0/80, दिनांक 29 जुलाई, 1987 प्रतिस्थापित तथा हटाया गया।

अनुबंध-पत्र और बन्धक पत्र का प्रस्तुतीकरण

20-स्वीकृत धनराशि के आहरण के पूर्व [संबंधित][1] सदस्य को [***] प्रपत्र-4 में एक अनुबन्ध-पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा। स्वीकृत अग्रिम के आहरण के एक महीने के अन्दर संबंधित सदस्य वाहन क्रय करके [***] प्रपत्र संख्या 5 में बन्धक-पत्र भरकर प्रस्तुत [***] करेगा।[1] अनुबन्ध-पत्र और बंधक-पत्र [***] सुरक्षित अभिरक्षा[1] तथा अभिलेख हेतु प्रमुख सचिव [***] [1] को प्रस्तुत किये जायेंगे।

वाहन का नकद क्रय

21-अग्रिम से वाहन नकद क्रय किया जायगा और वह हायर परचेज अथवा किस्तों में नहीं खरीदा जायगा।

वाहन का कम्प्रिहेंसिव बीमा

22-अग्रिम के आहरण के एक मास के भीतर वाहन क्रय करके संबंधित सदस्य उसका कम्प्रिहेंसिव बीमा करवायेंगे तथा बीमे की पालिसी और अन्य संबंधित कागजात आहरण अधिकारी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे।

वसूली की किश्तें

23-वाहन अग्रिम की वसूली ब्याज सहित अधिकतम 120 किश्तों में की जायगी।

अध्याय-4

भवन निर्माण/वाहन क्रय अग्रिम और ब्याज की वसूली तथा विविध उपबन्ध

अग्रिमों की वेतन, भत्तों और पेंशन से वसूली

24-इस नियमावली के अधीन स्वीकृत किसी अग्रिम तथा उस पर देय ब्याज की वसूली सदस्यों से उनके वेतन, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, प्रतिकर आवास भत्ता या किसी अन्य भत्ता बिल से प्रमुख सचिव द्वारा अपेक्षित धनराशि काट कर की जायगी और ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में जो सदस्य न रह जाय या[2] जो उस समय सदस्य न हो जब उसे [***][1] कोई प्रतिसंदेय अग्रिम दिया गया हो, अग्रिम तथा उस पर देय ब्याज की वसूली उसे देय पेंशन की धनराशि से की

1-अधिसूचना संख्या-905/सत्रह-सं-1-2003-99सं0/2002, दिनांक 25 अप्रैल, 2003 द्वारा संशोधित।

2-अधिसूचना संख्या-894 सं/सत्रह-1-2002-634 (व)सं/98, दिनांक 15 जून, 2002 द्वारा निकाला गया।

जायेगी। यदि अग्रिम/ब्याज की वसूली हेतु निर्धारित मासिक किश्त की धनराशि पेंशन की मासिक धनराशि और अन्य देयों की धनराशि, यदि कोई हो, से अधिक हो तो अन्तर की धनराशि ऐसे व्यक्ति द्वारा संगत प्राप्ति लेखा शीर्षक में जमा की जायगी और धनराशि जमा करने के प्रमाण में ट्रेजरी चालान की प्रति प्रत्येक माह की 7 तारीख तक, यथास्थिति, [***][1] सभा/ [***][1] परिषद् सचिवालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

अग्रिम की वसूली आहरण के बाद वाले माह से

25-अग्रिम की वसूली भूखण्ड क्रय हेतु स्वीकृत अग्रिम की प्रथम किश्त के आहरण अथवा भवन या वाहन क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि के आहरण के तुरन्त बाद वाले माह से प्रारम्भ होगी।

अग्रिम की अवशेष धनराशि एकमुश्त जमा करने की छूट

26-सदस्य की अग्रिम की अवशेष सम्पूर्ण धनराशि वसूली हेतु निर्धारित अवधि से पहले एक मुश्त जमा करने की छूट होगी।

ब्याज की वसूली

27-मूलधन की वसूली समाप्त होने के तुरन्त बाद वाले माह से ब्याज की धनराशि की वसूली प्रारम्भ होगी। ब्याज की धनराशि की मासिक किश्त मूल धन की किश्त की राशि से कम नहीं होगी। सदस्य को ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि एक मुश्त जमा करने की छूट होगी।

ब्याज की दर

28-अग्रिम की राशि पर ब्याज की दर तथा ब्याज की धनराशि का आंकलन, ब्याज की दर में छूट और अपेक्षाकृत अधिक ब्याज वाले अग्रिम के समायोजन की प्रक्रिया वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिये यथास्थिति, गृह निर्माण अग्रिम या वाहन-क्रय अग्रिम के संबंध में निर्धारित की जाती है।

---

[1]-अधिसूचना संख्या-905/सोलह-सं-1-2003-99सं0/2002, दिनांक 25 अप्रैल, 2003 द्वारा संशोधित।

29-अग्रिम एवं उस पर देय ब्याज की वसूली का लेखा जोखा, यथास्थिति, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय द्वारा रखा जायगा। पेंशन से वसूली की स्थिति में सम्बन्धित जिले के कोषाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की 7 तारीख तक इस आशय का एक प्रमाण पत्र, यथास्थिति माह में अग्रिम/ब्याज की किश्त की वसूली कर ली गयी है और उसे संगत प्राप्ति लेखा शीर्षक में जमा कर दिया गया है। वसूली का लेखा जोखा

[29-क-अग्रिम और उस पर देय ब्याज की वसूली पूरी कर लिए जाने पर, यथास्थिति, सभा/परिषद् सचिवालय द्वारा अदेयता प्रमाण-पत्र जारी किया जायगा। अग्रिम और या उस पर ब्याज की अधिक वसूली का उल्लेख करने वाले अदेयता प्रमाण-पत्र की स्थिति में, सदस्य को अधिक धनराशि के प्रतिसंदाय के आदेश किये जायेंगे और इस सम्बन्ध में कार्यवाही, यथास्थिति, सुसंगत अनुदान संख्या, मुख्य शीर्ष/उपमुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष, व्योरेवार शीर्ष, जिनके अधीन उक्त सदस्य का वेतन/पेंशन आहरित किया जाता था/आहरित किया जा रहा है, का उल्लेख करते हुए सभा/परिषद् सचिवालय द्वारा की जाएगी। उक्त सचिवालय उक्त अधिक धनराशि का आहरण और वितरण, सम्बन्धित सदस्य को मानक शीर्ष ''42-अन्य व्यय'' के अधीन उक्त धनराशि की व्यवस्था करके करेगा।][1] कतिपय दशाओं में एक मुश्त वसूली

[30-जिस व्यक्ति को अग्रिम स्वीकृत किया गया हो, यदि-

(क) उसकी मृत्यु हो गयी हो;

(ख) वह, यथास्थिति, सभा या परिषद् का सदस्य न रह गया हो और किसी पेंशन का हकदार न हो;

(ग) वह किसी भी कारण से किसी पेंशन का हकदार न रह गया हो,

1-अधिसूचना संख्या-905/सत्रह-सं0-1-2003-99सं/2002, दिनांक 25 अप्रैल, 2003 द्वारा संशोधित।

(घ) उसने, यथास्थिति, अग्रिम के प्रतिदान या ब्याज की किश्तों का नियमित भुगतान न किया हो (और ऐसी छः किश्तों से अधिक किश्त का बकायेदार हो);

(ङ) उसने अग्रिम की किन्हीं शर्तों का जिसके अन्तर्गत इस नियमावली की अपेक्षानुसार किसी बन्ध-पत्र या, विलेख के निष्पादन और प्रस्तुतिकरण से संबंधित शर्त भी है, उल्लंघन किया हो;

(च) भारत का नागरिक न रह गया हो;

तो अग्रिम और उस पर देय ब्याज की अवशेष सम्पूर्ण धनराशि, यदि कोई हो, राज्य सरकार को तुरन्त देय हो जायगी और, प्रमुख सचिव द्वारा[2] यथास्थिति, सदस्य या उसके विधिक प्रतिनिधियों से किसी भी रीति से वसूली की जा सकेगी।][1]

अग्रिम का उपयोग

31-[***] अग्रिम[2] का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायगा, जिस प्रयोजन हेतु उसे स्वीकृत किया गया है। अग्रिम प्राप्तकर्ता को [***] प्रमुख सचिव[2] द्वारा समय समय पर अपेक्षा किये जाने पर प्रमुख सचिव को[2] इस बात की संतुष्टि करने के लिये प्रमाण [***][2] देना होगा कि [***] धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया गया है जिसके लिये वह स्वीकृत किया गया है और सम्पत्ति/वाहन पर उसका निर्विवाद अधिकार है। अन्यथा उपयोग की दशा में अग्रिम का दुरुपयोग माना जायेगा और [***] प्रमुख सचिव[2] अग्रिम तथा उस पर देय ब्याज की सम्पूर्ण धनराशि जिस तरह [*] चाहे एक मुश्त वसूल कर [***] सकेगा।[2]

अग्रिम की धनराशि का आहरण

32-इस नियमावली के अधीन स्वीकृत अग्रिम की धनराशि का आहरण स्वीकृति के दिनांक से एक मास के भीतर या अनुवर्ती 31 मार्च के पूर्व, जो भी पहले हो, कर लिया जाय, अन्यथा स्वीकृति आदेश निरस्त समझा जायेगा।

विविध उपबन्ध

33-अग्रिम के संबंध में जिन बातों का उल्लेख इस नियमावली में नहीं किया गया है उनके संबंध में वही उपबन्ध लागू होंगे और वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो सरकारी कर्मचारियों के मामले में लागू होते हैं।

1-अधिसूचना संख्या-2317/17-सं-1-89-132(1)-सं-80, (टी0सी0), दिनांक 7 सितम्बर, 1989 द्वारा प्रतिस्थापित।

2-अधिसूचना संख्या-905/सत्रह-सं0-1-2003-99सं/2002, दिनांक 25 अप्रैल, 2003 द्वारा संशोधित।

प्रपत्र संख्या-1

गृह निर्माण करने हेतु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् या विकास प्राधिकरण से भूमि क्रय करने के लिये या उनके द्वारा तैयार गृह क्रय करने के लिये अग्रिम लेते समय निष्पादित किये जाने वाले करार का प्रपत्र

यह करार आज दिनांक ----------------------------------- दो हजार --------------------- तद्नुसार शक संवत् दिनांक -----------------200 को श्री/श्रीमती/कुमारी--- आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री-- निवासी--- (पदनाम) राज्य विधान सभा/परिषद् के सदस्य या भूतपूर्व सदस्य (जिसे आगे ''उधार लेने वाला'' कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत उसके विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशिती भी हैं) एक पक्ष और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल [जिन्हें आगे ''राज्यपाल'' कहा गया] दूसरे पक्ष के बीच किया गया।

चूंकि उधार लेने वाला उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् या ------------------ विकास प्राधिकरणों से गृह-निर्माण हेतु भूखण्ड/तैयार गृह जो न्यूनाधिक ------------------------ वर्ग फुट है और जो रजिस्ट्रीकरण जिला ------------- के उप जिला ------------------ थाना----------------में स्थित है और जिसके उत्तर में ------------------------------------ दक्षिण में ------------------------------पूर्व में -------------------और पश्चिम में ------------------------------है, ------------------------------- रुपये (केवल -------------------------रुपये) में क्रय करने के लिये सहमत है;

और चूंकि उधार लेने वाले ने उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) नियमावली, 1987 (जिसे आगे ''उक्त नियमावली'' कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत तत्समय प्रवृत्त उसका कोई संशोधन भी है) के उपबन्धों के अधीन उक्त भूखण्ड/उक्त गृह उससे सम्बद्ध भूमि सहित क्रय करने के लिये------------------------------------रुपये (केवल ---------------------रुपये) ऋण की स्वीकृति के लिये राज्यपाल से आवेदन किया है और राज्यपाल आगे दिये गये निबन्धनों और शर्तों पर उधार लेने वाले को ------------ रुपये (केवल ---------- रुपये) की उक्त धनराशि उधार देने के लिये सहमत हैं ;

अतएव, अब इस विलेख के उभय पक्षकारों के मध्य एतद्द्वारा यह करार किया जाता है कि राज्यपाल द्वारा उधार लेने वाले को ------------- रुपये ऋण की धनराशि का भुगतान किये जाने (जिसकी प्राप्ति उधार लेने वाला एतद्द्वारा स्वीकार करता है) के प्रतिफल स्वरूप उधार लेने वाला राज्यपाल से यह करार करता है कि (1) उधार लेने वाला राज्य विधान मण्डल के सदस्य के रूप में उसे प्राप्त होने वाले वेतन, यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ता, प्रतिकर आवास भत्ते या अन्य भत्ते में से या उक्त नियमावली द्वारा यथा उपबन्धित अपनी पेंशन या उसे प्राप्त होने वाली कोई अन्य धनराशि से मासिक कटौती कराकर, जिसके लिये उधार लेने वाला एतद्द्वारा राज्यपाल को प्राधिकृत करता है, उक्त धनराशि, उस पर उक्त नियमावली के अनुसार संगणित ब्याज सहित, राज्यपाल को भुगतान करेगा, और (2) इस विलेख के निष्पादन के दिनांक से एक मास के भीतर उक्त ऋण की सम्पूर्ण धनराशि उक्त भू-खण्ड/तैयार गृह क्रय करने में व्यय करेगा तथा यदि भुगतान किया गया वास्तविक मूल्य ऋण की धनराशि से कम है तो अन्तर की धनराशि राज्यपाल को तुरन्त प्रतिसंदाय करेगा और (3) उक्त भू-खण्ड तथा उस पर निर्मित किये जाने वाले भवन/उक्त तैयार गृह और उससे सम्बद्ध भूमि स्वीकृत ऋण और उस पर संगणित ब्याज की धनराशि की प्रतिभूति स्वरूप राज्यपाल के पक्ष में उक्त नियमावली के दिये हुये प्रपत्र में बंधक करेगा ;

और एतद्द्वारा अग्रेतर यह करार भी किया जाता है कि उधार लेने वाला उक्त भू-खण्ड क्रय करने के तुरन्त पश्चात् अपने उपयोग के लिये उस पर एक उपयुक्त निवास गृह निर्माण करेगा ;

और एतद्द्वारा यह भी करार किया जाता है और घोषणा की जाती है यदि उक्त भू-खण्ड या उक्त गृह को इस विलेख के दिनांक से एक मास के भीतर उपर्युक्त के अनुसार खरीदा और बन्धक नहीं रखा जाता है या यदि उधार लेने वाला उस अवधि के भीतर दिवालिया हो जाता है या चाहे किसी भी कारण से राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं रह जाता है और पेंशन का हकदार नहीं होता है या चाहे किसी भी कारण से उसे पेंशन नहीं मिलती है या पेंशन मिलना बंद हो जाती है या ऋण की प्रतिसंदाय किश्त या उस पर ब्याज का भुगतान देय दिनांक को करने में असफल रहता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऋण की सम्पूर्ण धनराशि और उस पर प्रोद्भूत ब्याज तुरन्त देय और संदेय हो जायेगा :

और उधार लेने वाला यह करार और घोषणा करता है कि राज्यपाल, विधान सभा/परिषद्, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव के प्रमाण-पत्र पर जो अंतिम, निश्चायक और उधार लेने पर बाध्यकारी होगा, उधार लेने वाले से इसके अधीन समस्त देयों को भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल कर सकते हैं :

और अन्त में यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि राज्यपाल उक्त ऋण के अतिशेष और अदत्त ब्याज को उधार लेने वाले के विधिक प्रतिनिधि, समनुदेशिती से किसी भी रीति से वसूल करने के हकदार होंगे :

जिसके साक्ष्य में उधार लेने वाले ने ऊपर प्रथम उल्लिखित दिनांक तथा वर्ष को इस विलेख पर अपना हस्ताक्षर कर दिया है।

निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त उधार

लेने वाले द्वारा हस्ताक्षर किया गया --

(1) -----------------------

----------------------- (   )

(पता)

उधार लेने वाला

(1) -----------------------

(पता)

प्रपत्र संख्या-2

विधान सभा/परिषद् के सदस्य को स्वीकृत गृह निर्माण हेतु ऋण के लिये बन्धक का प्रपत्र यह अनुबन्ध आज दिनांक ----------- 2000 --------------- तद्नुसार शक संवत् ------------ को श्री/श्रीमती/कुमारी -------------- आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ----------------- अस्थायी निवासी ग्राम ---------------------- डाकघर ------------- जिला -------------- (पदनाम) सदस्य/भूतपूर्व सदस्य, राज्य विधान सभा/परिषद् (जैसी भी स्थिति हो) (जिसे आगे ''बन्धककर्ता'' कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत जहां तक कि संदर्भ के विरुद्ध न हो, उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिती भी है) एक पक्ष और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे, 'बन्धकदार' कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत जहां तक कि संदर्भ के विरुद्ध न हो उसके पद के उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी है) दूसरे पक्ष के बीच किया गया;

चूंकि बन्धककर्ता (यथास्थिति) ------------------------ विकास प्राधिकरण (विकास प्राधिकरण का नाम) या उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् द्वारा किये गये दिनांक ------------------ के पट्टे के अधीन दिनांक ----------- को समाप्त होने वाली ------------ वर्ष की अवधि के लिये ----------------- रुपये (केवल --------------- रुपये) प्रति मास/वर्ष के किराये पर इसमें आगे वर्णित भूखण्ड, दायाप्ति और परिसर/गृह का हकदार है;

और चूंकि, बन्धककर्ता ने बन्धकदार से अपने निजी उपयोग के लिये उपयुक्त आवास के रूप में उक्त दायाप्ति पर गृह निर्माण करने ------------------ से गृह क्रय करने के लिये व्यय की अदायगी हेतु ----------- रुपये (केवल -------------रुपये) की धनराशि के ऋण के लिये आवेदन किया है;

और, चूंकि, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) नियमावली, 1987 (जिसे आगे ''उक्त नियमावली'' कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत, जहां संदर्भ में ऐसा ग्राह्य हो तत्समय प्रवृत्त उसका कोई संशोधन या परिवर्तन भी है और जिसे इस विलेख का भाग समझा जायेगा) उपबन्धों के अधीन बन्धकदार ने बन्धककर्ता को ---------------------------------- रुपये (केवल ----------------- रुपये) की उक्त धनराशि एक मुश्त (संलग्न अनुसूची में उल्लिखित किश्तों में) उधार और अग्रिम देने का करार किया है;

अतएव, अब, यह अनुबन्ध इस बात का साक्षी है कि उक्त ऋण के प्रतिफल स्वरूप और उक्त करार के अनुसरण में बन्धककर्ता एतद्द्वारा आगामी ---------------------- को या उसके पूर्व बन्धकदार को उक्त मूल धनराशि और उक्त नियमावली के अनुसार उस पर संगणित ब्याज का भुगतान करने और यदि उक्त दिनांक को ऋण का प्रतिसंदाय नही ंकिया जायेगा तो उक्त नियमावली के अनुसार ब्याज का भुगतान करने के लिये बन्धकदार के साथ प्रसंविदा करता है ;

और, यह अनुबन्ध इस बात का साक्षी है कि पूर्वोक्त प्रतिफल के लिये बन्धककर्ता उस पूरे भू-खण्ड को जिसकी गाटा संख्या ----------------------- है और जो ------------------- रजिस्ट्रीकरण जिला, -------------------- उप जिला --------------- थाना ------------------- में स्थित है जो न्यूनाधिक ------------------ वर्गमीटर है, और जिसके उत्तर में ---------- दक्षिण में ---------- पूर्व में --------------- और पश्चिम में ----------------- है तथा बने हुये निवास-गृह और निवास गृह के साथ बने हुये या आगे बनाये जाने वाले बाह्य कार्यालय, अस्तबल, रसोईघर और समस्त प्रकार के वाह्य भवन जिनका उपयोग किया जा रहा हो या किया जाना आशायित हो, और उसके समस्त अधिकारी, सुखाधिकारों और अनुलग्नकों को या इनमें से किसी को जो उक्त परिसर से संबंधित हो उसके अन्तर्गत उक्त भूमि पर सभी निर्माण और बने हुये या आगे बनाये जाने वाले भवन, उक्त पट्टे द्वारा स्वीकृत उक्त वर्षों की अवधि के अंतिम दिन को छोड़ कर उसके अव्यतीत अवधि के लिये बन्धकदार, उसके पद के उत्तरवर्तियों और समनुदेशतियों को धृत करने हेतु पट्टान्तरित करता है, पट्टे पर देता है और अन्तरित करता है। परन्तु सदैव यह कि यदि और जैसे ही इस विलेख की प्रतिभूति पर दिये गये उक्त अग्रिम और उस पर उक्त नियमावली के अनुसार संगणित ब्याज का प्रतिसंदाय बन्धककर्ता के वेतन और अन्य लाभ से या उसकी पेंशन से मासिक किश्तों में कटौती करके कर दिया गया हो या यदि पेंशन की मासिक धनराशि ऋण और उस पर उक्त नियमावली के अनुसार संगणित ब्याज के प्रतिसंदाय के लिये निर्धारित मासिक किश्त से कम हो तो इस अन्तर को बन्धककर्ता द्वारा उक्त नियमावली के अनुसार अपनी आय के निजी स्रोत से या चाहे किसी भी अन्य स्रोत से जमा कर दिया गया हो तब किया गया पट्टान्तरण शून्य हो जायेगा और बन्धककर्ता बन्धकदार के साथ एतद्द्वारा प्रसंविदा

करता है कि अवधि का निर्धारण या सम्पदा का सृजन करने वाला वह पट्टा जिसके आधार पर उक्त भूमि या गृह बन्धककर्ता द्वारा धृत है, अब एक अच्छा विधिमान्य और प्रभावकारी पट्टा है और पूर्णरूप से प्रवृत्त, असमपहृत और अनभ्यर्पित है और भारमुक्त है और किसी प्रकार से शून्य या शून्यकरणीय नहीं होगा और यह कि इस विलेख के दिनांक तक पट्टा विलेख में आरक्षित समस्त किराये का और समस्त प्रसंविदाओं, शर्तों और करार का, जो उसमें दी गयी हैं, और जिनका बन्धककर्ता की ओर से भुगतान, अनुपालन और सम्पादन किया जाना है उनका भुगतान अनुपालन और सम्पादन कर दिया गया है और यह भी बन्धककर्ता सर्वदा, जब तक कि कोई धनराशि इस विलेख की प्रतिभूति पर देय रहे, उक्त समस्त किराये, प्रसंविदाओं, शर्तों और करार का भुगतान, अनुपालन और संपादन करेगा और बन्धकदार को उक्त किराये के असंदाय या ऐसी प्रसंविदाओं या करार का इनमे ंसे किन्हीं का अनुपालन या संपादन न करने के कारण बन्धकदार द्वारा किये गये या सहन किये गये समस्त कार्यों, कार्यवाहियों, व्ययों, प्रभारों, दावों और मांगों की, यदि कोई हो, क्षतिपूर्ति करेगा, और यह भी कि बन्धककर्ता को अब उक्त परिसर बन्धकदार को उपर्युक्त रीति से पट्टान्तरित करने का समुचित अधिकार और पूर्ण शक्ति है और यह कि बन्धकदार के लिये एतद्द्वारा स्वीकृत अवधि के दौरान बन्धककर्ता या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसके माध्यम से दावा करता हो या उसका न्यासी हो, बिना किसी अवरोध या विघ्न के उक्त पट्टान्तरित परिसर में प्रवेश करना और उसको धृत करना और उसका उपभोग करना विधिपूर्ण होगा और यह कि बन्धककर्ता एतद्द्वारा एतद् पश्चात् किसी भी समय बन्धकदार के अनुरोध पर, अपने व्यय पर, ऐसे सभी हस्तान्तरण-पत्रों ओर कार्यों को निष्पादित और सम्पादित करेगा जो उक्त परिसर को बन्धकदार में उपर्युक्त रीति से जैसा बन्धकदार द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित हो, और अधिक प्रभावशाली ढंग से निहित करने के लिये आवश्यक और उचित हो, किन्तु सदैव और एतद्द्वारा यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि बन्धककर्ता की ओर से इसमें निहित प्रसंविदाओं का उल्लंघन किया जाय या चाहे किसी भी कारण से वह राज्य विधान मण्डल का सदस्य न रह जाय और चाहे किसी भी कारण से पेंशन का हकदार न रह जाय या उसे पेंशन न मिले या पेंशन मिलना बन्द हो जाय या वह ऋण की प्रतिसंदाय किश्त या उस पर ब्याज का भुगतान करने में असफल रहे या इस विलेख की प्रतिभूति पर बन्धकदार को देय या संदेय समस्त धनराशि का भुगतान होने के पूर्व उसकी मृत्यु

हो जाय तब और इनमें से किसी भी स्थिति में बन्धकदार के लिये उक्त परिसर या भवन या उसके किसी भाग को या तो एक साथ या खंडों में या जो सार्वजनिक नीलाम द्वारा या असार्वजनिक संविदा पर विक्रय करना या विक्रय किसी संविदा को विखंडित करना और बिना किसी हानि के लिये उत्तरदायी हुये जो उससे हो उसे पुनः विक्रय करना या उसे किसी भी अवधि या कालावधि के लिये किराये पर उठाना और ऐसे किसी विक्रय या किराये पर उठाने को कार्यान्वित करने के लिये ऐसा समस्त कार्य करना और हस्तान्तरण पत्रों को निष्पादित करना जैसा बन्धकदार उचित समझे, विधिपूर्ण होगा और एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि बेचे गये परिसर के क्रय धन या उसके किसी भाग के लिये बन्धकदार की रसीद क्रेता या क्रेताओं को प्रभावी तौर पर उससे उन्मुक्त कर देगी और एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त शक्ति के अधीन उक्त परिसर या उसके किसी भाग के विक्रय के पश्चात् बन्धककर्ता का इसमें पहले वर्णित पट्‌टे द्वारा उसे स्वीकृत अवधि के अंतिम दिन तक बेचे गये परिसर पर कब्जा क्रेता, उसके निष्पादक प्रशासक और ऐसे समनुदेशितियों के जिन्हें समनुदेशित किया जाय, के न्यास के रूप में माना जायगा, और उसी प्रकार निस्तारित किया जायेगा जैसा वह या वे निदेश दें और एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि बन्धकदार ऐसे किसी किराये, लाभ, प्रीमीयम, सलामी या धन को जो परिसर से या यथा उपर्युक्त किराये पर उठाने या विक्रय से प्राप्त हो, प्रथमतः इस प्रतिभूति के संबंध में ऐसे विक्रय पर या अन्यथा उपगत समस्त व्यय का भुगतान करने और तत्पश्चात् ऐसे धन को इस विलेख की प्रतिभूति पर तत्समय बाकी धन को पूरा करने और तत्पश्चात् अतिशेष का, यदि कोई हो, बन्धककर्ता को भुगतान करने के लिये न्यास के रूप में रखेगा और बन्धककर्ता एतद्द्वारा यह करार करता है और घोषणा करता है कि इस विलेख द्वारा उपबन्धित किसी उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बन्धकदार, प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद् के प्रमाण-पत्र पर जो अंतिम, निश्चायक और बन्धककर्ता पर बाध्यकारी होगा, इस विलेख के अधीन समस्त देयों को बन्धककर्ता से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर सकता है और एतद्द्वारा अन्ततः यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि बन्धकदार उक्त ऋण के अतिशेष को ब्याज सहित उसके विधिक प्रतिनिधियों और समनुदेशितियों से, किसी भी रीति से वसूल करने का हकदार होगा ;

जिसके साक्ष्य में बन्धककर्ता ने ऊपर प्रथम उल्लिखित दिनांक और वर्ष को इस पर अपना हस्ताक्षर कर दिया है।

2-इस विलेख के निष्पादन पर देय स्टाम्प शुल्क, यदि कोई हो, राज्य सरकार द्वारा वहन और भुगतान किया जायेगा और इस विलेख के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रभार बन्धककर्ता द्वारा वहन किया जायगा।

इसमें निर्दिष्ट अनुसूची :

रुपया ---------------------- दिनांक ------------------- को या उसके पूर्व

रुपया ---------------------- दिनांक ------------------- को या उसके पूर्व

निम्नलिखित की उपस्थिति में बन्धककर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया गया :

प्रथम साक्षी ------------------------ द्वितीय साक्षी ----------------------

पता ------------------------------ पता ----------------------------

व्यवसाय --------------------------- व्यवसाय -------------------------

(विलेख रजिस्ट्रीकृत किया जाना चाहिये)

टिप्पणी : बन्धक के दो साक्षी होना आवश्यक है।

[प्रपत्र संख्या-2-क]

विधान सभा/विधान परिषद् के ऐसे सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों का, जिनका भूमि पर स्वामित्वाधिकार हो, स्वीकृत गृह निर्माण हेतु ऋण के लिये बन्धक का प्रपत्र

यह अनुबन्ध आज दिनांक दो हजार____________ के_____________मास के________________________दिन तद्नुसार शक संवत् 200---- के मास के ________________________दिन को श्री/श्रीमती/कुमारी___________________ आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ________________ स्थायी निवासी ग्राम_______________ डाकघर_______________ जिला______________सदस्य/भूतपूर्व सदस्य, राज्य विधान सभा/परिषद् (जैसी भी स्थिति हो) (जिसे आगे ''बन्धककर्ता'' कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत जहां तक कि संदर्भ के विरुद्ध न हो, उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिती भी है) एक पक्ष और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे ''बन्धकदार'' कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत जहां तक कि संदर्भ के विरुद्ध न हो उनके पद के उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी है) दूसरे पक्ष के बीच किया गया ;

और, चूंकि, भूखण्ड, दायाप्ति और परिसर जो एतद्पश्चात् वर्णित है और जिसके एतद्द्वारा हस्तान्तरित, अन्तरित तथा आश्वासित करने का एतद्पश्चात् उल्लेख किया गया है (जिसे आगे उक्त ''दायाप्ति'' कहा गया है) बन्धककर्ता के पूर्णतः अभिग्रहण और कब्जे में है या अन्यथा भी वह उसका पूरा हकदार है ;

और, चूंकि, बन्धककर्ता ने बन्धकदार से अपनी निजी उपयोग के लिये उपयुक्त आवास के रूप में उक्त दायाप्ति पर गृह निर्माण करने के लिये व्यय की अदायगी हेतु____________________रुपये (केवल_______________________रुपये) की अग्रिम धनराशि के लिये आवेदन किया है;

और, चूंकि, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) नियमावली, 1987 (जिसे आगे ''उक्त नियमावली'' कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत, जहां संदर्भ में ऐसा ग्राह्य हो, तत्समय प्रवृत्त उसका कोई संशोधन या परिवर्धन भी है और जिसे इस विलेख का भाग समझा जायगा) उपबन्धों के अधीन बन्धकदार ने बन्धककर्ता को_______________________ रुपये (केवल____________________रुपये) की उक्त धनराशि उधार और अग्रिम देने का करार किया है जो निम्न प्रकार से देय होगी अर्थात् इस विलेख के निष्पादन पर__________________रुपये की धनराशि और पहले दी गयी धनराशि के उपयोग का आवश्यक सबूत देने के पश्चात् अतिशेष (यदि और जब तक कि इस पर प्रयोज्य बिक्री की शक्ति का प्रयोग न कर लिया गया हो);

अतएव अब यह विलेख इस बात का साक्षी है कि उक्त करार के अनुसरण में और बन्धककर्ता द्वारा एतद्पूर्व वर्णित व्यय पूर्ति के प्रयोजनार्थ बन्धकदार द्वारा बन्धककर्ता को इस विलेख के निष्पादन पर भुगतान की गयी ____________रुपये की धनराशि जिसकी प्राप्ति बन्धककर्ता एतद्द्वारा स्वीकार करता है (और_______________रुपये की अतिशेष धनराशि जो एतद्पूर्व वर्णित रीति से दी जायगी) के प्रतिफल स्वरूप बन्धकर्ता एतद्द्वारा आगामी ______________ को या उसके पूर्व बन्धकदार को उक्त _____________________ रूपये की धनराशि का (और आगे दी जाने वाली ऐसी धनराशियों का जो इससे पूर्व वर्णित इस हेतु किये गये करार के अनुसरण में बन्धकदार द्वारा बन्धककर्ता को दी जायेगी) और उक्त नियमावली के अनुसार उस पर संगणित ब्याज का प्रतिसंदाय करने और यदि उक्त दिनांक को ऋण का प्रतिसंदाय नहीं किया जायगा तो उक्त नियमावली के अनुसार ब्याज का भुगतान करने के लिये बन्धकदार के साथ प्रसंविदा करता है ;

और, यह विलेख इस बात का भी साक्षी है कि पूर्वोक्त प्रतिफल के लिये बन्धककर्ता उस पूरे भू-खण्ड को जो______________________जिला के __________________ रजिस्ट्रीकरण जिला _______________उप रजिस्ट्रीकरण जिला________________में स्थित है जो न्यूनाधिक_______________ वर्गमीटर है और जिसके उत्तर में_____________________ दक्षिण में_________________पूर्व में______________और पश्चिम में________________ है इस पर बने हुए निवास-गृह और उक्त निवास गृह के साथ बने हुए या आगे बनाये जाने वाले वाह्य कार्यालय, अस्तबल, रसोईघर और उसके समस्त अधिकारों, सुखाधिकारों और अनुलग्नकों या इनमें से किसी को भी जो उक्त दायाप्ति से सम्बन्धित हो, जिसके अन्तर्गत उक्त भूमि पर सभी निर्माण और बने हुए या आगे बनाये जाने वाले भवन भी हैं, को बन्धकदार को तथा उसके प्रयोगार्थ पूर्णतः धारण करने के लिये एतद्पश्चात् उल्लिखित मोचन की शर्त के अध्यधीन एतद्द्वारा हस्तान्तरित अन्तरित तथा आश्वासित करता है। परन्तु सदैव यह कि यदि और जैसे ही इस विलेख की प्रतिभूति पर दिये गये उक्त अग्रिम और उस पर उक्त नियमावली के अनुसार संगणित ब्याज का प्रतिसंदाय बन्धककर्ता के वेतन और अन्य लाभ से उसकी पेंशन से मासिक किश्तों में कटौती करके कर दिया गया हो या यदि पेंशन की मासिक धनराशि ऋण और उस पर उक्त नियमावली के अनुसार संगणित ब्याज के प्रतिसंदाय के लिये निर्धारित मासिक किश्त से कम हो तो इस अन्तर को बन्धककर्ता द्वारा उक्त नियामवली के अनुसार अपनी आय के निजी स्रोत से या चाहे किसी अन्य स्रोत से जमा कर दिया गया हो तो ऐसी किसी

भी दशा में बन्धकदार बन्धककर्ता के अनुरोध तथा व्यय पर उक्त दायाप्ति को बन्धककर्ता को तथा उसके प्रयोग के लिये अथवा जैसा वह निदेश दे प्रतिहस्तान्तरित, प्रति अन्तरित तथा प्रति आश्वासित करेगा। किन्तु सदैव और एतद्द्वारा यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि बन्धककर्ता की ओर से इसमें निहित उसकी प्रसंविदाओं का उल्लंघन किया जाय या चाहे किसी भी कारण से वह राज्य विधान मण्डल का सदस्य न रह जाय और चाहे किसी भी कारण पेंशन का हकदार न रह जाय या उसे पेंशन न मिले या पेंशन मिलना बन्द हो जाय या वह ऋण की प्रतिसंदाय किस्त या उस ब्याज का भुगतान करने में असफल रहे या इस विलेख की प्रतिभूति पर बन्धकदार को देय या संदेय समस्त धनराशि का भुगतान होने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाय तब और इनमें से किसी भी स्थिति में बन्धकदार के लिये दायाप्ति या उसके किसी भाग को या तो एक साथ या खण्डों में या तो सार्वजनिक नीलाम द्वारा या असार्वजनिक संविदा पर विक्रय करना या विक्रय की किसी संविदा को विखण्डित करना और बिना किसी हानि के लिये उत्तरदायी हुए जो उससे हो उसे पुनः विक्रय करना और ऐसे किसी विक्रय को कार्यान्वित करने के लिये ऐसे समस्त कार्य करना और हस्तान्तरण पत्रों को निष्पादित करना जैसा बन्धकदार उचित समझे, विधि पूर्ण होगा और एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि बेचे गये परिसर के क्रय धन या उसके किसी भाग के लिये बन्धकदार की रसीद क्रेता या क्रेताओं को प्रभावी तौर पर उससे उन्मुक्त कर देगी और एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि बन्धकदार उक्त शक्ति के अनुसरण में किये गये विक्रय से प्राप्त धन को प्रथमतः इस प्रतिभूति के सम्बन्ध में ऐसे विक्रय पर या अन्यथा उपगत समस्त व्यय का भुगतान करने और तत्पश्चात् ऐसे धन को इस विलेख की प्रतिभूति पर तत्समय बाकी धन को पूरा करने और तत्पश्चात् अधिशेष का (यदि कोई हो) बन्धककर्ता को भुगतान करने के लिये न्यास के रूप में रखेगा और बन्धककर्ता एतद्द्वारा यह करार करता है और घोषणा करता है कि इस विलेख द्वारा उपबन्धित किसी उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बन्धकदार, प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद् के प्रमाण-पत्र पर जो अन्तिम, निश्चायक और बन्धककर्ता पर बाध्यकारी होगा, इस विलेख के अधीन समस्त देयों को बन्धककर्ता से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर सकता है और एतद्द्वारा अन्ततः यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि बन्धकदार उक्त ऋण के अतिशेष को ब्याज सहित बन्धककर्ता के विधिक प्रतिनिधियों और समनुदेशितियों से किसी भी रीति से वसूल करने का हकदार होगा। एतद्द्वारा यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि उक्त नियमावली इस विलेख का भाग समझी और मानी जायेगी ;

और बन्धककर्ता बन्धकदार से एतद्द्वारा अन्त में यह प्रसंविदा करता है कि वह अर्थात् बन्धककर्ता इस प्रतिभूति के जारी रहने के दौरान इस विलेख तथा उक्त दायाप्ति के सम्बन्ध में उसकी ओर से अनुपालनीय और पालनीय उक्त नियमावली के समस्त उपबन्धों और शर्तों का अनुपालन और पालन करेगा।

जिसके साक्ष्य में बन्धककर्ता ने ऊपर प्रथम उल्लिखित दिनांक और वर्ष को इस पर अपना हस्ताक्षर कर दिया है।

2-इस विलेख के निष्पादन पर देय स्टाम्प शुल्क, यदि कोई हो, राज्य सरकार द्वारा वहन और भुगतान किया जायगा और इस विलेख के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकरण प्रभार बन्धककर्ता द्वारा वहन किया जायेगा।

निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त बन्धककर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया गया।

प्रथम साक्षी
पता
व्यवसाय
द्वितीय साक्षी
पता
व्यवसाय
(विलेख रजिस्ट्रीकृत किया जाना चाहिए)
[**टिप्पणी** :-बन्धक के दो साक्षी होना आवश्यक है।] [1]

[1] -अधिसूचना संख्या-2197 सं/17-1-87-132(1)सं-80, दिनांक 29 जुलाई, 1987 द्वारा बढ़ाया गया।

प्रपत्र संख्या-3

गृह निर्माण हेतु ऋण के लिये प्रति हस्तान्तरण का प्रपत्र

यह अनुबन्ध आज दिनांक ____________________200________ तद्नुसार शक संवत् दिनांक ______________________200________________ को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हे आगे ''राज्यपाल'' कहा गया है) एक पक्ष और श्री/श्रीमती/कुमारी_________________________आत्मज/पत्नी/आत्मजा__________ ___________ निवासी________________________ (पदनाम) सदस्य या भूतपूर्व सदस्य राज्य विधान सभा/परिषद्, (जिसे आगे ''बन्धककर्ता'' कहा गया है) दूसरे पक्ष के बीच किया गया जो दिनांक ___________________200___________ को बन्धककर्ता एक पक्ष और राज्यपाल दूसरे पक्ष के बीच किये गये और सब रजिस्ट्रार _____________________________ के कार्यालय में पुस्तक_________________के खण्ड______________में पृष्ठ________________से _________________पर संख्या___________________के रूप में________________ के लिये दिनांक _______________________200_______________को राष्ट्रीयकृत बन्धक विलेख (जिसे आगे मूल ''विलेख'' कहा गया है) का पूरक है।

और चूंकि मूल विलेख की प्रतिभूति पर देय और प्राप्त मूलधन और ब्याज के रूप में समस्त धन अर्थात्____________________रुपये (केवल________________________रुपये) का पूर्ण रूप से भुगतान और शोधन कर दिया गया है और राज्यपाल तद्नुसार बन्धककर्ता के अनुरोध पर ऐसे बन्धकित परिसर निष्पादित का जो इस लिखित अनुबन्ध में जैसा इसमें आगे दिया गया है, सम्मिलित है, प्रतिहस्तान्तरण करने के लिये सहमत हो गये हैं;

अब, यह विलेख इस बात का साक्षी है कि उक्त अनुबन्ध के अनुसरण में और आमुख के प्रतिफल में, राज्यपाल एतद्द्वारा ___________________में स्थित उस पूरे भूखण्ड जो न्यूनाधिक __________________________ है और जिसके उत्तर में _______________ दक्षिण में _______________पूर्व में _______________ और पश्चिम में _____________________ ________________ है, और उस पर बने हुए निवास गृह और वाह्य कार्यालय, अस्तबल, रसोईघर और भवन और ऐसे समस्त और एकल अन्य परिसर जो मूल विलेख में समाविष्ट हो या जिन्हें उसके द्वारा प्रत्याभूत

किये जाने के लिये अभिव्यक्त किया गया हो या जो अब मूल विलेख के अधीन या उसके आधार पर मोचन के अधीन किसी प्रकार से राज्यपाल में उसके अधिकार, सुखाचार और अनुलग्नकों सहित,जैसा कि मूल विलेख में अभिव्यक्त किया गया है, निहित हो और मूल विलेख के आधार पर उस परिसर में, उसके बाहर या उस पर राज्यपाल की समस्त सम्पदा, अधिकार, हित, हक, सम्पत्ति, दावा और मांग, चाहे जो भी हो, जो ऐसे परिसर में एतद्पूर्व धृत हो और एतद्द्वारा बन्धककर्ता, उसके दायादों, निष्पादकों, प्रशासकों और समानुदेशितियों को ऊपर उल्लिखित परिसर को उनके उपयोग के लिये रखने तथा धारण करने के लिये स्वीकृत, अभ्यर्पित और प्रतिहस्तान्तरित करते हैं, मूल विलेख द्वारा प्रत्याभूत किये जाने के लिये आशयित समस्त धन से और उक्त धन या उसके किसी भाग के लिये या उसके सम्बन्ध में या मूल विलेख के लिए या उसके संबंध में या परिसर से सम्बन्धित किसी बात के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाहियों, वाद, लेखा, दावा और मांग से मुक्त और उन्मोचित करके बन्धककर्ता, उसके दायादों, निष्पादकों, प्रशासकों और समानुदेशितियों को स्वीकृत, समानुदेशित और प्रतिहस्तान्तरित करते हैं और राज्यपाल एतद्द्वारा बन्धककर्ता उसके दायादों, निष्पादकों, प्रशासकों और समानुदेशितियों के साथ यह प्रसंविदा करते हैं कि राज्यपाल ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया या जानबूझ कर नहीं होने दिया है या ऐसी किसी बात के पक्षकार या उसके संसर्गी नहीं रहे हैं जिससे उक्त परिसर या उसका कोई भाग, हक, सम्पदा में या अन्यथा किसी भी प्रकार से अभियोजित, भारग्रस्त या प्रभावित है या किया जा सकता है।

जिसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने ऊपर प्रथम उल्लिखित दिनांक एवं वर्ष को इस विलेख पर अपने हस्ताक्षर किये हैं और मुहर लगाई है।

2-इस विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क का, यदि कोई हो, वहन और भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायगा।

निम्नलिखित की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिये और उनकी ओर से____द्वारा हस्ताक्षर किया गया, मुहर लगाई गयी और दिया गया :

(1) ____

(2) ____

प्रपत्र संख्या-4

(नियम-19 देखिये)

वाहन क्रय करने के लिये अग्रिम लेते समय निष्पादित किये जाने वाले करार का प्रपत्र

यह करार आज दिनांक________________________दो हजार__________ तद्नुसार शक संवत् दिनांक______________________200____________को श्री/श्रीमती/कुमारी__________________________________ आत्मज/पत्नी/आत्मजा ____________________निवासी_________________________________(पदनाम) राज्य विधान सभा/परिषद् के सदस्य/भूतपूर्व सदस्य (जिसे ''आगे उधार लेने वाला'' कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत उसके विधिक प्रतिनिधि और समानुदेशिती भी है) एक पक्ष और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे ''राज्यपाल'' कहा गया है) दूसरे पक्ष के बीच किया गया ;

चूंकि उधार लेने वाले ने उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) नियमावली, 1987 (जिसे आगे ''उक्त नियमावली'' कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत तत्समय प्रवृत्त उसका कोई संशोधन भी है) मोटर कार/जीप क्रय करने के लिये __________________________रुपये (केवल ___________________________रुपये) ऋण की स्वीकृति के लिये राज्यपाल को आवेदन किया है और राज्यपाल आगे दिये गये निर्बन्धनों और शर्तों पर उधार लेने वाले को उक्त धनराशि उधार देने के लिये सहमत हैं ;

अतएव अब इस विलेख के समय पक्षकारों के मध्य एतद्द्वारा यह करार किया जाता है कि राज्यपाल द्वारा उधार लेने वाले को______________________ रुपये केवल_____________रुपये (की धनराशि का भुगतान किये जाने) जिसकी प्राप्ति उधार लेने वाला एतद्द्वारा स्वीकार करता है के प्रतिफलस्वरूप उधार लेने वाला राज्यपाल से यह करार करता है कि (1) उधार लेने वाला राज्य विधान मण्डल के सदस्य के रूप में उसे प्राप्त होने वाले, वेतन, यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, प्रतिकर आवास भत्ते और अन्य भत्ते में से या उक्त नियमावली में यथा उपबंधित अपनी पेंशन या उसे प्राप्त होने वाली किसी अन्य धनराशि से मासिक कटौती कराकर जिसके लिये उधार लेने वाला एतद्द्वारा राज्यपाल को प्राधिकृत करता है, उक्त धनराशि उस पर उक्त नियमावली के अनुसार संगणित ब्याज सहित राज्यपाल को भुगतान करेगा और (2) इस विलेख के निष्पादन के

दिनांक से एक मास के भीतर उक्त ऋण की सम्पूर्ण धनराशि मोटर कार, जीप क्रय करने में व्यय करेगा तथा यदि भुगतान किया गया वास्तविक मूल्य ऋण की धनराशि से कम है तो अन्तर की धनराशि राज्यपाल को तुरन्त प्रतिसंदाय करेगा और (3) उक्त मोटर कार/जीप को स्वीकृत ऋण व उस पर संगणित ब्याज की धनराशि की प्रतिभूतिस्वरूप राज्यपाल के पक्ष में आडमान करते हुए उक्त नियमावली में दिये हुए, प्रपत्र में आडमान एक विलेख निष्पादित करेगा ;

और एतद्द्वारा अग्रेतर यह भी करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि मोटर कार/जीप को इस विलेख के दिनांक से एक मास के भीतर उपर्युक्त के अनुसार खरीदा और आडमान नहीं रखा जाता है या यदि उधार लेने वाला उस अवधि के भीतर दिवालिया हो जाता है या चाहे किसी भी कारण से राज्य विधान मण्डल का सदस्य नहीं रह जाता है और पेंशन का हकदार नहीं होता है या चाहे किसी भी कारण से उसे पेंशन नहीं मिलती है या पेंशन मिलना बन्द हो जाती है या ऋण की प्रतिसंदाय किस्त या उस पर ब्याज का भुगतान करने में असफल रहता है उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऋण की सम्पूर्ण धनराशि और उस पर प्रोद्भूत ब्याज तुरन्त देय और संदेय हो जायेगा ;

और उधार लेने वाला एतद्द्वारा यह करार करता है और घोषणा करता है कि राज्यपाल, प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद् के प्रमाण-पत्र पर जो अन्तिम, निश्चायक और उधार लेने वाले पर बाध्यकर होगा इसके अधीन समस्त देयों को उधार लेने वाले से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर सकते हैं और अन्ततः यह करार किया जाता है ओर घोषणा की जाती है कि राज्यपाल उक्त अग्रिम के अतिशेष और अदत्त ब्याज को उधार लेने वाले के विधिक प्रतिनिधियों और समानुदेशितों से,किसी भी रीति से वसूल करने के हकदार होंगे।

जिसके साक्ष्य में उधार लेने वाले ने ऊपर प्रथम उल्लिखित दिनांक और वर्ष को इस पर अपना हस्ताक्षर कर दिया है।

निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त_____________________________ द्वारा हस्ताक्षर किया गया।

(नाम पता सहित)

1____

2____

प्रपत्र संख्या-5

मोटर कार/जीप अग्रिम के लिये बन्धक-पत्र का प्रपत्र

यह अनुबन्ध आज दिनांक --------------------------------------- दो हजार ------- ---------------- तद्नुसार शक संवत् दिनांक --- 200 ------------------------------ को श्री/श्रीमती/कुमारी ----------------------------- आत्मज/पत्नी/आत्मजा ------------------------------- निवासी (पदनाम) राज्य विधान सभा/परिषद् सदस्य/भूतपूर्व सदस्य (जिसे आगे ''उधार लेने वाला'' कहा गया है) एक पक्ष और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे ''राज्यपाल'' कहा गया है) दूसरे पक्ष के बीच किया गया ;

चूंकि उधार लेने वाले ने उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) नियमावली, 1987 (जिसे आगे ''उक्त नियमावली'' कहा गया है और जिस पद के अन्तर्गत तत्समय प्रवृत्त उसका कोई संशोधन या परिवर्द्धन भी है) के निर्बन्धनों के अधीन मोटर कार/जीप (जिसे आगे ''उक्त वाहन'' कहा गया है) क्रय करने के लिये ------------------ रुपये (केवल ---------------- रुपये) के अग्रिम के लिये आवेदन किया है/था और उसे उसकी स्वीकृति दी गयी है ;

और चूंकि उन शर्तों में से जिन पर उधार लेने वाले को उक्त अग्रिम दिया गया है/था एक शर्त यह है/थी कि उधार लेने वाले को उधार दी गयी धनराशि के लिये प्रतिभूति स्वरूप उधार लेने वाला उक्त वाहन को राज्यपाल के प्रति आडमान करेगा ;

और चूंकि उधार लेने वाले ने उपर्युक्त दी गई धनराशि से या अंशतः उससे उक्त वाहन जिसके विवरण इसके नीचे लिखित अनुसूची में दिये गये हैं, क्रय कर लिया है ;

अब यह अनुबन्ध इस बात का साक्षी है कि उक्त करार के अनुसरण में और पूर्वोक्त प्रगतिफल के लिये उधार लेने वाला एतद्द्वारा राज्यपाल को ------------------- रुपये (केवल ------------------ रुपये) की पूर्वोक्त धनराशि प्रत्येक मास की प्रथम दिन को ------------------------------ रुपये प्रत्येक के समान संदायों द्वारा भुगतान करने की प्रसंविदा करता है और उक्त नियमावली के अनुसार तत्समय देय और बकाया धनराशि पर संगणित ब्याज का भुगतान करेगा और उधार लेने वाला सहमत है कि ऐसे भुगतान उक्त नियमावली द्वारा उपबन्धित रीति से उसके वेतन और अन्य भत्तों से मासिक कटौती द्वारा वसूल कर लिये जाय, और उक्त करार के अनुसरण में उधार लेने वाली एतद्द्वारा उक्त वाहन को जिसके विवरण इसके नीचे लिखित अनुसूची में दिये गये हैं, उक्त अग्रिम और उक्त नियमावली द्वारा यथा अपेक्षित उस पर ब्याज के लिये प्रतिभूति के रूप में राज्यपाल को समानुदेशित और अन्तरित करता है ;

और उधार लेने वाला एतद्द्वारा करार करता है और घोषणा करता है कि उसने उक्त वाहन के क्रय मूल्य का पूर्ण भुगतान कर दिया है और यह कि यह वाहन उसकी आन्यंतिक सम्पत्ति है और उसने इसे गिरवी नहीं रखा है और जब तक उक्त अग्रिम के सम्बन्ध में कोई धनराशि राज्यपाल को संदेय रहती है वह उक्त वाहन की सम्पत्ति को न बेचेगा,न गिरवी रखेगा, न विलय करेगा और न उसका कब्जा छोड़ेगा, परन्तु सदैव यह कि और एतद्द्वारा यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि मूल धनराशि की उक्त किसी किश्त अथवा ब्याज का भुगतान या उसकी वसूली उनके देय होने के दस दिन के भीतर उपर्युक्त रीति से न हो या यदि उधार लेने वाला चाहे किसी भी कारण से विधान मण्डल का सदस्य न रह जाय और पेंशन का हकदार न हो या चाहे किसी भी कारण से उसे पेंशन न मिले या पेंशन मिलना बन्द हो जाय या वह ऋण की प्रतिसंदाय किस्त या उस पर ब्याज का भुगतान करने में असफल रहे या उसकी मृत्यु हो जाय या यदि उधार लेने वाला उक्त प्रसंविदा की सम्पत्ति को बेच दे या गिरवी रख दे या विलय कर दे या उक्त वाहन का कब्जा छोड़ दे या दिवालिया हो जाय या अपने लेनदारों के साथ समझौता या ठहराव करे या यदि कोई व्यक्ति उधार लेने वाले के विरुद्ध किसी डिक्री या निर्णय के निष्पादन में कोई कार्यवाही करे तो उक्त मूल धनराशि का सम्पूर्ण भाग जो उस समय देय और अदत्त बचा होगा उस पर यथा पूर्वोक्त संगणित ब्याज सहित तुरन्त संदेय हो जायगा और एतद्द्वारा यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि इसके पूर्व उल्लिखित किसी भी बात के होने पर राज्यपाल उक्त वाहन को अभिगृहीत कर सकते हैं और कब्जे में ले सकते हैं और या तो उसे हटाये बिना कब्जे में रख सकते हैं या उसे अन्यत्र हटा सकते हैं और या तो सार्वजनिक नीलाम द्वारा या असार्वजनिक संविदा द्वारा बेच सकते हैं और विक्रय धनराशि में से उक्त अग्रिम की उस समय अदत्त बच रही अतिशेष धनराशि और यथा पूर्वोक्त संगणित उस पर देय कोई ब्याज और अनुरक्षण करने, प्रतिवाद करने या इसके अधीन अपने अधिकारों को कार्यान्वित करने में समुचित रूप से उपगत या किये गये सभी खर्च, प्रभार, व्यय और भुगतान हेतु रोक सकते हैं और अतिशेष, यदि कोई हो को उधार लेने वाले, उसके निष्पादकों, प्रशंसकों या निजी प्रतिनिधियों को भुगतान कर देंगे परन्तु यह और कि उक्त वाहन को कब्जे में लेने या बेचने की पूर्वोक्त शक्ति राज्यपाल के, उधार लेने वाले या उसके निजी प्रतिनिधियों पर उक्त देय और ब्याज के बाकी रह जाने या उक्त वाहन के ऐसी धनराशि पर बेचे जाने की दशा में जिससे शुद्ध विक्रय धनराशि प्राप्त धनराशि से कम रह जाय, वाद लाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी और उधार लेने वाला एतद्द्वारा यह भी करार करता है कि जब तक कोई धनराशि राज्यपाल को संदेय और प्राप्त रहे वह, उधार लेने वाला,

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित की जाने वाली बीमा कम्पनी से बीमाकृत करके उक्त वाहन को अग्नि, चोरी या दुर्घटना से हानि या क्षति के विरुद्ध सुरक्षित रखेगा और महालेखाकार का समाधान करने के लिये साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि मोटर इन्श्योरेन्स कम्पनी जिससे उक्त वाहन का बीमा कराया गया है, को यह नोटिस प्राप्त हो गया है कि राज्यपाल उस पालिसी से हितबद्ध हैं और उधार लेने वाला एतद्द्वारा यह भी करार करता है कि वह उक्त वाहन को नष्ट या क्षतिग्रस्त या उसके युक्तियुक्त अवक्षयण से होने वाले क्षय से अपेक्षाकृत अधिक क्षय नहीं होने देगा और यह भी कि उक्त वाहन को कोई क्षति पहुंचने या दुर्घटना होने पर उधार लेने वाला तुरन्त उसकी मरम्मत करायेगा और ठीक करवा लेगा, और एतद्द्वारा उधार लेने वाला यह भी करार करता है और घोषणा करता है कि राज्यपाल, प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद् के प्रमाण-पत्र पर जो अन्तिम, निश्चायक और उधार लेने वाले पर बाध्यकर होगा इसके अधीन सभी देयों को उधार लेने वाले से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर सकते हैं।

जिसके साक्ष्य में उक्त ------------------------ (उधार लेने वाला) ने ऊपर प्रथम उल्लिखित दिनांक और वर्ष को इस पर अपना हस्ताक्षर कर दिया है।

अनुसूची

वाहन का विवरण :

निर्माता का नाम :

विवरण :

सिलेण्डरों की संख्या :

इंजन का संख्यांक :

चेसिस का संख्यांक :

लागत मूल्य :

उधार लेने वाले द्वारा हस्ताक्षरित :

निम्नलिखित की उपस्थिति में उधार लेने वाले द्वारा हस्ताक्षर किया गया :

दो साक्षी

(1) -------------------------------- और

(2) -------------------------------------

आज्ञा से,

श्रीनाथ सहाय,

सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

संसदीय कार्य अनुभाग-1

संख्या-487सं/17-1-88-34 सं0-87

लखनऊ, 15 फरवरी, 1988

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980) की धारा-5 के परन्तुक के साथ पठित धारा-30 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) नियमावली, 1988

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) नियमावली, 1988 कही जायगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2- इस नियमावली में,-

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 से है;

(ख) ''अधिक सामान प्रभार'' का तात्पर्य इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा अधिक सामान ले जाने के लिये उद्ग्रहीत या संग्रहीत प्रभार से है;

(ग) ''इण्डियन एयर लाइन्स '' का तात्पर्य वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 3 के अधीन इस नाम से स्थापित निगम से है और इसके अन्तर्गत इण्डियन एयर लाइन्स की ओर से या उसके सहयोग से या अन्यथा वायुयान द्वारा परिवहन सेवा प्रदान करने में लगा हुआ कोई व्यक्ति या निकाय भी है;

(घ) ''प्रकीर्ण प्रभार आदेश'' का तात्पर्य वायुयान द्वारा परिवहन सेवा के लिये इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा जारी किये गये प्रकीर्ण प्रभार आदेश से है।

प्रकीर्ण प्रभार आदेश की व्यवस्था और उसकी सम्पूर्ति

[3-(1) कोई सदस्य जो अधिनियम की धारा-5 के परन्तुक के अधीन वायुयान द्वारा यात्रा करने का विकल्प करता है, प्रमुख सचिव को अपना विकल्प देगा जिसमें वर्ष के दौरान उसके द्वारा अपेक्षित वायुयान कूपनों के मूल्य को इंगित किया जायेगा।

(2) प्रमुख सचिव, इण्डियन एयर लाइन्स से, सम्बन्धित सदस्य के नाम इंगित मूल्य के प्रकीर्ण प्रभार आदेश के क्रय के लिये और अप्रयुक्त प्रकीर्ण प्रभार आदेश की वापसी के लिये भी व्यवस्था करेगा।

(3) प्रमुख सचिव सम्बद्ध सदस्य को अधिनियम की धारा-5 के परन्तुक में निर्दिष्ट वायुयान यात्रा कूपन, उप नियम (2) के अधीन क्रय किये गये प्रकीर्ण प्रभार आदेश के रूप में जारी करेगा।

(4) इस नियम के अधीन जारी किये गये प्रकीर्ण प्रभार आदेश का उपयोग किसी सदस्य के द्वारा अपनी निजी यात्रा के लिए किया जाएगा और उनके द्वारा अपने साथ सहवर्तियों या परिवार के सदस्यों को ले जाने के लिए भी किया जा सकेगा :

परन्तु यह कि जहां किसी सदस्य ने प्रमुख सचिव द्वारा जारी किये गये प्रकीर्ण प्रभार आदेश का बिना उपयोग किये इण्डियन एयर लाइन्स से भिन्न किसी एयर लाइन्स द्वारा भारत में भ्रमण के लिये कोई यात्रा की हो, तो वहां ऐसे सदस्य को नियम 10-क के अधीन वायुयान टिकट को प्रस्तुत करने पर ऐसी यात्रा हेतु उसके द्वारा क्रय किये गये वायुयान टिकट के मूल्य के बराबर धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी।][1]

[4-(1) इण्डियन एयरलाइन्स के किसी बुकिंग कार्यालय में प्रकीर्ण प्रभार आदेश प्रस्तुत करने पर, सदस्य अपने लिये और अपने सहवर्तियों या परिवार के सदस्यों के लिए भी प्रकीर्ण प्रभार आदेश के विरुद्ध स्वयं की यात्रा के लिये और अपने सहवर्तियों या परिवार के सदस्यों के लिए जिनके लिए ऐसे सदस्य द्वारा वायुयान टिकट के लिए आवेदन किया जाय, वायुयान टिकट प्राप्त कर सकता है।][2]

(2) यदि उप नियम (1) के अधीन जारी किये गये वायुयान टिकट का मूल्य प्रकीर्ण प्रभार आदेश के मूल्य से कम हो तो शेष धनराशि के लिये सम्बन्धित सदस्य के नाम से नया प्रकीर्ण प्रभार आदेश जारी किया जायगा और वायुयान टिकट जारी करते समय उसे दे दिया जायेगा।

---

[1]-अधिसूचना संख्या-842/90-सं-1-2013-52-सं-2013, दिनांक 22 अगस्त, 2013 द्वारा संशोधित।

[2]-अधिसूचना संख्या-41/सात-सं/1-2006-85-सं/2004, दिनांक 5 जनवरी, 2006 द्वारा प्रतिस्थापित।

यात्रा का रद्द किया जाना

5-यदि वायुयान टिकट प्राप्त कर लिये जाने के पश्चात् आशयित यात्रा रद्द कर दी जाय तो टिकट रद्द करते समय सम्बन्धित सदस्य का नाम प्रत्यर्पणीय धनराशि के लिये नया प्रकीर्ण प्रभार आदेश जारी किया जायगा और सम्बन्धित सदस्य को कोई भी धनराशि नकद भुगतान नहीं की जायेगी।

[परन्तु यह कि यदि उक्त यात्रा वर्ष के अंतिम दिन के पश्चात् की जाती है तो ऐसी यात्रा के रद्दीकरण की दशा में, टिकट को रद्द करते समय प्रत्यर्पणीय धनराशि के लिए कोई नया प्रकीर्ण प्रभार आदेश जारी नहीं किया जायेगा और सम्बन्धित एयर लाइन्स द्वारा किराये के बराबर की धनराशि, यथास्थिति, विधान सभा सचिवालय या विधान परिषद् सचिवालय में जमा कर दी जायेगी।][1]

प्रकीर्ण प्रभार आदेश की विधिमान्यता

6-नियम-3 के उप नियम (3) के अधीन जारी किया गया प्रकीर्ण प्रभार आदेश जारी किये जाने के दिनांक से वर्ष के अन्तिम दिन तक विधिमान्य होगा।

प्रकीर्ण प्रभार आदेश के प्रयोग पर निर्बंधन

7-नियम-3 के उप नियम (3) के अधीन जारी किये गये प्रकीर्ण प्रभार आदेश का प्रयोग केवल भारत में यात्रा के लिये वायुयान टिकट के क्रय के लिए ही किया जायगा और अधिक समान प्रभार या किसी अन्य प्रभार के मद्दे भुगतान करने के लिये विधिमान्य नहीं होगा।

अधिनियम और नियमों के उल्लंघन में की गयी वायुयान यात्रा के लिए कटौती

8-जहां वायुयान द्वारा कोई यात्रा अधिनियम या इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में न करके विभिन्न रूप में की गयी हो, वहां प्रमुख सचिव ऐसे सदस्य के वेतन या यात्रा या दैनिक या प्रतिकर आवास या किसी अन्य भत्ता बिल में ऐसी यात्रा के लिये क्रय किये गये वायुयान टिकट के मूल्य के बराबर धनराशि काट कर आवश्यक समायोजन करेगा।

---

[1]-अधिसूचना संख्या : 842/90-सं-1-2013-52 सं-2013, दिनांक 22 अगस्त, 2013 द्वारा बढ़ाया गया।

9-प्रत्येक सदस्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र में एक प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष 8 जून तक प्रमुख सचिव को प्रस्तुत करेगा और समस्त अप्रयुक्त प्रकीर्ण प्रभार आदेशों को संलग्न करेगा और यदि कोई सदस्य ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उसे नये प्रकीर्ण प्रभार आदेश जारी नहीं किये जायेंगे। नया प्रकीर्ण प्रभार आदेश जारी करना

10-किसी सदस्य को कोई प्रकीर्ण प्रभार आदेश एक वर्ष या वर्ष के भाग के लिये अग्रिम रूप में जारी नहीं किया जायेगा। कोई अग्रिम प्रकीर्ण प्रभार आदेश जारी नहीं किया जायगा

[10-क-पूर्ववर्ती व्यवस्था के अतिरिक्त जब कोई सदस्य प्रकीर्ण प्रभार आदेश का प्रयोग किये बिना इण्डियन एयर लाइन्स से भिन्न किसी एयर लाइन्स द्वारा नियम 3 में निर्दिष्ट कोई यात्रा करता है, तो प्रमुख सचिव, वायुयान टिकट और बोर्डिंग पास के साथ प्रपत्र-दो में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर ऐसे सदस्य को वायुयान टिकट के मूल्य के बराबर की धनराशि की प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था करेगा।][1] वायुयान किराया की प्रतिपूर्ति

[11-...][2]

---

[1]-अधिसूचना संख्या-842/90-सं-1-2013-52 सं-2013, दिनांक 22 अगस्त, 2013 द्वारा बढ़ाया गया।

2-उ0प्र0 शासन, वित्त (सामान्य) अनुभाग-2, पत्र संख्या-जी-2-175/दस-2011-601/2011, दिनांक : 31 मार्च, 2011 के क्रमांक 2 (11) के द्वारा उक्त प्रावधान की प्रासंगिकता न रह जाने के कारण निकाला गया।

<u>प्रपत्र-1</u>

नये प्रकीर्ण प्रभार आदेश के लिये अनुरोध करने का प्रपत्र

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) नियमावली, 1988 का नियम-8 देखिये **]**

सदस्य का नाम --

सदस्य, विधान सभा/सदस्य, विधान परिषद् -------------------------------------

जिला ---

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि मुझे जारी किये गये समस्त प्रकीर्ण प्रभार आदेशों का मैंने उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार उपयोग कर लिया है, सिवाय ----------------- रुपये के मूल्य के प्रकीर्ण प्रभार आदेशों के जिन्हें मैंने अप्रयुक्त प्रकीर्ण प्रभार आदेश के रूप में वापस कर दिया है।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि मैंने प्रमुख सचिव को रद्द की गयी यात्राओं के ब्योरे प्रस्तुत कर दिये हैं।

अप्रयुक्त प्रकीर्ण प्रभार आदेश के ब्योरे ---

हस्ताक्षर

(नाम) ---------------------

(दिनांक) -------------------

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

[प्रपत्र-2

वायुयान टिकट के मूल्य की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन-पत्र, जब यात्रा इण्डियन एयर लाइन्स से भिन्न किसी एयर लाइन्स द्वारा की जाय।

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) नियमावली, 1988 का नियम-8 देखिये।]

1-सदस्य का नाम ....

2-पता (1) लखनऊ में ....

....

(2) स्थायी ....

....

3-यात्रा का दिनांक ....

4-.. से .... तक

5-एयर लाइन्स का नाम .... 6-यात्रा का समय ....

7-टिकट नम्बर (मूल रूप में प्रस्तुत) ....

8-बोर्डिंग पास नम्बर (मूल रूप में प्रस्तुत) ....

9-किराये की धनराशि ....

10-कोई अन्य सूचना ....

11-मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि :-

(एक) उपर्युक्त यात्राओं हेतु वायुयान टिकट के मूल्य की प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रथम बार किया जा रहा है और इसके पूर्व आहरित नहीं किया गया था।

(दो) नियम-3 के अधीन जारी किये गये प्रकीर्ण प्रभार आदेश का उपयोग उपर्युक्त यात्रा हेतु नहीं किया गया था।

हस्ताक्षर :

(नाम)

(दिनांक)

आज्ञा से,

एस0 के0 पाण्डेय,

प्रमुख सचिव।][2]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952[1]

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1952
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1956
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1961
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1961
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1970
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 41, 1972 तथा
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1990]

---

[1]-उ0प्र0 अधिनियम संख्या 41, सन् 1972 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2]-अधिसूचना संख्या : 842/90-सं-1-2013-52 सं-2013, दिनांक 22 अगस्त, 2013 द्वारा बढ़ाया गया।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के अधिकारियों को दिये जाने वाले वेतन तथा भत्तों की व्यवस्था के निमित्त अधिनियम

संक्षिप्त नाम और आरम्भ

संविधान के अनुच्छेद 186 में यह व्यवस्था की गई है कि ''विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान परिषद् के सभापति और उप-सभापति को ऐसे वेतन और भत्ते दिये जायेंगे जैसे क्रमशः राज्य विधान मण्डल विधि द्वारा नियत करे''

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) इस अधिनियम का नाम ''उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952'' होगा।

(2) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

[अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष और उप-सभापति का वेतन]

2-[(1)][2] उत्तर प्रदेश विधान सभा के [अध्यक्ष और उपाध्यक्ष][1] को उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के [सभापति और उप-सभापति] को [बारह हजार रुपये मासिक][3] वेतन दिया जायेगा।

[(2) उक्त वेतन तत्समय प्रवृत्त आय-कर से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन उसके सम्बन्ध में (परिलब्धियों को शामिल करते हुये) देय कर से अतिरिक्त होगा और ऐसा कर राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायगा।][4]

3-[* * * * *][5]

उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 19 मई, 1952 के के <u>असाधारण गजट को देखिये।</u>

[अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष और उप सभापति][2] के लिये बिना किराये के सुसज्जित निवास स्थान

[4-[(1)] अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष और उप सभापति][2] में प्रत्येक को लखनऊ में उनकी पूरी पदावधि पर्यन्त [×××××][4] बिना किराये का सुसज्जित निवास स्थान पाने का भी अधिकार होगा। उक्त निवास स्थान का रख-रखाव सार्वजनिक व्यय से ऐसे मान (Scale) अथवा मानों के अनुसार होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये जाने वाले नियमों द्वारा नियत किया

1-उ0प्र0 अधिनियम संख्या 41, सन् 1972 द्वारा पुनः प्रतिस्थापित।
2-उ0प्र0 अधिनियम संख्या 7, सन् 1969 द्वारा पुनः संख्यांकित।
3-उ0प्र0 अधिनियम संख्या 10, सन् 2004 एवं अधिनियम सं0 9 सन् 2010 द्वारा संशोधन।
4-उ0प्र0 अधिनियम संख्या 7, सन् 1961 द्वारा बढ़ाया एवं निकाला गया।
5-उ0प्र0 अधिनियम संख्या 41, सन् 1972 द्वारा निकाला गया।

जायं][1]

[**स्पष्टीकरण**-इस धारा के प्रयोजनों के लिये किसी निवास स्थान के सम्बन्ध में रख-रखाव के अन्तर्गत स्थानीय-कर तथा करों का भुगतान करना और जल की व्यवस्था करना और 100 रुपये प्रतिमाह की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुये जिसके अन्तर्गत (विद्युत ड्यूटी भी है) विद्युत की व्यवस्था करना भी है।][3]

[(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति जिसके उपयोग के लिये उपधारा (1) के अधीन निवास स्थान की व्यवस्था की गई हो, उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात् ऐसे निवास स्थान को रिक्त कर देगा और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी उस निवास-स्थान का कब्जा ले सकेगा और ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में आवश्यक हो।][2]

''3[(3) अध्यक्ष और सभापति प्रत्येक को अपने गृह जनपद में अपने निजी निवास स्थान के रख-रखाव के लिये यथा स्थिति ऐसे अध्यक्ष या सभापति के रूप में उनके निर्वाचन के दिनांक से [पन्द्रह हजार रुपये][7] प्रतिमाह पाने का हकदार होगा।''[3]

4-क (*)[4]

[अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष और उप सभापति][4] के लिये परिवहन

5-[अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष और उप सभापति][5] के उपयोग के लिये उपयुक्त परिवहन की भी व्यवस्था की जायेगी जिनका क्रय और रख-रखाव राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये जाने वाले नियमों के अनुसार सार्वजनिक व्यय से होगा।

5-क (*)[6]

अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष और उप सभापति के भत्ते

6-अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उप सभापति को सार्वजनिक कार्य के लिये यात्रा के निमित्त ऐसी दर पर और ऐसी शर्तों पर जो राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले नियमों से अवधारित किये जायें यात्रिक और दैनिक भत्ता पाने का अधिकार होगा।

1-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10 सन् 2004 द्वारा संशोधित।
2-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5 सन् 1990 द्वारा धारा 4, उसकी उप धारा (1) के रूप में संख्याकित और उपधारा (2) बढ़ायी गयी।
3-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 30 सन् 1998 द्वारा दिनांक 27 मार्च, 1997 में बढ़ायी गयी।
4-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 41 सन् 1972 द्वारा निकाली गयी।
5-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 32 सन् 1970 द्वारा प्रतिस्थापित।
6-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 08 सन् 1956 द्वारा निकाली गयी।
7-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 21 सन् 2005 एवं अधिनियम सं0 9 सन् 2010 द्वारा संशोधित।

यू0 पी0 ऐक्ट सं0 5, 1937 का निरसन

7-यू0 पी0 लेजिस्लेचर (आफिसर्स सेलेरीज) ऐक्ट, 1937 का निरस्त होगा और एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

नियम

8-(1) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

(2) उक्त अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुए [धारा-2 से 4-क तक उल्लिखित करो][1] को राज्य सरकार द्वारा दिये जाने और उनके पुनः भुगतान की व्यवस्था ऐसे नियमों में की जा सकती है।

[(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथा शक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमित सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।][1]

1-उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 07 सन् 1969 द्वारा प्रतिस्थापित।

वित्त विभाग

विविध

14 मार्च, 1956 ई0

संख्या जी-2-512/210-617-46-उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप मंत्रियों के (वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, 1952 ई0 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-10, 1952 ई0) की धारा-4 की उपधारा (3) तथा धारा-6 की उपधारा (1) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके तथा सरकारी आज्ञा संख्या-जी-2185/10-617-46, दिनांक 10 नवम्बर, 1947 (जैसी कि वह सरकारी आज्ञा संख्या जी-2-735/10-633-46, दिनांक 22 जुलाई, 1949 द्वारा संशोधित हुई है) के साथ जारी किये गये नियमों का अवक्रान्त करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय संलग्न अनुसूची के भाग 1 में दिये हुए नियम बनाते हैं।

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन भत्ते) अधिनियम, 1952 ई0 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-11, 1952 ई0) की धारा-6 तथा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय--

(1) आदेश देते हैं कि संलग्न अनुसूची के भाग-1 में उल्लिखित नियम आवश्यक परिवर्तनों सहित, अध्यक्ष (Speaker) तथा सभापति (Chairman) के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे, मानों वे उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये हों और मानों शब्द ''मंत्री'' के स्थान पर, जहां कहीं भी वह आया हो, यथास्थिति शब्द ''अध्यक्ष'' अथवा ''सभापति'' रख दिये गये हों; और

(2) सरकारी आज्ञा संख्या जी0 2185/10-6-617-46, दिनांक 10 नवम्बर, 1947 (जैसी कि वह सरकारी आज्ञा संख्या जी0-2-735/10-635-46, दिनांक 22 जुलाई, 1949 द्वारा संशोधित हुई है) के साथ जारी किये गये नियमों को अवक्रान्त करके संलग्न, अनुसूची के भाग-2 में दिये हुए नियम बनाते हैं।

अनुसूची

भाग-1

उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के (यात्रा संबंधी सुविधाओं तथा भत्तों के) नियम, 1955 ई0

1-(क) ये नियम उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के (यात्रा सम्बन्धी सुविधाओं तथा भत्ते के) नियम, 1955 ई0 कहलायेंगे।

(ख) ये तुरन्त प्रचलित होंगे।

2-यदि मंत्री रेल द्वारा यात्रा करें तो वे निम्नलिखित के अधिकारी होंगे :-

(क) उस गाड़ी (Train) में जिससे यात्रा की जाय उपलब्ध उच्चतम श्रेणी के रक्षित (Reserved) डिब्बे के,

(ख) यदि स्थितिवश आवश्यक प्रतीत हों तो विशेष कैरिज के, वह यदि उपलब्ध हो।

(ग) चार से अनधिक वैयक्तिक परिचारकों (Personal attendants) के निम्नतम श्रेणी के किराये से वास्तव में दिये गये रेल के किराये के, चाहे वे मंत्री के साथ यात्रा करें या उनके पहले या बाद में रेल की यात्रा करें,

(घ) समस्त निजी सामान (Personal luggage) के परिवहन (Conveyance) के, चाहे उसे गाड़ी के लगेज वैन में ले जाया जाय या अन्य गाड़ी से भेजा जाय,

(ङ) मोटर कार के परिवहन (Conveyance) के सम्पूर्ण व्यय के, यदि उसका उपयोग सार्वजनिक हित में की गयी यात्राओं के लिये ही किया गया हो।

टिप्पणी 1–मंत्री, बिना कोई किराया दिये, गाड़ी में रक्षित स्थान (Reserved accommodation) में अपने साथ अपने कुटुम्ब के सदस्यों, अपने सभा सचिवों और वैयक्तिक सचिवों को या ऐसे अन्य सरकारी, गैर सरकारी व्यक्तियों को, जो उनके साथ उस रक्षित स्थान में यात्रा कर रहे हों, ले जा सकते हैं, किन्तु उनकी संख्या उस संख्या से अधिक न होगी जिसके लिये रेलवे ने उस स्थान (Accommodation) को रक्षित करने के निमित्त (Reserving for) किराया लिया हो। नीचे टिप्पणी 2 में उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में निर्दिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर, रक्षित स्थान में यात्रा करने वाले उतने व्यक्तियों के लिये किराया सीधे रेलवे को अदा किया जाना चाहिए जितने उस संख्या से अधिक हो, जिसकी अनुज्ञा रेलवे ने दी हो और ऐसी दशा में स्थान रक्षित कराने वाले मंत्री को चाहिए कि वे यात्रा आरम्भ करने से पूर्व, ऐसे व्यक्तियों के लिये खरीदे गये टिकटों की संख्या तथा अन्य ब्योरे उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर के द्वारा अधिग्रहण प्रपत्र (Requisition form) में दर्ज करवा लें जहां से यात्रा प्रारम्भ की जाय ऐसा करना इसलिये आवश्यक है कि मंत्री के साथ रक्षित स्थान में यात्रा करने वाले अतिरिक्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में रेलवे को दोबारा भुगतान न हो जाय।

टिप्पणी 2–सभा सचिव, वैयक्तिक सचिव या कोई अन्य सरकारी कर्मचारी, जो मंत्री के साथ रक्षित स्थान (Reserved accommodation) में यात्रा कर रहा हो जब तक कि वह नीचे दी हुई टिप्पणी 3 के अन्तर्गत आता हो, रेल द्वारा यात्रा के उतनी मील के टिकट का मूल्य पाने का अधिकारी न होगा जितने का उस श्रेणी के मूल्य के बराबर हो जिसका किराया उसे सामान्यतः मिल सकता (Ordinarily admissible) हो।

टिप्पणी 3–ऐसी स्थिति में जब वैयक्तिक सहायक (Personal assistant) स्टेनोग्राफर या क्लर्क को सार्वजनिक हित में मंत्री के साथ रक्षित स्थान (Reserved accommodation) में ही यात्रा करना आवश्यक हो, वह ऐसी दशा में भी यात्रा कर

सकता है जब रक्षित स्थान में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या उस संख्या से पहले ही अधिक हो जिसके लिये रेलवे द्वारा स्थान रक्षित करने के निमित्त किराया ले लिया गया हो किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह उस श्रेणी के टिकट खरीद ले, जिसमें यात्रा करने का वह अधिकारी हो। ऐसी स्थिति में मंत्री उस व्यक्ति के यात्रिक भत्ते के प्राप्यक (Bill) पर यह प्रमाणित करेंगे कि वैयक्तिक सहायक, स्टेनोग्राफर या क्लर्क ने लोक सेवा के हित में मेरे साथ रक्षित स्थान में यात्रा की और उसने वास्तव में उस श्रेणी का टिकट खरीदा जिसमें उसे यात्रा करने का अधिकार था। रेलवे का स्थान सुरक्षित रखने के लिये कर्षण सम्बन्धी, जो परिव्यय (Charge on account of haulage) देना पड़ता है, उसमें से उक्त टिकट के मूल्य की धनराशि घटाई नहीं जायेगी।

टिप्पणी-4-ऐसी स्थिति में जब कि यात्रा एयर कन्डीशन (Air conditioned) डिब्बे में की जाय, साधारणतः केवल दो बर्थ वाला कूपे (Couppe) यदि वह उपलब्ध हो, रक्षित किया जायगा।

3-इसके अतिरिक्त मंत्री को रेल का वह किराया पाने का भी अधिकार होगा जो उनके कुटुम्ब के सदस्यों के लिये वास्तव में अदा किया गया हो जो मंत्री के सामान्य निवास स्थान से उनके सरकारी मुख्यावास (Official headquarters) तक या सरकारी मुख्यावास से उनके सामान्य निवास स्थान तक या उनके सामान्य निवास स्थान या सरकारी मुख्यावास से नैनीताल तक या नैनीताल से उसके सामान्य निवास स्थान या सरकारी मुख्यावास तक उनके साथ या उनसे पहले या उनके बाद यात्रा करें :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किराये की यह रियायत एक कैलेण्डर वर्ष में मंत्री के सरकारी मुख्यावास और सामान्य निवास स्थान के बीच एक-एक बार आने-जाने के लिये और उसके लिये सरकारी मुख्यावास या सामान्य निवास स्थान और नैनीताल के बीच एक कैलेण्डर वर्ष में एक-एक बार आने-जाने के लिये ही दी जायगी।

4-जब मंत्री सड़क से यात्रा करे तो उन्हें अपने कुटुम्ब के सदस्यों का और चार वैयक्तिक परिचारकों का वास्तविक यात्रिक व्यय अपने इस आशय के प्रमाण-पत्र पर कि जो धनराशि वसूल की जा रही है वह वास्तव में अदा की गयी है प्राप्त करने का अधिकार होगा। ऐसे व्यय के अन्तर्गत निजी सामानों (Personal luggage) से भिन्न भण्डार या सामानों (Stores or goods) के भाड़े (Freight) या जलपान (Refreshment) होटल या डाक बंगलों (Staying bunglow) का व्यय (charge) नहीं है।

स्पष्टीकरण-दौरे में उपभोग के लिये जो भण्डार (store) ले जाया जायेगा उसे निजी सामान समझा जायगा।

5-(1) मंत्री, ड्यूटी पर, भारत के किसी भाग की यात्रा किसी ऐसी सार्वजनिक वायुयान परिवहन कम्पनी (Public air transport company) के वायुयान में कर सकते

हैं, जो नियमित रूप से किराये पर वायुयान चलाती हो, या जो उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व में हों, या उसके द्वारा अधिकृत (charted) हो।

(2) जब मंत्री वायुयान से यात्रा करे तो उन्हें वह किराया यदि कोई हो, जो उन्होंने वायुयान से यात्रा करने के लिये अदा किया हो लेने का अधिकार होगा और साथ ही पैसेन्जर गाड़ी की दरों से रेल द्वारा या सड़क या वायुयान द्वारा भेजे गये अपने निजी सामान (Personal luggage) के लिये सामान भिजवाने का व्यय (cost of transporting) यदि वह वास्तव में अदा किया गया हो और चार से अनधिक वैयक्तिक परिचारकों का, निम्नतम श्रेणी के किराये की दर से, वास्तव में अदा किया गया किराया पाने का अधिकार होगा यदि मंत्री को वायुयान द्वारा की जाने वाली यात्रा के दोनों सिरों पर रेल या सड़क से कोई सम्बद्ध (connected) यात्रा करनी हो उन्हें ऐसी यात्राओं के लिये उपर्युक्त नियम-2 और 4 के अन्तर्गत मिलने वाला यात्रिक भत्ता लेने का अधिकार होगा लेकिन उस स्थलीय परिवहन (surface transport) के लिये कोई भत्ता नहीं लिया जायगा जो वायुयान यात्रा (air journey) का भाग हो और वायुयान द्वारा की गयी यात्रा के लिये दिये गये किराये में सम्मिलित हो।

6-मंत्री को अपने सरकारी मुख्यालय से भिन्न किसी भी स्थान (station) पर, चाहे वह उत्तर प्रदेश में हो या उसके बाहर, किन्तु जो भारत में स्थित हो, उन दिनों के लिये जिनमें वे सरकारी कार्यवश अपने मुख्यालय से अनुपस्थित रहे, वास्तविक व्यय (actual out of pocket expenses) जो उन्होंने अपने पास से किया हो, प्राप्त करने का अधिकार होगा।

7-मंत्री को अपने पद ग्रहण करने के समय अपने घर से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यालय तक या उस पहाड़ी स्थान (hill station) तक, जहां सरकार तत्समय अल्पावकाश (recessing) पर हो, जाने के लिये इन नियमों के अधीन यात्रा सम्बन्धी समस्त सुविधा प्राप्त करने का अधिकार होगा। पद रिक्त करने वाले मंत्री को भी यथास्थिति सरकार के मुख्यालय या पहाड़ी स्थान से अपने घर तक जाने के लिये यात्रा सम्बन्धी उपर्युक्त सुविधायें प्राप्त करने का अधिकार होगा।

भाग-2

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के पदाधिकारियों के (यात्रा सम्बन्धी सुविधाओं तथा भत्तों) के नियम, 1955

1-(क) ये नियम ''उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के (पदाधिकारियों के यात्रा सम्बन्धी सुविधाओं तथा भत्तों के) नियम, 1955 ई0'' कहलायेंगे।

(ख) ये तुरन्त प्रचलित होंगे।

2-विधान सभा के अध्यक्ष (Speaker) और विधान परिषद् के सभापति (Chairman) को सरकारी कार्य, (इस पद के अन्तर्गत नियोजन, रचनात्मक कार्य, शिक्षा, जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी समारोह तथा इसी प्रकार के अन्य समारोह हैं) के सम्बन्ध में की गयी यात्राओं के लिये या पद ग्रहण या रिक्त करने के सम्बन्ध में की गयी यात्राओं के लिये भाग-1 के नियमों में उल्लिखित यात्रा सम्बन्धी समस्त सुविधायें और भत्ते प्राप्त करने का अधिकार होगा सिवाय इसके कि उक्त नियमों के नियम-2 की टिप्पणी-1 के अन्तर्गत वे रक्षित स्थान में अपने साथ केवल अपने कुटुम्ब के सदस्यों या अपने वैयक्तिक सहायक, स्टेनोग्राफर या क्लर्क को ले जा सकते हैं जिनकी संख्या उस संख्या से अधिक न होना चाहिए जिसके लिये स्थान रक्षित करने के निमित्त रेलवे ने किराया लिया हो :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि देश के बाहर सरकारी कार्य के सम्बन्ध में की गयी किसी भी यात्रा के लिये राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

3-उन व्यक्तियों को छोड़कर, जो उपर्युक्त नियम-2 के अन्तर्गत आते हों, या जब भाग-1 के नियमों के नियम-2 के नीचे दी हुई टिप्पणी-3 लागू होती हो, किसी अन्य ऐसे व्यक्ति का किराया, जो अध्यक्ष या सभापति के साथ रक्षित स्थान में यात्रा करें, रेलवे को रक्षित स्थान की श्रेणी का टिकट खरीद कर अवश्य अदा किया जाना चाहिए और रक्षित स्थान में की गयी यात्रा के सम्बन्ध में यात्रिक भत्ते के प्रत्येक प्राप्यक में अध्यक्ष या सभापति को उन व्यक्तियों की संख्या निर्दिष्ट कर देनी चाहिए जिन्होंने उनके साथ यात्रा की हो और यह प्रमाणित कर देना चाहिए कि आवश्यक टिकट खरीद लिये गये थे।

भाग-1 तथा 2 में उल्लिखित समस्त उच्च अधिकारियों के सम्बन्ध में लागू होने वाली सामान्य टिप्पणियां

टिप्पणी-1-स्थान रक्षित कराने वाले अधिकारी के लिये वह अपेक्षित होगा कि वह यात्रा प्रारम्भ करने से पहले अपने साथ रक्षित स्थान में यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिये खरीदे गये टिकटों की संख्या तथा अन्य ब्योरे अधिग्रहण प्रपत्र (Requisition-form) में उस स्टेशन के, जहां से यात्रा आरम्भ की जाय, स्टेशन मास्टर से दर्ज करा लें। यह इसलिये आवश्यक है कि रेलवे द्वारा वसूल किये गये किराये के सम्बन्ध में सरकार और रेलवे अधिकारियों के बीच सन्धान (adjustment) किया जा सके।

टिप्पणी-2-अधिकारी स्वविवेक से अपने वैयक्तिक परिचारकों को अपने साथ रक्षित स्थान में यात्रा करने की अनुमति दे सकता है, किन्तु ऐसे स्थान में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या उन बर्थों की संख्या तक सीमित रहेगी जिन्हें रक्षित करने के लिये किराया अदा किया गया हो।

टिप्पणी–3–अधिकारी के साथ उसके रक्षित स्थान में यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिये टिकट खरीदने के निमित्त रेलवे को, जो किराया दिया गया हो, उसका सन्धान निम्नलिखित रूप में किया जायेगा :

(क) केवल अधिकारी के प्रयोग के लिये रक्षित (reserved) किये गये ऐसे सैलून की दशा में जिसके लिये विशेष कर्षण दरें (haulage rates) देय हों, अर्थात ऐसे सैलून जिसके लिये ब्याज, संधारण और मूल्यांपकर्ष व्यय (Interest, Maintenance and Depreciation) सरकार द्वारा दिये जाते हैं, जब परिचारकों को छोड़कर उस सैलून में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या 4 से अधिक हो तो यात्रा करने वाले 4 से अधिक जितने भी व्यक्ति होंगे (inexcess of four) उन सब का किराया रेलवे अपने पास रख लेगी।

(ख) रेलवे के साधारण स्टाफ के सैलून की दशा में जिसके लिये सार्वजनिक दरों के अनुसार व्यय (Charges) देय हो, जब सैलून में यात्रा करने वाले व्यक्तियों का वास्तविक किराया सैलून के लिये देय न्यूनतम किराये से अधिक हो, तो इस प्रकार इन दोनों धनराशियों का जो अन्तर होगा उसे रेलवे अपने पास रख लेगी।

(ग) कम्पार्टमेन्ट की दशा में जब यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या उस न्यूनतम संख्या से अधिक हो, जिसके लिये कम्पार्टमेन्ट सर्वसाधारण के लिये रक्षित किया जा सकता हो, तो यात्रा करने वाले उतने व्यक्तियों का किराया रेलवे अपने पास रख लेगी जितने उक्त न्यूनतम संख्या से अधिक (inexcess) होंगे।

टिप्पणी–किरायों के उस भाग की धनराशि जो रेलवे द्वारा अपने पास नहीं रखी जायेगी, उस विभाग के नाम, जो रक्षित स्थान के कर्षण (haulages) का व्यय वहन करे, रेलवे द्वारा उन प्राप्यकों (bill) में से काटकर जमा कर दी जायेगी जो सम्बद्ध विभाग को प्रस्तुत किये जायें।

टिप्पणी–4–ड्यूटी पर की जाने वाली यात्राओं के सम्बन्ध में रेलवे प्रशासन को अधिग्रहण (requisition) भेजने के विषय में विहित प्रक्रिया का अनुसरण उन यात्राओं की दशा में किया जायेगा जो ड्यूटी के अतिरिक्त की जाय और देय किराया बाद में महालेखापाल (Accountant General) द्वारा वसूल किया जायेगा।

आज्ञा से,
बिपिन बिहारी लाल,
सेक्रेटरी।

उत्तर प्रदेश शासन

संसदीय अनुभाग

संख्या-544सं/सत्रह-73-272-69

लखनऊ, दिनांक 28 फरवरी, 1973

विज्ञप्ति

विविध

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 की धारा-6 और 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विधायिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या-504/17-220-52, दिनांक 28 मार्च, 1958 द्वारा प्रख्यापित तथा समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष तथा उप सभापति यात्रा सुविधायें तथा भत्ते नियमावली, 1958 को निरस्त करते हुए राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या जी-2-512/10-617-46, दिनांक 14 मार्च, 1956 द्वारा प्रख्यापित उसकी अनुसूची के भाग 1 में दिये गये उत्तर प्रदेश के मंत्रियों (यात्रा संबंधी सुविधाओं तथा भत्तों के) नियम, 1955 ई0 के साथ पठित उसके भाग-2 में दिये गये उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के पदाधिकारियों के (यात्रा संबंधी सुविधाओं तथा भत्तों के) नियम, 1955 ई0 आवश्यक परिवर्तनों सहित उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के उप सभापति की यात्रा संबंधी सुविधाओं तथा भत्तों के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे मानो वे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत तदर्थ बनाये गये हों और मानो कि--

(क) उक्त भाग-1 में दिये गये नियमों में शब्द ''मंत्री'' के स्थान पर, जहां कहीं भी वह आया हो, शब्द ''यथास्थिति, विधान सभा के उपाध्यक्ष अथवा विधान परिषद् के उप सभापति'' रख दिये गये हों; और

(ख) उक्त भाग-2 में दिये गये नियमों के नियम-2 में शब्द ''विधान सभा के अध्यक्ष (Speaker) और विधान परिषद् के सभापति (Chairman)'' के स्थान पर शब्द ''विधान सभा के उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद् के उप सभापति'' रख दिये गये हों और नियम-3 में शब्द ''अध्यक्ष या सभापति'' के स्थान पर ''उपाध्यक्ष या उप सभापति'' रख दिये गये हों।

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव।

उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष की पेंशन अधिनियम, 1974

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-10, 1974)*

1-**संक्षिप्त नाम**-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष की पेंशन अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

2-**निवर्ती अध्यक्ष को पेंशन इत्यादि**-(1) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो कम से कम 68 वर्ष की आयु का हो जाने और कम से कम दस वर्ष तक (जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व की कोई अवधि भी है) उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष के पद पर रहने के पश्चात् उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष के पद पर या तो अपनी पदावधि की समाप्ति या अपने पद से त्याग-पत्र देने के कारण न रह जाय, शेष जीवन पर्यन्त तीन सौ रुपये प्रतिमास पेंशन तथा डेढ़ सौ रुपया प्रतिमास सहायता भत्ता का और राज्य सरकार के किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए, निःशुल्क चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार का भी हकदार होगा।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में लागू न होगी जो अध्यक्ष के पद पर न रह जाने के पश्चात् राज्य विधान मण्डल या संसद के निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी हो।

(3) यदि कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन पेंशन तथा भत्ता पाने का हकदार हो जाय, बाद में राज्य विधान मण्डल या संसद के निर्वाचन के लिये अभ्यर्थी हो जाय अथवा उसको सदस्य नाम निर्दिष्ट किया जाय, या संघ अथवा राज्य में मंत्री पद स्वीकार कर ले, अथवा भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य लाभ का पद स्वीकार करे तो वह अपने शेष जीवन के लिये उक्त पेंशन तथा भत्ता पाने और निःशुल्क चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार का हकदार न रह जायेगा।

3-**गत विधान सभा के अध्यक्ष को लागू होना**-धारा-2 के उपबन्ध उस व्यक्ति पर जो 18 मार्च, 1974 तक पांचवीं विधान सभा के अध्यक्ष के पद पर रहा हो, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू होते हैं जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् अध्यक्ष के पद पर न रह जाय।

4-**पेंशन राज्य की संहत निधि पर भारित होगी**-इस अधिनियम के अधीन देय कोई धनराशि राज्य की संहत निधि पर भारित होगी।

---

* उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 10 जून, 1974 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981**
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1981)

1-**संक्षिप्त नाम**-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 कहा जायगा।

2-**परिभाषाएं**-इस अधिनियम में,

(क) ''सभा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा से है;

(ख) ''परिषद्'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से है;

(ग) ''परिवार'' का तात्पर्य किसी मंत्री के सम्बन्ध में उसके पति या उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई या बहन से है जो ऐसे मंत्री के साथ रहते हों और उस पर पूर्ण रूप से आश्रित हों;

(घ) ''अनुरक्षण'' के अन्तर्गत किसी निवास स्थान के सम्बन्ध में, स्थानीय रेंट और करों का भुगतान करना और जल और विद्युत शुल्क सहित विद्युत की व्यवस्था करना भी है;

(ङ) ''मंत्री'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रि-परिषद् के किसी सदस्य से है और इसके अन्तर्गत मुख्य मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री भी हैं।

3-**वेतन**-(1) प्रत्येक मंत्री और राज्य मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त [बारह हजार][1] प्रति मास के वेतन का हकदार होगा।

(2) प्रत्येक उप मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त [दस हजार][1] प्रति मास के वेतन का हकदार होगा।

(3) उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट वेतन उस कर के अतिरिक्त होगा जो उस वेतन (जिसके अन्तर्गत परिलब्धियां भी हैं) के सम्बन्ध में आयकर से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन देय हों और ऐसे कर का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जायगा।

4-**निवास स्थान**-(1) प्रत्येक मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त और उसके पश्चात् पन्द्रह दिन की अवधि के लिये लखनऊ में निवास स्थान का किराये का भुगतान किये बिना, उपयोग करने का हकदार होगा, जिसे विहित मानदण्ड के अनुसार सरकारी व्यय पर सुसज्जित और अनुरक्षित किया जायेगा।

''(1-क) प्रत्येक मंत्री जिसके उपयोग के लिये उपधारा (1) के अधीन लखनऊ में निवास-स्थान की व्यवस्था की गयी हो, उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात् ऐसे वास-स्थान को रिक्त कर देगा और राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी उस वास स्थान का कब्जा ले सकेगा और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में आवश्यक हो।

** संख्या 2545/सत्रह-वि0-1-103-81, दिनांक 3 अक्टूबर, 1981।

[1]-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2000 एवं अधिनियम सं0 9 सन् 2010 द्वारा संशोधित।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिये ''मंत्री'' के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो मंत्री न रह गया हो और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जिसे मंत्री का दर्जा दिया गया था।''

(2) जहां किसी मंत्री को उपधारा (1) के अनुसार निवास स्थान की व्यवस्था न की गयी हो, या वह उक्त उपधारा के लाभ का उपभोग न करें, वहां वह (क) उपमंत्री की स्थिति में, तीन सौ रुपये प्रति मास, और (ख) किसी अन्य स्थिति में पांच सौ रुपये प्रति मास की दर पर प्रतिकर भत्ता पाने का हकदार होगा।

5-**सवारी**-(1) प्रत्येक मंत्री को अपनी पदावधि में आद्योपान्त एक मोटर गाड़ी और उसे चलाने के लिये शोफर की व्यवस्था की जायेगी जिसका क्रय और अनुरक्षण सरकारी व्यय पर इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार किया जायगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट मोटर गाड़ी का उपयोग करने के लिये निबन्धन और शर्तें ऐसी होगी जैसे विहित की जायें।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी समय किसी उप मंत्री को दी गयी मोटर गाड़ी विधिमान्य रूप से दी गयी समझी जायेगी।

6-यात्रा भत्ता आदि-(1) उपमंत्री से भिन्न प्रत्येक मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में (स्थल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा) की गयी यात्रा हेतु अपने और परिवार के सदस्यों के लिये, उस दर और उन शर्तों पर जो विहित की जाये, यात्रा भत्ता और फुटकर खर्च का हकदार होगा।

(2) प्रत्येक उप मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में, (स्थल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा) की गयी यात्रा हेतु* ऐसे दिनांक से ऐसी दर पर और ऐसी शर्तों पर, जो विहित की जाय, यात्रा भत्ता और फुटकर खर्च का हकदार होगा।

(3) प्रत्येक मंत्री-

(क) पद ग्रहण करने के प्रयोजनार्थ लखनऊ के बाहर अपने सामान्य निवास स्थान से लखनऊ के लिये यात्रा करने के सम्बन्ध में, और

(ख) पद त्याग करने पर लखनऊ से लखनऊ के बाहर अपने सामान्य निवास स्थान तक यात्रा करने के सम्बन्ध में, अपने लिये और अपने परिवार के सदस्यों के लिये और अपने परिवार के सामान के परिवहन के लिये यात्रा भत्ता का हकदार होगा।

(4) उपधारा (1) से (3) में किसी बात के होते हुए भी निर्दिष्ट मोटर गाड़ी या राज्य सरकार की किसी अन्य गाड़ी से की गयी यात्रा के लिये कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

---

* उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1889 द्वारा संशोधित।

7-सर्किट हाउस आदि का उपयोग-प्रत्येक मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में की गयी यात्राओं के दौरान किसी किराये या विद्युत प्रभार का भुगतान किये बिना राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित सर्किट हाउस, निरीक्षण गृह या अन्य विश्राम गृह का प्रयोग करने का हकदार होगा।

8-चिकित्सीय सुविधा-प्रत्येक मंत्री और उसके परिवार के सदस्य राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित अस्पतालों में निःशुल्क आवास और उन सिद्धान्तों के अनुसार जो विहित किये जायं, चिकित्सा परिचर्या और उपचार के हकदार होंगे।

9-मंत्री के पद पर नियुक्ति और उसकी रिक्ति की अधिसूचना-जिस दिनांक से कोई व्यक्ति मंत्री बनता है या नहीं रहता है उसे सरकारी गजट में अधिसूचित किया जायेगा और कोई मंत्री अधिसूचना इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह उस दिनांक से ऐसा बना या नहीं रह गया।

10-कोई वृत्ति करने के निषेध-कोई मंत्री अपनी पदावधि के दौरान जिसके लिये वह वेतन और भत्ता लेता है, मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से भिन्न कोई वृत्ति या कोई व्यापार या पारिश्रमिक के लिये कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा।

11-उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-23 सन् 1980 के अधीन सुविधायें-प्रत्येक मंत्री जो, यथास्थिति, सभा या परिषद् का सदस्य हो, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा-14, 9, 18 और अध्याय आठ के अधीन उपलब्ध लाभों का उपभोग करता रहेगा।

12-वेतन आदि का त्याग-कोई मंत्री, किसी समय, ऐसे वेतन, भत्ता या अन्य सुविधाओं का, जिनका वह हकदार है, पूर्णतया या उसके किसी भाग का त्याग इस आशय की लिखित घोषणा द्वारा कर सकता है :-

परन्तु ऐसा कोई त्याग उसी प्रकार किसी भी समय अग्रगामी प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

13-नियम बनाने की शक्ति-(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) धारा-14 द्वारा निरसित अधिनियम के अधीन बनाये गये और इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को प्रवृत्त सभी नियम, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समझे जायेंगे और वे तब तक विधिमान्य और प्रभावी बने रहेंगे जब तक कि उन्हें उपधारा (1) के अधीन बनाये गये नियमों से निरसित न किया जाय।

14-निरसन-उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप मंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, 1952 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार
गोपन अनुभाग-1
संख्या-2/1/1/87-सी0एक्स0-(1)
लखनऊ : दिनांक 13 अक्टूबर, 1997

अधिसूचना

नियम

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 1981 की धारा 6 और (उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित सन् 1981 के उक्त अधिनियम की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-2/1/2/81-सी0एक्स0 (1) यू0पी0ए0-14/1981-रूल्स-1982, दिनांक 17 अगस्त, 1982 और संख्या-2/1/1/1981-सी0एक्स0-(1) दिनांक 1 अगस्त, 1983, जिसके द्वारा क्रमशः उत्तर प्रदेश उप मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1982 और उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1983 प्रकाशित की गयी थीं, का अतिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1997

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1)-यह नियमावली उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1997 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

उप मंत्री द्वारा पदीय कर्तव्यस्थ यात्रा

2-कोई उप मंत्री, उस मंत्री को, जिससे व सम्बद्ध हो, सूचना देकर राज्य के भीतर किसी स्थान की कर्तव्यस्थ यात्रा कर सकता है और सरकार की पूर्व स्वीकृति से राज्य के बाहर किसी स्थान की कर्तव्यस्थ यात्रा कर सकता है। लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिये, राज्य के बाहर किसी यात्रा के सम्बन्ध में सरकार की स्वीकृति की एक प्रति उप मंत्री के यात्रा भत्ता बिल से संलग्न की जायगी।

रेल द्वारा यात्रा की सुविधा

3 (1)-जब उप मंत्री से भिन्न कोई मंत्री रेल द्वारा यात्रा करता है, तब वह निम्नलिखित का हकदार होगा :-

(क) उस रेल गाड़ी में जिससे यात्रा की जाय, उपलब्ध उच्चतम श्रेणी के आरक्षित डिब्बा (कम्पार्टमेन्ट) का,

(ख) यदि स्थितिवश अत्यावश्यक प्रतीत हो तो विशेष सवारी-डिब्बा (स्पेशल कैरिज) का, यदि उपलब्ध हो,

(ग) चार से अनधिक वैयक्तिक परिचारकों को निम्नतम् श्रेणी के किराये के दर से वास्तव में दिये गये रेल के किराये का, चाहे वे उनके साथ या उनके पहले, या पश्चात् यात्रा करें,

(घ) समस्त निजी सामान के परिवहन का, चाहे उसे रेल गाड़ी के सामान यान (लगेज वैन) में ले जाया जाय या किसी अन्य रेल गाड़ी से भेजा जाय।

(ङ) मोटर कार की सवारी का सम्पूर्ण व्यय, यदि उसका प्रयोग केवल लोक हित में की गयी यात्रा के लिये किया गया हो,

टिप्पणी-(एक)-कोई मंत्री इस उप नियम के अधीन आरक्षित स्थान में जितने व्यक्तियों का स्थान आरक्षित करने के लिये रेलवे ने किराया लिया हो उतने व्यक्तियों के किराये का भुगतान किये बिना अपने साथ अपने परिवार के सदस्यों और अपने निजी सचिवों या ऐसे अन्य सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों को, जो उनके साथ आरक्षित स्थान में यात्रा करें, ले जा सकते हैं। उन परिस्थितियों के सिवाय, जो निम्नलिखित टिप्पणी (3) में विर्निर्दिष्ट हैं, उसमें उल्लिखित व्यक्तियों के मामले में, जो आरक्षित स्थान में रेलवे द्वारा स्वीकृत संख्या से अधिक यात्रा कर रहे हैं, उनका किराया रेलवे को सीधे अदा किया जायगा और ऐसे मामले में स्थान आरक्षित कराने वाले मंत्री को चाहिए कि वे यात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व ऐसे व्यक्तियों के लिये खरीदे गये टिकटों की संख्या और अन्य ब्योरा उस स्टेशन के, जहां से यात्रा प्रारम्भ की जाय, स्टेशन मास्टर द्वारा अधिग्रहण प्रपत्र में दर्ज करा लें। ऐसा करना इसलिये आवश्यक है कि मंत्री के साथ आरक्षित स्थान में यात्रा करने वाले अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में रेलवे को दोहरा भुगतान न हो जाय।

(दो) कोई निजी सचिव या कोई अन्य सरकारी सेवक, जो मंत्री के साथ आरक्षित स्थान में यात्रा करता है, यात्रा में रेल मील भत्ता (माइलेज) के उस अंश के लिये हकदार नहीं होगा जो उस श्रेणी के स्थान के टिकट के मूल्य के बराबर है जो सामान्य रूप से उसे अनुमन्य हो, जब तक उसका मामला निम्नलिखित टिप्पणी (3) के अन्तर्गत न आता हो।

(तीन)-जहां तक किसी निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक या लिपिक को लोक हित में मंत्री के साथ आरक्षित स्थान में यात्रा करना आवश्यक हो, वहां वह ऐसा कर सकता है भले ही आरक्षित स्थान में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या उस संख्या से पहले से ही अधिक हो, जिसके लिए रेलवे द्वारा स्थान आरक्षित करने के लिये किराया ले लिया गया है, परन्तु वह उस श्रेणी के स्थान के लिये टिकट खरीदें जिसमें यात्रा करने के लिये वह हकदार हो। ऐसे मामले में, मंत्री उसके यात्रा भत्ते के बिल पर यह प्रमाणित करेंगे कि निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक या लिपिक ने लोकसेवा के हित में उनके साथ आरक्षित स्थान में यात्रा की और उसने वास्तव में उस श्रेणी का टिकट

खरीदा जिसके लिये वह हकदार था। रेलवे को स्थान आरक्षित करने के लिये कर्षण संबंधी जो प्रभार देना पड़ता है उसमें से टिकट का मूल्य घटाया नहीं जायगा।

(चार) जहां यात्रा वातानुकूलित डिब्बे में की जाय, वहां साधारणतः केवल दो बर्थ वाला कूपे, यदि उपलब्ध हो, आरक्षित किया जायगा।

2-कर्तव्यस्थ रेल द्वारा यात्रा के लिये कोई उप मंत्री वातानुकूलित डिब्बे का हकदार होगा और साधारणतया केवल दो बर्थ वाला कूपे, यदि उपलब्ध हो, आरक्षित किया जायगा। वह अपने साथ, किसी किराये का भुगतान किये बिना, अपने परिवार के उतने सदस्य या उतने गैर सरकारी व्यक्ति को ले जा सकता है जितने व्यक्तियों के लिये रेलवे ने उस स्थान को आरक्षित करने का किराया लिया हो।

फुटकर खर्च

[4-(1)-उप मंत्री से भिन्न कोई मंत्री, चाहे उत्तर प्रदेश में या उसके बाहर, किन्तु भारत के भीतर हो, अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में की गयी यात्रा के लिये उत्तर प्रदेश के भीतर के लिये [एक हजार[1]] रुपये प्रतिदिन और उत्तर प्रदेश के बाहर [एक हजार दो सौ][2] रुपये प्रतिदिन की दर से फुटकर खर्च के हकदार होंगे।

(2) उप मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन में की गयी [यात्रा के लिये]2 छः सौ रुपये प्रतिदिन की दर से फुटकर खर्च का हकदार होगा]।[3]

उप मंत्री से भिन्न मंत्री के परिवार के सदस्यों द्वारा रेल से यात्रा करने की व्यवस्था

5-उप मंत्री से भिन्न कोई मंत्री रेल का उतना किराया पाने का भी हकदार होगा जितना उनके परिवार के उन सदस्यों के लिये वास्तव में दिया गया हो जो उनके सामान्य निवास स्थान से उनके सरकारी मुख्यालय तक या सरकारी मुख्यालय से उनके सामान्य निवास स्थान तक उनके साथ या उनसे पहले या उनके बाद यात्रा करें :

परन्तु यह रियायत एक कलेण्डर वर्ष में उनके सरकारी मुख्यालय और सामान्य निवास स्थान के बीच एक-एक बार आने-जाने के किराये के लिये ही दी जायगी।

1-गोपन अनुभाग की अधिसूचना संख्या-2/1/1/87-सी0एक्स0 (1), दिनांक 18 अक्टूबर, 2005 द्वारा संशोधित।

2-गोपन अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-2/1/1/87-सी0एक्स0 (1), दिनांक 18 अक्टूबर, 2005 द्वारा प्रतिस्थापित।

3-गोपन अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-2/1/1/87-सी0एक्स0 (1), दिनांक 27 मई, 2004 द्वारा प्रतिस्थापित।

6 (1)-जब उप मंत्री से भिन्न मंत्री सड़क से यात्रा करें, तब उन्हें अपना, अपने परिवार के सदस्यों और दो वैयक्तिक परिचारकों का वास्तविक यात्रा व्यय अपने इस आशय के प्रमाण-पत्र पर जो कि जो धनराशि ली जा रही है उसका वास्तव में भुगतान किया गया है, लेने का हक होगा। ऐसे व्यय के अन्तर्गत या निजी सामान से भिन्न स्टोर या सामान के भाड़े का कोई प्रभार या जलपान, होटल या यात्री (स्टेज) बंगलों का कोई प्रभार नहीं है।

मंत्री को सड़क द्वारा यात्रा की सुविधा

स्पष्टीकरण :-इस नियम के प्रयोजनों के लिये दौरे पर उपभोग के लिये जो सामान (स्टोर) ले जाया जायगा उसे निजी सामान समझा जायगा।

(2) (क) यदि कोई उप मंत्री किसी कार से या सवारी के किन्हीं अन्य साधनों से, जो उसके स्वयं के हो या उसने किराये पर लिये हों, यात्रा करता है तो वह फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड तीन के नियम-27 (बी) के अधीन, सिवाय दैनिक भत्ता के, जिसके स्थान पर वह नियम-4 के उप नियम (2) में उल्लिखित दर पर फुटकर खर्च आहरित करेगा, यात्रा भत्ता आहरित कर सकता है।

(ख) यदि कोई उप मंत्री अपनी कार द्वारा यात्रा करता है और उसके चलाये जाने के व्यय का भुगतान किसी अन्य उप मंत्री या सरकारी सेवक द्वारा, जो उसके साथ यात्रा करता है, कर दिया जाता है तब वह नियम-4 के उप नियम (2) में उल्लिखित दर पर केवल फुटकर खर्च पाने का हकदार होगा,

(ग) यदि उप मंत्री किसी ऐसी कार से या सवारी के अन्य साधन से जो स्वयं उसका नहीं है या उसके द्वारा किराये पर नहीं लिया गया है तो वह नियम-4 के उप नियम (2) में उल्लिखित दर पर केवल फुटकर खर्च पाने का हकदार होगा।

(घ) ऐसी मिली जुली यात्राओं के लिये जो अंशतः निजी या किराये पर ली गयी सवारी द्वारा और अंशतः मांगी गई सवारी द्वारा या राज्य, स्थानीय निधि या स्थानीय निकाय के व्यय पर व्यवस्थित सवारी द्वारा की जाय तो उप मंत्री प्रत्येक प्रकार की यात्रा के लिये, यथास्थिति खण्ड (क) या खण्ड (ग) के अधीन अलग-अलग यात्रा के रूप में इस शर्त के अधीन यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा कि वह उससे अधिक यात्रा भत्ता आहरित नहीं कर सकता जितना कि वह आहरित करता यदि उसने दोनों यात्राओं की कुल दूरी अपनी निजी कार या किराये पर ली गई कार द्वारा तय की होती।

(ङ) जब कोई उप मंत्री किसी अन्य उप मंत्री या सरकारी सेवक के साथ संयुक्त रूप से कार किराये पर लेता है और उसका उपयोग सड़क यात्रा में करता है तब उनमें से प्रत्येक व्यक्ति फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड तीन के नियम-27 (बी) के अधीन यात्रा

भत्ता पाने का हकदार होगा, किन्तु उप मंत्री दैनिक भत्ता के स्थान पर नियम-4 के उप नियम (2) में उल्लिखित दर पर फुटकर खर्च पाने का हकदार होगा।

टिप्पणी :-मांगी हुई ऐसी कार जिसके चलाये जाने के व्यय का भुगतान उसका उपयोग करने वाले उप मंत्री द्वारा किया जाय, किराये पर ली गयी कार के समान होगा।

वायुयान द्वारा यात्रा

7 (1) (क) उप मंत्री से भिन्न कोई मंत्री भारत के किसी भी भाग में किसी सार्वजनिक वायुयान परिवहन कम्पनी के जो नियमित रूप से किराये पर वायुयान चलाती हो, वायुयान में या ऐसे वायुयान में जो उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व में हो या उसके द्वारा किराये पर लिया गया हो, कर्तव्यों के पालन के लिये यात्रा कर सकते हैं और ऐसी यात्रा में अपने साथ एक सहवर्ती ले जा सकते हैं।

(ख) जब ऐसे मंत्री वायुयान से यात्रा करें, तब वह वायुयान से यात्रा करने के लिये अपने और अपने साथी के लिये यदि कोई हो, वास्तविक किराया, भुगतान करने पर, और निजी सामान के रेल द्वारा, पैसिंजर गाड़ी की दर से, या सड़क द्वारा या वायुयान द्वारा परिवहन का व्यय, वस्तुतः भुगतान करने पर और दो से अनधिक व्यक्तिगत परिचालकों के लिये रेल का निम्नतम श्रेणी की दर से किराया, वस्तुतः भुगतान करने पर, प्राप्त करने का हकदार होगा। यदि ऐसे मंत्री को वायुयान द्वारा की जाने वाली यात्रा के दोनों सिरे पर रेल या सड़क से कोई सम्बद्ध यात्रा करनी हो तो वह ऐसी यात्रा के लिये उपर्युक्त नियम 5 के अधीन अनुमन्य यात्रा भत्ता लेने का हकदार होगा।

किन्तु उस स्थलीय परिवहन के सम्बन्ध में कोई भत्ता नहीं लिया जायगा जो वायुयान यात्रा का भाग हो और वायुयान द्वारा की गयी यात्रा के लिये दिये गये किराये में सम्मिलित हो।

(2) यदि किसी उप मंत्री के लिये वायुयान द्वारा यात्रा करना लोकहित में आवश्यक हो तो वह उस मंत्री की पूर्व अनुज्ञा से, जिससे वह सम्बद्ध है, ऐसा कर सकता है। ऐसी यात्रा के लिये यात्रा भत्ता फाइनेन्शियल हैण्डबुक खण्ड तीन के नियम-23 (बीबी) द्वारा विनियमित होगा।

8–जब किसी उप मंत्री के लिये किन्हीं स्थानों के बीच, चाहे रेल द्वारा या सड़क द्वारा यात्रा करना सम्भव हो और यात्रा वास्तव में सड़क द्वारा की जाय, तब मील भत्ता यह मानकर आंकलित किया जायगा मानों यात्रा रेल द्वारा की गयी थी जब तक कि सड़क द्वारा आंकलित मील भत्ता कम खर्चीला न हो उस स्थिति में मील भत्ता सड़क द्वारा की गयी यात्रा मानकर आंकलित किया जायगा : उप मंत्री को यात्रा भत्ता

परन्तु जब मंत्री, जिससे वह सम्बद्ध है, द्वारा उप मंत्री से रेल के बजाय सड़क द्वारा यात्रा करने की अपेक्षा की जाय तब सड़क द्वारा की गयी यात्रा के लिये अनुमन्य दर पर यात्रा भत्ता आहरित किया जा सकता है और ऐसे मामलों में यात्रा भत्ता बिल के समर्थन में ऐसे मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का एक प्रमाण–पत्र होगा जिसमें ऐसी परिस्थितियों, जिनके अन्तर्गत उप मंत्री को सड़क द्वारा यात्रा करने के लिये उसके द्वारा अपेक्षा की गयी है और वे तथ्य की यात्रा लोकहित में की गई है, उल्लिखित होंगे।

9–जब कोई उप मंत्री कर्तव्यस्थ यात्रा कर रहा हो, तब यदि लोकहित में आवश्यक हो तो वह अपने साथ एक सहायक और दो से अनधिक अर्दली, चपरासी ले जा सकता है। इन कर्मचारियों का यात्रा भत्ता उन पर प्रयोज्य नियमों द्वारा विनियमित होगा। उप मंत्री के साथ जाने वाले कर्मचारियों का यात्रा भत्ता

10–निजी कार्य से यात्रा करने पर कोई उप मंत्री किसी यात्रा भत्ता का हकदार नहीं होगा परन्तु यदि ऐसे कार्य पर मुख्यालय से अनुपस्थिति के दौरान उप मंत्री को सरकारी कार्य के निस्तारण के लिये अपने कर्मचारियों की सहायता अपेक्षित हो तो वह मंत्री जिससे वह सम्बद्ध है, की अनुज्ञा से नियम–9 में विहित सीमा के भीतर अपने साथ अपने वैयक्तिक कर्मचारियों को ले जा सकता है। ऐसे कर्मचारी उसी यात्रा भत्ता के हकदार होंगे जो उन्हें कर्तव्यस्थ यात्रा के सम्बन्ध में मिलता। निजी कार्य से यात्रा

11–उप मंत्री के लिये यात्रा भत्ता के बिल में अपने उस कार्य की प्रकृति लिखना आवश्यक नहीं है जिसके लिये यात्रा की गई है, केवल इतना संकेत कर देना ही पर्याप्त होगा कि यात्रा लोकहित में और यथास्थिति मंत्री, जिससे वह सम्बद्ध है, की अनुज्ञा या अनुमोदन से की गई थी। यात्रा भत्ता बिल की विषय–वस्तु

अवशिष्ट उपबन्ध

12-किसी उप मंत्री के यात्रा भत्ता के सम्बन्ध में कोई विषय जो विर्निदिष्ट रूप से इस नियमावली में उपबन्धित न हो, सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में सरकारी सेवकों के लिये बनाये गये नियमों द्वारा नियंत्रित होगा।

नियंत्रक अधिकारी

[1][13-(1) किसी उप मंत्री के यात्रा भत्ता बिल के प्रयोजनों के लिये नियंत्रक अधिकारी वह मंत्री होगा जिससे ऐसा उप मंत्री सम्बद्ध है।

(2) यात्रा भत्ता बिल के प्रयोजनों के लिये किसी ऐसे व्यक्ति का, जो मंत्री नहीं रह गया हो नियंत्रक अधिकारी मुख्य मंत्री अथवा मुख्य मंत्री द्वारा नाम-निर्दिष्ट मंत्री होगा।] [1]

आरक्षण संबंधी अनुदेश

14-रेलगाड़ी में स्थान के आरक्षण के सम्बन्ध में सामान्य अनुदेश इस नियमावली की अनुसूची में दिये गये हैं।

[15-यदि सरकारी ड्यूटी के निर्वहन के सम्बन्ध में किसी प्रस्तावित यात्रा को लोक हित में रद्द कर दिया जाता है तो अप्रयुक्त टिकटों की वापसी पर निरस्तीकरण प्रभार के रूप में काटी गयी धनराशि तथा उक्त यात्रा के सन्दर्भ में भाड़े की टैक्सी के बिल की धनराशि की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। परन्तु यात्रा भत्ता बिल के साथ इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा।][2]

अनुसूची

रेलगाड़ी में स्थान के आरक्षण के सम्बन्ध में सामान्य अनुदेश।

1-स्थान आरक्षित कराने वाले पदधारी से यह अपेक्षा की जायगी कि वह यात्रा करने के पूर्व आरक्षित स्थान में अपने साथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिये खरीदे गये टिकटों की संख्या और अन्य ब्योरा उस स्टेशन के, जहां से यात्रा आरम्भ की जाय, स्टेशन मास्टर से अधिग्रहण प्रपत्र में दर्ज करा लें। ऐसा करना इसलिये आवश्यक है कि रेलवे द्वारा वसूल किये गये किराये के सम्बन्ध में सरकार और रेल प्राधिकारियों के बीच समायोजन किया जा सके।

1-अधिसूचना संख्या 2/1/1/87-सी0एक्स0 (1), दिनांक 20 फरवरी, 2004 द्वारा संशोधित।

2-अधिसूचना संख्या 2/1/1/87, सी0 एक्स0(1), दिनांक 25 फरवरी, 2005 द्वारा बढ़ाया गया।

2-मंत्री, अपने विवेक पर, अपने वैयक्तिक परिचारकों को अपने साथ आरक्षित स्थान में यात्रा करने की अनुज्ञा दे सकता है किन्तु ऐसे स्थान में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या उन बर्थों की संख्या तक सीमित होगी जिनके आरक्षण के लिये किराया दिया गया है।

3-जब किसी पदधारी के साथ उसके आरक्षित कम्पार्टमेन्ट में यात्रा कर रहे अध्यासियों की संख्या, उस न्यूनतम संख्या से जिसके लिये कम्पार्टमेन्ट जनता के लिये आरक्षित किया जा सकता है, अधिक हो तो उतने अध्यासियों का किराया, जो न्यूनतम संख्या से अधिक हो, रेलवे द्वारा रख लिया जायेगा।

टिप्पणी :-किराये का वह भाग जिसे रेलवे द्वारा नहीं रखा जाना है उस विभाग के नाम जो आरक्षित स्थान के कर्षण-प्रभार को वहन करे, रेलवे के उन बिलों में से काटकर जमा कर दिया जायेगा जो सम्बद्ध विभाग को प्रस्तुत किये जायं।

4-कर्तव्य के पालन के लिये की जाने वाली यात्रा के सम्बन्ध में रेलवे प्रशासन को अधिग्रहण भेजने के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया का अनुसरण कर्तव्यवश यात्राओं से भिन्न यात्राओं की दशा में भी किया जायगा। देय किराये को बाद में महालेखाकार द्वारा वसूल किया जायगा।

आज्ञा से,
रवीन्द्र शंकर माथुर,
मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, 1956

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1956)

[1–उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 1961,

2–उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 13 सन् 1966,

3–उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 7 सन् 1969 एवं

4–उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 15 सन् 1989 द्वारा यथा संशोधित।

सभा सचिवों को दिये जाने वाले वेतन और भत्तों तथा विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों और उप मंत्रियों से सम्बद्ध कुछ विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

सभा सचिवों (Parliamentary Secretaries) को दिये जाने वाले वेतन और भत्तों की तथा विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों तथा मंत्रियों और उप मंत्रियों से सम्बद्ध आगे चल कर प्रतीत होने वाले कुछ विषयों की व्यवस्था करना आवश्यक है।

अतएव, भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त शीर्ष नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, 1956 कहलायेगा।

(2) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

2-विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में विधान मण्डल के अधिकारी का तात्पर्य अध्यक्ष (Speaker), सभापति (Chairman), उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) और उप सभापति (Deputy Chairman) से है।

सभा सचिवों के वेतन भत्ते

[3–(1) प्रत्येक सभा सचिव अपनी पदावधि में अद्योपान्त आठ सौ पचास रुपये प्रतिमाह के वेतन का हकदार होगा तथा उसे तीन सौ रुपये मासिक परिवहन भत्ता दिया जायगा।] [1]

[(2) उक्त वेतन, सत्समय प्रवृत्त आय कर से सम्बन्धित किसी भी विधि के अधीन उसके सम्बन्ध में (परिलब्धियों को शामिल करते हुए) देय कर से अतिरिक्त होगा, और ऐसा कर राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।] [2]

1–उ0 प्र0 अधिनियम संख्या–15 सन् 1989 द्वारा प्रतिस्थापित।

2–उ0 प्र0 अधिनियम संख्या–7 सन् 1969 द्वारा प्रतिस्थापित।

[4-प्रत्येक सभा सचिव अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में (स्थल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा) की गयी यात्रा हेतु ऐसी दर पर और ऐसी शर्तों पर जो विहित की जायं, यात्रा भत्ता और फुटकर खर्च का हकदार होगा।][1]

5-ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा नियत किये जायं, मंत्री, अध्यक्ष, सभापति, उप सभापति, उपाध्यक्ष, उप मंत्री, सभासचिव तथा उनके परिवारों के सदस्य और राज्य विधान मण्डल का प्रत्येक सदस्य सार्वजनिक व्यय पर चिकित्सा कराने तथा राज्य सरकार द्वारा पोषित अस्पतालों में निःशुल्क आवास पाने का अधिकारी होगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य सम्पादन के सम्बद्ध सेवा करने वाले प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को प्राप्त हों। — मंत्रियों, विधान मण्डल के अधिकारियों उप मंत्रियों तथा सभा सचिवों और सदस्यों का चिकित्सीय उपचार

6- * *** *** — उ0 प्र0 अधिनियम संख्या-12 सन् 1952 का संशोधन

7- *** *** *** — यू0पी0 लेजिस्लेटिव चैम्बर्स मेम्बर्स (एमाल्यूमेन्ट्स) रूल्स, 1946 में किये गये संशोधनों का वैधीकरण

8- * *** *** — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-11, 1952 का संशोधन

*9- *** *** *** — उ0प्र0 अधिनियम संख्या-10, सन् 1952 की धारा-3 का संशोधन

---

* * दोनों अधिनियम निरसित।

कतिपय भुगतानों का विनियमन

10-इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किसी मंत्री, अध्यक्ष, सभापति, उप मंत्री, उपाध्यक्ष, उप सभापति और सभा सचिव या उनके परिवार के किसी सदस्य के, राज्य सरकार द्वारा पोषित किसी अस्पताल में आवास के सम्बन्ध में या चिकित्सा के निमित्त किये गये या भुगतान किये गये सभी परिव्यय और उक्त प्रारम्भ से पूर्व धारा-6 में अभिदिष्ट विज्ञप्ति के अनुसार यात्रिक भत्ते तथा दैनिक भत्ते के रूप में किसी सदस्य को दिये गये सभी भुगतान यथावत् किये गये (Properly incurred) भुगतान किये गये और दिये गये समझे जायेंगे।

नियुक्ति इत्यादि से सम्बद्ध विज्ञप्ति निश्चायक प्रमाण होगी

11- * * *

नियम बनाने का अधिकार

12-इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

उत्तर प्रदेश सरकार

संसदीय कार्य अनुभाग-1

संख्या-524/79-सं-1-2009-125सं/2007

लखनऊ, दिनांक 04 मार्च, 2009

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधान सभा/उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों को अन्तरंग चिकित्सीय सुविधा तथा भूतपूर्व सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों को वाह्य चिकित्सीय सुविधा की भी व्यवस्था करने के लिये राज्य की समेकित निधि से प्राप्त होने वाली निश्चित धनराशि को विनियमित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

---

* निरसित।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल रिवाल्विंग फण्ड नियमावली, 2009

1-(1) यह नियमावली, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल रिवाल्विंग फण्ड नियमावली, 2009 कही जायेगी।

(2) यह फण्ड के सृजन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में-

(क) ''करार'' का तात्पर्य विधान सभा और संस्थान या विधान परिषद् और संस्थान के मध्य पृथक-पृथक निष्पादित किये गये करार से हैं,

(ख) ''सभा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा से है,

(ग) ''परिषद्'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से है,

(घ) ''भूतपूर्व सदस्यों'' का तात्पर्य विधान सभा या विधान परिषद् के भूतपूर्व सदस्यों से है,

[(ङ) ''परिवार के सदस्यों'' का तात्पर्य-

(एक) सदस्य या भूतपूर्व सदस्य, यथास्थिति, के पति या पत्नी से है : और

(दो) माता-पिता, बच्चे, सौतेले बच्चे, अविवाहित/तलाकशुदा/परित्यक्त पुत्री, अविवाहित/तलाकशुदा/परित्यक्त बहनें, अवयस्क भाई और सौतेली माता से है : जो सदस्य या भूतपूर्व सदस्य पर पूर्णतः आश्रित हैं और सामान्यतया सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के साथ निवास कर रहे हैं।

टिप्पणी 1-किसी परिवार के ऐसे सदस्यों, जिनकी उपचार आरम्भ होने के समय, सभी स्रोतों से आय रु0 3,500/- और रु0 3,500/- प्रतिमाह की मूल पेंशन पर अनुमन्य महंगाई के योग से अधिक न हो, को पूर्णतया आश्रित माना जायेगा।

टिप्पणी 2-आश्रितों के लिए आयु सीमा निम्नवत् होगी :-

(1) **पुत्र**-सेवायोजित हो जाने या 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने या विवाहित हो जाने तक, जो भी पहले हो।

(2) **पुत्री**-सेवायोजित हो जाने या विवाहित हो जाने तक, जो भी पहले हो।

(3) ऐसा पुत्र जो मानसिक या शारीरिक स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त हो-जीवन पर्यन्त।

(4) तलाकशुदा/पति से परित्याजित/विधवा आश्रित पुत्रियों और अविवाहित/तलाकशुदा/पति से परित्याजित विधवा आश्रित बहनें-जीवन पर्यन्त।

(5) **अवयस्क भाई**-वयस्कता प्राप्त होने तक।][1]

(च) ''फण्ड'' का तात्पर्य नियम-3 के अधीन सृजित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल रिवाल्विंग फण्ड से है,

(छ) ''संस्थान'' का तात्पर्य संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ से है,

(ज) ''सदस्य'' का तात्पर्य विधान सभा या विधान परिषद् के सदस्य से है,

(झ) ''रोगी'' का तात्पर्य संस्थान में उपचार के लिए भर्ती सदस्यों, भूतपूर्व सदस्यों में से किसी व्यक्ति या उनके परिवार के सदस्यों से है,

3-(1) संस्थान में एक फण्ड का सृजन किया जायेगा जिसे उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल रिवाल्विंग फण्ड कहा जायेगा जिसमें निम्नलिखित धन जमा किया जायेगा :-

(क) विधान सभा सचिवालय द्वारा चालीस लाख रुपये,

(ख) विधान परिषद् सचिवालय द्वारा 10 लाख रुपये।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट धनराशि को उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग की सहमति से संबंधित सचिवालय द्वारा अपेक्षा अनुसार पुनरीक्षित किया जा सकता है।

4-फण्ड की धनराशि का उपयोग संस्थान में सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों का चिकित्सीय सुविधायें यथा बेंटीलेटर, डाइलिसिस जांच, शल्य चिकित्सा शुल्क, आई0सी0यू0, एन0 आई0सी0यू0, आई0सी0सी0यू0 कक्ष का किराया और पैथालोजिकल, बैक्टीरियालॉजिकल, रेडियोलाजिकल और अन्य जांच औषधियों सीरा, वैक्सीन एवं अन्य चिकित्सीय पदार्थों आदि व्यय की व्यवस्था करने के लिये किया जायेगा।

5-फण्ड के संचालन के लिये प्रमुख सचिव, विधान सभा/प्रमुख सचिव, विधान परिषद् संस्थान के वित्त नियंत्रक के साथ पृथक-पृथक करार करेंगे।

---

[1]-अधिसूचना संख्या : 760/सं0-1-2015-125सं/2007, दिनांक 14 जुलाई, 2015 द्वारा बढ़ाया गया।

6-(1) रोगी का यथास्थिति अन्तरंग या वाह्य उपचार संस्थान की विनिर्दिष्ट चिकित्सीय सेवाओं की सीमा तक सीमित होगा और संस्था में किसी प्रकार की चिकित्सीय सुविधा प्राप्त करने के लिये उत्तर प्रदेश के जिला अस्पताल या मेडिकल कालेजों के अधीक्षकों का संदर्भ आवश्यक होगा। किसी रोगी को संस्थान में चिकित्सीय जांच या उपचार के लिये भर्ती किये जाने पर संस्थान उसे फण्ड से उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य कलापों के संबंध में कार्यरत प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को यथाअनुमन्य आवश्यक चिकित्सीय उपचार उपलब्ध करायेगा और ऐसे उपचार से संबंधित अनिवार्यता प्रमाण-पत्र के साथ सत्यापित बिल, रसीदें, कैश मेमो, नुसखां आदि मूल रूप में संस्थान द्वारा बनाये जायेंगे और उन्हें यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् को प्रतिपूर्ति के लिये अग्रेसित किया जायेगा। पंजीकरण प्रभार, डाक्टर का परामर्श शुल्क, टानिक और विटामिनों पर उपगत व्यय का वहन रोगी द्वारा किया जायेगा, अतः उसे संस्थान द्वारा बनाये गये बिलों और कैशमेमो में छोड़ दिया जायेगा।

(2) ऐसे बिल के प्राप्त होने पर संबंधित विधान सभा या विधान परिषद् सचिवालय बिल की धनराशि की प्रतिपूर्ति संस्थान को पाने वाले खाते में देय चेक द्वारा एक माह के भीतर कर देगा और संस्थान उसे फण्ड में समायोजित कर देगा।

7-फण्ड के लिये बजट का प्राविधान विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय द्वारा अपने-अपने बजट शीर्ष के माध्यम से किया जायेगा।

8-फण्ड से हुए व्यय का ब्यौरा विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय और संस्थान द्वारा पृथक-पृथक रखा जायेगा और उनके द्वारा फण्ड का मिलान प्रत्येक तीन माह के अन्तराल पर किया जायेगा।

9-संस्थान द्वारा अनुरक्षित फण्ड के खाते की लेखा परीक्षा निदेशक, स्थानीय निधि, उत्तर प्रदेश द्वारा की जायेगी।

10-फण्ड के संचालन में किसी कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार द्वारा विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय और वित्त विभाग के परामर्श से नियम में आवश्यक संशोधन किया जायेगा।

11-सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों की पहचान को सुनिश्चित करने की रूपात्मकता का विनिश्चय संस्थान के परामर्श से संबंधित सचिवालय द्वारा किया जायेगा।

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव।

Copy of G.O. no. U.O.-522-B/V-601(39)-65, dated April 4, 1956 Medical (B) department to the Director of Medical and Health Services, U.P.

Subject-Medical facilities of Ministers, Legislature Officers, Deputy Ministers, Parliamentary Secretaries and the members of their families and to each member of the State Legislature.

In continuation of G.O. no. A-392-B/V-1321-49, dated January 9, 1950, regarding medical attendance and treatment of the Ministers and other high official and subsequent Government orders on the subject. I am directed to say that Section 5 of the U.P. State Legislature Officers, Ministers, Deputy Ministers, Parliamentary Secretaries and member (Salaries and Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1956, Since passed by the State Legislature *inter alia* provides that subject to such conditional and restrictions as may be prescribed by rules made by the State Government. A Minister, Speaker, Chairman, Deputy Chairman, Deputy Speaker, Deputy Minister and Parliamentary Secretary and the members of their families and each member of the State Legislature shall be entitled to medical treatment at Public expenses and also to accommodation free of charge in the Hospitals maintained by the State Government as admissible to Class I officers serving in connection with the affairs to the State of Utter Pradesh.

2-I am to add that section 10 of the said Act also provides that all charges incurred or paid before the commencement of the said Act in respect of the accommodation provided in any hospital maintaind by the State Government for or on the medical treatment of any Minister, Speaker, Chairman, Deputy Minister, Deputy Speaker, Deputy Chairman and Parliamentary Secretary or any member of his family shall be deemed to have been properly incurred paid or made. As such all Medical Officers concerned may be instructed to issue reimburement certificates pertaining to the treatment of the above officers or members of their families prior to the commencement of the Act if pending with them.

3-According to the provision in section 1 (2) read with section 56 of the said Act, the members of the State Legislature (Not the members of their families) shall be entitled to the medical facilities from the date has been passed by the Legislature. In other words they shall be entitled to the medical facilities from the date the Act is notified in the official Gazette.

4-Till separate rules on the Subject are framed by the State Government (as provided in section 12 of the Act) the U.P. Government Servants (Medical Attendance) Rules, 1946, Shall *mutandis* be applicable to the above officers and also to the members of the State Legislature. The parly modifies the orders issued in Government Order referred to in paragraph 3 above.

5-The contents of the above paragraphs may by brought to the notice of all Medical Officers serving under you.

प्रतिलिपि
संख्या 280 (सात) पांच-72
चिकित्सा (अनुभाग-7)
लखनऊ, दिनांक 1 जुलाई, 1972

सेवा में,

स्वास्थ्य सेवा निदेशक,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के परिवारों को चिकित्सा सुविधायें प्रदान करना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, 1956 के वर्तमान उपबन्धों के अनुसार राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को सार्वजनिक व्यय पर चिकित्सा कराने तथा राज्य सरकार द्वारा घोषित अस्पतालों में निःशुल्क आवास पाने की वही सुविधायें हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को प्राप्त हैं, किन्तु वे सुविधायें उनके परिवार के सदस्यों को उपलब्ध नहीं है।

2-उपरोक्त व्यवस्था पर विचार करने के उपरान्त राज्यपाल महोदय ने आदेश दिये हैं कि 1 जुलाई, 1972 से राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के परिवार के सदस्यों को भी वे सभी चिकित्सा सुविधायें निःशुल्क उसी स्तर और सीमा तक देय होंगी जैसा कि उपरोक्त प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के परिवार के सदस्यों को इस समय उपलब्ध है। परिवार की परिभाषा वहीं होगी जो उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के चिकित्सा सम्बन्धी नियम, 1946 में है।

3-चूंकि इस प्रयोजन के लिये चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में कोई प्राविधान नहीं है और यह एक आवश्यक एवं अपरिहार्य कार्य समझा गया है, अतः चालू वित्तीय वर्ष में इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यय किये जाने के लिये राज्यपाल महोदय राज्य आकस्मिक निधि से 3,33,000 रु0 (तीन लाख, तैंतीस हजार रुपये) की धनराशि का अग्रिम दिये जाने पर अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस धनराशि की प्रतिपूर्ति यथासमय अनुपूरक विनियोग अधिनियम द्वारा की जायेगी।

4-उक्त व्यय अन्ततः वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्यय के लेखा शीर्षक ‘‘29-चिकित्सा आयोजनेत्तर-(ख) चिकित्सालय और औषधालय-(ख) अन्य चिकित्सालय

और औषधालय (राज्य)-(1) एलोपैथिक 4-आकस्मिक व्यय-(2) अन्य आकस्मिक व्यय" के अन्तर्गत खोले जाने वाली नई इकाई "(-)- राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा" के नामे डाला जायगा।

भवदीय,

सोमदत्त त्यागी,

उप-सचिव।

संख्या 3824/पांच-7-1033/81

प्रेषक,

श्री धर्म नारायण त्रिपाठी,

उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

स्वास्थ्य सेवा निदेशक,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-7 दिनांक, लखनऊ 31 दिसम्बर, 1981

विषय :-भूतपूर्व विधायकों जिन्हें पेंशन प्राप्त है को राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1946 माननीय विधायकों पर भी प्रभावी है जिसके प्राविधानों के अनुसार उन्हें तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें निःशुल्क मिलती हैं, किन्तु यह सुविधायें उस समय समाप्त हो जाती हैं जब वे विधायक नहीं होते। भूतपूर्व विधायकों द्वारा राज्य सरकार से समय-समय पर मांग की जाती रही है कि उन्हें भी वही चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई जायं जो उन्हें विधायक के रूप में अनुमन्य थी।

2-भूतपूर्व विधायकों की उपर्युक्त मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि भूतपूर्व विधायकों का, जिन्हें पेंशन मिलती है, को भी राजकीय चिकित्सालयों में वही चिकित्सा सुविधायें प्रदान की जायं जो उन्हें विधायक के रूप में मिलती थीं। तद्नुसार राज्यपाल महोदय आदेश देते हैं कि समस्त भूतपूर्व विधायकों को, जिन्हें पेंशन मिलती है तथा उनके परिवार के आश्रितों को प्रदेश के राजकीय अस्पतालों, डिस्पेंसरियों में उसी स्तर और उसी सीमा तक चिकित्सा सुविधायें निःशुल्क प्राप्त होंगी जो उन्हें विधायक के रूप में प्राप्त थीं।

3-चूंकि इस प्रयोजन के लिए चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में कोई प्राविधान नहीं है और यह एक अत्यावश्यक एवं अपरिहार्य कार्य समझा गया है, अतः राज्यपाल महोदय राज्य आकस्मिकता निधि से रुपये 29,000 (उन्तीस हजार रुपये मात्र) की धनराशि का अग्रिम लिए जाने पर भी अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस धनराशि की प्रतिपूर्ति यथा समय अनुपूरक विनियोग अधिनियम द्वारा की जायेगी।

4-उक्त व्यय अन्ततः वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत शीर्षक ''287-चिकित्सा- आयोजनेत्तर-क- एलोपैथिक-11- चिकित्सा सहायता'' के अधीन एक नवीन मद ''उत्तर प्रदेश राज्य के भूतपूर्व पेंशन प्राप्त विधायकों के लिए चिकित्सा सुविधा'' खोल कर उसके नामे डाला जायगा।

भवदीय,
धर्म नारायण त्रिपाठी,
उप सचिव।

वित्त विभाग

संख्या 3824/2/पांच-7-1033-81

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
त्रिवेणी सहाय,
संयुक्त सचिव, वित्त।

संख्या 3824/2/पांच-7-1033-81

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-सचिव, विधान सभा एवं विधान परिषद्।

2-उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयों के प्रमुख।

3-सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4-प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कृपया इन आदेशों को अपने जिले के समस्त चिकित्साधिकारियों की जानकारी में ला दें।

5-वित्त-ई-3/वित्त सामान्य अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
6-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
7-सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
धर्म नारायण त्रिपाठी,
उप सचिव।

<u>शीर्ष प्राथमिकता</u>

संख्या 1832/पांच-7-1033/81

प्रेषक,

श्री धर्म नारायण त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

स्वास्थ्य सेवा निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दिनांक, लखनऊ 14 मई, 1982

विषय :-भूतपूर्व विधायकों जिन्हें पेंशन प्राप्त है को राजकीय चिकित्सालय में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था।

महोदय,

चिकित्सा अनुभाग-7

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-3824/पांच-7-1033/81, दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि भूतपूर्व विधायकों, जिन्हें पेंशन प्राप्त है, को राजकीय अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो इस उद्देश्य से शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन पाने वाले भूतपूर्व विधायकों को विधान सभा सचिवालय से जो ''बस पास'' जारी किये गये हैं जिन पर सम्बन्धित सदस्य का सम्यक रूप से अनुप्रमाणित फोटोग्राफ और उनके हस्ताक्षर होतें हैं, को ही परिचय-पत्र मानते हुए, उन्हें राजकीय अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाय। तद्नुसार मुझे आपसे अनुरोध करना है कि कृपया प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय,

धर्म नारायण त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव।

संख्या-1832/(1)-पांच-7-1033/81

प्रतिलिपि प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे आदेशों से राजकीय अस्पतालों के प्रभारी चिकित्साधिकारियों को अवगत करा दें।

प्रतिलिपि सचिव, विधान सभा सचिवालय तथा विधान परिषद् सचिवालय को भी सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,
धर्म नारायण त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव।

<u>**शीर्ष प्राथमिकता**</u>

संख्या एस0एम0 161/पांच-7-1033/81

प्रेषक,

डा0 पी0 सी0 व्यास,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

स्वास्थ्य सेवा निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दिनांक, लखनऊ 12 मई, 1983

विषय :-भूतपूर्व विधायकों जिन्हें पेंशन प्राप्त है को राजकीय चिकित्सालय में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था।

महोदय,

चिकित्सा अनुभाग-7

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-3824/पांच-7-1033/81, दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में भूतपूर्व विधायकों को, जिन्हें पेंशन प्राप्त है, सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है। शासन को ज्ञात हुआ है कि इन आदेशों का तात्पर्य यह लगाया जा रहा है कि दारुलशफा डिस्पेंसरी अथवा अन्य किसी सरकारी अस्पताल में ये विधायक जो भी पर्ची भेजें उसमें उल्लिखित औषधियां उन्हें दे दी जायें। आदेशों का ऐसा तात्पर्य नहीं है।

2-इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि उक्त आदेशों का तात्पर्य यह है कि भूतपूर्व विधायक जब कभी अपनी जांच पड़ताल के लिये किसी सरकारी अस्पताल अथवा डिस्पेंसरी में जायें तब वहां के चिकित्सक जो औषधियां उनके रोग के निदान के लिये आवश्यक समझें केवल वही औषधियां अपने औषधि भण्डार से और यदि औषधि उनके भण्डार में उपलब्ध न हो तो लोकल परचेज करके उपलब्ध करा दें।

3-मुझे आपसे अनुरोध करना है कि कृपया इन आदेशों का कड़ाई से पालन करने हेतु प्रदेश के समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश देने का कष्ट करें।

भवदीय,
पी0सी0 व्यास,
विशेष सचिव।

संख्या-एस0एम0 161(1)/पांच-7-1033/81, तद्‌दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रदेश के समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
(2) प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, दारुलशफा, डिस्पेंसरी, लखनऊ।
(3) प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, दारुलशफा, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, लखनऊ।
(4) प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, दारुलशफा, होम्योपैथिक डिस्पेंसरी, लखनऊ।
(5) सचिव, विधान सभा सचिवालय तथा विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृपया किसी भी भूतपूर्व विधायक को उनके निजी पर्चियों पर औषधियां न दें तथा इन आदेशों का कड़ाई से पालन करें।

भवदीय,
पी0सी0 व्यास,
विशेष सचिव।

संख्या-1989/सेक-2/पांच-4 (84)/84

प्रेषक,

श्री वी0पी0 माथुर,

संयुक्त सचिव,

उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,

उ0 प्र0, लखनऊ।

लखनऊ, दिनांक 21 मई, 1986

विषय :-विधान सभा/विधान परिषद् सदस्यों को देय निःशुल्क चिकित्सा, औषधियां तथा सुविधा समाप्त किया जाना।

महोदय,

चिकित्सा अनुभाग-2

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0 प्र0 राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1986 के अनुसार शासन ने यह निर्णय लिया है कि विधान सभा/परिषद् के प्रत्येक सदस्य, जिसके अन्तर्गत मंत्री और राज्य विधान मण्डल के अधिकारी भी हैं, व उनके परिवार के सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी अस्पताल या औषधालय में प्रदान की जाने वाली निःशुल्क वाह्य चिकित्सा सुविधा नहीं दी जायेगी और सुविधाओं के बदले में जिसके अन्तर्गत औषधियां भी हैं, 400.00 रुपये प्रतिमाह की धनराशि दिनांक 1 अप्रैल, 1986 से दी जायेगी। इसके अतिरिक्त ऐसे अस्पतालों में स्वयं उनके लिये और उनके परिवार के सदस्यों के लिये जिन्हें चिकित्सा के लिये ऐसे अस्पताल में भर्ती करना अपेक्षित हो पूर्व की भांति निःशुल्क स्थान और चिकित्सा सेवा उपलब्ध करायी जायगी।

2-शासन द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय के फलस्वरूप निम्नलिखित आदेश पारित किये जाते हैं :-

1-दारुलशफा स्थित कार्यरत एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक डिस्पेंसरी को समाप्त किया जाता है।

2-दारुलशफा में दो चिकित्सा अधिकारी (साधारण ग्रेड) कार्यरत रहेंगे जो दिन में तथा रात्रि में ड्यूटी पर रहेंगे तथा आवश्यकतानुसार विधायकगण को चिकित्सा सम्बन्धी परामर्श देंगे। यह स्टाफ सिविल अस्पताल, लखनऊ के अन्तर्गत होंगे व मुख्य अधीक्षक, सिविल अस्पताल के अधीन कार्य करेंगे। अब वहां अधीक्षक का पद नहीं रहेगा। इस डिस्पेंसरी हेतु स्वीकृत साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी के पद को, जिसे सीनियर स्केल (अधीक्षक) में उच्चीकृत किया गया था, के उच्चीकरण के आदेश समाप्त करते हुए पुनः साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी के रूप में उपयोग लाया जायगा।

3-दारुलशफा में तैनात चिकित्सा अधिकारी के पास कोई औषधि नहीं रहेगी और न ही सिविल अस्पताल अथवा अन्य सरकारी अस्पताल में उनकी पर्ची पर औषधि दी जायेगी।

4-दारुलशफा डिस्पेंसरी (एलोपैथिक) हेतु सृजित समस्त श्रेणी के पद अर्थात् लेखाकार, फार्मेसिस्ट तथा वार्ड ब्वाय (चिकित्सा अधिकारी के दो पद तथा स्वीपर के पद को छोड़कर) समाप्त किये जाते हैं इन पदों के पदधारकों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ द्वारा अन्यत्र समायोजित कर लिया जाय।

5-डिस्पेंसरी के स्टोर में उपलब्ध औषधियां तथा उपकरण आदि का आवश्यकतानुसार अन्य अस्पतालों में उपयोग कर लिया जाय।

6-इसी प्रकार जिलों में भी सभी प्रकार के चिकित्सालयों में भविष्य में विधायकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को निःशुल्क वाह्य चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी एवं इनडोर की निःशुल्क सुविधा पूर्व की भांति दी जायगी।

7-इसी आधार पर राज्यपाल यह भी आदेश देते हैं कि दारुलशफा में स्थित आयुर्वेदिक/यूनानी तथा होम्योपैथी औषधालय भी समाप्त किया जाता है एवं वहां से समस्त पद तद्नुसार समाप्त किये जाते हैं। निदेशक, आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक कृपया इस सम्बन्ध में निश्चित प्रस्ताव शासन को भेजेंगे।

8-उपरोक्त आदेशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

वी0 पी0 माथुर,

संयुक्त सचिव।

संख्या-1989(1)/सेक-2/पांच-4(84)/84, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक निर्देश के साथ कि प्रस्तर-2 में लिये गये निर्णय का अनुपालन तुरन्त सुनिश्चित करें :-

1-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,

2-निदेशक, प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, लखनऊ,

3-आयुर्वेदिक तथा यूनानी सेवा निदेशक, उ0 प्र0, लखनऊ,

4-निदेशक, होम्योपैथी, उ0 प्र0, लखनऊ,

5-समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज,

6-अपर निदेशक, चिकित्सा उपचार/अपर निदेशक (स्टोर्स), स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, लखनऊ,

7-अपर निदेशक, लखनऊ मण्डल,

8-समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,

9-मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ,

10-मुख्य अधीक्षक, सिविल अस्पताल, लखनऊ,

11-समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

12-अधीक्षक, दारुलशफा डिस्पेंसरी, लखनऊ,

13-चिकित्सा अनुभाग-3/4/5/7/9/15,

14-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन,

15-नियोजन अनुभाग-4, उ0 प्र0 शासन,

16-संसदीय कार्य विभाग, उ0 प्र0 शासन।

आज्ञा से,

वी0 पी0 माथुर,

संयुक्त सचिव।

संख्या-5404/5-7-1033/81

प्रेषक,

अश्विनी कुमार भार्गव,

उप सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लखनऊ, दिनांक 12 अगस्त, 1986

विषय :-भूतपूर्व विधायकों को जिन्हें पेंशन प्राप्त है राजकीय चिकित्सालयों में वाह्य रोगी की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

चिकित्सा अनुभाग-7

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1989/सेक-2/5-4-(84)/84, दिनांक 21 मई, 1986 में यह आदेश प्रसारित किये गये थे कि राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को वाह्य रोगी के रूप में निःशुल्क चिकित्सा के बदले में 400 रुपये प्रतिमाह की धनराशि दिये जाने के कारण उन्हें राजकीय चिकित्सालयों में वाह्य रोगी के रूप में मिलने वाली चिकित्सा सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। इस आदेश के फलस्वरूप यह भ्रम उत्पन्न हो गया है कि भूतपूर्व विधायकों को जिन्हें पेंशन अनुमन्य है, भी राजकीय चिकित्सालयों से मिलने वाली निःशुल्क चिकित्सा अनुमन्य नहीं होगी। इस सम्बन्ध में मुझे यह स्पष्ट करना है कि भूतपूर्व विधायकों, जिन्हें पेंशन प्राप्त है, को राजकीय चिकित्सालयों से शासनादेश संख्या-3824/5-7-1022/81, दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 तथा शासनादेश संख्या-यू0ओ0 84/5-7-82- चिकित्सा-7, दिनांक 20 फरवरी, 1983 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार निःशुल्क चिकित्सा सुविधा अनुमन्य रहेगी।

2-आप कृपया अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को निदेशित कर दें कि भूतपूर्व विधायकों, जिन्हें पेंशन अनुमन्य है कि

वाह्य रोगी तथा अन्तः रोगी की हैसियत से राजकीय चिकित्सालयों से निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा अनुमन्य है और शासनादेश संख्या-1989/सेक-2/5-4(84)/84, दिनांक 21 मई, 1986 द्वारा निर्गत निर्देशों का उन पर कोई अन्यथा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भवदीय,

अश्विनी कुमार भार्गव,

उप सचिव।

संख्या-5404(1)/5-7-1033/81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों एवं जिला चिकित्सालयों के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षकों को इस आशय से प्रेषित है कि वे कृपया भूतपूर्व विधायकों, जिन्हें पेंशन प्राप्त है, को राजकीय चिकित्सालयों से निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा अनुमन्य करायें।

आज्ञा से,

अश्विनी कुमार भार्गव,

उप सचिव।

संख्या-3788/5-7-87

प्रेषक,

श्री श्याम सूरी,
सचिव,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लखनऊ, दिनांक 25 जुलाई, 1987

विषय :-भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराना।

महोदय,

चिकित्सा अनुभाग-7

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासन के समस्त भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों को आजीवन निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करायी जाये। इनमें से जो व्यक्ति पेंशन प्राप्त भूतपूर्व विधायक हैं उनके लिये पहले ही शासनादेश सं0-3824/5-7-1033/81, दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 में निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था उपलब्ध है। वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत सभी भूतपूर्व विधायकों को यह सुविधा उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

2-प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में जिनमें मेडिकल कालेज भी सम्मिलित हैं, उन व्यक्तियों को उच्च स्तर की निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करायी जाये। यदि इन्हें उस समय विधायक होने के नाते वाह्य विभाग की औषधियां क्रय करने के लिये रु0 400/-का अथवा अन्य अनुमन्य भत्ता नहीं मिल रहा है तो इनके लिये वाह्य विभाग से सम्बन्धित औषधियां भी निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्तः कक्ष चिकित्सा, आवश्यक औषधियां, परीक्षणों, एक्स-रे, आदि की समस्त सेवायें पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी एवं आवश्यकतानुसार सभी औषधियों आदि की आपूर्ति स्थानीय क्रय के माध्यम से की जायेगी।

3-यदि भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों को प्रदेश के बाहर विशेष चिकित्सा की आवश्यकता है तो उन्हें इस कार्य के लिये संदर्भित किया जायेगा और इस पर आने वाले समस्त व्यय की प्रतिपूर्ति नियमानुसार विधान सभा सचिवालय द्वारा की जायेगी।

भवदीय,

श्याम सूरी,

सचिव।

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(लेखा अनुभाग)

संख्या-906/वि0स0/202(ले)/77 दिनांक : लखनऊ 6 अप्रैल, 1981

प्रेषक,

श्री सत्य प्रिय सिंह,
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

महालेखाकार-1,
उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

विषय :-उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नेता विरोधी दल/सदस्यों/अधिकारियों/कर्मचारियों आदि के वेतन एवं भत्ते, यात्रिक एवं दैनिक भत्ते, अन्य भत्ते एवं उपलब्धियों, विभिन्न प्रकार के कान्टिनजेन्ट तथा अन्य मदों के व्यय एवं दावों का चेक द्वारा भुगतान एवं तत्सम्बन्धी लेखों के रख-रखाव की प्रक्रिया।

महोदय,

मुझे यह निवेदन करना है कि उत्तर प्रदेश, विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नेता विरोधी दल/सदस्यों/अधिकारियों/कर्मचारियों आदि के वेतन एवं भत्ते, यात्रिक एवं दैनिक भत्ते, अन्य भत्ते एवं उपलब्धियों, विभिन्न प्रकार के कान्टिनजेन्ट तथा अन्य मदों एवं दावों के बिल ट्रेजरी से पास कराने एवं भारतीय स्टेट बैंक से भुगतान प्राप्त करने की वर्तमान लम्बी प्रक्रिया का पालन करने में पर्याप्त समय एवं असुविधा होती है।

2-अतएव इस दिशा में सुधार करने हेतु राज्यपाल महोदय वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1, पैरा 107 डी0ई0एफ0जी0एच0 एवं पैरा 108 तथा अन्य तत्सम्बन्धी नियमों का शिथिलीकरण करते हुए यह सहर्ष आदेश करते हैं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा (जिसमें विधान सभा सचिवालय भी सम्मिलित है) में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नेता विरोधी दल/सदस्यों/अधिकारियों/कर्मचारियों आदि के वेतन एवं भत्ते, यात्रिक एवं दैनिक भत्ते, अन्य भत्ते एवं उपलब्धियों, विभिन्न प्रकार के कान्टिनजेन्ट तथा अन्य मदों के व्यय एवं दावों के भुगतान चेक प्रणाली द्वारा किये जायें।

3-यह प्रक्रिया उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व व्यय के लेखा शीर्षक, ‘‘211-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिये विधान मण्डल-क-विधान सभा (असेम्बली) मतदेय/भारित’’ तथा ‘‘ग-विधान मण्डल सचिवालय (1) विधान सभा’’ के अन्तर्गत व्यय करने हेतु लागू होगी। भविष्य में उपर्युक्त लेखा शीर्षक में व्यय की कोई नई मदें सम्मिलित हुई तो यह प्रक्रिया उनके सम्बन्ध में भी मान्य होगी।

4-इन आदेशों का कार्यान्वयन वेतन एवं भत्ते के सम्बन्ध में 1 जुलाई, 1981 (अर्थात जून माह के वेतन से जो 1 जुलाई, 1981 को देय होगा) से तथा यात्रिक एवं दैनिक भत्ते, अन्य भत्ते एवं उपलब्धियों, विभिन्न प्रकार के कान्टिनजेन्ट तथा अन्य मदों के व्यय दावों के सम्बन्ध में 1 जुलाई, 1981 से अनुलग्नक में दी हुई प्रक्रिया के अनुसार प्रभावी होगी। यह प्रक्रिया 30 जून, 1981 अथवा इससे पूर्व में बकाया दावों जिनका भुगतान 1 जुलाई, 1981 अथवा उसके बाद उपयुक्त पैरा 3 में उल्लिखित लेखा शीर्षक से कराना हो, पर भी मान्य होगी।

5-उपर्युक्त आदेशों की परिधि के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों/पार्टियों के देयक अब कोषागार में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे बल्कि उनका भुगतान अनुलग्नक में उल्लिखित चेक प्रणाली के अन्तर्गत किया जायेगा।

6-इस प्रणाली के अन्तर्गत विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नेता विरोधी दल/सचिव के वेतन के प्राधिकार पत्र जारी करने का कार्य यथावत् महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के पास ही रहेगा किन्तु विधान सभा के सदस्यों के वेतन के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर 112 तथा कोषागार नियम 22 का आंशिक शिथिलीकरण करते हुए महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा वेतन प्राधिकार पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।

7-अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नेता विरोधी दल/सदस्यों/अधिकारीगण (तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर) वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 पैरा 103 से सम्बन्धित अनुलग्नक में उल्लिखित किसी शिड्यूल्ड बैंक में, जिन्होंने उक्त नियम, में निर्धारित जनरल बाण्ड आफ इण्डेमिनिटी भर रखा हो, अपना खाता खुलवा लेंगे तथा बैंक का नाम, स्थान/पता व खाता संख्या, अनुसचिव एवं लेखाधिकारी, विधान सभा, उत्तर प्रदेश को सूचित करेंगे। जिनका खाता ऐसे बैंकों में पहले से ही है उन्हें पुनः या खाता इस कार्य हेतु खुलवाना आवश्यक नहीं होगा परन्तु उक्त सूचना उन्हें अनु सचिव एवं लेखाधिकारी, विधान सभा को देनी होगी।

8-समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश, संबंधित व्यक्तियों, जिनकी सूची उन्हें अलग से दी जायेगी, का अन्तिम वेतन प्रमाण-पत्र अनुसचिव एवं लेखाधिकारी, विधान सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजेंगे।

9-इस प्रणाली के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय के चेक कोषाधिकारी, लखनऊ द्वारा लेखा शीर्षक ''870-चेक्स एवं बिल विभागीय चेक्स-विधान सभा सचिवालय के चेक्स'' के नाम डाले जायेंगे और पेमेन्ट लिस्ट में तद्नुसार अंकित होंगे। बाद में विधान सभा सचिवालय द्वारा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को संकलित लेखा प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त व्यय अन्ततः लेखा शीर्षक ''211-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिये विधान मण्डल-क-विधान सभा (असेम्बली) मतदेय/भारित'' तथा ''ग-विधान मण्डल सचिवालय (1) विधान सभा'' के अन्तर्गत व्यय की सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

10-उपर्युक्त अनुच्छेद 3 में उल्लिखित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत व्यय चेक द्वारा किये जाने की प्रक्रिया को श्री एस0एम0 दत्ता, वरिष्ठ उपमहालेखाकार (टी0ए0डी0) के अर्धशासकीय पत्र संख्या-टी0एम-1 XII-410/432, दिनांक 27 जनवरी, 1981 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। अनुरोध है अब कृपया सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश तथा अनुसचिव एवं लेखाधिकारी, विधान सभा, उत्तर प्रदेश को चेक जारी करने के लिये प्राधिकृत करने का कष्ट करें।

11-वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5 के आवश्यक संशोधन बाद में जारी किये जायेंगे।

12-ये आदेश महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-टी0एम0-1 XII-410/463, दिनांक 18 फरवरी, 1981 एवं वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-एफ-ए-1-189/दस/81, दिनांक 4 मार्च, 1981 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सत्य प्रिय सिंह,
सचिव।

संख्या-906(i)वि0स0/202(ले)/77, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नेता विरोधी दल/सदस्यगण, उत्तर प्रदेश, विधान सभा।

2-समस्त अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश, विधान सभा।

3-समस्त अनुभाग, विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश।

4-कोषागार निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5-समस्त ट्रेजरी आफिसर, उत्तर प्रदेश।

6-समस्त सब-ट्रेजरी आफिसर, उत्तर प्रदेश।

7-चीफ जनरल मैनेजर, भारतीय स्टेट बैंक, कानपुर/दिल्ली।

8-समस्त मैनेजर, भारतीय स्टेट बैंक (जहां राजकीय भुगतान होता है)।

9-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

10-सचिव, वित्त विभाग/संसदीय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

11-वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-5/वित्त (लेखा) अनुभाग-1, 2, 3 वित्त (बजट) अनुभाग-1।

12-अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

13-लेखाधिकारी, कार्यालय अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

14-सचिव, रेलवे बोर्ड (रेलवे मंत्रालय) भारत सरकार, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली।

15-चीफ कामर्शियल सुपरिन्टेन्डेन्ट (रिफन्ड्स), उत्तर रेलवे/कश्मीरी गेट, नई दिल्ली।

16-डिप्टी चीफ एकाउन्ट्स आफिसर, ट्रेफिक एकाउन्ट्स आफिस, नार्दन रेलवे, किशनगंज, दिल्ली।

17-सुपरिन्टेन्डेन्ट, प्रिटिंग एण्ड स्टेशनरी (प्रेस) नार्दन रेलवे, शकूर बस्ती, नई दिल्ली।

18-महालेखाकार, उत्तर प्रदेश-2, 3।

आज्ञा से,

ब्रह्म नाथ टण्डन,

अनु सचिव एवं लेखाधिकारी।

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या : 1401/79-वि-1-16-1(क)-22-2016

लखनऊ, 16 सितम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) संशोधन विधेयक, 2016 पर दिनांक 14 सितम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-22 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अधिनियम, 2016

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-22 सन् 2016)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम — 1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

धारा-2 का संशोधन — 2-उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 जिसे एतद्पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-2 में,-

(क) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(क-1) 'मुख्य मंत्री' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से है।''

(ख) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(ग) 'परिवार' का तात्पर्य मुख्य मंत्री या किसी मंत्री के सम्बन्ध में उसके पति या उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई या बहन से है जो ऐसे मुख्य मंत्री या मंत्री के साथ रहते हों और उन पर पूर्णतया आश्रित हों;"

(ग) खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(ङ) 'मंत्री' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रि परिषद् के किसी सदस्य से है और इसके अन्तर्गत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राज्य मंत्री और उस राज्य के उप मंत्री भी हैं।"

3-मूल अधिनियम की धारा-3 में उपधारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :- धारा-3 का संशोधन

(1) मुख्य मंत्री, प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त चालीस हजार रुपये प्रति मास के वेतन के हकदार होंगे।

(2) प्रत्येक उप मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त पैंतीस हजार रुपये प्रति मास के वेतन का हकदार होगा।

4-मूल अधिनियम की धारा-4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :- धारा-4 का संशोधन

"4-(1) मुख्य मंत्री और प्रत्येक मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त और उसके पश्चात् पन्द्रह दिन की अवधि के लिए लखनऊ में निवास-स्थान का, किराये का भुगतान किये बिना, उपयोग करने के हकदार होंगे, जिसे विहित मानदण्ड के अनुसार सरकारी व्यय पर सुसज्जित और अनुरक्षित किया जायेगा।

(2) जहां मुख्य मंत्री या किसी मंत्री को उपधारा (1) के अनुसार निवास स्थान की व्यवस्था न की गयी हो, या वह उक्त उपधारा के लाभ का उपभोग न करे, वहां वह,-

(क) मुख्य मंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्री की स्थिति में दस हजार रुपये प्रति मास; और

(ख) उप मंत्री की स्थिति में, आठ हजार रुपये प्रति मास; की दर पर प्रतिकर भत्ता पाने का हकदार होगा।

(3) उत्तर प्रदेश के किसी पूर्व मुख्य मंत्री को उनके अनुरोध पर जीवनपर्यन्त, कोई सरकारी आवास, राज्य सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाने वाले मासिक किराये के भुगतान पर आवंटित किया जायेगा।''

धारा-5 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा-5 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

''(1) मुख्य मंत्री और प्रत्येक मंत्री को अपनी पदावधि में आद्योपान्त एक मोटर गाड़ी और उसे चलाने के लिए शोफर की व्यवस्था की जायेगी जिसका क्रय और अनुरक्षण सरकारी व्यय पर इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार किया जायेगा।''

धारा-6 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा-6 में,-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

''(1) मुख्य मंत्री और प्रत्येक मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में (स्थल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा) की गयी यात्रा हेतु अपने लिये उस दर पर और उन शर्तों पर, जो विहित की जाय, यात्रा भत्ता और फुटकर खर्च के हकदार होंगे।

(ख) उपधारा (2) को निकाल दिया जायेगा।

(ग) उपधारा (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

(3) मुख्य मंत्री और प्रत्येक मंत्री-

(क) पद ग्रहण करने के प्रयोजनार्थ लखनऊ से बाहर अपने सामान्य निवास स्थान से लखनऊ के लिये यात्रा करने के सम्बन्ध में; और

(ख) पद त्याग करने पर लखनऊ से लखनऊ के बाहर अपने सामान्य निवास स्थान तक यात्रा करने के सम्बन्ध में,

अपने लिये और अपने परिवार के सदस्यों के लिये और अपने तथा अपने परिवार के सामानों के परिवहन के लिये यात्रा-भत्ता के हकदार होंगे।

(4) उपधारा (1) से (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी मुख्य मंत्री या किसी मंत्री को धारा 5 में निर्दिष्ट मोटर गाड़ी या राज्य सरकार की किसी अन्य गाड़ी से की गयी यात्रा के लिये कोई यात्रा भत्ता संदेय नहीं होगा।''

7-धारा 7, 8, 9, 10, 11 और 12 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :- धारा 7, 8, 9, 10, 11 और 12 का संशोधन

''7-मुख्य मंत्री और प्रत्येक मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के संबंध में की गयी यात्राओं के दौरान किसी किराये या विद्युत प्रभार का भुगतान किये बिना राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित सर्किट हाउस, निरीक्षण गृह या अन्य विश्राम गृहों का प्रयोग करने के हकदार होंगे।

8-मुख्यमंत्री या प्रत्येक मंत्री और उसके परिवार के सदस्य राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित अस्पतालों में निःशुल्क आवास, उन सिद्धान्तों के अनुसार जो विहित किये जायं, चिकित्सा, परिचर्या और उपचार के हकदार होंगे।

9-जिस दिनांक से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री या मंत्री बनता है या नहीं रह जाता है, उसे गजट में अधिसूचित किया जायेगा और कोई ऐसी अधिसूचना इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह उस दिनांक से मुख्यमंत्री या मंत्री बना या नहीं रह गया।

10-मुख्यमंत्री सहित मंत्री अपनी पदावधि के दौरान, जिसके लिये वह वेतन और भत्ता आहरित करता है, मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से भिन्न कोई वृत्ति या व्यापार या पारिश्रमिक के लिये नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।

11-मुख्यमंत्री या प्रत्येक मंत्री जो यथास्थिति सभा या परिषद् का सदस्य हो, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 4, 9, 18 और अध्याय-आठ के अधीन उपलब्ध लाभों का उपभोग करता रहेगा।

12-मुख्यमंत्री या कोई मंत्री, किसी समय, ऐसे वेतन, भत्ता या अन्य सुविधाओं का, जिनका वह हकदार है, पूर्णतया या उसके किसी भाग का त्याग इस आशय की लिखित घोषणा द्वारा कर सकता है :

परन्तु ऐसा कोई त्याग उसी प्रकार किसी भी समय अग्रगामी प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।''

उद्देश्य और कारण

मंत्रीगण को अनुमन्य वेतन एवं भत्तों का बहुत समय से पुनरीक्षण नहीं किया गया है। अतः कीमतों में बढ़ोत्तरी एवं जीवन यापन के मूल्यों में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का संशोधन करके राज्य के मंत्रीगण के वेतन और शासकीय आवास उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में अनुमन्य प्रतिकर भत्ता को पुनरीक्षित किया जाय।

पूर्व मुख्य मंत्रियों की सुरक्षा की आवश्यकताओं के दृष्टिगत यह भी विनिश्चय किया गया है कि उनको शासकीय आवास आवंटित किये जाने के लिये उक्त अधिनियम में व्यवस्था की जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2016 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
रंगनाथ पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों का अनर्हता निवारण अधिनियम, 1951 ई0*

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1951 ई0)

उत्तर प्रदेशीय विधान सभा ने दिनांक 05 सितम्बर, 1951 ई0 तथा उत्तर प्रदेशीय विधान परिषद् ने दिनांक 11 सितम्बर, 1951 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

भारत संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 22 सितम्बर, 1951 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट मे दिनांक 28 सितम्बर, 1951 ई0 को प्रकाशित हुआ।

कुछ पदों के लाभ के पद होने के संशय को दूर करने के लिये एवं तत्सम्बन्धी पारिणामिक विषयों के सम्बन्ध में व्यवस्था करन के निमित्त

अधिनियम

क्योंकि यह आवश्यक है कि कुछ पदों के विषय में उनके लाभ का पद होने के संशय को दूर करने के लिए एवं तत्सम्बन्धी पारिणामिक विषयों के सम्बन्ध में व्यवस्था की जाय :

अतः निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) इस अधिनियम का नाम ''उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्यों का अनर्हता निवारण अधिनियम, 1951 ई'' होगा।

(2) यह अधिनियम 26 जनवरी, 1950 से प्रचलित हो गया समझा जायेगा।

परिभाषा

2-इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के विपरीत न होने पर ''प्रतिकर भत्ता'' (Compensatory allowance) का तात्पर्य यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता घर के किराया भत्ता या वाहन भत्ता, जिसके अन्तर्गत राज्य के व्यय पर दिया और रखा गया वाहन है, से है।

---

*उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 11 अगस्त, 1951 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

कुछ दशाओं में राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिये अनर्हता का निवारण।

3. इस अधिनियम में आगे चल कर उल्लिखित पदों के सम्बन्ध में संशय प्रकट किया गया है कि वे लाभ के पद हैं–

अतः उक्त संशय दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि निम्नलिखित पदों पर आसीन व्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 382 के अधीन निर्मित विधान मंडल के सदस्य होने के लिये अनर्ह नहीं होंगे और उक्त पदों के विषय में यह भी समझा जायगा कि उन पर होने के कारण उक्त व्यक्ति कभी अनर्ह नहीं थे :

(क) राज्य सरकार को परामर्श देने के लिये अवैतनिक पद,

(ख) किसी विशेष कर्तव्य पालन के लिए (for the performance of any special duty) अवैतनिक पद, या

(ग) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति के सभापति या सदस्यों के पद,

किन्तु इस सम्बन्ध में प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त पदों पर आसीन व्यक्तियों को इस विषय में प्रवत्त सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा केवल प्रतिकर भत्ता (Compensatory Allowance) ही मिलता रहा हो।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (राष्ट्रीय नियोजन ऋण) (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1954

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1954)

(उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 21 सितम्बर, 1954 ई0 तथा उत्तर प्रदेशीय विधान सभा ने दिनांक 21 अक्टूबर, 1954 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।)

(भारत संविधान ने अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 23 नवम्बर, 1954 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 26 नवम्बर, 1954 ई0 को प्रकाशित हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदस्यों को राष्ट्रीय नियोजन ऋण योजनाओं में अपना उचित योग देने के लिये समर्थ बनाने के निमित्त तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन उक्त प्रकार के योग देने के कारण उन्हें उत्पन्न होने वाली अनर्हता के विरुद्ध व्यवस्था करने का

अधिनियम

देश के उत्थान के निमित्त परियोजनाओं (Projects) को वित्तपोषित करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार ने नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट जारी करने की योजना (Scheme) प्रचलित की है;

इस राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में विधान मंडल के सदस्यों को अपना उचित योग देने के लिये समर्थ बनाने के निमित्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन उक्त प्रकार का योग देने के कारण (by so partaking) उन्हें उत्पन्न होने वाली अनर्हता के विरूद्ध तत्काल व्यवस्था करना आवश्यक है;

अतएव भारत के गणतंत्र के पांचवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (राष्ट्रीय नियोजन ऋण) (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1954 कहलायेगा।

(2) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

परिभाषायें

2-इस अधिनियम में विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर-

---

उद्‍देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 15 सितम्बर, 1954 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

(क) ''गवर्नमेंट सिक्योरिटी;; का वही अर्थ होगा जो इंडियन सिक्योरिटीज ऐक्ट, 1920 में उसे दिया गया है,

(ख) ''नेशनल प्लैन सर्टीफिकेट'' (राष्ट्रीय नियोजन प्रमाण-पत्र) में निम्नलिखित सम्मिलित हैः

(1) बारह वर्ष का नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट (12 Year's National Savings Certificates);

(2) दस वर्ष का नेशनल प्लैन सर्टीफिकेट (10 Year's National Plan Certificates);

(3) अन्य कोई बचत का प्रमाण-पत्र (Savings Certificate); या गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसे राज्य सरकार इस संबंध में विज्ञापित करें; और

(ग) ''राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है।

राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिय अनर्हतां का निवारण।

3-एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश विधान सभा अथवा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने के लिये और सदस्य रहने के लिये इस कारण अनर्ह (disqualified) नहीं होगा और न कभी अनर्ह हुआ समझा जायगा कि वह नेशनल प्लैन सर्टीफिकेट की, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में निश्चित कमीशन पर अथवा बिना ऐसे कमीशन के, बिक्री कार्यान्वित करने अथवा उनके निमित्त चन्दा एकत्रित करने के लिये अभिकर्ता (agent) है अथवा भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन इस प्रकार का अन्य पद ग्रहण किये हुये है।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1955

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 1955)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 13 सितम्बर, 1955 ई0 तथा उत्तर प्रदेशीय विधान परिषद् ने दिनांक 19 सितम्बर, 1955 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।]

[भारत संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 06 अक्टूबर, 1955 ई0 को स्वीकृति प्रदान की, और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 11 अक्टूबर, 1955 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

यह घोषित करने के लिये कि एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेन्स ऐक्ट, 1948, के अधीन स्थाापित एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेन्स कारपोरेशन के अथवा उसके अधीन संगठित किसी बोर्ड, कमेटी या कौंसिल के सदस्य का पद उस पर अव्यासीन व्यक्ति (holder thereof) को उत्तर प्रदेश विधान मंडल का सदस्य चुने जाने अथवा बने रहने के लिये अनर्ह (disqualify) न करेगा,

अधिनियम

यह घोषित करना आवश्यक है कि एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेन्स ऐक्ट, 1948, के अधीन स्थापित एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेन्स कारपोरेशन के अथवा उसके अधीन संगठित किसी बोर्ड, कमेटी या कौंसिल के सदस्य का पद उस पर अध्यासीन व्यक्ति (holder thereof) को उत्तर प्रदेश विधान मंडल का सदस्य चुने जाने अथवा बने रहने के लिये अनर्ह न करेगा;

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 15 सितम्बर, 1954 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1955 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा

(3) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

अनर्हता निवारण

2-एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि एम्प्लाइज स्टेट* इंश्योरेन्स ऐक्ट, 1948, के अधीन स्थापित एम्प्लाइज स्टेट इंश्योरेन्स कारपोरेशन के अथवा उक्त एक्ट के अधीन तथा अनुसार संगठित किसी बोर्ड, कमेटी या कौंसिल के सदस्य का पद उस पर अध्यासीन व्यक्ति को उत्तर प्रदेश विधान मंडल का सदस्य चुने जाने अथवा बने रहने के लिये अनर्ह (disqualify) न करेगा।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) अधिनियम, 1956

(उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 3, 1957)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 19 दिसम्बर, 1956 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 21 दिसम्बर, 1956 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।]

[भारत संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 14 जनवरी 1957 ई0 को स्वीकृति प्रदान की, और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 19 जनवरी, 1957 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

कुछ ऐसे लाभप्रद पदों के सम्बन्ध में यह घोषित करने के लिये कि उन पर अध्यासीन व्यक्ति उक्त पदों के कारण राज्य विधान मंडल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्ह न होंगे।

---

*उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 13 जून, 1955 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

अधिनियम

यह आवश्यक है कि कुछ लाभप्रद पदों के सम्बन्ध में यह घोषित किया जाय कि उन पर अध्यासीन व्यक्ति उक्त पदों के कारण राज्य विधान मंडल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्ह न होंगे;

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) अधिनियम, 1956 कहलायेगा।

(2) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिये अनर्हता का निवारण

2-एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित पदों के कारण उन पर अध्यासीन व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्हता न होगी और न कभी रही समझी जायगीः

(क) भारत सरकार के अधीन राज्य के मंत्री अथवा उपमंत्री अथवा संसदीय सचिव (Parliamentary Secretary) अथवा संसदीय अनुसचिव (Parliamentary under Secretary के पद;

(ख) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों के पद;

(ग) संसद के उप-प्रधान सचेतकों (Deputy Chief whips) के पद; तथा

(घ) रिजर्व ऐंड आग्जीलियरी एयर फोर्सेस ऐक्ट, 1952 के अधीन आग्जीलियरी एयर फ़ोर्स अथवा एयर डिफेंस रिजर्व की सदस्यता।*

*उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 17 दिसम्बर, 1956 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

THE U.P. MINISTERS AND MEMBERS (SALARIES AND ALLOWANCES) (AMENDMENT) BILL, 1957

A

BILL

To Provide for the salaries and allowances to be paid to the Ministers of State and for certain matters relating to members of the State Legislature.

WHEREAS it is expedient to provide for the salaries and allowances to be paid to the Ministers of State and for certain matters relating to Members of the State Legislature;

It is hereby enacted in the Eighth Year of the Republic of India as follows:

1. (1) this Act May be called the U.P. Ministers and Member's (Salaries and Allowances) (Amendment) Act, 1957,

(2) It Shall be deemed to have come into force on and From the ninth day of April, 1957.

Amendment of U.P. Act X of 1952.

2. In the U.P. Ministers and Deputy Ministers (Salaries and Allowances) Act, 1952.

(1) in Section 2, after clause (a), the following shall be added as a new clause (aa):

‘‘(aa) each Minister of State for U.P. a salary of rupees twelve hundred per mensem,’’

(2) in sub-section (1) of section 3, for the word ‘‘minister’’ the words ‘‘Minister and Minister of State’’ shall be *substituted*.

(3) in section 4-

(a) in Sub-section (1) for the word ‘‘Minister’’, the words ‘‘Minister and Minister of State’’ shall be *substituted*; and

(b) in Sub-section (3) for the word ''Minister'', the words ''Minister, Minister of State'' shall be *substituted*;

3. in the U. P. Legislative Chambers (Member's Emoluments) Act, 1952,-

Amendment of U.P. Act XII of 1952

(1) section 2-A shall be deleted; and

(2) for section 2-B, the following shall be *substituted*:

''2-B (a) Each member shall, without payment of rent be entitled to the use throughout the term of his office of accommodation at Lucknow in a building declared in that behalf by the State Government,

Free furnished accommodation for the use of memners

and where a residence as aforesaid is not provided, to a compensatory allowance at such rate as may be prescribed by rules.

(b) The State Government may make rules with respect to other charges arisinhg out of use of such a building''

4. in the U.P. State Legislature Officers, Ministers, Deputy Ministers, Parliamentary Secretaries and Member's (Salaries and Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1956-

Amendment of U.P. Act VIII of 1956

(1) in section 5 after the word ''Minister'', a comma and the words ''Minister of State'' shall be inserted: and

(2) in section 11 after the word ''Minister,'' wherever occurring, a comma and the words, ''Minister of State;'' shall be added.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Article 164 (5) of the Constitution provides that the salaries and allowances of Ministers shall be such as the Legislature of the State may from time to time by law determine. It is proposed that a Minister of State shall be paid a salary of Rs. 1,200 per mensem.

he shall also be entitled to such other facilities as are available to a Minister.

Opportunity has been utilized to delete section 2-A of the U.P. Legislative Chambers (Members' Emoluments) Act, 1952. This section contained pro-visions for travelling allowances for journeys by members during the session of a House. It has been considered advisable to delete this provision. section 2-B of the said Act has been amended to Make it clear that where a member is not provided with an accommodation at Government expenses he shall be entitled to a compensatory allowance at such rate as May be prescribed by rules.

the bill is being introduced with the above objects in view.

SAMPURNANAND
Chief Minister,
Uttar Pradesh.

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1961

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1961)

उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 28 फरवरी, 1961 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 14 मार्च, 1961 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

(भारत संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 17 मार्च, 1961 ई0 को स्वीकृति प्रदान की, और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 18 मार्च, 1961 ई0 को प्रकाशित हुआ।)

राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों और सभा सचिवों के वेतन तथा भत्तों और तत्सम्बन्धी विषयों से सम्बद्ध विधियों को संशोधित करने के लिये

अधिनियम

उ0प्र0 अधिनियम संख्या 11, 1952, उ0प्र0 अधिनियम संख्या 10, 1952, उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1956, उ0प्र0 अधिनियम संख्या 4, 1960,

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 ई0, उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उपमंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, 1952 ई0 तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, 1956 को कतिपय प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिये गवर्नर द्वारा 10 दिसम्बर, 1960 को* उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारी, मंत्री, उप मंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश, 1960 प्रख्यापित किया गया था,

---

उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 20 फरवरी, 1961 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

और यह इष्टकर तथा आवश्यक है कि उक्त अध्यादेश जो, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 213 (2) (क) के अधीन विधान मण्डल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगा, विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाय,

एतएव भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः

संक्षिप्त शीर्षनाम

1-अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारी, मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिव (के वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम,1961 कहलायेगा।

उ0प्र0 अधिनियम संख्या 11, 1952, की धारा 2,3 तथा 4 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 ई0 में-

(1) धारा 2 में शब्द '' बारह सौ रुपये मासिक का शुद्ध (नेट) वेतन दिया जायगा जिसमें इंडियन इन्कम टैक्स ऐक्ट, 1922 ई0 के अनुसार लिये जाने वाले आय-कर सम्मिलित नहीं होंगे'' के स्थान पर शब्द ''एक हजार रुपया मासिक वेतन दिया जायेगा'' रख दिये जायं;

(2) धारा 3 में शब्द ''सात'' के सथान पर शब्द ''छह'' रख दिया जाय; तथा

(3) धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः

''4-अध्यक्ष और सभापति में प्रत्येक को लखनऊ में उनकी पूरी पदावधि पर्यन्त तथा उत्तर प्रदेश के किसी ऐसे अन्य स्थान पर भी; और ऐसी अवधि के लिए जिन्हें राज्य सरकार इस सम्बन्ध में बनाये जाने वाले नियमों द्वारा नियत करे, बिना किराये का सुसज्जित निवासस्थान पाने का भी अधिकार होगा। उक्त निवासस्थान का रख-रखाव सार्वजनिक व्यय से ऐसे मान (scale) अथवा मानों के अनुसार होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये जाने वाले नियमों द्वारा नियत किये जायं।''

3–उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप–मंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, 1952 ई0 में– उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 10, 1952, की धारा 2 तथा 3 का संशोधन

(1) धारा 2 में–

(एक) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय–

''(क) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मंत्री तथा राज्य–मंत्री को एक हजार रुपया मासिक वेतन दिया जायगा।

(दो) खंड (कक) निकाल दिया जाय, और

(तीन) खंड (ख) में शब्द ''सात'' के स्थान पर शब्द ''छह'' रख दिया जाय; तथा

(2) धारा 3 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः–

''(1) प्रत्येक मंत्री तथा राज्य मंत्री को, लखनऊ में उनकी पूरी पदावधि पर्यन्त तथा उत्तर प्रदेश के किसी अन्य ऐसे स्थान पर भी और ऐसी अवधि के लिये, जिन्हें राज्य सरकार इस संबंध में बनाये जाने वाले नियमों द्वारा नियत करे, बिना किराये का सुसज्जित निवास–स्थान पाने का भी अधिकार होगा। उक्त निवास–स्थान का रख–रखाव सार्वजनिक व्यय से ऐसे मान (scale) अथवा मानों के अनुसार होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये जाने वाले नियमों द्वारा नियत किये जायं।''

4–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप–मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, 1956 में– उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8, 1956, की धारा 3 तथा 4 का संशोधन

(1) धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः

3-(1) सभा सचिव को कोई वेतन नही दिया जायगा, परन्तु सार्वजनिक कार्य के संबंध में उनके लखनऊ में ठहरने की अवधि के लिये उन्हें उतना दैनिक भत्ता दिया जा सकता है जितना राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये जाने वाले नियमों द्वारा नियत किया जायः

सभा सचिवों के भत्ते

प्रतिबन्ध यह है कि 7 दिसम्बर, 1960 के पश्चात् नियुक्त सभा सचिव, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा अथवा उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य हो, सभा सचिव के रूप में अपनी नियुक्ति के दिनांक से, वही वेतन, जो उसे उक्त सदस्य के रूप में उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, 1952 के अधीन देय था, प्राप्त करने का उसी प्रकार अधिकारी बना रहेगा मानों यह प्रतिबन्धात्मक खंड 7 दिसम्बर, 1960 से प्रभावी रहा हो भले ही उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 में इसके विपरीत कोई बात हो।

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1952 ई0

(2) प्रत्येक सभा सचिव अपने कार्यकाल की पूरी अवधि में, ऐसे परिणाम में, जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में की जायगी, सज्जित (furnished) लखनऊ में बिना किराया दिये एक निवास स्थान के उपयोग का अधिकारी होगा और ऐसे समय तक, जिसमें पूर्वोक्त निवास स्थान की व्यवस्था न की जाय, एक सौ रुपये मासिक प्रतिकर भत्ता (Compensatory Allowance) पाने का अधिकारी होगा'; और

(2) धारा 4 की उपधारा (1) निकाल दी जाय।

उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 4, 1960 का निरसन यू0पी0 ऐक्ट संख्या 1, 1904

5-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री, उप-मंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश, 1960, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा यू0पी0 जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1904 की धारा 6 तथा 24 के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों वह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त और पुनः अधिनियमित (enactment) हो।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों को उपलब्धियों का) (संशोधन) अधिनियम, 1964

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1964)

उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 28 मार्च, 1964 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 31 मार्च, 1964 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया।

('भारत संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 22 जून, 1964 ई0 को स्वीकृति प्रदान की, तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 26 जून, 1964 ई0 को प्रकाशित हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, 1952 का संशोधन करने के लिये — उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1952,

अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त शीर्षनाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का संशोधन) अधिनियम, 1964 कहलायेगा और 01 अप्रैल, 1964 से लागू समझा जायगा।

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1952, की धारा 2 का प्रतिस्थापन

2-उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, 1952 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित नयी धारा रख दी जाय:-

रेल द्वारा निःशुल्क यात्रा और यात्रिक तथा दैनिक भत्ता

2-(1) उत्तर प्रदेश विधान सभा या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के प्रत्येक ऐसे सदस्य को, जो मंत्री, अध्यक्ष, सभापति, उपमंत्री, उपाध्यक्ष, उपसभापति या सभा सचिव (पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी) के पद पर आसीन न हो, नियमों द्वारा नियत की जाने वाली रीति तथा दिनांक* से प्रथम श्रेणी के निःशुल्क असंक्रमणीय कूपन दिये जायेंगे जिनसे वह उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर किसी भी रेल द्वारा किसी भी समय यात्रा करने का अधिकारी होगा;

---

*उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया हिन्दी संस्करण में दिनांक 30 मार्च, 1964 ई0 तथा अंग्रेजी संस्करण में दिनांक 31 मार्च, 1964 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिए।

(2) ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो नियमों द्वारा नियत किये जायें, उपधारा (1) में अभिदिष्ट प्रत्येक सदस्य, सदस्य होने के नाते अपने कर्तव्य तथा कार्य के संबंध में अपेक्षित अपनी उपस्थित के निमित्त निम्नलिखित के पाने का अधिकारी होगाः-

(1) रेल द्वारा की गयी प्रत्येक यात्रा के लिए आनुषंगिक व्यय, जो प्रथम श्रेणी के रेल के किराये के बराबर होगा और सड़क द्वारा ऐसे स्थानों के बीच जो रेल द्वारा संयोजित न हों, की गयी यात्राओं के लिए, प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों को मिलने वाली दर से मील भत्ता (माइलेज); और

(2) दैनिक भत्ता जो पन्द्रह रुपये की दर से होगाः

प्रतिबन्ध यह है कि जब तक उपधारा (1) के अधीन किसी सदस्य को रेल के निःशुल्क कूपन नहीं दिये जाते तक तक वह अपनी पूर्वोक्त उपस्थिति के निमित्त निम्नलिखित के पाने का अधिकारी होगाः-

(1) यात्रिक भत्ता जो विमान या रेल द्वारा की गयी प्रत्येक यात्रा के लिए रेल के प्रथम श्रेणी के किराये का दूना होगा और सड़क यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों को मिलने वाली दर से मील भत्ता (माइलेज); और

(2) दैनिक भत्ता जो पन्द्रह रुपये की दर से होगा।

उ0प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1952, की धारा 2-ख का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 2-ख में-

(1) उपधारा (1) में शब्द तथा अंक ''धारा 2'' के स्थान पर शब्द तथा अंक ''धारा 2 की उपधारा (1) '' रख दिये जायें; और

(2) उपधारा (2) में शब्द ''व्यवस्थित आवास के प्रयोग के कारण होने वाला व्ययों'' के स्थान पर शब्द ''विद्युत उपभोग के व्ययों की दशा में, सदस्यों द्वारा, और व्यवस्थित आवास के प्रयोग के कारण होने वाले किन्हीं अन्य व्ययों की दशा में राज्य सरकार द्वारा भुगतान किये जाने'' रख दिये जायें।

4-मूल अधिनियम की धारा 3 में- उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1952, की धारा 3 का संशोधन

(1) उपधारा (1) में शब्द ''दो सौ'' के स्थान पर शब्द ''तीन सौ'' रख दिये जायें; और

(2) उपधारा (2) में शब्द ''उपर्युक्त'' निकाल दिया जाय।

5-मूल अधिनियम की धारा 5 में- उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 12, 1952, की धारा 5 का संशोधन

(1) उपधारा (1) में, अग्रेजी प्रति में, शब्द ''the purposes of carrying into effect the provisions'' के स्थान पर शब्द ''carrying out the purposes'' रख दिये जायें; और

(2) उपधारा (2) में खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित नये खण्ड बढ़ा दिये जायेंः-

''(घ) रेल के निःशुल्क कूपनों की व्यवस्था से संबद्ध विषय, जिसके अन्तर्गत उनका उपयोग और वापस करना भी है;

(ङ) आवास के वर्गीकरण और ऐसे आवास का प्रयोग करने के कारण होने वाले व्ययों का भुगतान करने से संबद्ध विषय।''

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अध्यादेश, 1967

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1, 1967)

(उत्तर प्रदेश के गवर्नर महोदय ने ''भारत के संविधान'' के अनुच्छेद 213 (1) के अन्तर्गत दिनांक 20 अक्टूबर, 1967 को प्रचारित किया और दिनांक 20 अक्टूबर, 1967 के उतर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ।)

शासन के अन्तर्गत कुछ लाभप्रद पदों के सम्बन्ध में यह घोषित करने के लिए कि उन पर अध्यासित व्यक्ति उन पदों के कारण राज्य विधान मण्डल के सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए अनर्ह न होंगे

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल का सत्र नहीं हो रहा है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैंः-

संक्षिप्त नाम

1-यह अध्यादेश उत्त प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अध्यादेश, 1967 कहलायेगा।

परिभाषाएं

2-जब तक प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्यादेश में-

(क) 'प्रतिकर भत्ता' का तात्पर्य किसी पदधारी को दैनिक भत्ता, सवारी भत्ता, गृह किराया भत्ता या यात्रा भत्ता के रूप में इस प्रयोजन से देय धनराशि से है जिससे कि वह उक्त पद के कृत्यों का सम्पादन करने में अपने द्वारा किए गए व्यय की पूर्ति कर सके, ऐसे भत्ते न तो उन दरों से अधिक हों और न

उन शर्तो से अधिक अनुकूल शर्तो पर ग्राह्य हों जो संविधान के अनुच्छेद 195 के अधीन बनाए गए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रयोज्य हों;

(ख) 'परिनियत निकाय' का तात्पर्य किसी निगम, समिति, आयोग, परिषद, बोर्ड या व्यक्तियों के अन्य निकाय से है, चाहे वह निगमित हो या न हो, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित हों;

(ग) 'अपरिनियत निकाय' का तात्पर्य किसी परिनियत निकाय से भिन्न व्यक्तियों के निकाय से है;

(घ) 'राज्य' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है।

कुछ लाभप्रद पद अनर्ह न करेंगे

3-एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित में से कोई पद, जहां तक वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत कोई लाभप्रद पद हों, उसके धारक को राज्य विधान मण्डल का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए न तो अनर्ह करेगा और न कभी भी अनर्ह किया गया समझा जायगा, अर्थात्-

ऐक्ट संख्या 31, 19

(क) संघ या राज्य के किसी राज्य मंत्री या उपमंत्री का पद अथवा किसी मन्त्री के सभा सचिव का पद;

ऐक्ट संख्या 31, 19

(ख) नेशनल केडेट कोर ऐक्ट, 1948, टेरिटोरियल आर्मी ऐक्ट, 1948 या रिजर्व ऐंड आग्जीलियरी एयर फोर्सेस ऐक्ट, 1952 के अधीन संग्रहीत या अनुरक्षित किसी दल के किसी सदस्य का पद'

ऐक्ट संख्या 56, 19

(ग) जब कि संविधान के अनुच्छेद, 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, भारतीय स्थल सेना, भारतीय वायु सेना या भारतीय नौ सेना या रक्षित दल के किसी अधिकारी का पद, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, या नागरिक सुरक्षा सेवा के किसी सदस्य का पद;

ऐक्ट संख्या 62, 19

(घ) उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स अधिनियम, 1963 के अधीन संघटित होम गार्डों के किसी सदस्य का पद;

उत्त प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1963

(ङ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अथवा राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन संघटित किसी ग्राम सुरक्षा दल (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय) में कोई पद;

उत्त प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1963

(च) किसी विश्वविद्यालय के सिंडिकेट, सेनेट, कार्यकारिणी समिति, परिषद् या कोर्ट अथवा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी अन्य निकाय के या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था को प्रबन्ध समिति, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(छ) किसी विशेष प्रयोजन के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा भारत के बाहर भेजे गए किसी प्रतिनिधि मण्डल या शिष्ट मण्डल के सदस्य का पद;

(ज) लोक महत्व के किसी विषय के सम्बन्ध में भारत सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को सलाह देने के लिए या किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में जांच करने अथवा आंकड़े संग्रहीत करने के लिए अस्थायी रूप से बनाई गयी किसी समिति के (चाहे उसमें एक सदस्य या अधिक सदस्य हों) अध्यक्ष या सदस्य अथवा सचिव का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो;

ऐक्ट संख्या 43, 1951

(झ) रिप्रिजेंटेशन आफ दि पीपुल ऐक्ट, 1951 को धारा 10 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए खण्ड (ज) में अभिदिष्ट किसी ऐसे निकाय से भिन्न किसी परिनियत या अपरिनियत निकाय के अध्यक्ष, निदेशक, सदस्य या सचिव का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार न हो;

(ञ) किसी ग्राम राजस्व अधिकारों का पद, चाहे उसे लम्बरदार, प्रधान, सरग्रेह, मालगुजार, ग्राम सयाना, खात सयाना के नाम से या किसी अन्य नाम से पुकारा जाय, जिसका कार्य मालगुजारी वसूल करना हो और जिसे उनके द्वारा वसूल की गयी मालगुजारी का अंश या कमीशन द्वारा पारिश्रमिक दिया जाय, किन्तु जो पुलिस के किन्हीं कृत्यों को न करता हो;

(ट) इंडियन सिक्यूरिटीज ऐक्ट, 1920 में यथा परिभाषित सरकारी प्रतिभूतियों या भारत सरकार द्वारा जारी किए गए किन्हीं बचत प्रमाण-पत्रों को बिक्री के लिए अथवा उसके अंशदानों के संग्रेहण के लिए किसी एजेन्ट का (कमीशन पर या बिना कमीशन पर) पद, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय; ऐक्ट संख्या 10, 1920

(ठ) संविधान के अनुच्छेद 31-क के खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) के अधीन बनाई गयी विधि के अन्तर्गत सीमित अवधि के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अपने अधिकार में ली गयी किसी सम्पत्ति के प्रबन्ध के लाभप्रद पद, जब वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धृत हो जो इस प्रकार उक्त सम्पत्ति के अधिकार में लिये जाने के पूर्व उसके प्रबन्ध के सम्बन्ध में सेवायोजित किया गया हो;

(ड) कोई पद जो किसी विशेष कर्तव्य का पालन करने के पूर्णकालिक पद न हो, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकर भत्ता से भिन्न पारिश्रमिक का हकदार न हो।

स्पष्टीकरणः-इस धारा के लिए अध्यक्ष या सचिव के पद के अन्तर्गत उसी प्रकार के सभी पद होंगे, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाय।

4-निम्नलिखित अधिनियम एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं:- निरसन

(1) दि यूनाटेड प्राविंसेज लेजिस्लेटिव मेम्बर्स रिमूवल आफ डिस-क्वालिफिकेशन्स ऐक्ट, 1940; यू0पी0 ऐक्ट संख्या 7,

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1950 ई0

(2) 1950 ई0 का उत्तर प्रदेश सभा सचिव (अयोग्यता निवारण) अधिनियम;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1951 ई0

(3) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों का (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1951;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1952 ई0

(4) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1952;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1952 ई0

(5) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) (द्वितीय) अधिनियम, 1952;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20, 1953 ई0

(6) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) अधिनियम, 1953;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1954 ई0

(7) उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सदस्य (राष्ट्रीय नियोजन ऋण) (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1954;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, 1955 ई0

(8) उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1955;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35, 1956 ई0

(9) उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सदस्य (जीवन बीमा) (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1956;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1957 ई0

(10) उत्तर प्रदेश विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) अधिनियम, 1956;

बी0 गोपाल रेड्डी,

राज्यपाल,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 3222, सत्रह-वि-1--54-75

लखनऊ, 14 अगस्त, 1975

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1975 पर दिनांक 13 अगस्त, 1975 ई0 की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) अधिनियम, 1975

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1975)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, 1952 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

(2) यह 15 अगस्त, 1975 से प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1952 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, 1952 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा जायेगा, की धारा 2 में,--

(1) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक रख दिये जायें, अर्थात-

"परन्तु ऐसा सदस्य उक्त कूपनों का नियमों द्वारा नियत की जाने वाली रीति से रेल यात्रा में अपने साथ एक सहकर्मी ले जाने के लिये भी निम्नलिखित दशाओं में प्रयोग कर सकता है :-

(क) यथास्थिति, विधान सभा अथवा विधान परिषद के प्रत्येक सत्र में दो से अनधिक बार अपने निवास स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन से लखनऊ तक आने के लिए और लखनऊ से ऐसे रेलवे स्टेशन तक वापस जाने के लिये;

(ख) किसी महिला सदस्य द्वारा ऐसी यात्राओं के लिए, जो उसके द्वारा सदस्य होने के नाते अपने कर्तव्यों तथा कृत्यों के सम्बन्ध में अपेक्षित अपनी उपस्थिति के निमित्त एवं ऐसी उपस्थिति के बाद निवास स्थान को वापसी के निमित्त की जायें;

अग्रेतर ऐसा सदस्य उक्त कूपनों का, नियमों द्वारा नियत की जाने वाली रीति से रेल यात्रा में अपने साथ अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी उत्तर प्रदेश के बाहर रेल यात्रा में (जिसमें ऐसी रेल यात्रा के क्रम में की गयी उत्तर प्रदेश के भीतर की दूरियां भी शामिल होंगी) ले जाने के लिये इस शर्त के अधीन प्रयोग कर सकता है कि उसके एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की गयी यात्राओं की दूरी को सम्मिलित कर इस प्रकार की कुल दूरी 10,000 कि0मी0 प्रति वर्ष की उपर्युक्त अधिकतम सीमा के भीतर होगी।

(2) उपधारा (1-क) के पश्चात् किन्तु स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाय, अर्थात्--

"परन्तु ऐसा सदस्य उक्त कूपनों का, नियमों द्वारा नियत की जाने वाली रीति से, रेल यात्रा में अपने साथ अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी उत्तर प्रदेश के बाहर रेल यात्रा में (जिसमें ऐसी रेल यात्रा के क्रम में की गयी उत्तर प्रदेश के भीतर की दूरियां भी शामिल होंगी) ले जाने के लिये इस शर्त के अधीन प्रयोग कर सकता है कि उसके एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की गयी यात्राओं की दूरी को सम्मिलित कर इस प्रकार की कुल दूरी 10,000 कि0मी0 प्रति वर्ष की उपर्युक्त अधिकतम सीमा के भीतर रहेगी।"

(3) उपधारा (2) में-

(क) खण्ड (1) में शब्द "प्रत्येक यात्रा के लिये" के स्थान पर शब्द "उक्त प्रयोजनों के निमित्त, यात्राओं के लिये, अर्थात् यथास्थिति, विधान सभा अथवा विधान परिषद् के प्रत्येक सत्र में अथवा उसकी किसी समिति की बैठक में भाग लेने के लिये, केवल प्रथम बार लखनऊ आने के लिये और केवल अन्तिम बार अपने निवास स्थान वापस जाने के लिये" रख दिये जायें।

(ख) खण्ड (2) तथा दोनों परन्तुक निकाल दिये जायं।

(4) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्--

"(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य, जो नेता विरोधी दल से भिन्न हो, पांच सौ पचास रुपये प्रति मास का समेकित प्रतिकर भत्ता (जिसके अन्तर्गत सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों या कृत्यों के सिलसिले में अपेक्षित अपनी उपस्थिति के सम्बन्ध में रेल, सड़क या वायुयान द्वारा किसी यात्रा के लिये उपधारा (2) में निर्दिष्ट

आनुषंगिक व्यय को छोड़कर कोई और आनुषंगिक व्यय और दैनिक भत्ता और किसी भी प्रकार के अन्य सभी व्यय भी सम्मिलित है) राज्य विधान मण्डल के सदन की या उसकी किसी समिति की, जिसका वह सदस्य हो, किसी बैठक में प्रत्येक दिन की अनुपस्थिति के लिए पन्द्रह रुपया की कटौती की शर्तें के अधीन, पाने का हकदार होगा।"

धारा 2-ख का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 2-ख में शब्द "आवास के उपयोग" के स्थान पर शब्द "नियमों द्वारा नियत स्तर के सुसज्जित आवास का उपयोग" रख दिये जायं तथा अंक तथा शब्द "रु0 90 प्रतिमास" के स्थान पर अंक तथा शब्द ''रु0 150 प्रतिमास'' रख दिये जायं।

No. 3222(2)/XVII-V-1-54-75

Dated Lucknow, August 14, 1975

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vidhan Mandal (Sadasyonki Upladhiyon Ka) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1975 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 1975) as passed by the Uttar Pradesh Legislature assented to by the Governor on August 13, 1975:

THE UTTAR PRADESH LEGISLATIVE CHAMBERS (MEMBERS EMOLUMENTS) (AMENDMENT) ACT, 1975

[U.P. Act no. 23 of 1975]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature)*

An

ACT

Further to amend the U.P. Legislative Chambers (Member's Emoluments) Act, 1952.

It is HEREBY enacted in the Twenty-sixth year of the Republic of India, as follows--

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Legislative Chambers (Members Emoluments) (Amendment) Act, 1975. Short title and commencement

(2) It shall come into force on August 15, 1975.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Legislative Chambers (Member's Emoluments) Act, 1952, hereinafter referred to as the principal Act-- Amendment of section 2 of U.P. Act XII of 1952

(1) *After* sub-section (1), the following proviso shall be *inserted*, namely--

"Provided that such member may, in such manner as may be prescribed by rules, use the said coupons, for journey by rail, also for taking with himself one companion in the following cases--

(a) for each session of the Legislative Assembly or the Legislative Council, as the case may be, not more than twice for coming to Lucknow from the railway station nearest to the place of his residence and going back from Lucknow to such railway station;

(b) for such journey, as is performed, by a woman member for her attendance required in connection with her duties and functions as such member and for return, after such attendance to her place of residence:

Provided further that such member may, in such manner as may be prescribed by rules, use the said coupons for taking with him other members of his family also in journeys by rail outside Uttar Pradesh (inclusive of the distance within Uttar Pradesh covered in continuation of

such journey by rail), so, however, that such distance in the aggregate including the distance of journey by him and by the members of his family, shall be subject to the aforesaid maximum, limit of 10,000 kilometres per year;"

(2) *After* sub-section (1-A), but before the Explanation thereto, the following proviso shall be substituted, namely--

"Provided further that such member may, in such manner as may be prescribed by rules, use the said coupons for taking with him other members of his family also in journeys by rail outside Uttar Pradesh (inclusive of the distance within Uttar Pradesh covered in continuation of such journey by rail), so, however, that such distance in the aggregate including the distance of journey by him and by the members of his family, shall be subject to the aforesaid maximum, limit of 10,000 kilometres per year;"

(3) In sub-section (2),–

(a) in clause (i) *for* the words "for every journey", the words for journeys for the said purposes, namely, for attendance in each session of the Legislative Assembly or Legislative Council as the case may be, or at sittings of any Committee thereof, only for coming to Lucknow in the first instance and for going back to his residence the last time" shall be *substituted;*

(b) clause (ii) and both the provisos and Explanation thereof shall be omitted;

(4) *After* sub-section (2), the following sub-section shall be inserted namely--

"(3) Every member referred to in sub-section (1), other than the Leader of the Opposition, shall be entitled to a consolidate compensatory allowance [inclusive of incidental charges, if any other than incidental charges referred to in sub-section (2), for any journey by rail, road or air, and daily allowance and all other expenses whatsoever in respect of his attendance required in connection with his duties or functions as such member] of five hundred and fifity rupees per month subject to a deduction of fifteen rupees for each day of absence from a sitting of the House of the State Legislature or a Committee thereof, of which he is a member."

Amendment of section 2-B

3. In section 2-B of the Principal Act, *for* the words "the use of accommodation", the words "the use of accommodation furnished on the scale prescribed by the rules" shall be *substituted,* and *for* the words and figures Rs. 90 per month", the words and figures "Rs. 150 per month" shall be *substituted.*

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 3222, सत्रह-वि-1--54-75

लखनऊ, 28 अगस्त, 1975

शुद्धि-पत्र

दिनांक 14 अगस्त, 1975 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में विधायिका अनुभाग-1 की उसी दिनांक की विज्ञप्ति संख्या 3222/सत्रह-वि-1-54-75 के अन्तर्गत प्रकाशित उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का (संशोधन) अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1975) के अंग्रेजी संस्करण में धारा 2 की उपधारा (3) के खण्ड (b) की प्रथम पंक्ति में शब्द "the provisos and explanation therof" के स्थान पर शब्द "the provisos thereof" पढ़े जायं।

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2386/सत्रह-वि-1--83-76

लखनऊ, 21 मई, 1976

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर दिनांक 19 मई, 1976 ई0 की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) अधिनियम, 1976

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1976)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, 1952 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।

(2) धारा 2 के खण्ड (3) और (4), धारा 3 और धारा 4, 01 अप्रैल, 1976 से प्रवृत्त समझी जायेगी और शेष उपबन्ध तत्काल प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1952 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, 1952 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा जायेगा, की धारा 2 में,-

(1) उपधारा (1) में-

(क) अंक तथा शब्द "10,000 किलो मीटर" के स्थान पर अंक तथा शब्द "15,000 किलो मीटर" तथा शब्द, "निःशुल्क असंक्रमणीय कूपन या पास भी दिये जायेंगे जिससे वह उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर किसी भी समय उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज द्वारा उच्चतर श्रेणी, यदि कोई हो, से यात्रा करने का अधिकारी होगा" के स्थान पर शब्द "निःशुल्क अंसक्रमणीय पास भी दिये जायेंगे जिससे वह उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर किसी भी समय उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस द्वारा

उच्चतर श्रेणी में, यदि कोई हो, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन देय यात्री कर का भुगतान किये बिना यात्रा करने का अधिकारी होगा" रख दिये जायेंगे।

(ख) द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात्--

"परन्तु यह और कि ऐसा सदस्य उक्त रेल यात्रा कूपनों का, नियत की जाने वाली रीति में, रेल यात्रा में अपने साथ अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर रेल यात्रा में ले जाने के लिए प्रयोग कर सकता है, किन्तु इस प्रकार कुल दूरी, जिसमें उसके द्वारा उत्तर प्रदेश के बाहर और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा, चाहे वह उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर हो, की गयी यात्रा की दूरी सम्मिलित है, 15,000 किलोमीटर प्रतिवर्ष की उपर्युक्त अधिकतम सीमा के भीतर रहेगी।";

(2) उपधारा (1-क) में, परन्तुक और स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक और स्पष्टीकरण रख दिये जायेंगे, अर्थात्--

"परन्तु ऐसा सदस्य उक्त रेल यात्रा कूपनों का, नियम की जाने वाली रीति से, रेल यात्रा में अपने साथ अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर रेल यात्रा में ले जाने के लिए प्रयोग कर सकता है, किन्तु इस प्रकार कुल दूरी, जिसमें उसके द्वारा उत्तर प्रदेश के बाहर और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा, चाहे वह उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर हो, की गयी यात्रा की दूरी सम्मिलित है, 15,000 किलोमीटर प्रति वर्ष की उपर्युक्त अधिकतम सीमा के भीतर रहेगी।

स्पष्टीकरण--उपधारा (1) और उपधारा (1-क) के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश के बाहर रेल द्वारा यात्रा की दूरी की गणना में, उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित किन्हीं दो रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी निकाल दी जायेगी।";

(3) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप धारा रख दी जायेगी, अर्थात्--

"(2) ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो नियम की जायं, उपधारा (1) में अभिदिष्ट प्रत्येक सदस्य, सदस्य होने के नाते अपने कर्तव्य तथा कार्य के सम्बन्ध में अपेक्षित अपनी उपस्थिति के लिए निम्नलिखित के पाने का अधिकारी होगा :-

(i) उक्त प्रयोजनों के निमित्त, यात्रा के लिए, अर्थात यथास्थिति विधान सभा या विधान परिषद् के प्रत्येक सत्र में या उसकी किसी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए, किसी एक कलेंडर मास में दो बार से अनधिक केवल बैठक के स्थान पर आने के लिए और अपने निवास स्थान वापस जाने के लिए, आनुषंगिक व्यय; और

(ii) पन्द्रह रुपये की दर से दैनिक भत्ता, परन्तु नेता विरोधी दल को कोई भी दैनिक भत्ता देय न होगा।

स्पष्टीकरण--इस अधिनियम में, 'पदावलि' "नेता विरोधी दल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विधान सभा के ऐसे सदस्य से है जिसे अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा तत्समय इस रूप में अभिज्ञात किया गया हो।";

(4) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप धारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

"(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य, जो नेता विरोधी दल से भिन्न हो, तीन सौ पचास रुपये प्रति मास का समेकित प्रतिकर भत्ता [जिसके अन्तर्गत सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों या कृत्यों के सिलसिलें में अपेक्षित अपनी उपस्थिति के सम्बन्ध में रेल, सड़क या वायुयान

द्वारा किसी यात्रा के लिये उपधारा (2) में निर्दिष्ट आनुषंगिक व्यय को छोड़कर कोई और आनुषंगिक व्यय, और दैनिक भत्ता और किसी भी प्रकार के अन्य सभी व्यय भी सम्मिलित है] राज्य विधान मण्डल के सदन की या उसकी किसी समिति की, जिसका यह सदस्य हो, किसी बैठक में प्रत्येक दिन की अनुपस्थिति के लिए दस रुपये की कटौती की शर्त के अधीन, पाने का हकदार होगाः

परन्तु ऐसी परिस्थितियों में और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो नियम की जायं, अनुपस्थिति के लिए कोई कटौती नहीं की जायेगी।

(4) उपधारा (1) में उल्लिखित प्रत्येक सदस्य उस उपधारा में उल्लिखित बस पास का अपने साथ एक सहवर्ती ले जाने के लिये भी प्रयोग कर सकता है।"

(5) अंक तथा शब्द "10,000 किलोमीटर" जहां-जहां आयें हो, के स्थान पर अंक तथा शब्द "15,000 किलोमीटर" रख दिये जायं।

धारा 2-ख का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 2-ख में--

(1) उपधारा (1) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाय, अर्थात् :-

"परन्तु जब व्यवस्थित आवास 'ख' श्रेणी का हो या जब किसी आवास की व्यवस्था न की जाय तो सदस्य को प्रतिकर भत्ता दिया जायेगा जो प्रथमोक्त दशा में 55 रुपये प्रतिमास की दर से और उपरोक्त की दशा में 150 रुपये प्रतिमास की दर से होगा।";

(2) उपधारा (2) के अन्त में शब्द "और उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रवर्तन में आने के तत्काल पूर्व प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, ऐसे नियम विधान मण्डल के सभी सदस्यों के सम्बन्ध में बनाये जा सकते हैं।"; जोड़ दिये जायं।

4–मूल अधिनियम की धारा 2–ग के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :– धारा 2–ग का संशोधन

"2–ग––उत्तर प्रदेश विधान सभा का या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का प्रत्येक सदस्य तीन सौ पचास रुपये प्रतिमास निर्वाचन क्षेत्र भत्ता पाने का हकदार होगा। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता

5–कोई नियम जो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के परन्तुक को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ मूल अधिनियम की धारा 5 के अधीन बनाया जाता है, पूर्ववर्ती दिनांक से, किन्तु 01 अप्रैल, 1976 के पूर्व नहीं बनाया जा सकता है। पूर्ववर्ती दिनांक से नियम बनाने का अधिकार

No. 2386(2)/XVII-V-1-86-76

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vidhan Mandal (Sadasyonki Upladhiyon Ka) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 24 of 1976) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 19, 1976:

THE UTTAR PRADESH LEGISLATIVE CHAMBERS (MEMBERS EMOLUMENTS) (AMENDMENT) ACT, 1976

[U.P. Act no. 24 of 1976]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature)*

AN

ACT

Further to amend the Uttar Pradesh Legislative Chambers (Member's Emoluments) Act, 1952.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh year of the Republic of India, as follows--

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Legislative Chambers (Members Emoluments) (Amendment) Act, 1976.

(2) Clauses (3) and (4) of section 2, sections 3 and 4 shall be deemed to have come into force on April 1, 1976, and the remaining provisions shall come into force at once.

Amendment of section 2 of U.P. Act XII of 1952

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Legislative Chambers (Member's Emoluments) Act, 1952, hereinafter referred to as the principal Act--

(1) in sub-section (1)--

(a) for figure and word "10,000 Kilometers," the figure and word "15,000 Kilometers" and *for* the words "free non-transferable coupons or pass entitling him to travel, within the State of Uttar Pradesh, at any time by Uttar Pradesh Government Roadways on the highest class, if any", the words "free non-transferable pass entitling him to travel within the State of Uttar Pradesh at any time by Uttar Pradesh State Road Transport Corporation bus on the highest class, if any, without payment of passenger tax due under any law for the time being in force" shall be *substituted;*

(b) for the second proviso, the following proviso shall be *substituted,* namely--

"Provided further that such member may, in such manner as may be prescribed, use the said rail travel coupons for taking with him other members of his family also in journeys by rail within or outside Uttar Prdesh, so, however, that such distance in the aggregate, including the distance of

journeys made by him outside Uttar Pradesh and by the members of his family whether within or outside Uttar Pradesh, shall be subject to the aforesaid maximum limit of 15,000 kilometres per year ";

(2) in sub-section (I-A), *for* the proviso and explanation, the following proviso and explanation shall be *substituted*, namely--

"Provided that such member may, in such manner as may be prescribed, use the said rail travel coupons for taking with him other members of his family also in journeys by rail within or outside Uttar Pradesh, so, however, that such distance in aggregate, including the distance of journeys made by him outside Uttar Pradesh and by the members of his family whether within or outside Uttar Pradesh shall be subject to the aforesaid maximum limit of 15,000 kilometres per year.

Explanation--In computing the distance of journeys by rail out side Uttar Pradesh for the purposes of sub-section (I) and (I-A) the distance between any two railway stations within the limit of Uttar Pradesh shall be excluded.";

(3) *for* sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted*, namely--

"(2) Subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, each member referred to in sub-section (I) shall be entitled for his attendance required in connection with his duties or functions as member, to--

(i) incidental charges for journeys for the said purposes, namely, for attendance in each session of the Legislative Assembly or Legislative Council, as the case may be, or at any sittings of

any Committee thereof, only for coming to the place of sitting and for going back to his residence not more than twice in a calendar month; and

(ii) daily allowance at the rate of rupees fifteen:

Provided that no daily allowance shall be payable to the leader of the Opposition.

Explanation--In this Act, the expression 'the Leader of the Opposition means the member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly who is for the time being recognized as such by the speaker of the Legislative Assembly."

(4) *for* sub-section (3), the following sub-section shall be *substituted*, namely--

"(3) Every member referred to in sub-sections (1),other than the Leader of the Opposition, shall be entitled to a consolidated compensatory allowance [inclusive of incidental charges, if any, other than incidental charges referred to in sub-section (2), for any journey by rail, road or air, and daily allowance and all other expenses whatsoever in respect of his attendance required in connection with his duties or functions as such member] of three hundred and fifty rupees per month subject to a deduction of ten rupees for each day of absence from a sitting of the House of the State Legislature or Committee therof, which he is a member:

Provided that no such deductions shall be made for absence in such circumstances and subject to conditions as may be prescribed.

(4) Every member referred to in sub-section (1) may also use the bus pass referred to in the said sub-section for taking as companion along with him."

(5) *for* numbers and words "10,000 kilometers," wherever occurring, numbers and words "15,000 kilometres" shall be substituted.

3. In Section 2-B of the Principal Act-- Amendment of section 2-B

(1) in sub-section (1), *for* the proviso the following proviso shall be *substituted*, namely--

"Provided that when the accommodation provided is of "B" type or when no accommodation is provided, the member shall be paid compensatory allowance, which in the former case shall be at the rate of Rs. 55 per mensem and in the later case at the rate of Rs. 150 per mensem.

(2) in sub-section (2), at the end, the following words "and notwithstanding anything in any law inforce immediately before the commencement of the Uttar Pradesh Legislative Chambers (Members Emoluments) (Amendment) Act, 1976, such rules may be made in respect of all members of the State Legislature", shall be *inserted.*

Amendment of section 2-C

4. *for* section 2-C of the Principal Act, the following section shall be *substituted,* namely--

"2-C. Each member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly or of constituency allowane Uttar Pradesh Legislative Council shall be entitled to a constituency allowance of rupees three hundred and fifty per mensem. Constituency allowance

5. Any rules that may be made under section 5 of the Principal Act for purposes of carrying into effect the proviso to sub-section (3) of section 2 of the Principal Act, as amended by this Act, may be made retrospectively with from a date not earlier than April 1, 1976.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1
संख्या 4979/सत्रह-वि-1--176-76
लखनऊ, 23 नवम्बर, 1976

अधिसूचना
विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1976 पर दिनांक 20 नवम्बर, 1976 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 49, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1976

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 49, 1976]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, 1952 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1952 के दीर्घ शीर्षक का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, 1952 की, (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) शीर्षक में शब्द "वेतन और भत्तों" के स्थान पर शब्द "वेतन, भत्तों और पेंशन" रख दिये जायेंगे।

धारा 1 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 1 में, उपधारा (1) में शब्द 'उपलब्धियों' के पश्चात् शब्द "और पेंशन" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 2 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 2 में, उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।

धारा 2-ग का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 2-ग में, शब्द "तीन सौ पचास रुपये प्रतिमास" के स्थान पर शब्द "पांच सौ रुपये प्रतिमास" रख दिये जायेंगे।

धारा 3 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) में शब्द "प्रतिमास तीन सौ रुपया" के स्थान पर शब्द "प्रतिमास पांच सौ रुपये" रख दिये जायेंगे।

नयी धारा 3-क का बढ़ाया जाना

7-मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्--

"3-क-(1) उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्रारम्भ के दिनांक से प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने--

(क) उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य के रूप में, या

(ख) उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में, या

(ग) आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य के रूप में और आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में,

पांच वर्ष की अविछिन्न या विछिन्न अवधि पर्यन्त कार्य किया है, तीन सौ रुपये प्रतिमास पेंशन दी जायेगीः

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी व्यक्ति ने उपर्युक्त रूप में पांच वर्ष से अधिक की अवधि में कार्य किया है, वहां उसे पांच के उपरान्त के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए पचास रुपये प्रतिमास की अतिरिक्त पेंशन दी जायेगी, किन्तु किसी भी मामले में ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार देय पेंशन पांच सौ रुपये प्रतिमाह से अधिक न होगीः

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई व्यक्ति संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के अधीन किसी पेंशन पाने का हकदार है तो--

(1) यदि उक्त अधिनियम के अधीन अनुमन्य पेंशन पांच सौ रुपये प्रतिमास या उससे अधिक हो तो वह इस धारा के अधीन कोई पेंशन पाने का हकदार न होगा;

(2) यदि उक्त अधिनियम के अधीन अनुमन्य पेंशन पांच सौ रुपये प्रतिमास से कम हो तो वह इस धारा के अधीन उतनी ही धनराशि की पेंशन पाने का हकदार होगा जिससे उक्त अधिनियम में अनुमन्य पेंशन की राशि पांच सौ रुपये से कम पड़ती हो।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद् या उत्तर प्रदेश विधान सभा में क्रमशः यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव काउन्सिल या यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव असेम्बली भी सम्मिलित होगी, जिसने 15 अगस्त, 1947 और संविधान के प्रारम्भ के बीच और तत्श्चात् राज्य के लिए अस्थायी विधान मण्डल के सदन के रूप में कार्य किया।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन पेंशन के लिए हकदार कोई व्यक्ति--

(क) राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाता है या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त हो जाता है; या

(ख) संसद के किसी सदन का या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् या उत्तर प्रदेश विधान सभा का सदस्य हो जाता है; या

(ग) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार, या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम, या किसी स्थानीय प्राधिकारी, के अधीन वेतन पर सेवायोजित किया जाता है, या ऐसी सरकार, निगम या स्थानीय प्राधिकारी से किसी पारिश्रमिक का अन्यथा हकदार हो जाता है,

वहां ऐसा व्यक्ति उस अवधि में जिसमें वह ऐसे पद पर आसीन रहता है, या ऐसा सदस्य है, या इस प्रकार सेवायोजित है, या ऐस पारिश्रमिक का हकदार बना रहता है, उपधारा (1) के अधीन किसी पेंशन का हकदार न होगाः

प्रतिबन्ध यह है कि जहां पर ऐसे पद पर आसीन रहने या ऐसा सदस्य होने या इस प्रकार सेवायोजित होने के लिए ऐसे व्यक्ति को देय वेतन या पारिश्रमिक या जहां ऐसे व्यक्ति को देय खण्ड (ग) में निर्दिष्ट पारिश्रमिक दोनों में से किसी स्थिति में उसको उपधारा (1) के अधीन देय पेंशन से कम है, वहां ऐसा व्यक्ति उस उपधारा के अधीन पेंशन के रूप में उतनी ही धनराशि पाने का हकदार होगा जितनी धनराशि पेंशन की उस धनराशि से कम पड़ती है, जिसके लिये वह उस उपधारा के अधीन अन्यथा हकदार है।

(3) जहाँ उपधारा (1) के अधीन पेंशन के लिए हकदार कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम या किसी विधि के अधीन या अन्य प्रकार से किसी स्थानीय प्राधिकारी, से किसी पेंशन का भी हकदार है (जो संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के अधीन पेंशन न हो व स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी की हैसियत से दी गयी पेंशन न हो) तो ...

(क) जहाँ पेंशन की धनराशि, जिसके लिए वह किसी विधि के अधीन या अन्य प्रकार से हकदार है, उस धनराशि के बराबर या उससे अधिक हो जिसके लिए वह उपधारा (1) के अधीन हकदार है, वहाँ ऐसा व्यक्ति उस उपधारा के अधीन किसी पेंशन का हकदार न होगा; और

(ख) जहाँ पेंशन की वह धनराशि जिसके लिए वह ऐसी विधि के अधीन या अन्य प्रकार से हकदार है, उस धनराशि से कम है जिसके लिए वह उपधारा (1) के अधीन हकदार है, वहाँ ऐसा व्यक्ति उस उपधारा के अधीन पेंशन की उतनी ही धनराशि का हकदार होगा जितनी धनराशि पेंशन की उस धनराशि से कम पड़ती है जिसके लिए वह उस उपधारा के अधीन अन्यथा हकदार है।

(4) उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ, वर्ष की संख्या की संगणना करने में उस अवधि की भी गणना की जायेगी जिसमें किसी व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश विधान सभा या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में अपनी सदस्यता के कारण मंत्री, अध्यक्ष, सभापति, उप मंत्री, उपाध्यक्ष, उप सभापति या सभा सचिव के रूप में कार्य किया है।

8-मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्-- धारा 5 का संशोधन

"(च) प्रपत्र जिसमें इस अधिनियम के अधीन पेंशन की मांग करने के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाण-पत्र यदि कोई हो, प्रस्तुत किया जायेगा,

(छ) इस अधिनियम के अधीन पेंशन का भुगतान करने की रीति।"

No. 4979(2)/XVII-V-1-176-76

Dated Lucknow, November 23, 1976

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vidhan Mandal (Sadasyonki Upladhiyon Ka) (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 49 of 1976) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 20, 1976:

THE UTTAR PRADESH LEGISLATIVE CHAMBERS (MEMBERS EMOLUMENTS) (SECOND AMENDMENT) ACT, 1976

[U.P. ACT NO. 49 of 1976]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature)*

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Legislative Chambers (Member's Emoluments) Act, 1952.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh year of the Republic of India, as follows--

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Legislative Chambers (Members Emoluments) (Second Amendment) Act, 1976.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may by notification appoint in this behalf.

Amendment of long title of U.P. Act no. 12 of 1952

2. In the Uttar Pradesh Legislative Chambers (Member's Emoluments) Act, 1952, (hereinafter referred to as the Principal Act), in the long title *for* the words "salaries and allowances" the words "salary, allowances and pension" shall be *substituted.*

Amendment of section 1

3. In section 1 of the Principal Act, in sub-section (1), *after* the word "Emoluments", the words "and Pension" shall be *inserted.*

Amendment of section 2

4. In section 2 of the Principal Act, sub-section (3) shall be *omitted.*

Amendment of section 2-C

5. In section 2-C of the Principal Act, *for* the words "rupees three hundred and fifty per mensem", the words "five hundred rupees per mensem" shall be *substituted.*

Amendment of section 3

6. In section 3 of the Principal Act, in sub-section (1), *for* the words "rupees three hundred per mensem", the words "five hundred rupees per mensem" shall be *substituted.*

Insertion of new section 3A

7. *After* section 3 of the Principal Act, the following section shall be *inserted,* namely-

Pension

"3-A. (I) with effect from the commencement of the Uttar Pradesh Legislative Chambers (Member's Emoluments) (Second Amendment) Act, 1976, there shall be paid a pension of three hundred rupees per mensem to

every person who has served for a period of five years whether continuous or not,-

(*a*) as a member of the Uttar Pradesh Legislative Council; or

(*b*) as a member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly; or

(*c*) partly as a member of the Uttar Pradesh Legislative Council and partly as a member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly:

Provided that where any person has served as aforesaid for a period exceeding five years, there shall be paid to him an additional pension of fifty rupees per mensem for every completed year in excess of five, so, however, that in no case the pension payable to such person shall exceed five hundred rupees per mensem:

Provided further that where any person is entitled to a pension under the Salaries, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954,-

(i) where the amount of pension admissible under the said Act is Rs. 500 per mensem or more he shall not be entitled to any pension under this section;

(ii) where the amount of pension admissible to him under the said Act is less than Rs. 500 per mensem then he shall be entitled to a pension under this section only to the extent of the amount by which the pension admissible under that Act falls short of Rs. 500 per mensem.

Explanation-For the purposes of this section, the Uttar Pradesh Legislative Council or the Uttar Pradesh Legislative Assembly shall include the

United Provinces Legislative Cauncil or the United Provinces Legislative Assembly, respectively, which functioned between August 15, 1947 and the commencement of the Constitution and thereafter as a House of the provisional Legislature for the State.

(2) Where any person entitled to pension under sub-section (I)-

(*a*) is elected to the office of the President or Vice-President or is appointed to the office of the Governor of any State or the Administrator of any Union Territory; or

(*b*) becomes a member of either House of Parliament, or the Uttar Pradesh Legislative Council or the Uttar Pradesh Legislative Assembly; or

(*c*) is employed on a salary under the Central Government or any State Government or any corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government or any local authority or becomes otherwise entitled to any remuneration from such Government, Corporation or local authority.

such person shall not be entitled to any pension under sub-section (I) for the period during which he continues to hold such office or is such member, or is so employed, or continues to be entitled to such remuneration:

Provided that where the salary or remuneration payable to such person for holding such office or being such member or so employed, or where remuneration referred in clause (c) payable to such person, is, in either case, less than the pension payable to him under sub-section (I), such person shall be entitled to receive as pension under that sub-section only an amount which falls short of the amount of pension to which he is otherwise entitled under that sub-section.

(3) Where any person entitled to pension under sub-section (I) is also entitled to any pension from the Central Government (not being a pension under the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 or a pension given in his capacity as freedom fighter) or any State Government, or any Corporation owned or controlled by the Central Government, or any State Government or any local authority, under any law or otherwise, then-

(*a*) Where the amount of pension to which he is entitled under such law or otherwise, is equal to or in excess of that to which he is enitled under sub-section (I), such person shall not be entitled to any pension under that sub-section; and

(*b*) where the amount of pension to which he is entitled under such law or otherwise, is less than that to which he is entitled under sub-section (I), such person shall be entitled to pension under that sub-section only of an amount which falls short of the amount of pension to which he is otherwise entitled under that sub-section.

(4) In computing the number of years, for the purposes of sub-section (I), the period during which a person has served as a Minister, Speaker, Chairman, Deputy Minister, Deputy Speaker, Deputy Chairman or Parliamentary Secretary, by virtue of his membership in the Uttar Pradesh Legislative Assembly or the Uttar Pradesh Legislative Council, shall also be taken into account."

Amendment of section 5

8. In section 5 of the principal Act, in sub-section (2), *after* clause (*e*), the following clauses shall be *inserted,* namely-

"(*f*) the form in which certificates, if any, shall be furnished by any person for the purposes of claiming any pension under this Act;

(*g*) the manner of payment of pension under this Act."

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1539/सत्रह-वि-1--48-78

लखनऊ, 29 मई, 1978

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) विधेयक, 1978 पर दिनांक 28 मई, 1978 ई0 की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1978 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) अधिनियम, 1978

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1978)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) अधिनियम, 1952 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है-

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

2--उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) अधिनियम, 1952 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1), (1-क) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात्- उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1952 की धारा 2 का संशोधन

"(1) उत्तर प्रदेश विधान सभा या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के प्रत्येक ऐसे सदस्य को, जो मंत्री, अध्यक्ष, सभापति, उप मंत्री, उपाध्यक्ष, उप सभापति या सभा सचिव के पद पर आसीन न हो, नियमों द्वारा विहित की जाने वाली रीति और दिनांक से-

(क) ऐसी धनराशि के मूल्य के निःशुल्क असंक्रमणीय रेल यात्रा कूपन दिये जायेंगे जिनसे वह उत्तर प्रदेश के भीतर किसी भी समय और किसी रेल द्वारा प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का हकदार होगा;

(ख) ऐसी धनराशि के मूल्य के निःशुल्क अंसक्रमणीय रेल यात्रा कूपन दिये जायेंगे जिनसे वह उत्तर प्रदेश के बाहर किसी भी समय और किसी रेल द्वारा, प्रति वर्ष प्रन्द्रह हजार किलोमीटर की अधिकतम सीमा तक प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का हकदार होगा जिसे राज्य सरकार रेलवे बोर्ड के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करें:

परन्तु ऐसा सदस्य ऐसी रीति से जो नियमों द्वारा विहित की जाय, रेल यात्रा में अपने साथ एक सहवर्ती ले जाने के लिए भी निम्नलिखित दशाओं में उक्त कूपनों का प्रयोग कर सकता है-

परन्तु ऐसा सदस्य ऐसी रीति से जो नियमों द्वारा विहित की जाय, रेल यात्रा में अपने साथ एक सहवर्ती ले जाने के लिए भी निम्नलिखित दशाओं में उक्त कूपनों का प्रयोग कर सकता है-

(एक) यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् के प्रत्येक सत्र में अधिक से अधिक दो बार अपने निवास स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन से लखनऊ तक आने के लिए और लखनऊ से ऐसे रेलवे स्टेशन तक वापस जाने के लिए;

(दो) महिला सदस्य की स्थिति में ऐसी यात्रा के लिए जो उसके द्वारा ऐसे सदस्य होने के नाते अपने कर्तव्यों और कृत्यों के सम्बन्ध में अपनी अपेक्षित उपस्थिति के लिए और ऐसी उपस्थिति के पश्चात् अपने निवास स्थान को वापसी के लिए की जायः

परन्तु यह और कि ऐसा सदस्य ऐसी रीति जो विहित की जाय, अपने साथ अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर रेल यात्रा में ले जाने के लिए उक्त कूपनों का प्रयोग कर सकता है, किन्तु इस प्रकार यात्रा का कुल व्यय जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा उत्तर प्रदेश के बाहर और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा, चाहे उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर की गयी यात्रा का व्यय भी है, ऐसी अधिकतम सीमा के अधीन होगा जैसा खण्ड (ख) के अनुसार अवधारित किया जायः

परन्तु यह भी कि जहाँ खण्ड (ख) के अधीन अवधारित कूपनों का मूल्य एक सौ रुपये का गुणक न हो, वहाँ उसे एक सौ रुपये के निकटतम गुणक में पूर्णांकित किया जायेगा, अर्थात् एक सौ रुपये का वह भाग जो पचास रुपये से कम हो, उसे छोड़ दिया जायेगा और किसी अन्य भाग की गणना एक सौ रुपया की जायेगी;

(ग) निःशुल्क असंक्रमणीय पास दिया जायेगा जिनसे वह उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर किसी भी समय उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस द्वारा, उच्चतम श्रेणी में, यदि कोई हो, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन देय यात्री-कर का भुगतान किये बिना यात्रा करने का हकदार होगा।

(2) सार्वजनिक कार्यों के सम्बन्ध में अपेक्षित यात्राओं से भिन्न यात्राओं के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के प्रत्येक सदस्य को, जो उपधारा (1) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन हो, उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित निःशुल्क असंक्रमणीय रेल यात्रा के लिए धनराशि मूल्य कूपन दिये जायेंगे और वे ऐसी रीति से जो विहित की जाय, अपने साथ अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर रेल यात्रा में ले जाने के लिए उक्त कूपनों का प्रयोग करने के हकदार होंगे, किन्तु इस प्रकार कुल दूरी, जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा उत्तर प्रदेश के बाहर और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा, चाहे उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर, की गयी यात्रा की दूरी भी है, पन्द्रह हजार किलोमीटर प्रति वर्ष की उपर्युक्त अधिकतम सीमा के भीतर रहेगी।

स्पष्टीकरण-उपधारा (1) और (2) के प्रयोजनों के लिये--

(एक) उत्तर प्रदेश के बाहर रेल यात्रा की दूरी की संगणना करने में, उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित किन्हीं दो रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी सम्मिलित नहीं की जायेगी।

(दो) पद 'वर्ष' का तात्पर्य बारह मास की उस कालावधि से है, जो पहली जून से आरम्भ होकर आगामी 31 मई, को समाप्त हो।

(3) ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जो विहित की जायं, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य, ऐसे सदस्य होने के नाते अपने कर्तव्यों या कार्यों से सम्बन्धित प्रयोजनों के लिए अपनी अपेक्षित उपस्थिति के लिए निम्नलिखित का हकदार होगा-

(क) उक्त प्रयोजनों के लिए, यात्रा के लिए, अर्थात् यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् के प्रत्येक सत्र में या उसकी किसी समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए अधिक से अधिक किसी कलैन्डर मास में दो बार केवल बैठक के स्थान पर आने के लिए और अपने निवास-स्थान को वापस जाने के लिए आनुषंगिक व्यय;

(ख) यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति द्वारा बुलायी गयी बैठक में भाग लेने के लिए, बैठक के स्थान पर आने के लिए और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिए आनुषंगिक व्यय ;

(ग) समिति के ऐसे कार्य के सम्बन्ध में जो समिति की बैठक से भिन्न हो, समिति के सभापति के रूप में उनके द्वारा अधिक से अधिक किसी कलैन्डर मास में दो बार केवल लखनऊ आने के लिए और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिए की गयी यात्राओं के लिए आनुषंगिक व्यय; और

(घ) पन्द्रह रुपये की दर से दैनिक भत्ताः

परन्तु नेता, विरोधी दल को कोई दैनिक भत्ता देय न होगा।

स्पष्टीकरण-इस अधिनियम में पद "नेता विरोधी दल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा के ऐसे सदस्य से है जिसे विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा तत्समय इस रूप में अभिज्ञात किया गया हो।"

3–मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (3) निकाल दी जायेगी। धारा 5 का संशोधन

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र देव शर्मा,

सचिव।

No. 1539/XVII-V-1-48-78

Dateed Lucknow, May 29, 1978

In pursauance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vidhan Mandal (Sadasyaonki Upladhiyon Ka) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1978 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19 of 1978) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 28, 1978:

THE UTTAR PRADESH LEGISLATIVE CHAMBERS (MEMBERS EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 1978

[U.P. ACT NO. 19 of 1978]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature)*

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Legislative Chambers (member's Emoluments and pension) Act, 1952.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-ninth year of the Republic of India, as follows--

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Legislative Chambers (Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1978. Short title

Amendment of section 2 of U.P. Act no. XII of 1952

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Legislative Chambers (Members Emoluments and Pension) Act, 1952, hereinafter referred to as the principal Act, *for* sub-sections (1), (1-A) and (2), the following sub-section shall be *substituted,* namely--

"(1) Each member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly or the Uttar Pradesh Legislative Council, who does not hold the office of Minister, Speaker, Chairman, Deputy Minister, Deputy Speaker, Deputy Chairman or Parliamentary Secretary, shall be provided, in the manner and from the date to be prescribed by rules-

(*a*) with free non-transferable rail travel money value coupons entitling him to travel in first class within Uttar Pradesh, at any time and by any railway;

(*b*) with free non-trasferable rail travel money value coupons of such value as may entitle him to travel in first class outside Uttar Pradesh at any time and by any railway to a maximum limit of 15,000 Kilometres per year, as the State Government may, from time to time, determine in consultation with the Railway Board:

Provided that such member may in such manner as may be prescribed by rules, use the said coupons, for journey by rail also for taking with himself one companion in the following cases-

(i) for each session of the Legislative Assembly or the Legislative Council, as the case may be, not more than twice, for coming to Lucknow from the railway station nearest to the place of his residence and going back from Lucknow to scuh railway station;

(ii) in the case of a woman member, for such journey, as if performed by her for her attendace required in connection with her duties and functions as such member and for return, after such attendance, to her place of residence:

Provided further that such member may, in such manner as may be prescribed, use the said coupons, for taking with him other members of his family also in journeys by rail within or outside Uttar Pradesh, so, however, that the cost of journeys in aggregate, including the cost of journeys made by him outside Uttar Pradesh and by the members of his family whether within or outside Uttar Pradesh, shall be subject to the maximum limit as may be determined in accordance with clause (*b*):

Provided also that where the value of the coupons determined under clause (*b*) is not a multiple of one hundred rupees, the same shall be rounded of to nearest multiple of one hundred rupees, the same shall be rounded of to nearest multiple of one hundred rupees, that is to say a part of hundred rupees which is less than rupees fifty shall be ignored and any other part shall be counted as one hundred rupees;

(*c*) with free non-transferable pass entitling him to travel within the State of Uttar Pradesh at any time by the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation bus, in the highest class, if any, without payment of passenger tax due under any law for the time being in force.

(2) For journeys other than those required in connection with public business, each member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly or the Uttar Pradesh Legislative Council who holds any of the offices mentioned in sub-section (1) shall be provided

with free non-transferable rail travel money value coupons mentioned in clauses (*a*) and (*b*) of sub-section (1) and shall be entitled to use in such other manner as may be prescribed, the said coupons for taking with him other membes of his family also in journeys by rail within or outside Uttar Pradesh, so, however, that such distance in aggregate, including the distance of journeys made by him outside Uttar Pradesh and by the members of his family whether within or outside Uttar Pradesh, shall be, subject to the aforesaid maximum limit of 15,00 Kilometres per year.

Explanation– for the purposes of sub-section (1) and (2)–

(i) the distance between any two railway stations within the limits of Uttar Pradesh shall be excluded in computing the distance of journeys by rail outside Uttar Pradesh;

(ii) the expression 'year' means a period of twelve months commencing on the first day of June and ending on the 31^{st} day of may next following.

(3) Subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, each member referred to in sub-section (1) shall be entitled for his attendance required for purposes connected with his duties or functions as such member, to–

(*a*) incidental charges for Journeys for the said purposes, namely, for attendance in each sessions of the Legislative Assembly or Legislative Council, as the case may be, or at any sittings of any committee thereof, only for coming to the place of sitting and going back to his residence not more than twice in a calendar month;

(*b*) incidental charges for participating in a meeting called by the Speaker or the Chairman, as the case may be, for coming to the place of meeting and for going back to his residence;

(*c*) incidental charges for journeys performed by him as Chiarman of a Committee in connection with the work of the Committee, other than a meeting of the Committee, for coming to Lucknow and for going back to his residence not more than twice in a calendar month; and

(*d*) daily allowance at the rate of rupees fifteen:

Provided that no daily allowance shall be payable to the Leader of the Opposition.

Explanation–In this Act, the expression 'the Leader of the Opposition' means the member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly who is for the time being recognized as such by the Speaker of the Legislative Assembly."

Amendment of section 5

3. In section 5 of the principal Act, sub-section (3) shall be omitted.

By order,

R.C. DEO SHARMA,

Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2404/सत्रह-वि-1--79-1979

लखनऊ, 14 सितम्बर, 1979

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) विधेयक, 1979 पर दिनांक 13 सितम्बर, 1979 ई0 की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, सन् 1979 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) अधिनियम, 1979

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1979)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) अधिनियम, 1952 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जायेगा।

2--उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) अधिनियम, 1952 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में,--

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1952 की धारा 2 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में,-

(एक) खण्ड (क) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा अर्थात्-

"परन्तु उत्तर प्रदेश विधान सभा का नेता विरोधी दल और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश के भीतर किसी समय और किसी रेल द्वारा ऐसे कूपनों का उपयोग करके प्रथम श्रेणी के आरक्षित कूपे (दो बर्थ वाला कम्पार्टमेन्ट) या वातानुकूलित श्रेणी में एकल आरक्षित बर्थ द्वारा यात्रा करने का हकदार होगा";

(दो) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्-

स्पष्टीकरण-''इस अधिनियम में, पद 'उत्तर प्रदेश विधान सभा का नेता विरोधी दल' या 'उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का नेता विरोधी दल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के ऐसे सदस्य से है जिसे, यथास्थिति, विधान सभा के अध्यक्ष या विधान परिषद् के सभापति द्वारा तत्समय इस रूप में अभिज्ञात किया गया हो।";

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिख्ति उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्-

"(1-क) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई सदस्य रेल द्वारा द्वितीय श्रेणी में यात्रा करता है, और उक्त उपधारा में निर्दिष्ट किसी धनराशि के मूल्य के कूपन स्वीकार नहीं करता है, तो वह ऐसे कूपन के बदले में निम्नलिखित धनराशि विहित रीति से माँगने का हकदार होगा, अर्थात्-

(एक) उत्तर प्रदेश के भीतर की गयी यात्रा की स्थिति में, द्वितीय श्रेणी में ऐसी यात्रा में वास्तव में रेल भाड़े के लिए व्यय की गयी धनराशि;

(दो) उत्तर प्रदेश के बाहर की गयी यात्रा की स्थिति में, उतनी धनराशि जितने से वह प्रतिवर्ष अधिक से अधिक पन्द्रह हजार किलोमीटर तक, किसी समय और किसी रेल द्वारा द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने के लिए हकदार हो जाय;

(तीन) खण्ड (एक) या खण्ड (दो) में निर्दिष्ट यात्रा की स्थिति में, यथास्थिति, एक सीट या शयन-यान (स्लीपर) में एक बर्थ के लिये आरक्षण परिव्यय के रूप में व्यय की गयी धनराशि;

(चार) उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में किसी सहवर्ती द्वारा की गयी यात्रा की स्थिति में, द्वितीय श्रेणी में ऐसी यात्रा में वास्तव में रेल भाड़े के लिये व्यय की गयी धनराशि।";

(ग) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्-

"(3) ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाय, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य, ऐसे सदस्य होने के नाते अपने कर्तव्यों या कार्यों से सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये अपनी अपेक्षित उपस्थिति के लिए निम्नलिखित का हकदार होगा-

(क) उक्त प्रयोजनों के लिए यात्रा के लिए, अर्थात् यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् के प्रत्येक सत्र में या उसकी किसी समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए, अधिक से अधिक किसी कलेन्डर मास में दो बार केवल बैठक के स्थान पर आने के लिए और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिए आनुषंगिक व्ययः

परन्तु यदि कोई सदस्य एक ही कलेन्डर मास में दो या अधिक समितियों की बैठकों में भाग लेता है तो वह ऐसे मास में इस खण्ड के अधीन चार से अधिक बार आनुषंगिक व्यय का हकदार न होगा;

(ख) यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति द्वारा बुलायी गयी बैठक में भाग लेने के लिए, बैठक के स्थान पर आने के लिए और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिए आनुषंगिक व्यय;

(ग) समिति के ऐसे कार्य के सम्बन्ध में जो समिति की बैठक से भिन्न हो, समिति के सभापति के रूप में उनके द्वारा अधिक से अधिक किसी कलेन्डर मास में दो बार केवल लखनऊ आने के लिए और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिए की गयी यात्राओं के लिये आनुषंगिक व्यय; और

(घ) तीस रुपये प्रति दिन की दर से दैनिक भत्ता जिसकी गणना निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार की जायेगी, अर्थात्–

(एक) उक्त भत्ता, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् के सत्र के दौरान या उसकी किसी समिति की किसी बैठक में, प्रत्येक दिन की उपस्थिति के लिए देय होगा।

(दो) उक्त भत्ता, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् के लगातार उपवेशन के एक दिन पूर्व और एक दिन पश्चात् के लिए भी, देय होगा, यदि सदस्य उन दिनों में ऐसे लगातार उपवेशन के स्थान पर उपस्थित हो;

(तीन) उक्त भत्ता, यथास्थिति, विधान सभा या विधान परिषद् के लगातार उपवेशन या उसकी समिति की लगातार बैठक के दौरान में स्थगन के दिनों के लिए, और उन छुट्टी के दिनों के लिए भी, जो ऐसे लगातार उपवेशन या बैठक के दौरान पड़े, देय होगा, यदि सदस्य ऐसे सभी दिनों में उपवेशन या बैठक के स्थान पर उपस्थित हो;

(चार) उक्त भत्ता चार से अनधिक ऐसे दिनों के लिए भी जो विधान सभा या विधान परिषद् के उपवेशन या उसकी किसी समिति की बैठक के अन्तिम दिन और विधान सभा या विधान परिषद् की उसी या किसी अन्य समिति की बैठक के प्रथम दिन के बीच पड़े, देय होगा, यदि सदस्य ऐसे सभी दिनों में बैठक के स्थान पर उपस्थित हो;

(पांच) यदि उप खण्ड (तीन) या उपखण्ड (चार) के अधीन आने वाले किसी मामले में, कोई सदस्य उपवेशन या बैठक के स्थान से अपने निवास स्थान या अपने निर्वाचन क्षेत्र को चला जाय तो वह इस खण्ड के उपबन्धों के अनुसार दैनिक भत्ता या खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अनुसार आनुषंगिक व्यय, जो भी कम हो, पाने का हकदार होगा;

(छः) उत्तर प्रदेश विधान सभा के नेता विरोधी दल को ऐसा कोई भत्ता देय नहीं होगा।

स्पष्टीकरण–उपवेशन या बैठक को लगातार समझा जायेगा यदि किसी अधिवेशन या बैठक के अन्तिम दिन और दूसरे अधिवेशन या बैठक के प्रथम दिन के बीच की अवधि चार दिन से अधिक न हो।"

धारा 2–क का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 2–क में,-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्–

"(1) उत्तर प्रदेश विधान सभा का नेता विरोधी दल प्रतिमास एक हजार रुपये वेतन और प्रतिमास तीन सौ रुपये वाहन भत्ता पाने का हकदार होगा।";

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्–

"(3) उत्तर प्रदेश विधान सभा का नेता विरोधी दल और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का नेता विरोधी दल अपनी

पदावधि पर्यन्त लखनऊ में नियतमान के अनुसार सुसज्जित और अनुरक्षित निवास स्थान का बिना किराय के उपयोग करने का हकदार होगा।"

(ग) उपधारा (4) में, शब्द "उसके लिये" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश विधान सभा का नेता विरोधी दल के लिये" रख दिये जायेंगे।

4-मूल अधिनियम की धारा 2-ख में,- धारा 2-ख का संशोधन

(क) उपधारा (1) में, शब्द "नेता विरोधी दल" के स्थान पर, शब्द "उत्तर प्रदेश विधान सभा का नेता विरोधी दल या उत्तर प्रदेश विधान परिषद् का नेता विरोधी दल" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्-

> "(3) धारा 2 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य, लखनऊ में और अपने निवास के स्थान या अपने निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन के सम्बन्ध में ऐसी सुविधाओं का हकदार होगा जैसी नियमों द्वारा विहित की जायं।''

5-मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) में, शब्द "नेता विरोधी दल" के स्थान पर, शब्द "उत्तर प्रदेश विधान सभा का नेता विरोधी दल" रख दिये जायेंगे। धारा 3 का संशोधन

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव।

No. 2404/XVII-V-1-79-1979

Dated Lucknow, September 14, 1979

In pursauance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vidhan Mandal (Sadasyaon ki Upladhiyon Aur Pension Ka) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1979 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 29 of 1979) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 13, 1979:

THE UTTAR PRADESH LEGISLATIVE CHAMBERS (MEMBERS EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 1979

[U.P. ACT NO. 29 of 1979]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature)*

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Legislative Chamber's (member's Emoluments and pension) Act, 1952.

IT IS HEREBY enacted in the Thirtieth year of the Republic of India, as follows--

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Legislative Chambers (Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1979.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. XII of 1952

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Legislative Chamber's (Member's Emoluments and Pension) Act, 1952, hereinafter referred to as the principal Act,--

(*a*) in sub-section (1)--

(i) in clacse (*a*), the following proviso shall be *inserted*, namely–

"Provided that the Leader of Opposition of the Uttar Pradesh Legislative Assembly and the Leader of Opposition of the Uttar Pradesh Legislative Council shall be entitled to travel by a Reserved

Coupe (Two-berth Compartment) of first class or one single reserved berth of air-conditioned class, within Uttar Pradesh at any time and by any railway, by the use of such coupons";

(ii) *after* clause (*c*), the following Explanation shall be addd, nearly–

"*Explanation*–in this Act, the expression the Leader of Opposition of the Uttar Pradesh Legislative Assembly or the Leader of Opposition of the Uttar Pradesh Legislative Council means the member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly or the Uttar Pradesh Legislative Council, who is for the time being recognized as such by the Speaker of the Legislative Assembly or the Chairman of the Legislative Council, as the case may be.";

(b) *after* sub-section (1), the following sub-section shall be *inserted*, namely–

"(1-A) If a member referred to in sub-section (1) travels by rail in second class, and such member does not accept any money value coupons referred to in that sub-section, he shall be entitled to claim in the manner prescribed, the following amounts in lieu of such coupons, namely–

(c) *for* sub-section (3), the following sub-section shall be *substituted*,, namely–

(i) in the case of journey performed within Uttar Pradesh, an amount equal to the railway fare actually spent on such journey by second class;

(ii) in the case of journey performed outside Uttar Pradesh, an amount which may entitle him to travel in second class at any time and by any railway to a maximum limil of 15,000 Kilometres per year;

(iii) in the case of a journey referred to in clause (i) or clause (ii) an amount spent as reservation charges for one seat or one berth in sleeper, as the case may be;

(iv) in the case of a journey performed by a companion, an amount equal to the railway fare actually spent on such journey by second class in the circumstances specified in sub-section (1)".

"(3) Subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, each member referred to in sub-section (1) shall be entitled for his attendance required for purposes connected with his duties or function as such member to–

(*a*) incidental charges for journey for the said purposes, namely, for attendance in each session of the Legislative Assembly or Legislative Council, as the case may be, or at any sittings of any committee therof, only for coming to the place of sitting and going back to his residence not more than twice in a calendar month:

Provided that if a member attends the sittings of two or more committees in the same calendar month, he shall be entitled to incidental charges under this clause for not more than four times in such month;

(*b*) incidental charges for participating in a meeting called by the Speaker or the Chairman, as the case may be, for coming to the place of meeting and for going back to his residence;

(*c*) incidental charges for journeys performed by him as Chairman of a Committee in connection with the work of the Committee, other than a meeting of the Committee, for coming to Lucknow and for going back to his residence not more than twice in a calendar month; and

(*d*) daily allowance at the rate of thirty rupees per day which shall be calculated in accordance with the following principle, namely–

(i) the allowance shall be payable for each day of attendance during the session of the Legislative Assembly or the Legislative Council, as the case may be, or at any sittings of any committee thereof;

(ii) the allowance shall also be payable for one day before and one day after a continuous sitting of the Legislative Assembly or the Legislative Council, as the case may be, provided that the member is present at the place of such continuous sitting on those days;

(iii) allowance shall also be payable for the days of adjournment in the course of a continuous sitting of the Legislative Assembly or Legislative Council or of its Committee, as the case may be, and for the holidays falling in between such continuous sitting, provided that the member is present at the place of sitting on all such days;

(iv) the allowace shall also be payable for the number of days not exceeding four which intervene between the last day of a sitting of the Legislative Assembly or the Legislative Council or of its Committee, and the first day of the sitting of the same or another Committee of the Legislative Assembly or the Legislative Council, provided that the member is present at the place of sitting on all such days;

(v) where in a case falling under sub-clause (iii) or sub-clause (iv), a member leaves the place of sitting for his residence or for his

constituency, he shall be entitled to a daily allowance in accordance with the provisions of this clause or incidental charges in accordance with clause (*a*) or clause (*b*) whichever is less ;

(vi) no such allowance shall be payable to the Leader of Opposition of the Uttar Pradesh Legislative Assembly.

Emplanation–A sitting shall be deemed to be continuous if the number of days between the last day of a meeting and the first day of another meeting is not more than four.

Amendment of Section 2-A

3. In section 2-A of the principal Act.–

(*a*) *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely–

"(1) The Leader of Opposition of the Uttar Pradesh Legislative Assembly shall be entitled to receive a salary of rupees one thousand per mensum and a conveyance allowance of rupees three hundred per mensum.";

(*b*) *for* sub-section (3), the following sub-section shall be *substituted*, namely–

"(3) The Leader of Opposition of the Uttar Pradesh Legislative Assembly and the leader of Opposition of the Uttar Pradesh Legislative Council shall be entitled, without payment of rent to the use throughout the term of office, of a residence at Lucknow, furnished and maintained on a scale to be prescribed.";

(*c*) in sub-section (4), *for* the word "He", the words "The Leader of Opposition of the Uttar Pradesh Legislative Assembly" shall be *substituted.*

4. In section 2-B of the principal Act,– Amendment of Section 2-B

(*a*) in sub-section (1), *for* the words "the Leader of Opposition", the words "the Leader of Opposition of the Uttar Pradesh Legislative Assembly or the Leader of Opposition of the Uttar Pradesh Legislative Council" shall be *substituted* ;

(*b*) after sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted,* Namely :–

"(3) Each member referred to in sub-section (1) of section 2 shall be entitled to such facilities regarding telephone at Lucknow and the place of his residence or in his constituency as may be prescribed by rules."

5. In section 3 of the principal Act, in sub-setion (1), *for* the words "the Leader of Opposition" the words "the Leader of Opposition of the Uttar Pradesh Legislative Assembly" shall be *substituted.*

By order,
R.C. DEO SHARMA.
Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1
संख्या 2921/सत्रह-वि-1--80-80
लखनऊ, 25 अक्टूबर, 1980

अधिसूचना
विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) विधेयक, 1980 पर दिनांक 25 अक्टूबर, 1980 ई0 को

अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, सन् 1980 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) अधिनियम, 1980

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1980)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के वेतन और भत्तों के भुगतान, और अन्य सुविधाओं से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है-

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) अधिनियम, 1980 कहा जायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे।

परिभाषाएं

2-इस अधिनियम में-

(क) ''सभा'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा से है

(ख) ''सभापति'' का तात्पर्य परिषद् के सभापति से है

(ग) ''परिषद्'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से है

(घ) ''उप सभापति'' का तात्पर्य परिषद् के उप सभापति से है;

(ङ) “उपाध्यक्ष” का तात्पर्य सभा के उपाध्यक्ष से है;

(च) किसी सदस्य के सम्बन्ध में, "सदस्यता की अवधि" का तात्पर्य-

(एक) यथास्थिति, उसके निर्वाचन या नाम निर्देशन की अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से, या भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 के अनुसार शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के दिनांक से, इनमें से जो भी पहले हो, प्रारम्भ होने वाली, और

(दो) उस दिनांक को, जब वह मृत्यु या पद-त्याग के कारण या अन्यथा ऐसा सदस्य न रह जाय, समाप्त होने वाली अवधि से है;

(छ) "आनुषंगिक व्यय" का तात्पर्य-

(एक) रेल द्वारा की गयी यात्रा की दशा में एक व्यक्ति के लिए प्रथम श्रेणी में ऐसी यात्रा के रेल किराये के बराबर धनराशि से है;

(दो) किसी अन्य दशा में विहित दर से, इस रूप में, देय धनराशि से है;

(ज) "नेता विरोधी दल" का तात्पर्य सभा या परिषद् के उस सदस्य से है जिसे, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति द्वारा तत्समय इस रूप में अभिज्ञात किया गया हो;

(झ) "सदस्य" का तात्पर्य सभा या परिषद् के उस सदस्य से है जो मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उप सभापति या संसदीय सचिव के पद पर आसीन न हो;

(ञ) "मंत्री" के अन्तर्गत मुख्य मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री भी हैं;

(ट) किसी सदस्य के सम्बन्ध में, "निवास स्थान'' का तात्पर्य उप स्थान से है जिसका किसी सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रविष्टि के अनुसार सदस्य सामान्यतः निवासी है, और यदि सदस्य ऐसे स्थान में परिवर्तन कर दे तो

उत्तर प्रदेश में उस स्थान से है जिसे सदस्य के अनुरोध पर सचिव द्वारा ऐसा स्थान अधिसूचित किया जाय;

परन्तु कोई ऐसी अधिसूचना, यथास्थिति, निर्वाचन के पश्चात् या इस खण्ड के अधीन जारी की गयी पूर्व अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् छः मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व जारी नहीं की जायेगी;

(ठ) "रेल कूपन" का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए रेलवे बोर्ड के प्राधिकार से जारी किये गये निःशुल्क असंक्रमणीय रेल यात्रा कूपन से है;

(ड) "सचिव" का तात्पर्य सभा के सदस्यों के सम्बन्ध में, सभा के सचिव से है, और परिषद् के सदस्यों के सम्बन्ध में, परिषद् के सचिव से है;

(ढ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष से है;

(ण) "वर्ष" का तात्पर्य पहली जून को प्रारम्भ होने वाली और अनुवर्ती इकतीस मई को समाप्त होने वाली बारह मास की अवधि से है।

अध्याय दो

वेतन और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता

वेतन

3-(1) सभा के नेता विरोधी दल से भिन्न, प्रत्येक सदस्य अपनी सदस्यता की अवधि के लिये पांच सौ रुपये प्रतिमास का वेतन पाने का हकदार होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट वेतन का भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्--

(क) वेतन में अनुपस्थिति या अन्य कारण के आधार पर ऐसी कटौतियां की जा सकेंगी जैसी विहित की जायं;

(ख) किसी सदस्य को उस अवधि के लिए जिसमें वह किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी विनिश्चय के फलस्वरूप, यथास्थिति, सभा या परिषद् में बैठने के लिए अक्षम हो जायं, कोई वेतन देय नहीं होगा;

(ग) सभा के किसी सदस्य को सभा के गठन के दिनांक की पूर्ववर्ती अवधि के लिए कोई वेतन देय न होगा;

(घ) परिषद् के किसी सदस्य को उस रिक्ति के, जिस रिक्ति के फलस्वरूप वह सदस्य निर्वाचित या नाम निर्देशित हुआ है, दिनांक की पूर्ववर्ती अवधि के लिये कोई वेतन देय न होगा।

निर्वाचन क्षेत्र भत्ता

4-सभा या परिषद् का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या न हो, अपनी सदस्यता की अवधि में पांच सौ रुपये प्रति मास का निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता पाने का हकदार होगा।

अध्याय तीन

यात्रा सुविधा

उत्तर प्रदेश के भीतर रेल द्वारा यात्रा

5-प्रत्येक सदस्य को, विहित रीति से, ऐसे मूल्य के रेल कूपन दिये जायेंगे जिससे वह उत्तर प्रदेश के भीतर किसी भी समय और किसी रेल द्वारा प्रथम श्रेणी में यात्रा करने का हकदार हो सके।

उत्तर प्रदेश के बाहर रेल द्वारा यात्रा

6-प्रत्येक सदस्य को विहित रीति से ऐसे मूल्य के रेल कूपन भी दिये जायेंगे जिससे वह उत्तर प्रदेश के बाहर किसी भी समय और किसी रेल द्वारा प्रथम श्रेणी में

(क) ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों और कृत्यों के निर्वहन के लिये अपेक्षित अपनी उपस्थिति के लिये किसी बैठक के स्थान तक जाने और अपने निवास स्थान को वापस आने के लिये प्रत्येक वर्ष 4,000 किलोमीटर की अधिकतम सीमा तक यात्रा करने का हकदार हो सके, और

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिये प्रत्येक वर्ष 15,000 किलोमीटर की अधिकतम सीमा तक यात्रा करने का हकदार हो सके।

प्रथम स्पष्टीकरण-खण्ड (ख) के अधीन यात्रा की दूरी की संगणना करने के प्रयोजनों के लिये, उत्तर प्रदेश के भीतर किन्हीं दो रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी सम्मिलित नहीं की जायेगी।

द्वितीय स्पष्टीकरण-खण्ड (क) तथा (ख) में निर्दिष्ट यात्रा के लिये, रेल कूपन का मूल्य राज्य सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड के परामर्श से निर्धारित किया जायेगा।

सहवर्ती के साथ यात्रा

7-किसी सदस्य द्वारा अपने साथ रेल यात्रा में प्रथम श्रेणी में निम्नलिखित दशाओं में एक सहवर्ती ले जाने के लिये भी धारा 5 में निर्दिष्ट रेल कूपन का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात्--

(क) यथास्थिति, सभा या परिषद् के प्रत्येक सत्र में, अधिक से अधिक दो बार, अपने निवास स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन से लखनऊ तक आने और लखनऊ से ऐसे रेलवे स्टेशन तक वापस जाने के लिए;

(ख) किसी महिला सदस्य की स्थिति में ऐसी यात्रा के लिए जो उसके द्वारा ऐसा सदस्य होने के नाते अपने कर्तव्यों और कृत्यों के सम्बन्ध में अपनी अपेक्षित उपस्थिति के लिए और ऐसी उपस्थिति के पश्चात् अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिए की जाय।

परिवार के सदस्यों के साथ यात्रा

8-धारा 6 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट रेल कूपनों का प्रयोग, ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसे विहित किये जायं, किसी सदस्य द्वारा अपने साथ अपने परिवार के सदस्यों को उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर प्रथम श्रेणी में रेल यात्रा में ले जाने के लिए किया जा सकता है, किन्तु इस प्रकार यात्रा का

कुल व्यय (जिसके अन्तर्गत ऐसे सदस्य द्वारा उत्तर प्रदेश के बाहर की गयी यात्रा का व्यय भी है) उक्त धारा के अनुसार अवधारित अधिकतम सीमा से अधिक न होगा।

मंत्री, अध्यक्ष आदि द्वारा यात्रा

9-प्रत्येक सदस्य को, जो धारा 2 के खण्ड (झ) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन हो,-

(क) धारा 5 में निर्दिष्ट रेल कूपन दिये जायेंगे, जिनका प्रयोग वह सार्वजनिक कार्य से भिन्न प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश के भीतर प्रथम श्रेणी में यात्रा के लिए, विहित रीति से करने का हकदार होगा;

(ख) धारा 6 के खण्ड (ख) निर्दिष्ट रेल कूपन दिये जायेंगे, जिनका प्रयोग वह सार्वजनिक कार्य से भिन्न प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर प्रथम श्रेणी में की गयी यात्राओं में अपने साथ अपने परिवार के सदस्यों को ले जाने के लिए, विहित रीति से करने का हकदार होगा, किन्तु इस प्रकार कि ऐसी यात्राओं का कुल व्यय (जिसके अन्तर्गत ऐसे सदस्य द्वारा और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश के बाहर की गयी यात्राओं का व्यय भी है) उक्त धारा के खण्ड (ख) के अनुसार अवधारित अधिकतम सीमा से अधिक न होगा।

रेल कूपनों की विधिमान्यता

10-इस अध्याय के अधीन जारी किया गया रेल कूपन ऐसी अवधि के लिए विधि मान्य होगा, और प्रत्येक अप्रयुक्त कूपन सचिव को, ऐसी रीति से लौटा दिया जायेगा जो विहित की जाय।

द्वितीय श्रेणी में रेल द्वारा यात्रा

11-जहां कोई सदस्य रेल द्वारा द्वितीय श्रेणी में यात्रा करता है और ऐसा सदस्य धारा 5 और 6 में निर्दिष्ट कोई रेल कूपन स्वीकार नहीं करता है, वहां वह ऐसे कूपनों के बदले में निम्नलिखित धनराशि विहित रीति से मांगने का हकदार होगा, अर्थात्-

(क) उत्तर प्रदेश के भीतर की गयी यात्रा की स्थिति में, द्वितीय श्रेणी में ऐसी यात्रा में वास्तव में व्यय किये गये रले भाड़े के बराबर धनराशि;

(ख) उत्तर प्रदेश के बाहर की गयी यात्रा की स्थिति में, उतनी धनराशि जितनी उसने प्रतिवर्ष 15,000 किलोमीटर की अधिकतम सीमा तक किसी भी समय और किसी भी रेल द्वारा द्वितीय श्रेणी में की गयी यात्रा में रेल भाड़े पर वास्तविक रूप से खर्च की हो;

(ग) किसी सहवर्ती द्वारा की गयी यात्रा की स्थिति में, द्वितीय श्रेणी में ऐसी यात्रा में वास्तव में व्यय किये गये रेल भाड़े के बराबर धनराशि, बशर्ते सहवर्ती द्वारा ऐसी यात्रा धारा 7 में उल्लिखित परिस्थितियों में की गयी हो;

(घ) खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी यात्रा की स्थिति में, यथास्थिति एक सीट या शयन यान (स्लीपर) में एक बर्थ के लिये आरक्षण प्रभार के रूप में व्यय की गयी धनराशि।

वातानुकूलित कम्पार्टमेन्ट में यात्रा

12-इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, धारा 5 से 10 में निर्दिष्ट रेल कूपनों का प्रयोग, यथास्थिति उत्तर प्रदेश के भीतर, या बाहर, निम्नलिखित कम्पार्टमेन्ट में रेल-यात्रा के लिये भी किया जा सकता है, अर्थात्-

(क) वातानुकूलित (चेयर कार) कम्पार्टमेन्ट;

(ख) वातानुकूलित (टू-टीयर स्लीपर) कम्पार्टमेन्ट।

बस द्वारा यात्रा

13-(1) प्रत्येक सदस्य को, विहित रीति से, निःशुल्क असंक्रमणीय पास दिया जायेगा जिससे वह उत्तर प्रदेश के भीतर किसी भी समय उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस द्वारा, उच्चतम श्रेणी में, यदि कोई हो, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन देय यात्री कर का भुगतान किये बिना यात्रा करने का हकदार होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पास का प्रयोग सदस्य द्वारा बस में अपने साथ एक सहवर्ती को ले जाने के लिये भी किया जा सकता है।

(3) इस धारा के अधीन किसी सदस्य को जारी किया गया प्रत्येक पास उसकी सदस्यता की अवधि के लिये विधिमान्य होगा और ऐसी सदस्यता की अवधि के समाप्त होने पर उसे सचिव को लौटा दिया जायेगा।

अध्याय चार

आनुषंगिक व्यय और दैनिक भत्ता

14-प्रत्येक सदस्य को, ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों या कृत्यों के सम्बन्ध में अपनी उपस्थिति के लिये ऐसी दरों पर और ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जायं, निम्नलिखित दशाओं में आनुषंगिक व्यय देय होगा, अर्थात्- आनुषंगिक व्यय

(क) यथास्थिति, सभा या परिषद् के प्रत्येक सत्र में या उसकी किसी समिति के किसी उपवेशन में उपस्थित होने के लिए किसी कलेण्डर मास में अधिक से अधिक दो बार, केवल उपवेशन के स्थान पर आने के लिए और अपने निवास-स्थान को वापस जाने के लिए की गयी यात्रा के लियेः

परन्तु यदि कोई सदस्य एक ही कलेण्डर मास में दो या अधिक समितियों के उपवेशन में भाग लेता है तो इस खण्ड के अधीन आनुषंगिक व्यय किसी भी दशा में ऐसे मास में चार से अधिक बार देय नहीं होगा;

(ख) यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति द्वारा बुलाई गयी किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए, बैठक के स्थान पर आने के लिये और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिए की गयी यात्रा के लिए;

(ग) समिति के ऐसे कार्य के सम्बन्ध में, जो समिति की बैठक से भिन्न हो, किसी समिति के सभापति के रूप में, उसके द्वारा किसी कलेण्डर मास में अधिक से अधिक दो बार लखनऊ आने के लिए और अपने निवास स्थान को वापस जाने के लिए की गयी यात्राओं के लिये;

(घ) लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति या किसी अन्य राज्य के विधान मण्डल के अध्यक्ष या सभापति द्वारा या उनके प्राधिकार से या भारतीय संसदीय अध्ययन संस्थान द्वारा, संवैधानिक अध्ययन या सेमिनार के सम्बन्ध में बुलाई गयी किसी बैठक में उपस्थित होने के लिए की गयी यात्राओं के लिये;

परन्तु ऐसा सदस्य धारा 2 के खण्ड (ढ) में यथा परिभाषित अध्यक्ष या उक्त धारा के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित सभापति द्वारा ऐसी बैठक में उपस्थित होने के लिये नाम निर्दिष्ट किया गया होः

परन्तु यह और कि किसी ऐसी बैठक में भाग लेने के लिये दो से अधिक सदस्य नाम निर्दिष्ट नहीं किये जायेंगे और कोई ऐसा नाम निर्देशन एक वर्ष में दो बार से अधिक के लिये नहीं किया जायेगा।

दैनिक भत्ता

15-प्रत्येक सदस्य तीस रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता का हकदार होगा जिसकी संगणना निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार की जायेगी, अर्थात्-

(एक) उक्त भत्ता, यथास्थिति, सभा या परिषद् के सत्र के दौरान, या उसकी किसी समिति के किन्हीं उपवेशनों में, प्रत्येक दिन की उपस्थिति के लिये देय होगा;

(दो) उक्त भत्ता, यथास्थिति, सभा या परिषद् के लगातार उपवेशन के एक दिन पूर्व और एक दिन पश्चात् के लिए भी देय होगा यदि सदस्य, उन दिनों में ऐसे लगातार उपवेशन के स्थान पर उपस्थित हो;

(तीन) उक्त भत्ता, यथास्थिति, सभा या परिषद् के या उसकी समिति के किसी लगातार उपवेशन के दौरान स्थगन के दिनों के लिये, और ऐसे लगातार उपवेशनों के बीच में पड़ने वाली छुट्टी के दिनों के लिए भी देय होगा, यदि सदस्य ऐसे सभी दिनों में उपवेशन के स्थान पर उपस्थित हो;

(चार) उक्त भत्ता चार से अनधिक ऐसे दिनों के लिए भी देय होगा जो सभा परिषद् के या उसकी समिति के किसी उपवेशन के अन्तिम दिन और उसी या किसी अन्य समिति के या सभा या परिषद् के उपवेशन के प्रथम दिन के बीच पड़े, यदि सदस्य ऐसे सभी दिनों में उपवेशन के स्थान पर उपस्थित हो;

(पांच) जहां खण्ड (तीन) या खण्ड (चार) के अधीन आने वाली किसी स्थिति में कोई सदस्य उपवेशन के स्थान से अपने निवास-स्थान या अपने निर्वाचन क्षेत्र को चला जाय, वहां वह, धारा 14 में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के उपबन्धों के अनुसार दैनिक भत्ता का, या धारा 14 के अनुसार आनुषंगिक व्यय का, इनमे जो भी कम हो, हकदार होगा;

(छः) सभा के नेता विरोधीदल को ऐसा कोई भत्ता देय नहीं होगा।

स्पष्टीकरणः इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी उपवेशन को लगातार समझा जायेगा यदि किसी बैठक के अन्तिम दिन और दूसरी बैठक के प्रथम दिन के बीच दिनों की संख्या चार से अधिक न हो।

अध्याय पांच

सदस्यों के लिये आवास व्यवस्था

लखनऊ में आवास व्यवस्था

16-(1) प्रत्येक सदस्य (जिसके अन्तर्गत संसदीय सचिव भी है) अपनी सदस्यता की अवधि और ऐसी अग्रेतर अवधि जैसी विहित की जाय, के लिए लखनऊ में ऐसे आवास का, किराये का भुगतान किये बिना, उपयोग करने का हकदार होगा जिसकी उसके लिए व्यवस्था की जाय।

(2) जहां किसी सदस्य को उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आवास की व्यवस्था न की गयी हो, वहां वह विहित दर से आवास भत्ता पाने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण–किसी सदस्य को आवास की व्यवस्था उस दिनांक को की गयी समझी जायेगी जब उसके पक्ष में उसे प्रदिष्ट करने की सूचना उसे दे दी जाय चाहे ऐसा सदस्य प्रदेशन को स्वीकार करे या न करे या आवास पर अध्यासन करे या न करे।

आवास व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम

17-(1) धारा 16 के अधीन आवास के प्रदेशन के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है जिसमें निम्नलिखित बातों की व्यवस्था की जायेगी, अर्थात्--

(क) आवास का, जिसके लिए कोई सदस्य हकदार होगा, मानक निर्धारित करना;

(ख) ऐसा मानक नियत करना जिसके अनुसार प्रत्येक ऐसा आवास सुसज्जित किया जयेगा;

(ग) प्रत्येक ऐसे आवास का मानक किराया नियत करना;

(घ) ऐसी धनराशि निश्चित करना जो किसी ऐसे सदस्य जिसे मानक आवास से भिन्न आवास की व्यवस्था की जा, को देय होगी या, यथास्थिति, उससे वसूली योग्य होगी;

(ङ) राज्य सरकार द्वारा समस्त व्यय का जिसके अन्तर्गत विद्युत और जल का व्यय भी है, भुगतान किये जाने के लिये और ऐसे आवास में जल और विद्युत के सम्भरण को विनियमित करने के लिए उपबन्ध बनाना।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियम उन सदस्यों के सम्बन्ध में भी बनाये जा सकते हैं जो धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हों।

अध्याय छः

टेलीफोन की सुविधा

सदस्यों को टेलीफोन

18-प्रत्येक सदस्य लखनऊ में और अपने सामान्य निवास पर या अपने निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन सम्बन्धी ऐसी सुविधाओं का हकदार होगा, जैसी विहित की जायं।

अध्यात सात

नेता विरोधी दल को सुविधायें

19-(1) सभा का नेता विरोधी दल एक हजार रुपये प्रतिमास की दर से वेतन पाने का हकदार होगा। वेतन

(2) उपधारा (1) निर्दिष्ट वेतन, आयकर से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन उसके सम्बन्ध में (परिलब्धियों सहित) देय कर के अतिरिक्त होगा, और ऐसा कर राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायगा।

(3) धारा की उपधारा (2) के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस धारा के अधीन सभा के नेता विरोधी दल के वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में लागू होंगे।

20-नेता विरोधी दल अपनी पदावधि और ऐसी अग्रेतर अवधि जैसी विहित की जाय, के लिए लखनऊ में निवास-स्थान का, किसी किराये का भुगतान किये बिना, उपयोग करने का हकदार होगा, जिसे विहित स्तर पर सुसज्जित और अनुरक्षित किया जायेगा। आवास

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनार्थ किसी निवास स्थान के सम्बन्ध में ''अनुरक्षण'' के अन्तर्गत स्थानीय रेट और करों का भुगतान करना और जल की व्यवस्था करना और एक सौ रुपये प्रति मास की अधिकतम सीमा तक (विद्युत शुल्क सहित) विद्युत की व्यवस्था करना भी है।

21-नेता विरोधी दल उत्तर प्रदेश के भीतर किसी भी समय और किसी भी रेल द्वारा प्रथम श्रेणी के आरक्षित कूपे (दो बर्थ वाला कम्पार्टमेन्ट) में या वातानुकूलित श्रेणी में एकल आरक्षित बर्थ में यात्रा करने और उक्त प्रयोजन के लिये धारा 5 और 6 में निर्दिष्ट रेल कूपनों का प्रयोग करने का हकदार होगा। यात्रा सुविधा

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश में किसी रेलवे स्टेशन और दिल्ली में किसी रेलवे स्टेशन के बीच की यात्रा को उत्तर प्रदेश के भीतर यात्रा समझा जायेगा।

कर्मचारीगण

22-नेता विरोधी दल के अधीन ऐसे कर्मचारी रखे जायेंगे, जैसा विहित किया जायः

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को स्वीकृत कर्मचारियों में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा, जब तक कि धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन नियम न बना दिये जायं।

अध्याय आठ

भूतपूर्व सदस्यों को पेंशन

कतिपय पदों का अर्थ

23-इस अध्याय के प्रयोजनार्थ-

(क) पद "सभा" या "परिषद" के अन्तर्गत क्रमशः यूनाइटेड प्राविंसेज लेजिस्लेटिव असेम्बली या यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव कौंसिल भी है जिसने 1 जनवरी, 1946 और भारत का संविधान के प्रारम्भ के दिनांक के बीच, और तत्पश्चात् राज्य के लिये अस्थायी विधान मण्डल के सदन के रूप में कार्य किया;

(ख) पद "वर्ष" का तात्पर्य बारह कलेण्डर मास की किसी अवधि से है;

(ग) जिस अवधि में कोई व्यक्ति सभा या परिषद में अपनी सदस्यता के आधार पर धारा 2 के खण्ड (झ) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन रहा हो, उस अवधि की भी गणना ऐसी सदस्यता की अवधि अवधारित करने के लिये की जायेगी।

भूतपूर्व सदस्यों को पेंशन

24-प्रत्येक व्यक्ति जिसने सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में या अंशतः सभा के सदस्य के रूप में और अंशतः परिषद् के सदस्य के रूप में पांच वर्ष की अवधि (चाहे निरन्तर हो या नहीं) के लिये कार्य किया हो, अपने जीवन पर्यन्त तीन सौ रुपया प्रति मास की दर से पेंशन पाने का हकदार होगा;

परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने उपर्युक्तानुसार पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए कार्य किया हो, वहां वह पांच वर्ष से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये पचास रुपया प्रतिमास की दर से अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार होगा, किन्तु इस प्रकार कि इस धारा के अधीन देय पेंशन की अधिकतम धनराशि, किसी भी दशा में, पांच सौ रुपये प्रतिमास से अधिक न होगी।

स्पष्टीकरण–जहां किसी व्यक्ति ने सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में ऐसी अवधि तक कार्य किया हो, जो पांच वर्ष से, अधिकतम एक मास कम हो, वहां इस धारा के प्रयोजनार्थ यह समझा जायेगा कि उस व्यक्ति ने पांच वर्ष के लिए सदस्य के रूप में कार्य किया है।

पेंशन कब देय नहीं होगी

25–धारा 24 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति निम्नलिखित स्थिति में इस अध्याय के अधीन कोई पेंशन पाने का हकदार न होगा, अर्थात्–

(क) जहाँ कोई व्यक्ति संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के उपबन्धों के अधीन प्रतिमास पांच सौ रुपये या इससे अधिक धनराशि की कोई पेंशन पाने का हकदार हो;

(ख) जहां कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन सवेतन नियोजित हो या ऐसी सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम से या किसी स्थानीय प्राधिकारी से कोई पारिश्रमिक पाने का अन्यथा हकदार हो जाय, और ऐसा वेतन या पारिश्रमिक प्रतिमास पांच सौ रुपये के बराबर या इससे अधिक हो और वह इस प्रकार नियोजित या ऐसा पारिश्रमिक पाने का हकदार बना रहे;

(ग) जहां कोई व्यक्ति कोई पेंशन, जो खण्ड (क) में निर्दिष्ट पेंशन या स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के रूप में उसे दी गयी पेंशन न हो, केन्द्रीय सरकार से या किसी राज्य सरकार या ऐसी सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम से या विधि के अधीन या अन्यथा किसी स्थानीय प्राधिकारी से पाने का हकदार हो, और ऐसी पेंशन की धनराशि प्रतिमास पांच सौ रुपये के बराबर या उससे अधिक हो;

(घ) जहां कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित किया जाय या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त किया जाय और ऐसे पद पर आसीन रहे;

(ङ) जहां कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान सभा विधान परिषद् के या संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट किया जाय और ऐसा सदस्य बना रहे।

कतिपय मामलों में पेंशन की धनराशि

26–जहां धारा 25 के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में उल्लिखित परिस्थितियों में, कोई व्यक्ति पांच सौ रुपये प्रतिमास से कम धनराशि की कोई पेंशन, वेतन या पारिश्रमिक का हकदार हो, वहां धारा 24 के अधीन ऐसे व्यक्ति को देय पेंशन उतनी धनराशि से अधिक नहीं होगी जितनी से ऐसी पेंशन, वेतन या पारिश्रमिक पांच सौ रुपये प्रतिमास से कम पढ़ती हो।

अध्याय नौ

प्रकीर्ण

वेतन आदि का त्याग

27–कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किसी वेतन, भत्ता या अन्य सुविधाओं का हकदार है, ऐसे सम्पूर्ण वेतन, भत्ता या सुविधा या उसके किसी भाग को, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति को लिखित सूचना देकर त्याग सकता हैः

परन्तु ऐसे किसी त्यजन को वह किसी भी समय, यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति को लिखित सूचना देकर भविष्यलक्षी प्रभाव से रद्द कर सकता है।

सदस्यों के वेतन बिल से सरकारी और अन्य देयों की वसूली

28-(1) जब कभी किसी सदस्य पर किन्हीं सरकारी देयों (जैसे आवास किराया या प्रभार, टेलीफोन देय) के बकाया होने की सूचना दी जाय और उसके समर्थन में सम्बद्ध प्राधिकारी से समुचित मांग या बिल प्राप्त हों, और ऐसा सदस्य ऐसे देयों का भुगतान न करे, तब सचिव द्वारा ऐसे सदस्य के वेतन या यात्रा और दैनिक भत्ता बिलों से ऐसे देयों के बराबर धनराशि काट ली जायेगी।

(2) साधारणतया किसी सदस्य पर बकाया किन्हीं गैर सरकारी देयों की वसूली उसके वेतन या भत्तों से नहीं की जायेगी किन्तु जहां ऐसी देय धनराशि उसके संसदीय कर्तव्यों के दौरान उसको दी गयी किन्हीं सेवाओं के कारण हो, जैसे जब वह किसी समिति के साथ दौरे पर हो, और ऐसी सेवाओं के लिए व्यवस्था राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों के अनुरोध पर अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं या निजी पार्टियों द्वारा या उनके अनुरोध पर की गयी हो, और ऐसा सदस्य ऐसे देयों का भुगतान नहीं करता है, वहां उसकी वूसली ऐसे सदस्य के वेतन या यात्रा या दैनिक भत्ता बिलों से की जा सकती है।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

29-(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई, विशेष रूप से धारा 31 द्वारा निरसित अधिनियमित के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों में संक्रमण से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी अवधि में, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वे उपान्तर, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगेः

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था।

नियम बनाने की शक्ति

30-(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) धारा 31 द्वारा निरसित अधिनियमिति के अधीन बनाये गये और इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को प्रवृत्त सभी नियम, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समझे जायेंगे, और वे तक तब विधिमान्य और प्रभावी बने रहेंगे जब तक कि उन्हें निरसित न कर दिया जाय।

निरसन

31-उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) अधिनियम, 1952 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव।

No. 2921(2)/XVII-V-1–80-80

Dated Lucknow, October 25, 1980

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Upalabdhiyan Aur Pension) Adhiniyam, 1980

(Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 23 of 1980) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 25, 1980:

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS EMOLUMENTS AND PENISON) ACT, 1980

[U.P. ACT No. 23 of 1980]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to consolidate and amend the law relating to payment of salaries, allowances, and other facilities to the members of the State Legislature.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-First Year of the Republic of India as follows:

CHAPTER-I

Preliminary

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Members Emoluments and Pension) Act, 1980.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint in this behalf.

Definition

2. In this Act,–

(a) 'Assembly' means the Uttar Pradesh Legislative Assembly;

(b) 'Chairman' means the Chairman of the Council;

(c) 'Council' means the Uttar Pradesh Legislative Council;

(d) 'Deputy Chairman' means the Deputy Chairman of the Council;

(e) 'Deputy Speaker' means the Deputy Speaker of the Assembly;

(f) 'duration of membership', in relation to a member means the period–

(i) beginning with the date of publication, in the official Gazette, of the notification of his election or nomination, as the case may be, or the date he makes or subscribes the oath or affirmation in accordance with Article 188 of the Constitution of India, whichever is earlier; and

(ii) ending with the date when he cases to be such a member due to death, resignation or otherwise;

(g) incidental charge means–

(i) in the case of a journey performed by rail, an amount equal to the railway fare for such journey in first class for one person;

(ii) in any other case, the amount payable as such at the rate to be prescribed;

(h) 'Leader of Opposition' means the member of the Assembly or the Council who is, for the time being, recognised as such by the Speaker or the Chairman, as the case may be;

(i) 'Member' means a member of the Assembly or the Council, who does not hold the office of a Minister, Speaker, Deputy Speaker, Chairman, Deputy Chairman or Parliamentary Secretary;

(j) 'Minister' includes the Chief Minister, a Minister for State or a Deputy Minister;

(k) 'place of residence' in relation to a member means the place of which the member is according to the entry in the electoral roll of an Assembly Constituency, ordinarily resident, and in case the member changes such place, the place within Uttar Pradesh notified as such on request of the member by the Secretary:

Provided that no such notification shall be issued before the expiry of the period of six months after the election or after the issue of the earlier notification issued under this clause, as the case may be.

(l) 'Railway coupons' means free non-transferable rail travel money value coupons issued under the authority of the Railway Board for the purposes of this Act;

(m) 'Secretary', in relation to members of the Assembly, means the Secretary of the Assembly, and in relation to the members of the Council, means the Secretary of the Council;

(n) 'Speaker' means the Speaker of the Uttar Pradesh Legislative Assembly;

(o) 'Year' means the period of twelve months commencing on the first day of June and ending on the 31st day of May next following.

CHAPTER-II

Salary and Constituency Allowance

3. (1) Every member, other than the Leader of Opposition of the Assembly, shall be entitled to receive, for the duration of his membership, a salary of five hundred rupees per month. Salary

(2) The payment of salary referred to in sub-section (1) shall be subject to the following conditions, namely:–

(a) the salary shall be liable to such deductions on the ground of absence or other cause as may be prescribed;

(b) no salary shall be payable to a member for the period during which he is unable to sit in the Assembly or Council, as the case may be, as a result of any decision of any court or tribunal;

(c) no salary shall be payable to a member of the Assembly for the period preceding the date of Constitution of the Assembly;

(d) no salary shall be payable to member of the Council for the period preceding the date of vacancy as a result of which such member is elected or nominated.

Constituency Allowance

4. Every member of the Assembly or Council, whether or not he holds any of the offices referred to in clause (i) of section 2, shall be entitled to receive, for the duration of his membership a constituency allowance of five hundred rupees per month.

CHAPTER-III

Travel facilities

Journey by rail within Uttar Pradesh

5. Every member shall be provided, in the manner prescribed, with railway coupons of such value as may entitle him to travel in first class within Uttar Pradesh at any time and by any railway.

Journey by rail outside Uttar Pradesh

6. Every member shall also be provided, in the manner prescribed, with railway coupons of such value as may entitle him to travel in first class outside Uttar Pradesh at any time and by any railway–

(a) for his going to the place of any meeting wherein his attendance is required in connection with his duties and functions as such members and for coming back to the place of his residence up to a maximum limit of 4,000 kilometres per year; and

(b) for purposes other than those specified in clause (a) up to a maximum limit of 15,000 kilometers per year.

Explanation-I–For the purpose of computing the distance of journeys under clause *(b)* the distance between any two railway stations inside Uttar Pradesh shall be excluded.

Explanation-II–The value of railway coupons for journeys referred to in clause *(a)* and *(b)* shall be determined by the State Government in consultation with the Railway Board.

Journey with companion

7. The railway coupons referred to in section 5 may also be used by a member for taking along with himself in journeys by rail in first Class one companion in the following cases, namely:–

(a) not more than twice during each session of the Assembly or the Council, as the case may be, for coming to Lucknow from the railway station nearest to the place of his residence, and going back from Lucknow to such railway station;

(b) in the case of a woman member, for such journey as is performed by her for her attendance required in connection with her duties and function as such member, and for returning after such attendance, to the place of her residence.

Journey with the members of family

8. The railway coupons referred to in clause *(b)* of section 6 may, subject to such restrictions, as may be prescribed, be used by a member for taking along with himself the members of his family in journeys by rail in First Class within or outside Uttar Pradesh so, however, that the cost of such journeys in aggregate (including the cost of journeys made by such member outside Uttar Pradesh) does not exceed the maximum limit determined in accordance with the said section.

Journey by Minister, Speaker etc

9. Every member who holds any of the offices mentioned in clause (i) of section 2 shall be provided with railway coupons:–

(a) referred to in section 5, which he shall be entitled to use, in the manner prescribed, for travelling in First Class within Uttar Pradesh for purposes other than public business;

(b) referred to in clause *(b)* of section 6, which he shall be entitled to use, in the manner prescribed, for taking along with himself the members of his family in connection with journeys performed in First Class within or outside Uttar Pradesh for purposes other than public business, so however, that the cost of such journeys in aggregate (including the cost of journey made by such member and the members of his family outside Uttar Pradesh does not exceed the maximum limit determined in accordance with clause *(b)* of the said section.

Validity of railway coupons

10. The railway coupons issued to a member under this Chapter shall be valid for such period and every unused coupon shall be surrendered to the Secretary in such manner as may be prescribed.

Journey by rail in Second Class

11. Where a member travels by rail in the Second Class and such member does not accept any railway coupon referred to in sections 5 and 6, he shall be entitled to claim, in the manner prescribed, the following amounts in lieu of such coupons, namely:–

(a) in the case of a journey performed within Uttar Pradesh, an amount equal to the railway fare actually spent on such journey by Second Class;

(b) in the case of a journey performed outside Uttar Pradesh, the amount actually spent on railway fare for journeys performed by him in Second Class at any time and by any railway to a maximum limit of 15,000 kilometres per year;

(c) in the case of a journey performed by a companion, an amount equal to the railway fare actually spent on such journey by Second Class, provided such journey by the companion has been performed in the circumstances mentioned in section 7;

(d in the case of a journey referred to in clause (a) or clause (b), the amount spent as reservation charges for one seat or one berth in sleeper, as the case may be.

Journey in A.C.C.

12. The railway coupons referred to in sections 5 to 10 may, subject to the provisions of this Chapter, be also used for journeys performed within or outside Uttar Pradesh, as the case may be, in–

(a) Air-conditioned (chair-car) compartment; or

(b) Air-conditioned two tier (Second Class Sleeper) compartment.

Journey by Bus

13. (1) Every member shall be provided, in the manner prescribed, with a free non-transferable pass entitling him to travel, at any time within Uttar Pradesh, by the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation Bus, in the highest class, if any, without payment of the passenger tax due under any law for the time being in force.

(2) The pass referred to in sub-section (1) may also be used by member for taking one companion along with him in the Bus.

(3) Every pass issued to a member under this section shall be valid for the duration of his membership and on the expiration of the term of such membership, it shall be surrendered to the Secretary.

CHAPTER-IV

Incidental Charges and Daily Allowance

Incidental Charges

14. Incidental charges shall be payable to every member at such rates and subject to such conditions and restrictions may be prescribed for his attendance in connection with his duties or functions as such member in the following cases, namely–

(a) for journeys for attendance in each sessions of the Assembly or the Council, as the case may be, or at any sitting of any committee thereof only for coming to the place of sitting and going back to the place of his residence, not more than twice in one Calendar month :

Provided that if a member attends the sitting of two or more Committees in the same calendar month, the incidental charges shall in no case be payable under this clause for more than four times in such month;

(b) for journeys for attendance in any meeting called by the Speaker or the Chairman, as the case may be, for coming to the place of the meeting and for going back to the place of his residence;

(c) for journeys performed by him as Chairman of any Committee, in connection with the work of such Committee other than a meeting of the Committee for coming to Lucknow and for going back to the place of his residence, not more than twice in one calendar month;

(d) for journey for attendance in any meeting called by or under the authority of the Speaker of the Lok Sabha or the Chairman of the Rajya Sabha or the Speaker or Chairman of the Legislature of any other State or by the Indian Institute of Parliamentary studies in connection with any meeting relating to the constitutional studies or seminars:

Provided that such member is nominated to attend such meeting by the Speaker as defined in clause *(n)* of section 2 or the Chairman as defined in clause *(b)* of the said section:

Provided further that not more than two members shall be nominated for attendance in any such meeting and that no such nomination shall be made for more than twice in a year.

15. Every member shall be entitled to daily allowance at the rate of thirty rupees per day which shall be calculated in accordance with the following principles, namely– Daily Allowance

(i) the allowance shall be payable for each day of attendance during the sessions of the Assembly or the Council, as the case may be, or at any sittings of any Committee thereof;

(ii) the allowance shall also be payable for one day before and one day after a continuous sitting of the Assembly or the Council, as the case may be, provided that the member is present at the place of such continuous sitting on those days;

(iii) the allowance shall also be payable for the days of adjournment in the course of a continuous sitting of the Assembly or Council or of its Committee, as the case may be, and for the holidays falling in between such continuous sitting, provided that the member is present at the place of sitting on all such days;

(iv) the allowance shall also be payable for the number of days not exceeding four which intervene between the last day of a sitting of the Assembly or the Council or of its Committee, and the first day of the sitting of the same or another Committee or of the Assembly or the Council, provided that the member is present at the place of sitting on all such days;

(v) where in a case falling under clause (iii) or clause (iv), a member leaves the place of sitting for his residence or for his constituency, he shall, not with

standing anything contained in section 14, be entitled to a daily allowance in accordance with the provisions of this section or incidental charges in accordance with section 14, whichever is less;

(vi) no such allowance shall be payable to the Leader of Opposition of the Assembly.

Explanation–For the purposes of this section, a sitting shall be deemed to be continuous if the number of days between the last day of a meeting and the first day of another meeting is not more than four.

CHAPTER-V

Accommodation to Members

Accommodation at Lucknow

16. (1) Every member (including a Parliamentary Secretary) shall be entitled without payment of rent, to the use of such accommodation at Lucknow as may be provided to him for the duration of his membership and such further period as may be prescribed.

(2) Where a member has not been provided with any accommodation referred to in sub-section (1) he shall be entitled to an accommodation allowance at the prescribed rate.

Explanation–A member shall be deemed to have been provided with an accommodation on the date when intimation about its allotment in his favour is given to him whether or not such member accepts the allotment or occupies the accommodation.

Rules regarding accommodation

17. (1) For the purposes of allotment of accommodation under section 16, the State Government may make rules which shall provide for the following matters, namely–

(a) laying down the standard of accommodation to which a member shall be entitled;

(b) fixing the scale on which every such accommodation shall be furnished;

(c) fixing standard rent of every such accommodation;

(d) fixing the amount which shall be payable to or, as the case may be, chargeable from a member who is provided with an accommodation other than the standard accommodation;

(e) making provision for payment by the State Government of all charges including charges for electricity and water and for regulating the supply of water and electricity in such accommodation.

(2) The rules referred to in sub-section (1) may be made in respect of those members also who hold any of the offices referred to in clause (i) of section 2.

CHAPTER-VI

Telephone Facilities

18. Every member shall be entitled to such facilities regarding telephone at Lucknow and the place of his normal residence or in his constituency as may be prescribed. Telephone

CHAPTER-VII

Facilities to the Leader of Opposition

19. The Leader of Opposition of the Assembly shall be entitled to receive salary at the rate of one thousand rupees per month. Salary

(2) The salary referred to in sub-section (1) shall be exclusive of the tax payable in respect thereof (including perquisites) under any law relating to income tax, and such tax shall be borne by the State Government.

(3) The provisions of sub-section (2) of section 3 shall mutatis mutandis apply to the payment of salary to the Leader of Opposition of the Assembly under this section.

Accommo-dation

20. The Leader of Opposition shall be entitled, without payment of any rent, to the use throughout the term of his office and such further period as may be prescribed of a residence at Lucknow which shall be furnished and maintained at the prescribed scale.

Explanation–For the purposes of this section ‘‘maintenance’’ in relation to a residence, includes the payment of local rates and taxes, and the provision of water, and subject to a maximum limit of one hundred rupees per month, the provision of electricity including electricity duty.

Travel facilities

21. The Leader of Opposition shall be entitled to travel by a Reserved Coupe (two berth compartment) of the first class or one single reserved berth of air-conditioned class within Uttar Pradesh at any time and by any railway and to use the railway coupons referred to in sections 5 and 6 for the said purpose.

Explanation–For the purposes of this section the journey between any railway station in Uttar Pradesh and any railway station in Delhi shall be deemed to be journey within Uttar Pradesh.

Staff

22. There shall be placed at the disposal of the Leader of Opposition such staff as may be prescribed.

Provided that the staff sanctioned on the date of commencement of this Act, shall not be altered till the rules are made under sub-section (1) of section 30.

CHAPTER-VIII

Pension to Ex-Members

Meaning of certain expresstions

23. For the purposes of this Chapter–

(a) the expression 'Assembly' or 'Council' shall include the United Provinces Legislative Assembly or the United Provinces Legislative Council respectively which functioned between January 1, 1946 and the date of commencement of the Constitution of India, and thereafter, as a House of the Provisional Legislature for the state;

(b) the expression 'year' means any period of twelve calendar months;

(c) the period during which a person has, by virtue of his membership in the Assembly or Council, held any of the offices mentioned in clause (i) of section 2 shall also be taken into account for determining the term of such membership.

Pension to Ex-members

24. Every person who has served for a period of five years (whether continuous or not), as a member of the Assembly or of the Council, or partly as a member of the Assembly and partly as a member of the Council shall be entitled to a pension at the rate of three hundred rupees per month throughout his life:

Provided that where any person has served as aforesaid for a period exceeding five years, he shall be entitled to an additional pension at the rate of fifty rupees per month for every completed year in excess of five, so however, that the maximum amount of pension payable under this section shall, in no case exceed five hundred rupees per month.

Explanation–Where a person has served as a member of the Assembly or the Council for a term which falls short of five years by a period not

exceeding one month, then such person shall, for the purposes of this section, be deemed to have served as member for five years.

Pension when not payable

25. Notwithstanding anything contained in section 24, no person shall be entitled to any pension under this Chapter in the following cases, namely–

(a) where a person is entitled to any pension amounting to five hundred rupees per month or more under the provisions of the Salaries, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954;

(b) where any person is employed on a salary under the Central Government or any State Government or any Local Authority or becomes otherwise entitled to any remuneration from any corporation owned or controlled by such Government or from a local authority and such salary or remuneration is equal to or exceeds five hundred rupees per month and he continues to be so employed or entitled to such remuneration;

(c) where any person is entitled to any pension, not being a pension referred to in clause *(a)*, or a pension given in his capacity as freedom fighter, from the Central Government or from any State Government or any corporation owned or controlled by such Government or from any local authority under any law or otherwise, and the amount of such pension is equal to or exceeds five hundred rupees per month;

(d) where any person is elected to the office of the President or Vice-President or is appointed to the office of Governor of any State or the Administrator of any Union Territory and continues to hold such office;

(e) where any person is elected or nominated as a member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of any State or of either of the Houses of Parliament and continues to be such a member.

Pension to be reduced in certain cases

26. Where in the circumstances mentioned in clause *(a)* or *(b)* or clause *(c)* of section 25, a person is entitled to a pension, salary or remuneration amounting to less than five hundred rupees per month, then the pension payable to such person under section 24 shall not exceed the amount by which such pension, salary or remuneration falls short of five hundred rupees per month.

CHAPTER-IX

Miscellaneous

Relinquishment of salary etc

27. Any person entitled to any salary, allowance or other facilities under this Act may at any time relinquish the whole or any part of such salary, allowances or facilities by intimating in writing to the Speaker or the Chairman, as the case may be:

Provided that any such relinquishment may be cancelled by him at any time, with prospective effect, by writing to the Speaker or the Chairman, as the case may be.

Recovery of Government and other dues from members bills

28. (1) Whenever any Government dues (such as rent or charges for accommodation, telephone dues) are reported to be outstanding against a member and appropriate claims or bills in support thereof are received from the authority concerned, and such member fails to pay such dues, an amount equivalent to such dues shall be deducted by the Secretary from the salary or travelling and daily allowances bills of such member.

(2) Ordinarily any non-Government dues outstanding against a member shall not be recovered from his salaries or allowances but where such dues are on account of certain services rendered to him in the course of his parliamentary duties, such as, when he is on tour with a Committee, and the arrangements for such services have been made by or at the instance of semi-Government institutions or private parties at the request of officers of the State Legislature, and such member fails to pay such dues, recovery thereof may be effected from the salary or travelling or daily allowances bills of such member.

Power to remove difficulties

29. (1) The State Government may, for the purpose of removing any difficulty, particularly in relation to the transition from the provisions of the enactments repealed by section 31 to the provisions of this Act, by order published in official Gazette, direct that the provisions of this Act shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations whether by way of modification, addition or omission as it may deem to be necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature.

(3) No order under sub-section (1) shall be called in question in any court on the ground that no difficulty as is referred to in sub-section (1) existed or required to be removed.

Rule making power

30. (1) The State Government may, by notification, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) All rules made under the enactment repealed by section 31 and in force on the date immediately preceding the date of commencement of this Act shall in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been made under this Act, and they shall continue to be valid and effective until they are repealed by new rules made under sub-section (1).

31. The Uttar Pradesh Legislative Chambers (Member's Emoluments and Pension) Act, 1952 is hereby repealed. Repeal

By order,
R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 946/सत्रह-वि0-1-35-81

लखनऊ, 14 अप्रैल, 1981

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1981 पर दिनांक 13 अप्रैल, 1981 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1981 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1981 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1981

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10, सन् 1981)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1981 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 4 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में, शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 13 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्-

"(4) प्रत्येक व्यक्ति जो अध्याय आठ के अधीन पेंशन का हकदार है, निःशुल्क असंक्रमणीय वस पास का भी हकदार होगा और उपधारा (1) के उपबन्ध प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर यथावश्यक परिवर्तन सहित उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी सदस्य पर लागू होते हैं।"

4-मूल अधिनियम की धारा 15 में, शब्द "तीस रुपये" के स्थान पर शब्द "चालीस रुपये" रख दिये जायेंगे। धारा 15 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 21 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा जायेगी, अर्थात्- धारा 21-क का बढ़ाया जाना

"21क-(1) नेता विरोधी दल के लिये उसकी सम्पूर्ण पदावधि में, उपयुक्त सवारी की व्यवस्था की जायेगी जिसका क्रय और अनुरक्षण उस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार सरकारी व्यय पर किया जायेगा। सवारी

(2) नेता विरोधी दल ऐसी अन्य सुविधाओं का हकदार होगा जैसी इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित की जायं।"

6-मूल अधिनियम की वर्तमान धारा 24 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्- धारा 24 का संशोधन

"(2) प्रत्येक व्यक्ति जो-

(एक) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण, या

(दो) धारा 23 के खण्ड (क) में यथापरिभाषित सभा या परिषद् की अपनी सदस्यता, के आधार पर, प्रथम बार, दिनांक 1 जनवरी, 1981 से पेंशन का हकदार हो गया हो, 1 जनवरी, 1977 से प्रारम्भ होने वाली और 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये भी उक्त उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दर पर पेंशन का हकदार होगा।"

आज्ञा से,

गंगा बख्श सिंह,

सचिव।

No. 946(2)XVII-V-1-35-81

Dated Lucknow: April 14, 1981

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Upalabdhiyan Aur Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1981 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankaya 19 of 1981), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 13, 1981.

UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 1981

[U.P. ACT no. 10 of 1981]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members Emoluments and Pension) Act, 1980

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-second Year of the Republic of India as follows:–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1981.

Amendment of section 4 of U.P. Act 23 of 1980

2. In section 4 of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980, hereinafter referred to as the principal Act, for the words five hundred rupees, the words one thousand rupees shall be substituted.

3. In section 13 of the principal Act, *after* sub-section (3), the following sub-section shall be *inserted*, namely:– Amendment of section 13

''(4) Every person who is entitled to a pension under Chapter VIII shall also be entitled to a free non-transferable bus-pass and the provisions of sub-section (1) shall, mutatis mutandis, apply to every such person as they apply to a member.''

4. In section 15 of the principal Act, *for* the words ''thirty rupees'', the words ''forty rupees'' shall be *substituted*. Amendment of section 15

5. *After* section 21 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:– Insertion of section 21-A

''21-A (1) The Leader of Opposition shall, Conveyance throughout the term of his office, be provided with a suitable conveyance purchased and maintained at public expense in accordance with the rules made in that behalf.

(2) The Leaders of Opposition shall be entitled to such other facilities as may be prescribed by rules made in this behalf.''

6. The existing section 24 of the principal Act shall be renumbered as sub-section (1) thereof, and after sub-section (1) as so re-numbered, the following sub-section shall be *inserted*, namely:– Amendment of section 24

''(2) Every person who has, for the first time, become entitled to a pension with effect from January 1, 1981 by virtue of–

(i) the Explanation to sub-section (1), or

(ii) his membership of the Assembly or Council as defined in clause (a) of section 23,

shall also be entitled to a pension, at the rate specified in the said sub-section (1) for the period commencing from January 1, 1977 and ending on December 31, 1980.''

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

उत्तर प्रदेश शासन

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2545/सत्रह-वि0-1-103-81

लखनऊ, 03 अक्टूबर, 1981

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) विधेयक, 1981 पर दिनांक 01 अक्टूबर, 1981 ई0 की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1981 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1981]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्रियों के वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

2-इस अधिनियम में,

(क) "सभा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान सभा से है;

(ख) "परिषद्" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से है;

(ग) "परिवार" का तात्पर्य किसी मंत्री के संबंध में उसके पति या उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई या बहन से है जो ऐसे मंत्री के साथ रहते हों और उस पर पूर्णरूप से आश्रित हों;

(घ) "अनुरक्षण" के अन्तर्गत किसी निवास स्थान के सम्बन्ध में, स्थानीय रेट और करों का भुगतान करना और जल और विद्युत शुल्क सहित विद्युत की व्यवस्था करना भी है;

(ङ) "मंत्री" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री परिषद् के किसी सदस्य से है और इसके अन्तर्गत मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री और राज्य के उपमंत्री भी हैं।

3-(1) प्रत्येक मंत्री और राज्य मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त एक हजार रुपये प्रति मास के वेतन का हकदार होगा। वेतन

(2) प्रत्येक उप मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त छः सौ पचास रुपये प्रति मास के वतन का हकदार होगा।

(3) उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट वेतन उस कर के अतिरिक्त होगा जो उस वेतन (जिसके अर्न्तगत परिलब्धियां भी हैं) के संबंध में आयकर से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन देय हो और ऐसे कर का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जायेगा।

निवास स्थान

4-(1) प्रत्येक मंत्री अपनी पदावधि में आद्योपान्त और उसके पश्चात् पन्द्रह दिन की अवधि के लिये लखनऊ में निवास स्थान का, किराये का भुगतान किये बिना, उपयोग करने का हकदार होगा, जिसे विहित मानदण्ड के अनुसार सरकारी व्यय पर सुसज्जित और अनुरक्षित किया जायेगा।

(2) जहां किसी मंत्री को उपधारा (1) के अनुसार निवास स्थान की व्यवस्था न की गयी हो, या वह उक्त उपधारा के लाभ का उपभोग न करे, वहां वह (क) उपमंत्री की स्थिति में, तीन सौ रुपये प्रति मास, और (ख) किसी अन्यस्थिति में पांच सौ रुपये प्रति मास की दर पर प्रतिकर भत्ता पाने का हकदार होगा।

सवारी

5-(1) प्रत्येक मंत्री को अपनी पदपवधि में आद्योपान्त एक मोटर गाड़ी और उसे चलाने के लिये शोफर की व्यवस्था की जायेगी जिसका क्रय और अनुरक्षण सरकारी व्यय पर इसनिमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट मोटर गाड़ी का उपयोग करने के लिये निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाये।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी समय उप मंत्री को दी गयी मोटर गाड़ी विधिमान्य रूप से दी गयी समझी जायेगी।

यात्रा भत्ता आदि

6-(1) उप मंत्री से भिन्न प्रत्येक मंत्री अपने पदयी कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में (स्थल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा) की गयी यात्रा हेतु अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिये उस दर पर और उन शर्तों पर, जो विहित की जायं, यात्रा भत्ता और फुटकर खर्च का हकदार होगा।

(2) प्रत्येक उप मंत्री अपने पदयी कर्तव्यों के पालन के संबंध में (स्थल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा) की गयी यात्रा हेतु उस दर पर और शर्तों पर, जो विहित की जायं, यात्रा और दैनिक भत्ता का हकदार होगा।

(3) प्रत्येक मंत्री-

(क) पद ग्रहण करने के प्रयोजनार्थ लखनऊ के बाहर अपने सामान्य निवास स्थान से लखनऊ के लिये यात्रा करने के संबंध में, और

(ख) पद त्याग करने पर लखनऊ से लखनऊ के बराहर अपने सामान्य निवास स्थान तक यात्रा करने के संबंध में अपने लिये और अपने परिवार के सदस्यों के लिये और अपने और अपने परिवार के सामान के परिवहन के लिये यात्रा-भत्ता का हकदार होगा।

(4) उपधारा (1) से (3) में किसी बात के होते हुये भी किसी मंत्री को धारा 5 में निर्दिष्ट मोटर गाड़ी या राज्य सरकार की किसी अन्य गाड़ी से की गयी यात्रा के लिये कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

सर्किट हाउस आदि का उपयोग

7-प्रत्येक मंत्री अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के संबंध में की गयी यात्राओं के दौरान किसी किराये या विद्युत प्रभार का भुगतान किये बिना राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित सर्किट हाउस, निरीक्षण गृह या अन्य विश्राम गृह का प्रयोग करने का हकदार होगा।

चिकित्सा सुविधा

8-प्रत्येक मंत्री और उसके परिवार के सदस्य राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित अस्पतालों में निःशुल्क आवास और उन सिद्धान्तों के अनुसार जो विहित किये जायं चिकित्सा, परिचर्या और उपचार के हकदार होंगे।

मंत्री के पद पर नियुक्ति और उसकी रिक्ति की अधिसूचना

9-जिस दिनांक से कोई व्यक्ति मंत्री बनता है या नहीं रहता है उसे सरकारी गजट में अधिसूचित किया जायेगा और कोई ऐसी अधिसूचना इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह उस दिनांक से मंत्री बना या नहीं रह गया।

कोई वृत्ति करने का निषेध

10–कोई मंत्री अपनी पदावधि के दौरान जिसके लिये वह वेतन और भत्ता लेता है, मंत्री के रूप में अपने कर्त्तव्यों से भिन्न कोई वृत्ति या कोई व्यापार या पारिश्रमिक के लिये कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, सन् 1980 के अधीन सुविधायें

11–प्रत्येक मंत्री जो, यथास्थिति, सभा या परिषद् का सदस्य हो, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 4, 9, 18 और अध्याय आठ के अधीन उपलब्ध लाभों का उपभोग करता रहेगा।

वेतन आदि का त्याग

12–कोई मंत्री किसी समय, ऐसे वेतन, भत्ता या अन्य सुविधाओं का, जिनका वह हकदार है, पूर्णतया या उसके किसी भाग का त्याग इस आशय की लिखित घोषणा द्वारा कर सकता है:

परन्तु ऐसा कोई त्याग उसी प्रकार किसी भी समय अग्रगामी प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

नियम बनाने की शक्ति

13–(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) धारा 14 द्वारा निरसित अधिनियमित के अधीन बनाये गये और इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को प्रवृत्त सभी नियम, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों के असंगत न हो, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समझे जायेंगे, और वे तब तक विधिमान्य और प्रभावी बने रहेंगे जब तक कि उन्हें उपधारा (1) के अधीन बनाये गये नये नियमों द्वारा निरसित न किया जाये।

निरसन

14–उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप मंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, 1952 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।

No. 2545(2)XVII-V-1-103-81

Dated Lucknow: October 3, 1981

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mantri (Vetan, Bhatta Aur Prakirna Upabandh) Adhiniyam, 1981) (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 1981) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 1, 1981:

THE UTTAR PRADESH MINISTERS (SALARIES, ALLOWANCES AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1981

[U.P. ACT no. 14 of 1981]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to consolidate and amend the law relating to the salaries, allowances and other facilities to Ministers of the State of Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-second Year of the Republic of India as follows:–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981.

Definitions

2. In this Act,–

(a) 'Assembly' means the Uttar Pradesh Legislative Assembly;

(b) 'Council' means the Uttar Pradesh Legislative Council;

(c) 'family' in relation to a Minister means his or her spouse, son, daughter, father, mother, brother or sister residing with and wholly dependent on such Minister;

(d) 'maintenance' in relation to a residence includes the payment of local rates and taxes and the provisions for water and electricity including electricity duty;

(e) 'Minister' means a member of the Council of Ministers of the Government of Uttar Pradesh and includes the Chief Minister, a Minister of State and a Deputy Minister of that State.

Salary

3. (1) Every Minister and Minister of State shall be entitled, throughout the term of his office, to a salary of one thousand rupees per month.

(2) Every Deputy Minister shall be entitled, throughout the term of his office, to a salary of six hundred and fifty rupees per month.

(3) The salary referred to in sub-sections (1) and (2) shall be exclusive of the tax payable in respect of such salary (including perquisites) under any law relating to income tax for the time being in force, and such tax shall be borne by the State Government.

Residence

4. (1) Each Minister shall be entitled without payment of any rent to the use throughout the term of his office and for a period of fifteen days there after of a residence at Lucknow which shall be furnished and maintained at public expense at the prescribed scale.

(2) Where a Minister has not been provided with a residence in accordance with sub-section (1), or does not avail of the benefit of the said sub-section, he shall be entitled to a compensatory allowance at the rate of–

(a) three hundred rupees per month in the case of Deputy Minister, and

(b) five hundred rupees per month in any other case.

Conveyance

5. (1) Each Minister shall, throughout the term of his office, be provided with a chauffeur driven motor vehicle which shall be purchased and maintained at public expense in accordance with the rules made in that behalf.

(2) The terms and conditions for the use of the motor vehicle referred to in sub-section (1) shall be such as may be prescribed.

(3) The motor vehicle provided to a Deputy Minister at any time before the commencement of this Act shall be deemed to have been validly provided.

Travelling allowance etc

6. (1) Each Minister other than a Deputy Minister shall be entitled for journeys (whether by land, sea or air) performed in connection with the discharge of his official duties to travelling allowance and out of pocket expenses for himself and the members of his family at such rates and upon such conditions as may be prescribed.

(2) Each Deputy Minister shall be entitled for journeys (whether by land sea or air) performed in connection with the discharge of his

official duties to travelling and daily allowance at such rates and upon such conditions as may be prescribed.

(3) Each minister shall be entitled to travelling allowance for himself and the members of his family and for the transport of his and his family's effect–

(a) in respect of the journey to Lucknow from his usual place of residence outside Lucknow for the purposes of assuming office; and

(b) in respect of the journey from Lucknow to his usual place of residence outside lucknow on relinquishing office.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) to (3), no travelling allowance shall be payable to a Minister in respect of journeys per-formed in the motor vehicle referred to in section 5 or any other vehicle belonging to the State Government.

Use of circuit houses etc

7. Every Minister shall be entitled and be deemed always to be entitled to the use of the circuit house, inspection house or other rest houses maintained by the State Government without payment of any rent or electricity charges during the couse of journeys performed in connection with the discharge of his official dutues.

Medical facility

8. Every Minister and the members of his family shall be entitled, free of charge, to accommodation in hospitals maintained by he

State Government and to medical attendance and treatment in accordance with such principal as may be prescribed.

Notification of appointment and vacancy in the office of a Minister

9. The date on which any person became or ceased to be a Minister shall be notified in the official Gazette and any such notification shall be conclusive evidence of the fact that he became, or ceased to be a Minister, on that date.

Prohibition against practising any profession etc

10. No Minister shall during the tenure of his office for which he draws his salary and allowance, practise any profession or engage in any trade or undertake for remuneration any employment other than his duties as Minister.

Facilities under U.P. Act 23 of 1980

11. Every Minister who is a member of the Assembly or Council, as the case may be, shall continue to enjoy the benefits available to him under sections 4, 9, 18 and Chapter VIII of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980.

Relinquishment of salary etc

12. A Minister may, at any time, relinquish the whole or any part of the salary, allowance or other facilities to which he is entitled by making a written declaration to that effect:

Provided that any such relinquishment may likewise be cancelled by him at any time with prospective effect.

Rules making power

13. (1) The State Government may, by notification, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) All rules made under the enactment repealed by section 14 and in force on the date immediately preceding the date of commencement of this Act shall in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been made under this Act and they shall continue to be valid and effective until they are repealed by new rules made under sub-section (1).

Repeal

14. The Uttar Pradesh Ministers and Deputy Ministers (Salaries and Allowances) Act, 1952, is hereby repealed.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 943/सत्रह-वि0-1-1(क)-11-1984

लखनऊ, 01 मई, 1984

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मंत्री राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1984 पर दिनांक 29 अप्रैल, 1984 ई0 की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1984 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1984

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1984]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतीसवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधिान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1984 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन 1980 की धारा 4 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में शब्द "एक हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार दो सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 14 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 14 में खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्-

"(थ) संवैधानिक अध्ययन या किसी सेमिनार या पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति या किसी अन्य राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष या, यथास्थिति, विधान परिषद् के सभापति द्वारा या उसके प्राधिकार से या भारतीय संसदीय अध्ययन संस्थान के द्वारा बुलायी गयी या किसी अन्य प्रकार से आयोजित किसी बैठक में उपस्थित होने के लिये की गयी यात्राओं के लियेः

परन्तु ऐसा सदस्य धारा 2 के खण्ड (ढ) में यथा परिभाषित अध्यक्ष या उक्त धारा के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित सभापति द्वारा ऐसी बैठक में उपस्थित होने के लिये नाम-निर्दिष्ट किया गया होः

परन्तु यह और कि ऐसी किसी बैठक में भाग लेने के लिये दो से अधिक सदस्य नाम-निर्दिष्ट नहीं किये जायेंगे और कोई ऐसा नाम-निर्देशन एक वर्ष में दो बार से अधिक के लिये नहीं किया जायेगा।"

धारा 15 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 15 में,-

(क) शब्द "चालीस रुपये" के स्थान पर शब्द "साठ रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (पांच) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्-

"(पांच-क) उक्त भत्ता किसी सदस्य की किसी समिति के सभापति के रूप में समिति की बैठक से भिन्न ऐसी समिति के कार्य के सम्बन्ध में भी लखनऊ आने पर यदि इस धारा के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन उसे कोई ऐसा भत्ता अन्यथा देय नहीं है, देय होगा, परन्तु कोई ऐसा भत्ता एक कलेन्डर मास में अधिक से अधिक दो बार आने पर और एक बार के लिये अधिक से अधिक दो दिन के लिये देय होगा।

(पांच-ख) उक्त भत्ता धारा 14 के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट किसी बैठक, सेमीनार या अध्ययन पाठ्यक्रम में उपस्थिति के लिये भी देय होगा।

धारा 23 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 23 में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्-

"(क) पद 'सभा' या परिषद् के अन्तर्गत क्रमशः यूनाइटेड प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव असेम्बली या यूनाइटेड प्रोविन्सेज लेजिस्लेटिव कौंसिल भी है-

(एक) जिसने इस रूप में इंडियन इंडिपेन्डेन्स ऐक्ट, 1947 के प्रारम्भ होने के पूर्व या पश्चात् गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935 के अधीन गठन के पश्चात् कार्य किया; या

(दो) जिसने "भारत का संविधान" के अधीन राज्य के लिये अस्थायी विधान मण्डल के रूप में कार्य किया।"

6-मूल अधिनियम की धारा 24 में,- धारा 24 का संशोधन

(क) शब्द "तीन सौ रुपया" के स्थान पर शब्द "पांच सौ रुपये" रख दिये जयेंगे और

(ख) परन्तुक में, शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "सात सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे।

7-मूल अधिनियम की धारा 24 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्- धारा 24-क का बढ़ाया जाना

"24-क-जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन पेंशन या अतिरिक्त पेंशन का इस आधार पर हकदार हो जाता है कि उसने पहली जनवरी, 1946 के पूर्व गठित या विद्यमान सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य किया है, वहीं, यथास्थिति, ऐसी पेंशन या अतिरिक्त पेंशन ऐसे व्यक्ति की दिनांक पहली जनवरी, 1977 से देय समझी जायेगी।" कतिपय व्यक्तियों को देय पेंशन की शर्तें

8-मूल अधिनियम की धारा 25 में,- धारा 25 का संशोधन

(क) खण्ड (क) में, शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "सात सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "सात सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे; और

(ग) खण्ड (ग) में, शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "सात सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे; और

धारा 26 का संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 26 में, जहां-जहां भी शब्द "पांच सौ रुपये" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "सात सौ पचास रुपये" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
गंगा वख्श सिंह,
सचिव।

No. 943(2)XVII-V-1-1(Ka)-II-1984

Dated Lucknow: May 11, 1984

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyaon Ki Upalabdhiyan Aur Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1984 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 1984) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 29, 1984.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 1984

[U.P. ACT no. 13 of 1984]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members Emolumetns and Pension) Act, 1980.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fifth Year of the Republic of India as follows:–

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1984. Short title

2. In section 4 of the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) Act, 1980, hereinafter referred to as the principal Act *for* the words ''one thousand rupees'' the words ''one thousand two hundred and fifty rupees'' shall be *substituted*. Amendment of section 4 of U.P. Act no. 23 of 1980

3. In section 14 of the principal Act *for* clause *(d)*, the following clause shall be *substituted* namely:– Amendment section 14

''*(d)* for journey for attendance in any meeting called by or under the authority of the Speaker of the Lok Sabha or the Chairman of the Rajya Sabha or the Speaker of the Legislative Assembly or as the case may be the Chairman of the Legislative Council of any other State or by the Indian Institute of Parliamentary Studies or organised otherwise in connection with constitutional studies or any seminar or study course:

Provided that such member is nominated to attend such meeting by the Speaker as defined in clause *(n)* of section 2 or the Chairman as defined in clause *(b)* of the said section.

Provided further that not more than two members shall be nominated for attendance in any such meeting and no such nomination sall be made for more than twice in a year.''

Amendment section 15

4. In section 15 of the principal Act,–

(a) for the words ''forty rupees'' the words ''sixty rupees'' shall be *substituted*;

(b) after clause (v), the following clauses shall be *inserted*, namely:–

''(v-a) the allowance shall also be payable to a member for his visits to Lucknow as Chairman of any committee in connection with the work of such committee, other than the meeting of such committee in case no such allowance is otherwise payable to him under any other provision of this section provided that no such allowance shall be payable for more than two visits in a calendar month and for more than two days per such visit;

(v-b) the allowance shall also be payable for attendance in any meeting seminar or study course referred to in clause *(d)* of section 14;''

Amendment section 23

5. In section 23 of the principal Act, *for* clause *(a)*, the folowing clause shall be substituted and be deemed always to have been *substituted*, namely–

''*(a)* the expression 'Assembly' or 'Council' shall include the United Provinces Legislative Assembly or the United Provinces Legislative Council respectively:–

(i) which was constituted and functioned as such under the Government of India Act, 1935, either before or after the commencement of the Indian Independence Act, 1947; or

(ii) which functioned as a House of the provisional Legislature for the State under the Constitution of India.''

6. In section 24 of the principal Act,–

(a) for the words ''three hundred rupees'' the words ''five hundred rupees'' shall be *substituted*; and

(b) in the proviso *for* the words ''five hundred rupees'' the word ''seven hundred and fifty rupees'' shall be *substituted*.

Insertion of section 24-A

7. *After* section 24 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:–

Conditions of pension payable to certain persons

''24-A. Where a person beecomes entitled to pension or additional pension under this Act on the ground that he has served as a member of the Assembly or Council, constituted or in existence before January 1, 1946 such pension or additional pension, as the case may be, shall be deemed to be admissible to such person with effect from Jaunuary 1, 1977.''

Insertion of section 25

8. In section 25 of the principal Act,–

(a) in clause *(a), for* the words ''five hundred rupees'' the words ''seven hundred and fifty rupees'' shall be *substituted*;

(b) in clause *(b), for* the words ''five hundred rupees'' the words ''seven hundred and fifty rupees'' shall be *substituted*; and

(c) in clause *(c), for* the words ''five hundred rupees'' the words ''seven hundred and fifty rupees'' shall be *substituted*;

Amendment section 26

9. In section 26 of the perincipal Act, for the words ''five hundred ruppes'' wherever occurring, the words ''seven hundred and fifty rupees'' shall be *substited*.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1
संख्या 2043/सत्रह-वि0-1-1(क)-25-1984
लखनऊ, 01 अक्टूबर, 1984

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1984 पर दिनांक 30 सितम्बर, 1984 ई0 की अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1984 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्राकशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1984

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1984]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतीसवे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1984 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन 1980 की धारा 16 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 16 में-

(क) उपधारा (2) में-

(एक) शब्द "उपधारा (1) में निर्दिष्ट" निकाल दिये जायेगें;

(दो) शब्द "विहित दर से" के स्थान पर शब्द "तीन सौ रुपये प्रति मास की दर से" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी; अर्थात्-

"(3) जहां किसी सदस्य की ऐसे आवास की व्यवस्था की जाय जिसका मानक किराया तीन सौ रुपये प्रतिमास से कम हो, वहां किराये के अन्तर का भुगतान ऐसे सदस्य को प्रतिकर आवास भत्ता के रूप में किया जायेगा और जहां इस प्रकार व्यवस्थित आवास का मानक किराया उक्त धनराशि से अधिक हो, वहां किराये के अंतर को सदस्य से वसूल किया जा सकेगा।

धारा 17 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 17 में उपधारा (1) में;

(क) खण्ड (ग) में, शब्द "प्रत्येक ऐसे" के स्थान पर शब्द "किसी" रख दिया जायेगा;

(ख) खण्ड (घ) निकाल दिया जायेगा।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

4-तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम की धारा 16 के उपबंध 9 जून, 1980 से इस अधिनियम के प्रारम्भ होने तक की अवधि के सम्बन्ध में भी लागू होंगे मानो ऐसे उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

बी0 एल0 लूम्बा,

सचिव।

No. 2043(2)XVII-V-1-1(Ka)-25-1984

Dated Lucknow: October 1, 1984

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyaon Ki Upalabdhiyan Aur Pension) (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1984 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 1984) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 30, 1984.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS EMOLUMENTS AND PENSION) (SECOND AMENDMENT) ACT, 1984

[U.P. ACT no. 21 of 1984]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emolumetns and Pension) Act, 1980.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fifth Year of the Republic of India as follows:–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) (Second Amendment) Act, 1984.

Amendment of section 16 of U.P. Act no. 23 of 1980

2. In section 16 of the Uttar Pradesh State Legislature (Member’s Emoluments and Pension) Act, 1980, hereinafter referred to as the pricipal Act–

(a) in sub-section (2)–

(i) the words ‘‘referred to in sub-section (1)’’ shall be *omitted*;

(ii) for the words ‘‘at the prescribed rate’’ the words ‘‘at the rate of three hundred rupees per mensem’’ shall be *substituted*;

(b) after sub-section (2) and before the explanation, the following sub-section shall be *inserted*, namely–

‘‘(3) Where a member is provided with an accommodation the standard rent whereof is less than three hundred rupees per mensem, the difference thereof shall be paid to such member as compenstory accommodation allowance and where the standard rent of the accommodation so provided is more than the said amount, the difference be chargeable from the member.’’

Amendment section 17

3. In section 17 of the perincipal Act in sub-section (1),–

(a) in clause *(c)* *for* the words ''every such'', the word ''any'' shall be *substittued*;

(b) clause *(d)* shall be *omitted*.

Transitory provision

4. Notwithstanding anything to the contrary conntained in any other law for the time being in force, the provisions of section 16 of the principal Act as amended by this Act shall also apply in relation to the period from June 9, 1980 to the commencement of this Act, as if such provisions were in force at all material times.

By order,

B. L. LOOMA,

Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1678/सत्रह-वि-1-1(क)-36-1985

लखनऊ, 17 सितम्बर, 1985

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1985 पर दिनांक 17 सितम्बर, 1985 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1985 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1985

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1985)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायेगा।

(2) यह 9 मार्च, 1985 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 24 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) विधेयक, 1980 की धारा 24 में,-

(क) उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण को पुनः संख्यांकित करके स्पष्टीकरण-एक कर दिया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित स्पष्टीकरण-एक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

> ''स्पष्टीकरण-दो-जहां किसी व्यक्ति ने वर्ष 1980 में गठित विधान सभा के सदस्य के रूप में ऐसी अवधि तक कार्य किया हो जो पांच वर्ष से अधिकतम तीन मास से कम हो, वहां इस धारा के प्रयोजनार्थ यह समझा जायगा कि उस व्यक्ति ने पांच वर्ष के लिए सदस्य के रूप में कार्य किया है।'';

(ख) उपधारा (2) में, खण्ड (एक) में, शब्द ''स्पष्टीकरण-एक'' रख दिया जायगा।

आज्ञा से,

बी0 एल0 लूम्बा,

सचिव।

No. 1678(2)/XVII-V-1–1(KA)36-1985

Dated Lucknow, September 17, 1985

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Uplabdhiyan Aur Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1985 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sahkhya 28 of 1985) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 17, 1985.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 1985

(U. P. Act No. 28 of 1985)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Member' Emoluments and Pension) Act, 1980

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-Sixth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commen-cment.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Member' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1985.

(2) It shall be deemed to have come into force on March 9, 1985.

Amendment of section 24 of U.P. Act no. 23 of 1980

2. In section 24 of the Uttar Pradesh State Legislature (Member' Emoluments and Pension) Act, 1980,–

(*a*) in sub-section (1), the Explanation shall be re-numbered as Explanation I and *after* the Explanation 1as so re-numbered the following Explanation shall be *inserted,* namely :

Explanation II–"Where a person has served as a member of the Assemble, constituted in the year 1980, for a term which falls short of five years by a period not exeeding three months, then such person shall, for the purpose of this section, be deemed to have served as a member for five years.";

(*b*) in sub-section (2), in clause (i), *for* the word "Explanation" the word and figure "Explanation I" shall be *subsitituted.*

By order,
B. L. LOOMBA,
Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1
संख्या 770/सत्रह-वि-1-1(क)-23-1986
लखनऊ, 5 अप्रैल, 1986

अधिसूचना
विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1986 पर दिनांक 5 अप्रैल, 1986 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1986 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1986

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1986)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जायेगा।

(2) यह अधिनियम दिनांक 01 अप्रैल, 1986 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :-

''(झझ) 'परिवार का सदस्य' का तात्पर्य सभा या परिषद् के किसी सदस्य के सम्बन्ध में, चाहे वह खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या नहीं; उसके पति या उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई या बहिन से है जो ऐसे सदस्य के साथ निवास करता हो और उस पर पूर्णतया आश्रित हो,''

धारा 4 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 4 में, शब्द ''एक हजार दो सौ पचास'' के स्थान पर शब्द ''एक हजार छः सौ'' रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का प्रतिस्थापन

4-मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :-

''5 इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए,

रेल कूपन

सभा या परिषद् के प्रत्येक सदस्य को, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में किसी पद

पर आसीन हो या नहीं, पच्चीस हजार रुपये से अनधिक मूल्य के रेल कूपन प्रति वर्ष विहित रीति से दिये जायेंगे, जो ऐसे सदस्य के द्वारा अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए किसी रेल से किसी श्रेणी में किसी समय उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर यात्रा के लिए ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, जो विहित किये जायं, उपयोग में लाये जा सकते हैं।''

स्पष्टीकरण-इस धारा में निर्दिष्ट रेल यात्रा के लिए रेल कूपन का मूल्य राज्य सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड के परामर्श से समय-समय पर निर्धारित किया जायगा।''

5-मूल अधिनियम की धारा 6 निकाल दी जायगी। धारा 6 का निकाल जाना

6-मूल अधिनियम की धारा 7 में शब्द ''प्रथम श्रेणी में'' निकाल दिये जायेंगे। धारा 7 का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 8 निकाल दी जायगी। धारा 8 का निकाल जाना

8-मूल अधिनियम की धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :- धारा 9 का प्रतिस्थापन

''9-धारा में निर्दिष्ट रेल कूपन का उपयोग प्रत्येक सदस्य

मंत्री, अध्यक्ष आदि द्वारा यात्रा

द्वारा जो धारा 2 के खण्ड (झ) में उल्लिखित किसी पद आसीन है, अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए शासकीय कर्तव्यों के पालन से भिन्न प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर किसी भी समय किसी रेल द्वारा किसी श्रेणी में यात्रा के लिए विहित रीति से किया जा सकता है।''

9-मूल अधिनियम की धारा 11 और 12 निकाल दी जायगी। धारा 11 और 12 का निकाला जाना

नये अध्याय छः-क का बढ़ाया जाना

10-मूल अधिनियम में, अध्याय छः के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :-

अध्याय छः-क

चिकित्सा सुविधायें

18-क-सभा या परिषद् का प्रत्येक सदस्य, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में उल्लिखित किसी पद पर आसीन हो या नहीं, ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, जो विहित किये जायं, निम्नलिखित का हकदार होगा, अर्थात् :-

(क) राज्य सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी अस्पताल या औषधालय में प्रदान की जाने वाली वाह्य चिकित्सा और सुविधाओं के बदले में जिसके अन्तर्गत औषधियां भी हैं, चार सौ रुपये प्रतिमास की धनराशि का दिया जाना;

(ख) ऐसे अस्पताल में अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए, जिन्हें अस्पताल में चिकित्सा के लिए भर्ती करना अपेक्षित हों, निःशुल्क स्थान और चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराया जाना।''

धारा 21 का संशोधन

11-मूल अधिनियम की धारा 21 में, शब्द और अंक ''धारा 5 और 6'' के स्थान पर शब्द और अंक ''धारा 5'' रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

No. 770(2)/XVII-V-1–1(KA)-23-1986

Dated Lucknow, April 5, 1986

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Uplabdhiyan Aur Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1986 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sahkhya 13 of 1986) as

passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 5, 1986.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 1986

(U. P. Act No. 13 of 1986)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Member' Emoluments and Pension) Act, 1980

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-Seventh Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commen-cment.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Member' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1986.

(2) This Act shall be deemed to have come into force from April 1, 1986.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 23 of 1980

2. In section 2 of the Uttar Pradesh State Legislature (Member' Emoluments and Pension) Act, 1980, hereinafter referred to as the principal Act, *after* clause (i), the following clause shall be *inscried*, namely–

"(ii) member of family in relation to a member of Assembly of Council, whether or not he holds any office referred to in clause (i), means his of her spouse, son, daughter, father, mother, brother of sister, residing with and wholly dependent on such member;"

Amendment of section 4

3. In section 4 of the principal Act, *for* the words "one thousand two hundred and fifty" the words "one thousand and six hundred" shall be *substituted*.

Substitution of section 5

4. *for* section 5 of the principal Act, the following section shall be *substituted* namely–

Railway Coupons

"5. Subject to the provisions of this Act, every member of the Assembly or the Council, whether of not he holds any office referred to in clause (i) of section 2, shall be provided, in the manner prescribed, with railway coupons of such value, not exceeding twenty-five thousand rupees, per annuam as may be used by such member for himself and for the members of his family for travel by any railway in any class at any time within or outside Uttar Pradesh in accordance with such principal as may be prescribed.

Explanation–The value of railway coupons for journeys by railway referred to in this section shall from time to time be determined by the State Government in consultaion with the Railway Board."

Omission of section 6

5. Section 6 of the principal Act shall be *omitted.*

Amendment of section 7

6. In section 7 of the principal Act, the words "in first class" shall be *omitted.*

Omission of section 8

7. Section 8 of the principal Act shall be *omitted.*

Substitution of section 9

8. *for* section 9 of the principal Act, the following section shall be *substituted* namely–

Journey by Ministers, Speaker etc.

"9. The railway coupons referred to in section 5, may, in the manner prescribed, be used by every member who holds any office mentioned in clause (i) of section 2, for himself and members of his family for travel in any railway in any class at any time within or outside Uttar Pradesh for purposes otherwise than in discharge of official duties."

9. Section 11 and 12 of the principal Act shall be *omitted.*

Omission of section 11 and 12

10. In the principal Act, *after* Chapter VI, the following chapter shall be *inserted*, namely–

Insertion of new Chapter VI-A

"Chapter VI-A.

18-A. Medical Facilities

Every member of the Assembly or the Council, whether or not he holds any office mentioned in clause (i) fo section 2, shall be entitled in accordance with such principles as may be prescribed,–

(*a*) to receive a sum of rupees four hundred per mensem in lieu of out-door medical treatment and facilities including medicines provided in a hospital or dispensary established or maintained by the State Government;

(*b*) to get acconunodation and treatment in such hospital, free of charge, for himself and members of his family who may be required to be admitted in the hospital for medical treatment."

11. In section 21 of the principal Act, *for* the words and figures "section 5 and 6" the words and figure "section 5" shall be *substituted.*

Amendment of section 21

By order,

S. N. SAHAY,

Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1710/सत्रह-वि-1-1(क)-23-1986

लखनऊ, 24 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1986 दिनांक 24 सितम्बर, 1986 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1986 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1986

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1986)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जायेगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा सिवाय धारा 2, 4, 5 और 6 के जो दिनांक 01 अप्रैल, 1986 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में धारा 15 में,- उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 15 का संशोधन

(क) प्रारम्भ में आये हुए शब्द ''प्रत्येक सदस्य'' के स्थान पर शब्द ''प्रत्येक सदस्य, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या न हो'', रख दिये जायेंगे, और

(ख) खण्ड (पांच-ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(पांच-ग) उक्त भत्ता, पूर्ववर्ती खण्डों में किसी बात के होते हुए भी, धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन सदस्य की दशा में उसके सम्पूर्ण कार्यकाल में जिसमें वह ऐसे पद पर आसीन हो, प्रत्येक दिन के लिए देय होगा।''

(ग) खण्ड (छः) निकाल दिया जायेगा।

3-मूल अधिनियम की धारा 17 के पश्चात् नये अध्याय पांच-क के अन्तर्गत निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :- नई धारा 17-क का बढ़ाया जाना

''अध्याय 5-क

सदस्यों के लिए ऋण की व्यवस्था''

17-क राज्य सरकार किसी व्यक्ति को, जो सदस्य है, चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या न हो, या जो सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में पद पर आसीन रहा हो, या तो निवास स्थान का निर्माण या क्रय करने के लिए या वाहन क्रय करने के लिए ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अनुसार जैसी विहित की जाय, एक लाख रुपये से अनधिक प्रतिसंदेय अग्रिम स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था कर सकती है।'' सदस्यों को अग्रिम

धारा 24 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 24 में,-

(क) शब्द ''पांच सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''सात सौ पचास रुपये'' रख दिये जायेंगे;

(ख) परन्तुक में, शब्द ''पचास रुपया'' के स्थान पर शब्द ''एक सौ रुपये'' और शब्द ''सात सौ पचास रुपये'' के स्थान पर शब्द ''एक हजार पांच सौ पच्चास रुपये'' रख दिये जायेंगे;

धारा 25 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 25 में,-

(क) खण्ड (क) में, शब्द ''सात सौ पचास रुपये'' के स्थान पर शब्द ''एक हजार पांच सौ पच्चास रुपये'' रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (ख) में, शब्द ''सात सौ पचास रुपये'' के स्थान पर शब्द ''एक हजार पांच सौ पच्चास रुपये'' रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (ग) में, शब्द ''सात सौ पचास रुपये'' के स्थान पर शब्द ''एक हजार पांच सौ पच्चास रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 26 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 26 में, जहां-जहां भी शब्द ''सात सौ पचास रुपये'' आये हों, उनके स्थान पर शब्द ''एक हजार पांच सौ पच्चास रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 28 का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 28 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी और सदैव से रखी गयी समझी जायेंगी, अर्थात् :-

''(1) जब कभी किसी सदस्य पर किसी सरकारी देय (जैसे आवास किराया या प्रभार, टेलीफोन देय इत्यादि) के बकाया होने की सूचना दी जायं और उनके समर्थन में सम्बद्ध प्राधिकारी से समुचित मांग या बिल प्राप्त हो, और ऐसा सदस्य ऐसे देय का भुगतान न करे, तब ऐसे देय के

बराबर धनराशि या जहां सरकार द्वारा देय ऐसे अग्रिम या उसकी प्रतिसंदेय अग्रिम की व्यवस्था की गयी हो, वहां ऐसे सदस्य द्वारा देय ऐसे अग्रिम या उसकी किसी किस्त के बराबर धनराशि ब्याज सहित, यदि कोई हो, सचिव द्वारा ऐसे सदस्य के वेतन या यात्रा या दैनिक या प्रतिकर आवास या किसी अन्य भत्ता बिल से काट ली जायेगी।

(1-क) ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में जो सदस्य न रह जाय या जो उस समय सदस्य न हो, जब उसे सरकार द्वारा कोई प्रतिसंदेय अग्रिम दिया गया हो, उपधारा (1) में निर्दिष्ट धनराशि ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन देय पेंशन की धनराशि या किसी अन्य धनराशि से काट ली जायेगी।''

आज्ञा से,

श्रीनाथ सहाय,

सचिव।

No. 1710(2)/XVII-V-1–1(KA)-23-1986

Dated Lucknow, September 24, 1986

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Uplabdhiyan Aur Pension) (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1986 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 22 of 1986) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 24, 1986 :

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (SECOND AMENDMENT) ACT, 1986

[U. P. Act No. 22 of 1986]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) Act, 1980

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-Seventh Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commen-cment

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) (Second Amendment) Act, 1986.

(2) It shall come into force at once except section 2, 4, 5 and 6 which shall be deemed to have come into force with effect from April 1, 1986.

Amendment of section 15 of U.P. Act no. 23 of 1980

2. In the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) Act, 1980, hereinafter referred to as the principal Act, in section 15,–

(*a*) *For* the words "Every member" occurring in the beginning, the words "Every member, whether or not he holds any office referred to in clause (i) of section 2" shall be *substituted*, and

(*b*) *after* clause (v-b), the following clause shall be *inserted*, namely–

"(v-c) The said allowance shall, notwithstanding anything contained in the preceding clauses, be payble in the case of a member holding any office referred to in clause (i) of section 2 for each day during the whole of the term in which he holds such office;"

(*c*) clause (vi), shall be *omitted.*

Inserted of new section 17-A

3. *after* section 17 of the principal Act, the following section shall be inserted under a new Chapter V-A; namely :–

"ChAPTER V-A

Provision of Loan to Member's

17-A. The State Government may provide for grant of repayable advance of a sum not exceding rupees one lakh to any person who is a member, whether of not he holds any office referred to in clause (i) of section 2, or who has held office as a member of the Assembly or Council, either for construction or purpchase of residential accommodation or for purpchase of a vehicle in accordance with such terms and conditions as may be prescribed."

Advance to member

4. In section 24 of the principal Act,–

Amendment of section 24

(*a*) *for* the words "Five hundred rupees" the words "Seven hundred and fifty rupees" shall be *substituted* ;

(*b*) in the provise, *for* the words "fifty rupees" the words "one hundred rupees" and for the words "Seven hundred and fifty rupees" the words "one thousand five hundred and fifty rupees" shall be *substituted.*

5. In section 25 of the principal Act,–

Amendment of section 25

(*a*) in clause (*a*), *for* the words "Seven hundred and fifty rupees" the words "Seven hundred and fifty rupees" shall be *substituted* ;

(*b*) in clause (*b*) *for* the words "Seven hundred and fifty rupees" the words "one thousand five hundred and fifty rupees" shall be *substituted;*

(*c*) in clause (*c*) *for* the words "Seven hundred and fifty rupees" the words "one thousand five hundred and fifty rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 26

6. In section 26 of the principal Act, *for* the words "Seven hundred and fifty rupees" wherever occurring, the words "one thousand five hundred and fifty rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 26

7. In section 28 of the principal Act, *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted,* namely :–

"(1) Where any Government dues (such as rent of charges for accommodation, telephone dues, etc.) are reported to be outshtanding against a member and aporopriate claims or bills-in support thereof are recived from the concerned authority, and such member fails to pay such dues, an amount equivalent to such dues, or where any repayable advance has been provided by the Government to a member than an amount equivalent to such advance or any instalment thereof due from such member, together with interest, if any, shall be deducted by the Secretary from the salary or travelling of daily or compensatory accomodation or any other allowance bill of such member.

(1-A) In case of a person who ceased to be a member of a person who is not a member at the time when any repayable advance has been provided to him by the Government, the amount referred to in sub-section (1) may be deducted from the amount of pension or any other amount payable to such person under this Act."

By order,

S. N. SAHAY,

Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1
संख्या 1156/सत्रह-वि-1-1(क)-26-1987
लखनऊ, 31 जुलाई, 1987

अधिसूचना
विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1987 पर दिनांक 31 जुलाई, 1987 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1987 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1987

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1987)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) संशोधन अधिनियम, 1987 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 3 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (1) में, शब्द ''पांच सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''आठ सौ पचास रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 4 शब्द ''एक हजार छः सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दो हजार छः सौ रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 5 में,-

(क) शब्द ''पच्चीस हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पैंतीस हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे और दिनांक 01 जून, 1986 से रखे गये समझे जायेंगे।

(ख) इस प्रकार संशोधित धारा में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''परन्तु किसी सदस्य को इस धारा के अधीन दिये जाने वाले रेल कूपनों में से उसके विकल्प पर उतने मूल्य के रेल कूपन के बजाय जितने वह चाहे समान मूल्य के कूपन, ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार जो विहित किये जायं, उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर किसी समय वायुयान द्वारा यात्रा के लिए उसे दिये जायेंगे।''

धारा 15 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 15 में, शब्द ''साठ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पचासी रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 18-क का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 18-क में, खण्ड (क) में, शब्द ''चार सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''छः सौ रुपये'' रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

No. 1156(2)/XVII-V-1–1(KA)-26-1987

Dated Lucknow, July 31, 1987

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Uplabdhiyan Aur Pension) (Sanshodhan)

Adhiniyam, 1987 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 1987) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 31, 1987 :

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 1987

[U. P. Act No. 21 of 1987]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An

ACT

further to omend the Uttar Pradesh State Legislature (Member' Emoluments and Pension) Act, 1980

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-eighth Year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Member' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1987.

(2) It shall come into force at once except section 2, 4, 5 and 6 which shall be deemed to have come into force with effect from April 1, 1986.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 23 of 1980

2. In section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Member' Emoluments and Pension) Act, 1980, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section(1), *for* the words "five hundred rupees" the words "eight hundred and fifty rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 4

3. In section 4 of the principal Act, for the words "one thousand and six hundred rupees" the words "two thousand and six hundred rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 5

4. In section 5 of the principal Act,–

(*a*) *for* the words "tweny five thousand rupees" the words "thirty five thousand rupees"shall be *substituted* and be deemed to have been *substituted* with effect from June 1, 1986 ;

(*b*) the following proviso to the section, so amended, shall be *inserted*, namely–

"Provided that out of the railway coupons to be supplied under this section to a member, he shall at his option, be supplied, instead of such value of railway coupons as he may desire, coupons of equal value for travel by air at any time within or outside Uttar Pradesh in accordance with such principles as may be prescribed."

Amendment of section 15

5. In section 15 of the principal Act, for the words "sixty rupees" the words "eighty-five rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 18-A

6. In section 18-A of the principal Act, in clause (*a*) for the words "rupees four hundred" the words "rupees six hundred" shall be *substituted.*

By order,

S. N. SAHAY,

Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1943/सत्रह-वि-1-1(क)-22-1988

लखनऊ, 14 अक्टूबर, 1988

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1988 पर दिनांक 14 अक्टूबर, 1988 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1988 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1988

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1988)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1988 कहा जायेगा।

(2) यह 01 जून, 1988 को प्रवृत्त हुई समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 5 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 धारा 5 में, शब्द ''पैंतीस हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''अड़तीस हजार पांच सौ रुपये'' रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

No. 1943(2)/XVII-V-1–1(KA)-22-1988

Dated Lucknow, October 14, 1988

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Uplabdhiyan Aur Pension) (Sanshodhan) Ad hiniyam, 1988 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sahkhya 17 of 1988) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 14, 1988.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 1988

[U. P. Act No. 17 of 1988]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Member' Emoluments and Pension) Act, 1980

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-ninth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commen-cment.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Member' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1988.

(2) It shall be deemed to have come into force June 1, 1988.

Amendment of section 5 of U.P. Act no. 23 of 1980

2. In section 5 of the Uttar Pradesh State Legislature (Member' Emoluments and Pension) Act, 1980, *For* the words "thirty-five thousand rupees" the words "thirty-eight thousand five hundred rupees" shall be *substituted.*

By order,
S. N. SAHAY,
Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1
संख्या 717/सत्रह-वि-1-1(क)-23/1989
लखनऊ, 10 अप्रैल, 1989

अधिसूचना
विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्यों मंत्रियों और सभी सचिवों की उपलब्धियां विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 पर दिनांक 8 अप्रैल, 1989 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1989 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्यों, मंत्रियों और सभी सचिवों की उपलब्धियां विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1989)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभी सचिवों के (वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, 1956 का अग्रतर संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्यों, मंत्रियों और सभी सचिवों की उपलब्धियां विधि (संशोधन) अधिनियम, 1989 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 1 अप्रैल, 1989 को प्रवृत्त माना जायेगा।

अध्याय-दो

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (झ) में शब्द ''संसदीय सचिव'' के स्थान पर शब्द ''सभा सचिव'' रख दिये जायेंगे।

धारा 15 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 15 में :-

(क) खण्ड (पांच-ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

सदस्यों को अग्रिम

''(पांच-खख) उक्त भत्ता उन दिनों के लिए भी देय होगा जिनमें किसी सदस्य द्वारा जनसेवा के कार्यों के लिए दौरा किया जाय और जिनके लिए पूर्ववर्ती खण्डों के अधीन उक्त भत्ता या आनुषंगिक व्यय अनुमन्य न हो या न हो सकता हो।

(ख) खण्ड (पांच-ग) शब्द ''पद पर आसीन सदस्य'' के पश्चात् शब्द ''और नेता विरोधी दल'' बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 19 का प्रतिस्थापन

4-मूल अधिनियम की धारा 19 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

नेता विरोधी दल को वेतन, आवास, सवारी तथा अन्य सुविधायें

''19-नेता विरोधी दल ऐसे वेतन, आवास, सवारी तथा ऐसी अन्य सुविधायें पाने का हकदार होगा जो मंत्रि-परिषद् के किसी सदस्य को उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की धारा 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के उपबन्धों के अधीन अनुमन्य है और उक्त धाराओं के और उनसे सम्बन्धित नियमों के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, नेता विरोधी दल के सम्बन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे किसी मत्रिपरिषद् के किसी सदस्य के सम्बन्ध में लागू होते हैं।''

5-मूल अधिनियम की धारा 20, 21, 21-क और 22 निकाल दी जायेंगी। धारा 20, 21-क और 22 का लोप

6-मूल अधिनियम की धारा 24 में,- धारा 24 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में शब्द ''सात सौ पचास'' के स्थान पर शब्द ''एक हजार दो सौ पचास'' रख दिये जायेंगे और परन्तुक में शब्द ''एक हजार पांच सौ पचास'' के स्थान पर शब्द ''दो हजार पचास'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण दो में शब्द ''तीन मास'' के स्थान पर शब्द ''छः मास'' रख दिये जायेंगे; और

(ग) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :-

> ''(2) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसने सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में या अंशतः सभा के और अंशतः परिषद् के सदस्य के रूप में (चाहे निरन्तर हो या नहीं), उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि से कम अवधि के लिए कार्य किया हो, और जिसको उपधारा (1) के अधीन कोई पेंशन अनुमन्य न हो, अपने जीवन पर्यन्त पांच सौ रुपये प्रतिमास की दर से पेंशन पाने का हकदार होगा।''

7-मूल अधिनियम की धारा 25 में, जहां-जहां शब्द ''एक हजार पांच सौ पचास रुपये'' आये हैं, वहां-वहां उनके स्थान पर शब्द ''दो हजार पचास रुपये'' रख दिये जायेंगे। धारा 25 का संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा 26 में, जहां-जहां शब्द ''एक हजार पांच सौ पचास रुपये'' आये हैं, वहां-वहां उनके स्थान पर शब्द ''दो हजार पचास रुपये'' रख दिये जायेंगे। धारा 26 का संशोधन

अध्याय-तीन

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1981 की धारा 3 का संशोधन

9-उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में, उपधारा (2) में शब्द ''छः सौ पचास रुपये प्रतिमास'' के स्थान पर शब्द ''नौ सौ रुपये प्रतिमास'' रख दिये जायेंगे और दिनांक 31 जुलाई, 1987 से रखे गये समझे जायेंगे।

धारा 6 का संशोधन

10-मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) में शब्द ''उस दर पर और उन शर्तों पर, जो विहित की जायं, यात्रा और दैनिक भत्ता'' के स्थान पर शब्द ''ऐसे दिनांक से, ऐसी दर पर और ऐसी शर्तों पर, जो विहित की जायं, यात्रा भत्ता और फुटकर खर्च'' रख दिये जायेंगे।

अध्याय-चार

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा सचिवों के (वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, 1956 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1956 की धारा 3 का संशोधन

11-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उपमंत्रियों और सभा सचिवों के (वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का अधिनियम, 1956 में, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :-

> ''(1) प्रत्येक सभा सचिव अपनी पदावधि में आद्योपान्त आठ सौ पचास रुपये प्रतिमास के वेतन का हकदार होगा तथा उससे तीन सौ रुपये मासिक परिवहन भत्ता दिया जायेगा।

12–मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :- धारा 4 का प्रतिस्थापन

''4–प्रत्येक सभा सचिव अपनी पदीय कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में (स्थल, समुद्र या वायुमार्ग द्वारा) की गयी यात्रा हेतु ऐसी दर पर और ऐसी शर्तों पर जो विहित की जायं, यात्रा भत्ता और फुटकर खर्च का हकदार होगा।'' यात्रा भत्ता और फुटकर खर्च

आज्ञा से,

नारायण दास,

सचिव।

No. 717(2)/XVII-V-1–1(KA)-23-1989

Dated Lucknow, April 10, 1989

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal Sadasyon, Mantryon Aur Sabha Sachiyon Ki Uplabdhiyan Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1989 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sahkhya 15 of 1989) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 8, 1989 :

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE MEMBERS AND PARLIAMENTARY SECRTARIES' EMOLUMENTS LAWS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 1989

[U. P. Act No. 15 of 1989]

(as passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An

ACT

Further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Member' Emoluments and Pension) Act, 1980 the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981 and the Uttar Pradesh State Legislature Officers, Ministers, Deputy Ministers, Parliamentary Secretaries and Members (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1956.

IT IS HEREBY enacted in the Fourtith Year of the Republic of India as follows :–

CHAPTER-1

PRELIMINARY

Short title and commen-cment.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature Member, Ministers and Parliamentary Secretarie's Emoluments Laws Amendment) Act, 1989.

(2) It shall be deemed to have come into force on April 1, 1989.

CHAPTER-II

The Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) Act, 1980.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 23 of 1980

2. In the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) Act, 1980, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, in section 2, in clause (i) in the Hindi version, *for* the words ‘‘संसदीय सचिव’’ the words ‘‘सभा सचिव’’ shall be *substituted.*

Amendment of section 15

3. in section 15 of the principal Act,

(*a*) *after* clause (*v-b*), the following clause shall be *inserted*, namely :–

"(*v-bb*) the allowance shall also be payable for the days during which a member tours for the works in the service of the public and for which the allowance or incidental charges under the preceding clauses are not or may not be, admissible;"

(*b*) in clause (*v-c*), after the words "a member holding any office referred to in clause (i) of section 2" the words "and the Leader of Opposition" shall be *inserted.*

4. For section 19 of the principal Act, the follwoing section shall be *substituted*, namely :– Substitution of section 19

"19. The Leader of Opposition shall be entitled to such salary, accommodation, conveyance and other faclities as are admissible to any member of the Council of Ministers under the provision of section 3, 4, 5, 6, 7 and 8 of the Uttar Pradesh Ministers, (Salarie, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981 and the provisions of the said sections and the rules relating thereto shall *mulatis mutandis* apply to the Leader of Opposition as they apply in relation to any member of the Council of Ministers.

salary, accommodation, conveyance and other faclities to the Leader of Opposition

5. Section 20, 21, 21-A and 22 of the principal Act, shall be *omitted.* omission of section 20, 21, 21-A and 22

6. In section 24 of the principal Act,– Amendment of section 26

(*a*) in sub-section (1) *for* the words "Seven hundred and fifty" the words "one thousand two hundred and fifty" shall be *substituted* and in the provise, *for* the words "one thousand five hundred and fifty" the words "two thousand and fifty"shall be *substituted.*

(*b*) in sub-section (1) in Explation II, *for* the words "three months" the words "six months" shall be *substituted* and

(*c*) *for* sub-section (2) following sub-section shall be *substituted* namely :–

"(2) Every person who has served as a member of the Assembly or of the Counsil, or party as a member of the Assembly and party as a member of the Counsil (whether continuous or not) for a period lesset than the period specified in sub-section (1) and to whom no pension under sub-section (1) is admissible, shall be entitled to a pension at the rate of five hundred rupees per month throughout his life.

Amendment of section 25

7. In section 25 of the principal Act, *for* the words "one thousand five hundred and fifty rupees" wherever occurring the words "two thousand and fifty rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 26

8. In section 26 of the principal Act, *for* the words "one thousand five hundred and fifty rupees" wherever occurring the words "two thousand and fifty rupees" shall be *substituted.*

CHAPTER-III

Amrndment of the Uttar Pradesh Ministers (Salarie, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981.

Amendment of section 3 of U.P. Act No. 14 of 1981

9. In section 3 of the Uttar Pradesh Ministers (Salarie, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, in sub-section (2) *for* the words "six hundred and fifty rupees per month" the words "nine hundred and fifty rupees per month" shall be *substituted* and be deemed to have been substituted from July 31, 1987.

Amendment of section 6

10. In section 6 of the principal Act, in sub-section (2) *for* the words "travelling and daily allowance at such rates and upon such conditions as may be prescribed" the words "travelling allowance and out-of-pocket expeneses from such date, at such rates and upon such conditions as may be prescribed" shall be *substituted.*

CHAPTER-VI

Amendment of the Uttar Pradesh State Legislature Officers, Ministers, Deputy Ministers, Parliamentary Secreatries and Members' (Salaries and Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1956.

11. In section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature Officers, Ministers, Deputy Ministers, Parliamentary Secreatries and Members' (Salaries and Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1956, hereinafter in this Chapter referred as the principal Act, *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted,* namely :– Amendment of section 3 of U.P. Act No. 14 of 1956

"(1) Every Parliamentary Secretary shall, throughout the term of his office, be entitled to a salary of eight hundred and fifty rupees per month and be paid a conveyance allowance of three hundred rupees per month."

12. *For* section 4 of the principal Act, the following section shall be *substituted,* namely :– Substitution of section 4

"(4) Every Parliamentary Secretary shall be entitled for (whether by land sea or air) performed in connection with the discharge of his official duties, to travelling allowance and out-of-pocket expenses at such rate and upon such conditions as may be prescribed." Travelling allowances and out of pocket expences

By order,

NARAYAN DAS,

Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 439/सत्रह-वि-1-1(क)-6-1991

लखनऊ, 22 मार्च, 1991

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1991 पर दिनांक 19 मार्च, 1991 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1991 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1991

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1991)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बयालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1991 कहा जायेगा।

(2) यह 7 जनवरी, 1991 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2–उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में, उपधारा (6) में प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द और अंक ''31 दिसम्बर, 1990'' के स्थान पर शब्द और अंक ''30 जून, 1991'' रख दिये जायेंगे। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (6) में प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द और अंक ''31 दिसम्बर, 1990'' के स्थान पर शब्द और अंक ''30 जून, 1991'' रख दिये जायेंगे। धारा 35 का संशोधन

4–(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1990 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
नारायण दास,
सचिव।

No. 532(2)/XVII-V-1–1(KA)-3-1991

Dated Lucknow, March 21, 1991

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sahakari Samiti (Sanshodhan) Adhiniyam, 1991 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 1991) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 19, 1991.

THE UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 1991

[U. P. Act No. 14 of 1991]

(As passed by the U. P. Legislature)

An

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Co-operative Societies Act, 1965

IT IS HEREBY enacted in the Forty-second Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commen-cment.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 1991.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 31, 1990.

Amendment of section 29 of U.P. Act no. 11 of 1966

2. In section 29 of the Uttar Pradesh co-operative Societies Act, 1965, hereinafter referred to as the Principal Act, in sub-section (6), in the first proviso *For* the word and figures "December 31, 1990" the word and figures "June 30, 1991" shall be *substituted.*

Amendment of section 35

3. In section 35 of the principal Act, in sub-section (6), in the proviso, *For* the word and figures "December 31, 1990" the word and figures "June 30, 1991" shall be *substituted.*

Repeal and Saving

4. (1) The Uttar Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 1990, is hereby repealed. U.P. ordinance 33 of 1990

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

NARAYAN DAS,

Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 13/सत्रह-वि-1-1(क)-21-1992

लखनऊ, 13 अप्रैल, 1992

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1992 पर दिनांक 11 अप्रैल, 1992 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1992 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1992

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1992)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तैंतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1992 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 5 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 5 में, शब्द ''अड़तीस हजार पांच सौ रुपये से अनधिक मूल्य के रेल कूपन प्रतिवर्ष'' के स्थान पर शब्द ''दिनांक 1 जून, 1991 से 15 अगस्त, 1991 तक की अवधि के लिये ''पैंतालिस हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक मूल्य के और दिनांक 16 अगस्त, 1991 से चौवन हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक मूल्य के रेल कूपन'' रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
एन0 के0 नारंग,
सचिव।

No. 913(2)/XVII-V-1–1(KA)-21-1992

Dated Lucknow, April 13, 1992

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Uplabdhiyan Aur Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1992 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 1992) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 11, 1992.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 1992

[U. P. Act No. 13 of 1992]

(As passed by the U. P. Legislature)

An

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980

IT IS HEREBY enacted in the Forty-third Year of the Republic of India as follows :–

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1992. Short title

2. In section 5 of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980, *For* the words "thirty-eight thousand five hundred rupees per annum" the words "forty-five thousand rupees per annum *for* the period from June 1, 1991 to August 15, 1991 and not exceeding fifty-four thousand rupees per annum from August 16, 1991" shall be *substituted.* Amendment of section 5 of U.P. Act no. 23 of 1980

By order,
N. K. NARANG,
Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 814/सत्रह-वि-1-1(क)-24-1994

लखनऊ, 2 मई, 1994

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1994 पर दिनांक 30 अप्रैल, 1994 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1994 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1994

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1994)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1994 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 5 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 में, शब्द और अंक ''दिनांक 1 जून, 1991 से 15 अगस्त, 1991 तक की अवधि के लिए पैंतालिस हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक मूल्य के और दिनांक 16 अगस्त, 1991 से चौवन हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक'' के स्थान पर शब्द ''पैंसठ हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक'' रख दिये जायेंगे।

धारा 15 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 15 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित कर दिया जायेगा, और-

(क) इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) में,-

(एक) शब्द ''पचासी रुपये'' के स्थान पर शब्द ''एक सौ पचास रुपये'' रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (पांच-ख) और खण्ड (पांच-ग) निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

''(2) प्रत्येक सदस्य उन दिनों के लिए भी जिनमें वह जनसेवा के कार्यों के लिए दौरा करें और जिसके लिए उपधारा (1) के अधीन भत्ता या आनुषंगिक व्यय अनुमन्य न हो या न हो सकता हो, एक सौ रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(3) उपधारा (1) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन सदस्य और नेता विरोधी दल को उसके सम्पूर्ण कार्यकाल में, जिसमें वह ऐसे पद पर आसीन है, प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता देय होगा, सिवाय उन दिनों के जिनके लिए वह उपधारा (1) के अधीन दैनिक भत्ता का दावा करे।''

धारा 24 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 24 में, उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण-दो में, शब्द और अंक ''वर्ष 1980 में'' के स्थान पर शब्द और अंक ''वर्ष 1980 में या वर्ष 1985 में'' रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

नरेन्द्र कुमार नारंग,

सचिव।

No. 814(2)/XVII-V-1–1(KA)-24-1994

Dated Lucknow, May 2, 1994

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Uplabdhiyan Aur Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1994 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 16 of 1994) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 30, 1994.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 1994

[U. P. Act No. 16 of 1994]

(As passed by the U. P. Legislature)

An

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980

IT IS HEREBY enacted in the Forty-fifth Year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1994.

Amendment of section 5 of U.P. Act no. 23 of 1980

2. In section 5 of the Uttar Pradesh State Legislature (Member' Emoluments and Pension) Act, 1980, hereinafter referred to as the principal Act, *For* the words and figures "not exceeding forty-five thousand rupees per annum for the period from June 1, 1991 to August 15, 1991 and not exceeding fifty-four thousand rupees per annum from August 16, 1991" words "not exceeding sixty-five thousand rupees per annum" shall be *substituted.*

Amendment of section 15

3. Section 15 of the principal Act, shall be *re-numbered* as sub-section (1) thereof and–

(*a*) in sub-section (1) as so re-numbered,–

(*i*) *for* the words "eighty-five rupees" the words "one hundred fifty rupees" shall be *substituted;*

(*ii*) clause (v-bb and clause (v-c) shall be *omitted;*

(*b*) *after* sub-section (1) the following sub-section shall be *inserted*, namely–

"(2) Every member shall be entitled to daily allowance at the rate of one hundred rupees per day for the days during which he tours for the works in the service of the public and for which the allowance or incidental charges under sub-section (1) are not, or may not be, admissible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), daily allowance at the rate of one hundred rupees per day shall be payable to a member holding any office referred to in clause (i) of section 2 and the Leader of Opposition for each day during the whole of the term in which he holds such office, except such days for which he claims daily allowance under sub-section (1)."

Amendment of section 24

4. In section 24 of the principal Act, in sub-section (1), in the *Explanation*-II *for* the words and figures "in the year 1980" the words and figures "in the year 1980 or in the year 1985" shall be *substituted.*

By order,
N. K. NARANG,
Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1
संख्या 470/सत्रह-वि-1-1(क)-5/1997
लखनऊ, 2 मई, 1997

अधिसूचना
विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों

की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1997 पर दिनांक 1 मई, 1997 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1997 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1997

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1997)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 4 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, शब्द ''दो हजार छः सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''तीन हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 5 में,-

(क) शब्द ''पैंसठ हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक'' के स्थान पर शब्द ''दिनांक एक जून, 1997 से पचासी हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक'' रख दिये जायेंगे।

(ख) वर्तमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''परन्तु यह और कि जब कभी प्रथम श्रेणी के रेल किराये में वृद्धि होगी, राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा रेल कूपन के मूल्य में आनुपातिक वृद्धि कर सकती है।''

4-मूल अधिनियम की धारा 15 में,- धारा 15 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में, शब्द ''एक सौ पचास रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दो सौ रुपये'' रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) और (3) में, शब्द ''एक सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''एक सौ पच्चीस रुपये'' रख दिये जायेंगे।

5-मूल अधिनियम के अध्याय 4 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :- नये अध्याय 4-क का बढ़ाया जाना

''अध्याय 4-क

सचिवीय भत्ता

सचिविय भत्ता

15-क सभा या परिषद् का प्रत्येक सदस्य चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या न हो, जिसमें नेता विरोधी दल भी सम्मिलित है, अपनी सदस्यता की अवधि में या, यथास्थिति अपने सम्पूर्ण कार्यकाल में, जिसमें वह ऐसे पद पर आसीन है, दो सौ रुपये प्रतिमास की दर पर सचिवीय भत्ता पाने का हकदार होगा।''

6-मूल अधिनियम की धारा 17-क में, शब्द ''एक लाख रुपये से अनधिक'' के स्थान पर शब्द ''दो लाख रुपये से अनधिक'' रख दिये जायेंगे। धारा 17-क का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 24 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :- धारा 24 का संशोधन

भूतपूर्व सदस्य को पेंशन

''24-प्रत्येक व्यक्ति जिसने सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में किसी भी अवधि के लिए कार्य किया हो, अपने जीवन पर्यन्त एक हजार दो सौ पचास रुपये प्रतिमास की दर से पेंशन पाने का हकदार होगा :

परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने उपर्युक्तानुसार एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए कार्य किया हो, वहां वह एक वर्ष से

अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक सौ रुपये प्रतिमास की दर से अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार होगा।''

धारा 25 का संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा 25 में,-

(क) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :-

''(क) जहां कोई व्यक्ति संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के उपबन्धों के अधीन कोई पेंशन पाने का हकदार हो और ऐसी पेंशन धारा 24 के अधीन अनुमन्य पेंशन की धनराशि के बराबर या उससे अधिक हो;''

(ख) खण्ड (ख) और (ग) में शब्द ''दो हजार पचास रुपये'' के स्थान पर शब्द ''धारा 24 के अधीन अनुमन्य पेंशन की धनराशि'' रख दिये जायेंगे।

धारा 26 का संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 26 में शब्द ''दो हजार पचास रुपये'' जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द ''धारा 24 के अधीन अनुमन्य पेंशन की धनराशि'' रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
रविन्द्र दयाल माथुर,
प्रमुख सचिव।

No. 470(2)/XVII-V-1–1(KA)-5/1997

Dated Lucknow, May 2, 1997

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Uplabdhiyan Aur Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1997 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 1997) as

passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 1, 1997.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 1997

[U. P. Act No. 4 of 1997]

(As passed by the U. P. Legislature)

An

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980

IT IS HEREBY enacted in the Forty-eight Year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1997.

Amendment of section 4 of U.P. Act no. 23 of 1980

2. In section 4 of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980, here in after referred to as the principal Act, *For* the words "two thousand and six hundred rupees" the words "three thousand rupees " shall be *substituted.*

Amendment of section 5

3. In section 5 of the principal Act,–

(*a*) *for* the words "not exceeding sixty five thousand rupees per annum" the words "not exceeding eighty-five thousand rupees per annum from June 1, 1997" shall be *substituted;*

(*b*) *after* the exiting proviso the following proviso shall be *inserted*, namely–

"Provided further that whenever there is an increase in the railway fare of first class, the State Government may by a notified order make a proportional increase in the value of railway coupons."

Amendment of section 15

4. In section 15 of the principal Act,

(*a*) in sub-section (1) *for* the words "one hundred and fifty rupees" the words "two hundred rupees" shall be *substituted;*

(*b*) in sub-section (2) and (3) *for* the words "one hundred rupees" the words "one hundred and tweny five rupees" shall be *substituted.*

Insertion of new chapter 4-A

5. *after* Chapter 4 of the principal Act, the following Chapter shall be *inserted*, namely–

CHAPTER-IV-A

SECRETARIAL ALLOWANCE

Secretrial allowance

15-A. Every member of the assembly or the council, whether or not he holds any of the office referred to in clause (1) of section 2 including the leader of opposition shall be entitled to receive for the duration of his membership or as he case may be, during the whole of the term in which he holds such office, Secretrial allowance at the rate of two hundred rupees per month."

Amendment of section 17-A

6. In section 17-A of the principal Act, *for* the words "not exceding rupees one lakh" the words "not exceding rupees two lakh" shall be *substituted.*

Substitution of section 24

7. *for* section 24 of the the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :–

Pension to ex-member

"24. Every person who has served as a member of the assembly or the council, for any period shall be to etitled a pension at the rate of one thousand two hundred and fifty rupees per month throghout his life :

Provided that where any person has served as aforsaid for period exceeding one year, he shall be entitled to an additional pension at the rate of one hundred rupees per month for every completed year in excess of one year."

8. In section 25 of the principal Act,– Amendment of section 25

(a) For clause *(a)*, the following clause shall be *substituted*, namely :–

"*(a)* where a person is entitled to any pension under the provisions of the Salaries, Allowances and Pension of Member of Parliament Act, 1954 and such pension is equal to or exceeds the amount of pension admissible under section 24."

(b) in clauses *(b)* and *(c) for* the words "two thousand and fifty rupees" the words "the amount of pension admissible under section 24" shall be *substituted*.

9. In section 26 of the principal Act, *for* the words "two thousand and fifty rupees" wherever occuring the words "the amount of pension admissible under section 24" shall be *substituted*. Amendment of section 26

By order,
R. D. MATHUR,
Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1
संख्या 1117/सत्रह-वि-1-1(क)-16/1997
लखनऊ, 2 अगस्त, 1997

अधिसूचना
विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1997 पर दिनांक 2 अगस्त, 1997 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1997 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1997)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

चूंकि उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि प्रत्येक मंत्री जिसमें मुख्य मंत्री और उप मंत्री भी सम्मिलित हैं, अपनी पदावधि पर्यन्त और उसके पश्चात् पन्द्रह दिन की अवधि के लिए बिना किराये का भुगतान किये लखनऊ में निवास स्थान का, जिसे विहित मानदण्ड के अनुसार सरकारी व्यय पर सुसज्जित और अनुरक्षित किया जायगा, उपयोग करने का हकदार होगा;

और चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि प्रत्येक सदस्य, जिसमें संसदीय सचिव भी सम्मिलित हैं, अपनी सदस्यता की अवधि पर्यन्त और ऐसी अग्रतर अवधि के लिए जैसी कि विहित की जाय लखनऊ में बिना किराये के भुगतान के ऐसे आवास का, जैसा उसे उपलब्ध कराया जाय, उपयोग करने का हकदार होगा;

और चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन और भत्ते) अधिनियम, 1952 में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष और उप सभापति प्रत्येक अपनी पदावधि पर्यन्त लखनऊ में बिना किराये के भुगतान किये सुसज्जित निवास स्थान पाने का हकदार होगा;

और चूंकि राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह मंत्रियों, विधायकों, विधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष और विधान परिषद् के सभापति एवं उप सभापति को लखनऊ में निवास स्थान उपलब्ध करायें;

और चूंकि मंत्रियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उप सभापति और विधायकों का समय से निवास स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह समीचीन समझा गया कि कतिपय आवासों को मंत्री आवास, अध्यक्ष आवास, उपाध्यक्ष आवास, उप सभापति, आवास और विधायक आवास के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाय;

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1981 में नई धारा 4-क का बढ़ाया जाना

2-उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :-

''4-क (1) उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल

कतिपय आवासों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक को और से, राज्य सरकार

धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन किसी मंत्री को समय पर निवास स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से अधिसूचित आदेश द्वारा राज्य सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रण और प्रबन्ध के अधीन किसी टाइप-छः आवास को या ऐसे आवास को जो किसी समय किसी मंत्री के अध्यासन में था मंत्री आवास के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट कोई आवास केवल मंत्री को आवंटित किया जायेगा और किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया जायगा।

(2) यदि धारा 4 की उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट मंत्री से भिन्न किसी व्यक्ति के अध्यासन में किसी आवंटन आदेश के आधार पर या अन्यथा उपधारा (1) के अधीन मंत्री आवास के

रूप में विनिर्दिष्ट कोई आवास हो तो राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे व्यक्ति के आवंटन आदेश को, यदि कोई हो, रद्द कर सकता है और लिखित नोटिस द्वारा ऐसे व्यक्ति से ऐसी नोटिस की उस पर तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उक्त आवास को खाली करने की अपेक्षा कर सकता है और यदि ऐसा व्यक्ति उक्त आवास को उक्त अवधि के भीतर खाली करने में विफल रहता है तो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत कोई अधिकारी उक्त आवास का कब्जा ले सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में आवश्यक हो।''

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 में नई धारा 16-क का बढ़ाया जाना

3-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 16 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

कतिपय आवासों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

''उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक की ओर से राज्य सरकार धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन किसी सदस्य को समय पर आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से अधिसूचित आदेश द्वारा राज्य सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रण और प्रबन्ध के अधीन विधायक निवास संख्या 1, ए-ब्लाक, दारूलसफा, विधायक निवास संख्या 2 बी-ब्लाक, दारूलसफा, विधायक निवास संख्या 3 ओ0 सी0 आर0, विधायक निवास संख्या 4, रायल होटल, विधायक निवास संख्या 5, मीराबाई मार्ग, विधायक निवास संख्या 6, पार्क रोड, नामक कालोनी या भवन में किसी आवास को विधायक आवास के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट कोई आवास केवल सदस्य को आवंटित किया जायगा और किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया जायेगा।

(2) यदि धारा 16 की उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अध्यासन में किसी आवंटन आदेश के आधार पर या अन्यथा उपधारा (1) के अधीन विधायक आवास के रूप में विनिर्दिष्ट कोई आवास हो तो राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे व्यक्ति के आवंटन आदेश को, यदि कोंई हो, रद्द कर सकता है और लिखित नोटिस द्वारा ऐसे व्यक्ति से ऐसी नोटिस की उस पर तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उक्त आवास को खाली करने की अपेक्षा कर सकता है और यदि ऐसा व्यक्ति उक्त आवास को उक्त अवधि के भीतर खाली करने में विफल रहता है तो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत कोई अधिकारी उक्त आवास का कब्जा ले सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में आवश्यक हो।''

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1952 में नई धारा 4-क का बढ़ाया जाना

4-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1951 की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

कतिपय आवासों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

''4-क (1) उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रारम्भ के दिनांक की ओर से राज्य सरकार धारा 4 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को समय पर निवास स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से अधिसूचित आदेश द्वारा राज्य सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रण और प्रबन्ध के अधीन किसी टाइप-छः आवास को या ऐसे आवास जो किसी समय किसी अध्यक्ष या किसी सभापति या किसी उपाध्यक्ष या किसी उप सभापति के अध्यासन में था, अध्यक्ष आवास या सभापति आवास या उपाध्यक्ष आवास

या उप सभापति आवास के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट कोई आवास केवल धारा 4 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को आवंटित किया जायेगा और किसी अन्य व्यक्ति को नहीं किया जायगा।

(2) यदि धारा 4 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अध्यासन में किसी आवंटन आदेश के आधार पर या अन्यथा उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष आवास या सभापति आवास या उपाध्यक्ष आवास या उप सभापति आवास के रूप में विनिर्दिष्ट कोई आवास हो तो राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे व्यक्ति के आवंटन आदेश को, यदि कोई हो, रद्द कर सकता है और लिखित नोटिस द्वारा ऐसे व्यक्ति से ऐसी नोटिस की उस पर तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उक्त आवास को खाली करने की अपेक्षा कर सकता है और यदि ऐसा व्यक्ति उक्त आवास को उक्त अवधि के भीतर खाली करने में विफल रहता है तो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी उक्त आवास का कब्जा ले सकेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में आवश्यक हो।''

आज्ञा से,
रविन्द्र दयाल माथुर,
प्रमुख सचिव।

No. 1117(2)/XVII-V-1–1(KA)-16-1997

Dated Lucknow, August 2, 1997

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mantri Aur Rajya Vidhan Mandal Adhikari Aur Sadasya Sukh-Suvidha Vidhi

(Sanshodhan) Adhiniyam, 1997 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 1997) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 2, 1997 :

THE UTTAR PRADESH MINISTERS AND STATE LEGISLATURE OFFICER AND MEMBERS AMENTIES LAWS (AMENDMENT) ACT, 1997

[U. P. Act No. 8 of 1997]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981 the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980 and the U. P. State Legislature (Officers' Salaries and Allowances) Act, 1952.

WHEREAS the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981 *inter alia* provides that each Minister including Chief Minister and Deputy Minister shall be entitled without payment of any rent to the use throughout the term of his office and for a period of fifteen days thereafter of a residence at Lucknow which shall be furnished and maintained at public expence at the prescribed scale;

AND WHEREAS the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) Act, 1980 *inter alia* provides that every member including Parlimentry Secretary shall be entitled without payment of any rent to the use of such accommodation at Lucknow as may be provided to him for the duration of his membership and such further period as may be prescribed ;

AND WHEREAS the Uttar Pradesh State Legislature (Officers Salaries and Allowances) Act, 1952 *inter alia* provides that Speaker, the Chairman, the Deputy Speaker and the Deputy Chairman shall each be entitled to, throghout the term of his office a free furnished residence at Lucknow ;

AND WHEREAS it is the duty of the State Government to provide residence to Ministers, Legislators, Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly and Chairman and Deputy Chairman of Uttar Pradesh Legislative Council ;

AND WHEREAS to ensure timely availablity of residence to Ministers, Speaker, Deputy Speaker Chairman, Deputy Chairman and Legislators it has been considered expedient to specify certain accommodations as Minister's residence, Speaker's residence, Chairman residence, a Deputy Speaker's residence, Deputy Chairman's residence and Legislator's residence ;

IT IS HEREBY enacted in the Forty-eighth Year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Ministers and State Legislature Officers and Members Amenities Laws (Amendment) Act, 1997.

Insertion of new section 4-A in U.P. Act no. 14 of 1981

2. *After* section 4 of the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981, the following section shall be *inserted*, namely:–

Special provisions regarding certain accommodations

4-A(1) "On and from the commencement of the Uttar Pradesh Ministers and State Legislature Officers and Members Amenities Laws (Amendment) Act, 1997, the State Government may, with a view to ensuring timely availability of residence to a Minister under sub-section (1) of section 4, by a notified order, specify any type-VI accommodation or an accommodation in which a Minister who an occupation at any time, under the control and Management of the Estate Department of the State Government, as Ministers residence and an accommodation so specified shall be allotted to a Minister only and not to any other person.

(2) The State Government, or an officer authorised by it in this behalf may, if a person other than a Minister referred to in sub-section (1-A) of section 4 is in occupation of an accommodation specified as Minister's residence under sub-section (1) on the basis of any allotment order or otherwise, cancel the allotment order of such person, if any, and by notice in writing require such person to vacate the said accommodation within fifteen days from the date of service upon him of such notice, and if such person fails to vacate the said accommodation wihtin the said period, an officer-authorised by the State Government in this behalf may take possession of the accommodation and may for the purpose use such force as may be necessary in the circumstances".

Insertion of new section 16-A in U.P. Act no. 23 of 1980

3. *After* section 16 of the Uttar Pradesh Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980, the following section shall be *inserted*, namely:–

Special provisions regarding certain accommo-dations

"16-A (1) On and from the commencement of the Uttar Pradesh Ministers and State Legislature Officers and Members Amenities Laws (Amendment) Act, 1997, the State Government may, with a view to ensuring timely availability of accommodation to a member under sub-section (1) of section 16, by a notified order, specify any accommodation in the colony of building named as Vidhayak Niwas No. 1, A-Block, Darulshafa, Vidhayak Niwas No. 2, B-Block, Darulshafa, Vidhayak Niwas No. 3,

O.C.R., Vidhayak Niwas No. 4, Royal Hotel, Vidhayak Niwas No. 5, Mirabai Marg, Vidhayak Niwas No. 6, Park Road under the control and management of the Estate Department of the State Government, as Legilatures' residence and an accommodation so specified shall be allotted to a member only and not to any other person.

(2) The State Government, or an officer authorised by it in this behalf may, if a person other than a member referred to in sub-section (1-A) of section 16 is in occupation of an accommodation specified as Member's residence under sub-section (1) on the basis of any allotment order or otherwise, cancel the allotment order of such person, if any, and by notice in writing require such person to vacate the said accommodation within fifteen days from the date of service upon him of such notice, and if such person fails to vacate the said accommodation within the said period, an officer authorised by the State Government in this behalf may take possession of the accommodation and may for the purpose use such force as may be necessary in the circumstances".

Insertion of new section 4-A in U.P. Act no. 11 of 1952

4. *After* section 4 of the U. P. State Legislature (Officer's Salaries and Allowances) Act, 1952, the following section shall be *inserted*, namely:–

Special provisions regarding certain accommodations

"4-A (1) On and from the commencement of the Uttar Pradesh Ministers and State Legislature Officers and Members Amenities Laws (Amendment) Act, 1997, the State Government may, with a view to ensuring timely availability of residence referred to in sub-section (1) of section 4, by a notified order, specify and type-VI accommodation or an accommodation in which a Speaker or a

Chairman or a Deputy Speaker or a Deputy Chairman was in occupation at any time under the control and Management of the Estate Department of the State Government, as Speaker's residence, Chairman residence, Deputy Speaker's residence, Deputy Chairman residence and an accommodation so specified shall be allotted to a person as the case may be, referred to in sub-section (1) of section 4 only and not to any other person.

(2) The State Government, or an officer authorised by it in this behalf may, if a person other than a person referred to in sub-section (2) of section 4 is in occupation of an accommodation specified as Speaker's residence, Chairman's residence Deputy Speaker's residence, Deputy Chairman's residence under sub-section (1) on the basis of any allotment order or otherwise, cancel the allotment order of such person, if any, and by notice in writing require such person to vacate the said accommodation within fifteen days from the date of service upon him of such notice, and if such person fails to vacate the said accommodation wihtin the said period, an officer authorised by the State Government in this behalf may take possession of the accommodation and may for the purpose use such force as may be necessary in the circumstances".

By order,

R. D. MATHUR,

Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1412/सत्रह-वि-1-1(क)-10/1998

लखनऊ, 27 जुलाई, 1998

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1998 पर दिनांक 25 जुलाई, 1998 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1998 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1998

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1998)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 5 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 5 में, शब्द और अंक ''दिनांक एक जून, 1997 से पचासी हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक'' के स्थान पर शब्द और अंक ''दिनांक

पहली जून, 1990 से 15 अगस्त, 1991 तक की अवधि के लिए पैंतालिस हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक, दिनांक 16 अगस्त, 1991 से पहली मई, 1994 तक की अवधि के लिए चौवन हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक दिनांक 2 मई, 1994 से 31 मई, 1997 तक की अवधि के लिए पैंसठ हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक और दिनांक पहली जून, 1997 से पचासी हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1412(2)/XVII-V-1–1(KA)-10/1998

Dated Lucknow, July 27, 1998

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Uplabdhiyan Aur Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1998 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 27 of 1998) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 25, 1998 :

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 1998

(U. P. Act No. 27 of 1998)

[As passed by the U. P. Legislature]

An

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980

IT IS HEREBY enacted in the Forty-ninth Year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1998.

Amendment of section 5 of U.P. Act no. 23 of 1980

2. In section 5 of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980, *For* the words and figures "not exceeding eighty-five thousand rupees per annum from June 1, 1977", the words and figures "not exceeding forty-five thousand rupees per annum for the period from June 1, 1990 to August 15, 1991, not exceeding fifty-four thousand rupees per annum for the period from August 16, 1991 to May 1, 1994, not exceeding sixty-five thousand rupees per annum for the period from May 2, 1994 to May 31, 1997 and not exceeding eighty-five thousand rupees per annum from June 1, 1997"shall be *substituted.*

By order,

YOGENDRA RAM TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1864/सत्रह-वि-1-1(क)-7-25-1998

लखनऊ, 26 सितम्बर, 1998

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल

अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 1998 पर दिनांक 26 सितम्बर, 1998 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1998 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मंत्री और राज्य विधान मण्डल अधिकारी और सदस्य सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1998

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1998)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 और उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

भारत गणराज्य के उन्वासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायेगा।

भाग-दो

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 3 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की जिसे इस भाग में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (1) में शब्द ''आठ सौ पचास रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दो हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द ''तीन हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पांच हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 5 की उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जायगा, और-

(क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में शब्द और अंक ''दिनांक 1 जून, 1997 से पचासी हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक'' के स्थान पर शब्द और अंक ''दिनांक 1 जून, 1997 से पचासी हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक और 1 जून, 1998 से अट्ठासी हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

''(2) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य को दस हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक मूल्य के रेल कूपन विहित रीति से दिये जायेंगे, जो ऐसे भूतपूर्व सदस्य के द्वारा अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए उपयोग में लाये जा सकते हैं और इस उपधारा के अधीन दिये गये रेल कूपनों पर उपधारा (1) के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।''

धारा 13 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 13 में उपधारा (4) में शब्द और अंक ''उपधारा (1)'' के पश्चात् शब्द और अंक ''उपधारा (2)'' बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 15 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 15 में,-

(क) उपधारा (1) में शब्द ''दो सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दो सौ पचास रुपये'' रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) और (3) में शब्द ''एक सौ पच्चीस रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दो सौ रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 15-क का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 15-क में शब्द ''दो सौ रुपये'' के स्थान शब्द ''एक हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

8-मूल अधिनियम की धारा 18-क में, खण्ड (क) में शब्द ''छः सौ रुपये'' के स्थान शब्द ''एक हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे। धारा 18-क का संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 24 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जायगा, और- धारा 24 का संशोधन

(क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में,-

(एक) शब्द ''एक हजार दो सौ पचास रुपये'' के स्थान पर शब्द ''एक हजार पांच सौ रुपये'' रख दिये जायेंगे।

(दो) परन्तुक में शब्द ''एक सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दो सौ रुपये'' रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (1) पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

''जहां उपधारा (1) के अधीन पेंशन का हकदार कोई व्यक्ति किसी अन्य पेंशन का भी हकदार हो, वहां ऐसा व्यक्ति ऐसी पेंशन के साथ-साथ उपधारा (1) के अधीन पेंशन का हकदार होगा।''

10-मूल अधिनियम की धारा 25 में, खण्ड (क) और (ग) निकाल दिये जायेंगे। धारा 25 का संशोधन

11-मूल अधिनियम की धारा 26 में, ''खण्ड (क) या (ख) या खण्ड (ग)'' के स्थान पर शब्द ''खण्ड (ख)'' रख दिये जायेंगे। धारा 26 का संशोधन

भाग-तीन

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 का संशोधन

12-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 की, जिसे आगे इस भाग में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में शब्द ''एक हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दो हजार पांच सौ रुपये'' रख दिये जायेंगे। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1952 की धारा 2 का संशोधन

धारा 15 का संशोधन

13-मूल अधिनियम की धारा 4 में,-

(क) उपधारा (1) में शब्द ''तथा उत्तर प्रदेश के किसी ऐसे अन्य स्थान पर भी और ऐसी अवधि के लिए जिन्हें राज्य सरकार इस सम्बन्ध में बनाये जाने वाले नियमों द्वारा नियत करे'' निकाल दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी और 27 मार्च, 1997 को बढ़ाई गई समझी जायगी, अर्थात् :-

''(3) अध्यक्ष और सभापति प्रत्येक को अपने गृह जनपद मे अपने निजी निवास स्थान के रख-रखाव के लिए यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष या सभापति के रूप में उनके निर्वाचन के दिनांक से दो हजार पांच सौ रुपये प्रतिमास पाने का अधिकार होगा।''

भाग-चार

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1981 की धारा 3 का संशोधन

14-उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की धारा 3 में,-

(क) उपधारा (1) में शब्द ''एक हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दो हजार पांच सौ रुपये'' रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में शब्द ''नौ सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दो हजार दो सौ पच्चीस रुपये'' रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

योगेन्द्र राम त्रिपाठी,

प्रमुख सचिव।

No. 1864(2)/XVII-V-1–1(KA)-27-1998

Dated Lucknow, September 26, 1998

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal Sadasya Aur Adhikari Tatha Mantri Sukh-Suvidha Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1998 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sannkhya 30 of 1998) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 25, 1998 :

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE MEMBERS AND OFFICERS AND MINISTERS AMENITIES LAWS (AMENDMENT) ACT, 1998

[U. P. Act No. 30 of 1998]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legigslature (Members Emoluments and Pension) Act, 1980 and the Uttar Pradesh State Legislature (Officers Salaries and Allowances) Act, 1952 and the Uttar Pradesh Ministers (salaries, allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981 :

IT IS HEREBY enacted in the Forty-ninth Year of the Republic of India as follows :–

Part-I

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Legislature Members and Officers and Ministers Amenities Laws (Amendment) Act, 1998. Short title

Part-II

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS EMOLUMNETS AND PENSION) ACT, 1980

Amendment of section 3 of the U.P. Act no. 23 of 1980

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Legislature (Member's Emoluments and Pension) Act, 1980 hereinafter referred to in this part as the Prinicipal Act, in sub section (1), *for* the words "eight hundred and fifty rupees" the words "two thousand rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 4

3. In section 4 of the prirncipal Act, *for* the words "three thousand rupees" the words "five thousand rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 5

4. section 5 of the prirncipal Act, shall be re-numbered as sub-section (1) thereof and–

(*a*) in sub-section (1) as so renumbered, *for* the words and figures "not exceeding eighty five thousand rupees per annum from June 1, 1997" the words and figures "not exceeding eighty five thousand rupees per annum from June 1, 1997 and not exceeding eighty-eight thousand rupees per annum from June 1, 1998" shall be *substituted*.

(*b*) *after* sub-section (1) the following sub-section shall be *inserted*, namely,–

"(2) subject to the other provision of this Act, every ex-member shall be provided, in the manner prescribed, with railway coupons of such value not exceeding ten thousand rupees per annum as may be used by such ex-member for himself and for the members of his family and the provisions of such sub-section (1) shall mutatis *mutandis* apply to the railway coupons supplied under this sub-section."

Amendment of section 13

5. In section 13 of the prirncipal Act, In sub-section 4 *after* the the words and figures "sub-section (1)" the words and figures "sub-section (2)" shall be *inserted*.

6. In section 15 of the principal Act,– Amendment of section 15

(*a*) in sub-section (1) *for* the words "two hundred rupees" the words "two hundred and fifty rupees" shall be *substituted*;

(*b*) in sub-section (2) and (3), *for* the words "one hundred and twenty-five rupees" the words "two hundred rupees" shall be *substituted*.

7. In section 15-A of the prirncipal Act, *for* the words "two hundred rupees" the words "one thousand rupees" shall be *substituted*. Amendment of section 15-A

8. In section 18-A of the prirncipal Act, in clause (a) *for* the words "six hundred rupees" the words "one thousand rupees" shall be *substituted*. Amendment of section 18-A

9. Section 24 of the principal Act, shall be re-numbered as sub-section (1) thereof, and– Amendment of section 24

(*a*) in sub-section (1) as so re-numbered,–

(i) *for* the words "one thousand two hundred and fifty rupees" the words "one thousand five hundred rupees" shall be *substituted*;

(ii) in the proviso *for* the words "one hundred rupees" the words "two hundred rupees" shall be *substituted*;

(*b*) after sub-section (1) the follwoing sub-section shall be *inserted*, namely,–

"(2) Where any person entitled to person under sub-section (1) is also entitled any other pension such person shall be entitled to receive the pension under sub-section (1) in addition to such pension."

10. In section 25 of the principal Act, clauses (a) and (c) shall be *omitted*. Amendment of section 25

Amendment of section 26

11. In section 26 of the principal Act, *for* the words "clause (a) or clauses (b) or clause (c)." the words "clause (b)" shall be *substituted*.

PART-III

Amendment of the Uttar Pradesh State Legislature (Officers Salaries and Allowances) Act, 1952

Amendment of section 2 of the U.P. Act No. 11 of 1952

12. In section 2 of the Uttar Pradesh State Legislature (Officers Salaries and Allowances) Act, 1952, herein after referred to in this part as the principal Act, in sub-section (1) *for* the words "rupees one thousand" the words "two thousand and five hundred rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 4

13. In section 4 of the principal Act,–

(*a*) in sub-section (1) the words "and also at such other place in Uttar Pradesh and for such period as may be prescribed by rules to be made by the State Government in this behalf" shall be *omitted;*

(*b*) after sub-section (2) the follwoing sub-section shall be *inserted*, and be deemed to have been inserted on March 27, 1997 namely,–

"(3) The Speaker and the Chairman shall each be entitled to receive two thousand and five hundred rupees per month for the maintenance of his private residence at his home district will effect from the date of his election as such Speaker or the Chairman, as the case may be :

PART-IV

Amendment of the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981

14. In section 3 of the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981,– Amendment of section 3 of U.P. Act No. 14 of 1981

(*a*) in sub-section (1) *for* the words "one thousand rupees" the words "two thousand and five hundred rupees"shall be *substituted;*

(*b*) in sub-section (2) *for* the words "nine hundred rupees" the words "two thousand two hundred and twenty five rupees"shall be *substituted;*

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1365/सत्रह–वि–1–1(क)–21–2000

लखनऊ, 24 मई, 2000

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 22 मई, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (छ) में शब्द ''प्रथम श्रेणी'' के स्थान पर शब्द ''वातानुकूलित टू टायर'' रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (1) में, द्वितीय परन्तुक में शब्द ''प्रथम श्रेणी'' के स्थान पर शब्द ''वातानुकूलित टू टायर'' रख दिये जायेंगे।

धारा 17-क का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 17-क में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :-

''परन्तु यह कि यदि किसी ऐसे सदस्य को एक प्रयोजन के लिए स्वीकृत किया गया अग्रिम और उस पर देय ब्याज प्रतिसंदत्त कर दिया गया हो तो उस सदस्य को दूसरे प्रयोजन के लिए भी अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है।''

आज्ञा से,

योगेन्द्र राम त्रिपाठी,

प्रमुख सचिव।

No. 1365(2)/XVII-V-1–1(KA)-21-2000

Dated Lucknow, May 24, 2000

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Uplabdhiyan Aur Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 25 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 22, 2000.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 2000

[U. P. Act No. 25 of 2000]

(As passed by the U. P. Legislature)

An

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2000.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 23 of 1980

2. In section 2 of the Uttar Pradesh State Legislature (Member' Emoluments and Pension) Act, 1980, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (g) *For* the words "first class" the words "air-conditioned two-tier" shall be *substituted.*

Amendment of section 5

3. In section 5 of the principal Act, in sub-section (1), in the second proviso, *for* the words "first class" the words "air-conditioned two-tier" shall be *substituted;*

Amendment of section 17-A

4. In section 17-A of the principal Act, the following proviso shall be *inserted*, namely,–

"Provided that if the advance granted to any such member for one purpose and the interest due thereon has been repaid, the member may be granted advance for the other purpose."

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1367/सत्रह-वि-1-1(क)-22-2000

लखनऊ, 24 मई, 2000

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 22 मई, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायेगा।

(2) यह पहली जून, 2000 को प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 5 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की, धारा 5 में, उपधारा (1) में प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

''परन्तु किसी सदस्य की ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, इस धारा के अधीन दिये जाने वाले रेल कूपनों में से उसके विकल्प पर उतने मूल्य के रेल कूपन के बजाय, जितने वह चाहे, :-

(क) समान मूल्य के कूपन उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर किसी समय वायुयान द्वारा यात्रा के लिए उसे दिये जायेंगे ; और

(ख) उसके निजी वाहन के लिए पेट्रोल या डीजल हेतु तीन हजार रुपये प्रतिमाह से अनधिक की धनराशि नकद भुगतान की जायेगी।''

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 1367(2)/XVII-V-1–1(KA)-22-2000

Dated Lucknow, May 24, 2000

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Uplabdhiyan Aur Pension) (Dwitya Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 27 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 22, 2000.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBER'S EMOLUMENTS AND PENSION) (SECOND AMENDMENT) ACT, 2000

[U. P. Act No. 27 of 2000]

(As passed by the U. P. Legislature)

An

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) Act, 1980

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) (Second Amendment) Act, 2000.

(2) it shall come into force on June 1, 2000.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 23 of 1980

2. In section 5 of the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) Act, 1980, in sub-section (1), *for* the first proviso, the follwoing proviso shall be *substituted* namely :–

"Provided that out the railway coupons to be supplied under this section to a member, be shall at his option,–

(*a*) be supplied coupons of equal value for travel by air at any time within or outside Uttar Pradesh ; and

(*b*) be paid an amount in cash not exceeding three thousand rupees per month for petrol or diesel for his own vehical ; instead of such value of railway coupons as he may desire, in such manner as may be prescribed."

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 390/सत्रह-वि-1-1(क)-10-2004

लखनऊ, 27 फरवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 पर दिनांक 26 फरवरी, 2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2004

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2004)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 तथा उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जायेगा।

(2) यह पहली अप्रैल, 2004 को प्रवृत्त होगा।

अध्याय-दो

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 3 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की, जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (1) में शब्द ''दो हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''तीन हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 4 में, शब्द ''पांच हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''सात हजार पांच सौ रुपये'' रख दिये जायेंगे।

4-मूल अधिनियम की धारा 5 में, :- धारा 5 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में शब्द और अंक ''और 01 जून, 1998 से अट्ठासी हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक'' के स्थान पर शब्द और अंक ''1 जून, 1998 से अट्ठासी हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक और 1 अप्रैल, 2004 से एक लाख बीस हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में, :-

(1) शब्द ''दस हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''बीस हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे;

(2) प्रथम परन्तुक में खण्ड (ख) में शब्द ''तीन हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पांच हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

5-मूल अधिनियम की धारा 14 में खण्ड (घ) में द्वितीय परन्तुक में शब्द ''दो से अधिक सदस्य'' के स्थान पर शब्द ''पांच से अधिक सदस्य'' रख दिये जायेंगे। धारा 14 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 15 में, :- धारा 15 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में शब्द ''दो सौ पचास रुपये'' के स्थान पर शब्द ''तीन सौ रुपये'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में शब्द ''दो सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दो सौ पचास रुपये'' रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (3) में शब्द ''दो सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दो सौ पचास रुपये'' रख दिये जायेंगे;

7-मूल अधिनियम की धारा 15-क में शब्द ''एक हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दो हजार पांच सौ रुपये'' रख दिये जायेंगे। धारा 15-क का संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा 18-क में खण्ड (क) में शब्द ''एक हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दो हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे। धारा 18-क का संशोधन

धारा 24 का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 24 में, :–

(क) उपधारा (1) में शब्द ''एक हजार पांच सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दो हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे;

(ख) परन्तुक में शब्द ''दो सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दो सौ पचास रुपये'' रख दिये जायेंगे;

(ग) प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :–

''परन्तु यह और कि विधान सभा भंग होने की स्थिति में विधान सभा के भंग होने की तिथि से नयी विधान सभा के प्रथम उपवेशन तक की अवधि की गणना ऐसे सदस्य के पेंशन प्रयोजनों के लिए की जायेगी जो भंग विधान सभा का अध्यक्ष रहा हो और उक्त अवधि के दौरान इस रूप में अपने पद पर आसीन रहा हो।''

(घ) उपर्युक्त परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :–

''**स्पष्टीकरण**–जहां किसी व्यक्ति ने सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में छः माह या उससे अधिक किन्तु एक वर्ष से कम अवधि के लिए कार्य किया हो वहां इस धारा के प्रयोजनार्थ यह समझा जायेगा कि उस व्यक्ति ने एक वर्ष के लिए सदस्य के रूप में कार्य किया है।''

अध्याय–तीन

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1952 की धारा 2 का संशोधन

10–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में शब्द ''दो हजार पांच सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पांच हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

11–मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (3) में शब्द ''दो हजार पांच सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पांच हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे। धारा 4 का संशोधन

अध्याय–चार

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का संशोधन

12–उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 की धारा 3 मे, :– उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1981 की धारा 3 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में शब्द ''दो हजार पांच सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पांच हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में शब्द ''दो हजार दो सौ पच्चीस रुपये'' के स्थान पर शब्द ''चार हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

मूल्यों में वृद्धि और उत्तरदायित्व में अभिवृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए यह समीचीन समझा गया कि जनहित में राज्य विधान मण्डल के सदस्यों और अधिकारियों और मंत्रीगण को अनुमन्य वेतन, भत्तों, रेलवे कूपन और अन्य सुविधाओं को पुनरीक्षित किया जाय और भूतपूर्व सदस्यों को अनुमन्य पेंशन और रेलवे कूपन में वृद्धि की जाय। अतएव यह विनिश्चय किया गया कि राज्य विधान मण्डल के सदस्यों और अधिकारियों तथा मंत्रीगण के वेतन और भत्तों और अन्य सुविधाओं को पुनरीक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 तथा मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 को संशोधित किया जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

आर0 वी0 राव,

प्रमुख सचिव।

No. 390(2)/VII-V-1–1(KA)-10-2004

Dated Lucknow, February 27, 2004

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal Sadasya Aur Adhikari Tatha Mantri Sukh Suvidha Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2004 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 2004) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 26, 2004.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE MEMBERS AND OFFICERS AND MINISTERS AMENTIES LAWS (AMENDMENT) ACT, 2004

(As passed by the U. P. Legislature)

An

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Member' Emoluments and Pension) Act, 1980 the Uttar Pradesh State Legislature (Officers Salaries and Allowances) Act, 1952 and the Uttar predesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows :–

CHAPTER I

Preliminary

Short title commence-ment

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature Members and Officers and Ministers Amenities Laws (Amendment) Act, 2004.

(2) It shall come into force with effect from April 1, 2004.

CHAPTER-II

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) ACT, 1980

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 23 of 1980

2. In section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Member' Emoluments and Pension) Act, 1980, hereinafter referred to in this chapter as the principal Act, in sub-section (1) *For* the words "two thousand rupees" the words "three thousand rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 4

3. In section 4 of the principal Act, *for* the words "five thousand rupees" the words "seven thousand five hundred rupees" shall be *substituted;*

Amendment of section 5

4. In section 5 of the principal Act,–

(*a*) in sub-section (1) *for* the words and figures "and not exeeding eighty-eight thousand rupees per annum from June 1, 1998" the words and figures "not exeeding eighty-eight thousand rupees per annum from June 1, 1998 and not exceeding one lakh twenty thousand rupees per annum from April 1, 2004";

(*b*) in sub-section (2),–

(i) *for* the words "ten thousand rupees" the words "twenty thousand rupees" shall be *substituted;*

(ii) in the first proviso, in clause (*b*) *for* the words "three thousand rupees" the words "five thousand rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 14

5. In section 14 of the principal Act, in clause (*d*), in the second proviso *for* the words "two members" the words "five members" shall be *substituted;*

Amendment of section 15

6. In section 15 of the principal Act,–

(*a*) in sub-section (1) *for* the words "two hundred fifty rupees" the words "three hundred rupees" shall be *substituted;*

(*b*) in sub-section (2), *for* the words "two hundred rupees" the words "two hundred fifty rupees" shall be *substituted;*

(*c*) in sub-section (3), *for* the words "two hundred rupees" the words "two hundred fifty rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 15-A

7. In section 15-A of the principal Act, *for* the words "one thousand rupees" the words "two thousand five hundred rupees" shall be *substituted;*

Amendment of section 18-A

8. In section 18-A of the principal Act, in clause (*a*) *for* the words "one thousand rupees" the words "two thousand rupees" shall be *substituted;*

Amendment of section 24

9. In section 24 of the principal Act,–

(*a*) in sub-section (1) *for* the words "one thousand five hundred rupees" the words "two hundred rupees" shall be *substituted;*

(*b*) in the proviso *for* the words "two hundred rupees" the words "two hundred fifty rupees" shall be *substituted;*

(*c*) *after* the first proviso the following proviso shall be *inserted,* namely, –

"Provided further that in the event of dissolution of Assembly, the period from the date of dissolution of Assembly, till the date of first meeting of the new Assembly, shall be counted for pension purpose of a member who has been the Speaker of the dissolved Assembly and has countinued to be in office as such during the said period."

(*d*) *after* the aforsaid proviso the following Explanation shall be *inserted*, namely, –

"*Explanation*–Where a person have served as a member of the Assembly or the Council for a term of six month and above and have not completed one year then such person shall for the purposes of calculating the pension, be deemed to have served as a member for one year."

CHAPTER-III

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (OFFICERS SALARIES AND ALLOWANCES) ACT, 1952

10. In section 2 of the Uttar Pradesh State Legislature (Officers Salaries and Allowances) Act, 1952, hereinafter in this chapter referred to as the principal Act in sub-section (1) *For* the words "two thousand and five hundred rupees" the words "five thousand rupees" shall be *substituted*. Amendment of section 2 of the U.P. Act no. 11 of 1952

11. In section 4 of the principal Act, in sub-section (3) *for* the words "two thousand and five hundred rupees" the words "five thousand rupees" shall be *substituted;* Amendment of section 4

CHAPTER-IV

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH MINISTERS (SALARIES, ALLOWANCES AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1981

12. In section 3 of the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous) Provisions Act, 1981,– Amendment of section 3 of U.P. Act no. 14 of 1981

(*a*) in sub-section (1) *For* the words "two thousand and five hundred rupees" the words "five thousand rupees" shall be *substituted*.

(*b*) in sub-section (2) *For* the words "two thousand two hundred and twenty-five rupees" the words "four thousand rupees" shall be *substituted*.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In view of price rise and increase of responsibilities, it has been considered expedient in public interest to revise, the pay, allowance, railway coupon and other amenities admissible to the members, officers and Ministers of the State Legislature and to increase the pension and railway coupon admissible to *ex*-members. It has therefore, been decided to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980 and Uttar Pradesh State Legislature (Officers Salaries and Allowances) Act, 1952 and the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981 to revise the Salaries and allowances and other amenities of the members and officers and Ministers of the State Legislature.

The Uttar Pradesh State Legislature Members and Officers and Ministers Amenities Laws (Amendment) Bill, 2004 is introduced accordingly.

By order,
R. B.. RAO,
Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 484/सात-वि-1-1(क)-18-2005

लखनऊ, 29 मार्च, 2005

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) विधेयक, 2005 पर दिनांक 24 मार्च, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) अधिनियम, 2005

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2005)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और नेता विरोधी दल को लखनऊ में समुचित वास-स्थान प्रदान करने की व्यवस्था के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) विधेयक, 2005 कहा जायेगा।

परिभाषायें

2-इस अधिनियम में, :-

(क) ''अधिकारी'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या विधान परिषद् के सभापति या उपसभापति का पद धारण करता है;

(ख) ''नेता विरोधी दल'' का तात्पर्य राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के नेता विरोधी दल से है।

आवास

3-(1) राज्य सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रण एवं प्रबंध के अधीन, लखनऊ में माल एवेन्यू कालोनी में स्थित आवास संख्या 9, कालिदास मार्ग पर स्थित आवास संख्या 12 और गौतम पल्ली कालोनी में स्थित आवास संख्या 5 और 18 क्रमशः अध्यक्ष, विधान सभा, सभापति, विधान परिषद्, उपाध्यक्ष विधान सभा और उपसभापति, विधान परिषद् के शासकीय आवास के रूप में पदाभिहित किये जायेंगे।

(2) राज्य सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रण एवं प्रबंध के अधीन माल एवेन्यू आवास संख्या 12 और गोमती नगर फेज-दो स्थित आवास संख्या 6, टाइप छः क्रमशः विधान सभा के नेता विरोधी दल और विधान परिषद् के नेता विरोधी दल के शासकीय आवास के रूप में पदाभिहित किये जायेंगे।

(3) उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट पदाभिहित आवासों के उपर्युक्त अध्यासीगण अपने पद धारण की समाप्ति पर पन्द्रह दिनों के भीतर राज्य सम्पत्ति विभाग को खाली कब्जा सौंप देंगे।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

4-(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, कर सकती है, जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।

उद्देश्य और कारण

राज्य सरकार का यह कर्तव्य है कि वह राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के नेता विरोधी दल को उनके पदधारण की अवधि पर्यन्त उपयुक्त आवास उपलब्ध करायें। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रण और प्रबंध के अधीन कतिपय आवासों को उनके पदधारण की अवधि पर्यन्त उपयोग के लिए उनके शासकीय आवास के रूप में पदाभिहित करने की व्यवस्था करने हेतु विधि बनाई जाय।

2-तद्नुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) विधेयक, 2005 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
धर्म वीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 484/VII-V-1–1(ka)-18-2005

Dated Lucknow, March 29, 2005

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Adhikari Evam Neta Virodhi Dal Ke Avas) Adhiniyam, 2005 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 2005) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 24, 2005:

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (RESIDENCES OF THE OFFICERS AND LEADERS OF OPPOSITION) ACT, 2005

[U.P. ACT No. 12 of 2005]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to provide for giving proper accominodation at Lucknow to the Officers and Leaders of Opposition of the State Legislature.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:

Short Title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Residences of the Officers and Leaders of Opposition) Bill, 2005.

Definitions

2. In this Act,–

(a) ‘Officer’ means a person who holds the office of the Speaker or Deputy Speaker of the Legislative Assembly or Chairman of the Deputy Chairman of the *Legislative Council*;

(b) 'the Leader of Opposition' means the Leader of the Opposition of either House of the State Legislature;

Residences

3. (1) The residence number 9 situated at Mall Avenue Colony, residence number 12 situated at Kalidas Marg, residence numbers 5 and 18 situated at Gautam Palli Colony, Lucknow under the control and management of Estate Department of the State Government, shall be designated as official residences of the Speaker Legislative Assembly, the Chairman Legislative Council, the Deputy Speaker Legislative Assembly and the Deputy Chairman Legislative Council respectively.

(2) The residence number 12 situated at Mall Avenue and 6 Type VI situated at Gomti Nagar Phase-II under the control and management of Estate Department of the State Government, shall be designated as official residences of the Leader of Opposition of Legislative Assembly and the Leader of Opposition of Legislative Council.

(3) The above occupants of the designated residences referred in sub-sections (1) and (2) shall deliver the vacant possession to the Estate Department within fifteen days on being ceased to hold the office.

Power to remove difficulty

4. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act the State Government may be a notified order, make such

provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of two years from the commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be before both houses of the State Legislature and the provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttar Pradesh Act.

STATEMENTS OF OBJECTS AND REASONS

It is duty of State Government of provide proper residences to the Officers of the State Legislature and the Leaders of Opposition of either House of the State Legislature throughout the term of their offices. It has therefore been decided to make a law to provide for designating certain residences under the control and management of the Estate Department as the official residences thereof to use throughout the term of their offices.

2. The Uttar Pradesh State Legislature (Residences of the Officers and Leaders of Opposition) Bill, 2005 is introduced accordingly.

By order,

D.V. SHARMA,

Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1
संख्या 1031/सात-वि-1-1(क) 26-2005
लखनऊ, 11 अगस्त, 2005

अधिसूचना
विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राजय विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी सुख सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 10 अगस्त, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2005)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

अध्याय–दो

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 में, जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, शब्द ''सचिव'' जहां कही भी आया हो, जिसके अन्तर्गत परिभाषा भी है, के स्थान पर शब्द ''प्रमुख सचिव'' रख दिये जायेंगे। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 में सामान्य संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द ''सात हजार पांच सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पन्द्रह हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे। धारा 4 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 5 में,– धारा 5 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में शब्दा और अंक ''और 01 अप्रैल, 2004 से एक लाख बीस हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनाधिक'' के स्थान पर शब्द और अंक ''और'' 01 अप्रैल, 2004 से एक लाख बीस हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक और 1 जून, 2005 से एक लाख पचास हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक'' रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (2) में शब्द ''बीस हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''तीस हजार रुपये'' रख दिये जायें,

5–मूल अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :– धारा 13 का संशोधन

''13–(1) प्रत्येक सदस्य, जब वह उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से, जिसके अन्तर्गत वातानुकूलित या डीलक्स बस भी है, उत्तर प्रदेश के भीतर यात्रा करता है, और उसका टिकट प्रस्तुत करता है, तब उसे ऐसे टिकट की धनराशि का भुगतान प्रमुख सचिव द्वारा किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधा का उपयोग सदस्य द्वारा बस में अपने साथ एक सहवर्ती को ले जाने के लिए भी किया जा सकता है।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जो अध्याय आठ के अधीन पेंशन का हकदार है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन देय यात्री कर का भुगतान किये बिना किसी भी समय उत्तर प्रदेश के भीतर यात्रा करने के लिए विहित रीति से निःशुल्क असंक्रमीणीय बस-पास का भी हकदार होगा :

परन्तु यह है कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति किसी वातानुकूलित या डीलक्स बस में यात्रा करता है तो उसे किराये की अधिक धनराशि का वहन स्वयं करना होगा।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट पास का उपयोग ऐसे व्यक्ति द्वारा बस में अपने साथ एक सहवर्ती को ले जाने के लिए भी किया जा सकता है।''

धारा 15 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (1) में शब्द ''तीन सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पांच सौ रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 15-क का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 15-क में शब्द ''दो हजार पांच सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''छः हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 18-क का संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा 18-क में, खण्ड (क) में शब्द ''दो हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''छः हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 24 का संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 24 में,-

(क) उपधारा (1) में शब्द ''दो हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''तीन हजार'' रख दिये जायेंगे

(ख) परन्तुक में शब्द ''दो सौ पचास रुपये'' के स्थान पर शब्द ''तीन सौ रुपये'' रख दिये जायेंगे

10–मूल अधिनियम की धारा 28 में, उपधारा (1–क) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा अर्थात्ः–

धारा 28 का संशोधन

''परन्तु यह कि यदि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी सरकारी धन का बकाया हो, चाहे वह उसके सदस्य रहने की अवधि का हो या उसके सदस्य न रह जाने की अविध का हो, तो उसकी कटौती ऐसे व्यक्ति के पेंशन से की जायेगी।''

अध्याय–तीन

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 का संशोधन

11–उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 की धारा 4 में, उपधारा (3) में शब्द ''पांच हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दस हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1952 की धारा 4 का संशोधन

उद्देश्य और कारण

मूल्यों में वृद्धि और उत्तरदायित्व में अभिवृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए यह समीचीन समझा गया कि जनहित में राज्य विधान मण्डल के सदस्यों और अधिकारियों को अनुमन्य भत्तों, रेलवे कूपन और अन्य सुविधाओं को पुनरीक्षित किया जायं और भूतपूर्व सदस्यों को अनुमन्य पेंशन और रेलवे कूपन में वृद्धि की जाय। अतएवं यह विनिश्चय किया गया कि राज्य विधान मण्डल के सदस्यों और अधिकारियों के भत्तों और अन्य सुविधाओं को पुनरीक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 को संशोधित किया जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी सुख–सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

धर्म वीर शर्मा,

प्रमुख सचिव।

No. 1031/VII-V-1–1(ka)-26-2005

Dated Lucknow, August 11, 2005

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal Sadasya Aur Adhikari Sukh Suvidha Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2005 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 2005) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 10, 2005:

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE MEMBERS AND OFFICERS AMENITIES LAWS (AMENDMENT) ACT, 2005

[U.P. ACT No. 21 of 2005]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members Emoluments and Pension) Act, 1980 and the Uttar Pradesh State Legislature (Officers Salaries and Allowances) Act, 1952.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:

CHAPTER-I

PRELIMINARY

Short Title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Legislature Members and Officers Amenities Laws (Amendment), Act, 2005.

CHAPTER-II

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION), ACT, 1980

General Amendment in U.P. Act no. 23 of 1980

2. In the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension), Act, 1980, hereinafter referred to in this chapter as the principal Act, *for* the word "Secretary" wherever occurring including definitions the words "Principal Secretary" shall be *substituted*.

Amendment of section 4

3. In section 4 of the Principal Act, for the words "Seven thousand five hundred rupees" the words "fifteen thousand rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 5

4. In section 5 of the Principal Act,-

(*a*) in sub-section (1) for the words and figures "and not exceeding one lakh twenty thousand rupees per annum from April 1, 2004" the words and figures "and not exceeding one lakh twenty thousand rupees per annum from April 1, 2004 and not exceeding one lakh fifty thousand rupees per annum from June 1, 2005" shall be *substituted*.

(*b*) in sub-section (2) for the words "twenty thousand rupees" the words "thirty thousand rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 13

5. For section 13 of the Principal Act the following section shall be *substituted*, namely :-

"13--(1) Every member, when he travels within Uttar Pradesh by the Uttar Pradesh

State Road Transport Corporation Bus including air condition or deluxe bus and submits ticket thereof the amount of such ticket shall be paid to him by the Principal Secretary.

(2) The facility referred to in sub-section (1) may also be availed by a member for taking one companion with him in the bus.

(3) Every person who is entitled to a pension under Chapter VIII shall be entitled, in the manner prescribed with a free non transferable pass to travel at any time within Uttar Pradesh by the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation Bus without payment of the passenger tax due under any law for the time being in force.

(4) The pass referred to in sub-section (3) may also be used by such person for taking one companion alongwith him in the bus :

Provided that if a person referred to in sub-section (3) travels in an air-condition bus or a deluxe bus he shall have to bear himself the excess amount of fare difference.

Amendment of section 15

6. In section 15 of the principal Act, in sub-section (1) for the words "three hundred rupees" the words "five hundred rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 15-A

7. In section 15-A of the principal Act, for the words "two thousand five hundred rupees" the words "six thousand rupees" shall be *substituted*.

8. In section 18-A of the principal Act, in clause (a) for the words "two thousand rupees" the words "six thousand rupees" shall be *substituted*. Amendment of section 18-A

9. In section 24 of the principal Act,- Amendment of section 24

(*a*) in sub-section (1) for the words "two thousand rupees" the words "three thousand rupees" shall be *substituted* ;

(*b*) in the proviso for the words "two hundred fifty rupees" the words "three hundred rupees" shall be *substituted* ;

10. In section 28 of the principal Act, in sub-section (1-A) the following proviso shall be *inserted* at the end, namely :- Amendment of section 28

"Provided that if any other Government dues are reported to be outstanding against such person, whether it is for the period of his membership or for the period he is ceased to be a member shall also be deducted from the pension of such person."

CHAPTER-III

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (OFFICERS SALARIES AND ALLOWANCES), ACT, 1952

11. In section 4 of the Uttar Pradesh State Legislature (Officers Salaries and Allowances), Act, 1952, in sub-section (3) for the words "five thousand rupees" the words "ten thousand rupees" shall be *substituted*. Amendment of section 4 of the U.P. Act no. 11 of 1952

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In view of price rise and increase of responsibilities, it has been considered expedient in public interest to revise, the allowances, railway coupons and other amenities admissible to the members, and the officers of the State Legislature and to increase the pension and railway coupons admissible to ex-members. It has therefore, been decided to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members Emoluments and Pension) Act, 1980 and the Uttar Pradesh State Legislature (Officers Salaries and Allowances) Act, 1952 to revise the allowances and other amenities of the members and officers of the State Legislature.

The Uttar Pradesh State Legislature Members and Officers Amenities Laws (Amendment) Bill, 2005 is introduced accordingly.

By order,

D.V. SHARMA,

Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1522/79-वि-1-01(क) 40-2006

लखनऊ 11 दिसम्बर, 2006

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 8 दिसम्बर, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 39 सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 39 सन् 2006)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1971 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में खण्ड (ख) और (ग) निकाल दिये जायेंगे।

धारा 3 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 3 में खण्ड (भ) में मद 79 के पश्चात् निम्नलिखित मद बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

''(80) उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा विकास परिषद''

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1971) की धारा 3 का खण्ड (भ) यह घोषित करता है कि उसमें उल्लिखित निकायों में से प्रत्येक के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य (चाहे वह निदेशक या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) का पदधारक राज्य विधान मण्डल का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिये अनर्ह नहीं होगा। यह विनिश्चत किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा विकास परिषद् को उक्त खण्ड में सम्मिलित करने के लिये उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय। यह

भी विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) और (ग) को, जो उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2006) के प्रवर्तन के दिनांक से अनावश्यक हो गये हैं, निकाल दिये जाये।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 1522/LXXIX-V-1–01(ka)-40-2006

Dated Lucknow, December 11, 2006

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Anarhata Nivaran) (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 39 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 8, 2006:

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (PREVENTION OF DISQUALIFICATION) (SECOND AMENDMENT) ACT, 2006

(U.P. ACT No. 39 of 2006)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (PREVENTION OF DISQUALIFI-CATION) *Act, 1971.*

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows:

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) (Second Amendment), Act, 2006. Short Title

2. In section 2 of the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification), Act, 1971, hereinafter referred to as the principal Act, clauses (b) and (c) shall be *omitted*. Amendment of section 2 of U.P. Act no. 15 of 1971

3. In section 3 of the principal Act, in clause (x) after item (79) the following item shall be *inserted*, namely :- amendment of section 3

"(80) Uttar Pradesh State Handloom Development Board."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Clause (x) of section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification), Act, 1971 (U.P. Act no. 15 of 1971) declares that the holder of the office of the Chairman or Vice-Chairman or Member (whether called Director or by any other name) of each of the bodies mentioned therein shall not be disqualified for being chosen as, or for being a member of the State Legislature. It has been decided to amend the said Act to include Uttar Pradesh State Handloom Development Board in the said clause. It has also been decided to omit clause (b) and (c) of section 2 of the said Act as they had become redundant with effect from the date of commencement of the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification), (Amendment) Act, 2006 (U.P. Act no. 10 of 2006)

The Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification), (Second Amendment) Bill, 2006 is introduced accordingly.

By order,
VIRENDRA SINGH,
Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1254/79-वि-1-07-1(क) 23-2007

लखनऊ 16 जुलाई, 2007

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 13 जुलाई, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) अधिनियम, 2007

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2007)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) अधिनियम, 2005 का निरसन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 2 जून, 2007 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) अधिनियम, 2005 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2005 का निरसन

3-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2007 का निरसन

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2005) का अधिनियमन राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और नेता विरोधी दल को लखनऊ में समुचित वास-स्थान प्रदान करने की व्यवस्था करने के लिए किया गया था। उक्त अधिनियम में राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रण एवं प्रबन्ध के अधीन कतिपय आवासों को राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और दोनों सदनों के नेता विरोधी दल के शासकीय आवास के रूप में उनके पदधारण की अवधि पर्यन्त अभिहित किये जाने की व्यवस्था थी। उक्त अधिनियम के उपबन्धों से आवासों के आवंटन में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही थी और कभी-कभी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। अतएव, यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम को निरसित किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 2 जून, 2007 को उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल

(अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास) (निरसन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 1254/LXXIX-V-1–07-1(ka)23-2007

Dated Lucknow, July 16, 2007

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Adhikari Evam Neta Virodhi Dal Ke Avas) (Nirsan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on *July* 13, 2007:

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (RESIDENCES OF THE OFFICERS AND LEADERS OF OPPOSITION) (REPEAL) ACT, 2007

(U.P. ACT No. 13 of 2007)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to repeal the Uttar Pradesh State Legislature (Residences of the Officers and Leaders of Opposition) *Act, 2005.*

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-Eight Year of the Republic of India as follows:

Short Title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Residences of the Officers and Leaders of Opposition) (Repeal) Act, 2007.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 2, 2007.

Repeal of U.P. Act no. 12 of 2005

2. The Uttar Pradesh State Legislature (Residences of the Officers and Leaders of Opposition) Act, 2005 is hereby repealed.

Repeal of U.P. Ordinance no. 7 of 2007

3. The Uttar Pradesh State Legislature (Residences of the Officers and Leaders of Opposition) (Repeal) Ordinance, 2007 is hereby repealed.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh State Legislature (Residences of the Officers and Leaders of Opposition) Act, 2005 (U.P. Act no. 12 of 2005) was enacted to provide for giving proper accommodation at Lucknow to the Officers and Leaders of Opposition of State Legislature. The said Act provided for designating certain residence under the control and management of the Estate Department as the official residences of the Officers and Leaders of Opposition of either House of the State Legislature throughout the term of their officers. The provisions of the said Act were creating difficulties and some time serious situation arised in the allotment of residences. It was, therefore, decided to repeal the said Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh State Legislature (Residences of the Officers and Leaders of Opposition) (Repeal)

Ordinance, 2007 (U.P. Ordinance no. 7 of 2007) was promulgated by the Governor on June 2, 2007.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
VIRENDRA SINGH,
Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2382/79-वि-1-07-1(क) 9-2007

लखनऊ 21 नवम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 19 नवम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2007

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 37 सन् 2007)

[जैसा ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अनुसरण में उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पुनः संशोधनों सहित पारित हुआ।]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये।

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह 1 दिसम्बर, 2007 से प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 5 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5 में, उपधारा (2) में, शब्द ''तीस हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पचास हजार रुपये'' और शब्द ''अपने परिवार के सदस्यों के लिए'' के स्थान पर शब्द ''अपने परिवार के सदस्यों या एक सहवर्ती के लिए रख दिये जायेंगे।

धारा 24 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 24 में, उपधारा (1) में,-

(क) शब्द ''तीन हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''छः हजार रुपये'' रख दिये जायेंगेः

(ख) प्रथम परन्तुक में आये शब्द ''तीन सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पांच सौ रुपये'' रख दिये जायेंगेः

उद्देश्य और कारण

मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2006 को की गई घोषणा और अध्यक्ष, विधान सभा की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति के अनुसरण में यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 में संशोधन करके मुख्यतः भूतपूर्व सदस्यों को अनुमन्य रेल कूपनों की सीमा तीस हजार रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर पचास हजार रुपये प्रतिवर्ष करने, भूतपूर्व सदस्यों को तीन हजार रुपये प्रतिमास के स्थान पर पांच हजार रुपये प्रतिमास की दर से पेंशन पाने और एक वर्ष से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए तीन सौ रुपये प्रतिमास के स्थान पर पांच सौ

रुपये प्रतिमास की दर से अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार बनाने के लिए व्यवस्था की जाये।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2007 पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै0 मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।

No. 2382/LXXIX-V-1–07-1(ka)9/2007

Dated Lucknow, November 21, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon ki Uplabdhiyan aur Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 37 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented by the Governor on *November* 19, 2007:

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 2007

[U.P. ACT No. 37 of 2007]

(As re passed with commendment by the Uttar Pradesh Legislature is pursuance of the first proviso to article 200 of the Constitution of India)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) *Act*, 1980.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-Eighth Year of the Republic of India as follows:

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2007.

Short Title and commencement

(2) It shall come into force on December 1, 2007.

2. In section 5 of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (2) for the words "thirty thousand rupees" the words "fifty thousand rupees" and for the words "for the members of his family" the words "for the members of his family or one companion" shall be *substituted*.

Amendment of section 5of U.P. Act no. 23 of 1980

3. In section 24 of the principal Act, in sub-section (1),-

Amendment of section 24

(a) for the words "three thousand rupees" the words "six thousand rupees" shall be *substituted*.

(b) for the words "three hundred rupees" appearing in the first provisio, the words "five hundred rupees" shall be *substituted*.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In pursuance of the declaration made by the Chief Minister on August 30, 2006 and the recommendation of the Committee constituted under the Chairmanship of the Speaker, Legislative Assembly it has been decided to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) Act, 1980

mainly to provide for increasing the limit to rail coupons admissible to ex-members from thirty thousand rupees per annum to fifty thousand rupees per annum and entitling the ex-members to get pension at the rate of five thousand rupees per month instead of three thousand rupees per month and additional pension at the rate of five hundred rupees per month instead of three hundred rupees per month for every completed year in excess of one year.

The Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Bill, 2007 is introduced accordingly.

By order,
S.M.A. ABIDI,
Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1
संख्या 2373/79-वि-1-07-1(क)56-2007
लखनऊ 21 नवम्बर, 2007

अधिसूचना
विविध

संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 19 नवम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 39 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 39 सन् 2007)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये।

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह 13 मई, 2007 से प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 28-क का बढ़ाया जाना

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 26 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी अर्थांत :-

मृत सदस्यों के आश्रितों को वित्तीय सहायता

''26-क-यदि सदस्यता की अवधि के दौरान किसी आसीन सदस्य की मृत्यु हो जाय, तो राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रुपये की एक मुश्त धनराशि एक बार वित्तीय सहायता के रूप में उसके आश्रित को स्वीकृत की जायेगी।

स्पष्टीकरण-सदस्य के सम्बन्ध में ''आश्रित'' का तात्पर्य ऐसे सदस्य के साथ रहने वाले और उस पर पूर्णतः आश्रित, अधिमान क्रम में उसके पति या उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता या माता से है।''

उद्देश्य और कारण

राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) अधिनियम, 1980 के अधीन मासिक उपलब्धियां और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार हैं। भूतपूर्व सदस्य भी उक्त अधिनियम के अधीन पेंशन और अन्य लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। किन्तु किसी आसीन सदस्य, जिनका उनकी सदस्यता की अवधि के दौरान निधन हो जाय, के आश्रित को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कोई

प्रावधान नहीं है। अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके किसी आसीन सदस्य, जिसका सदस्यता की अवधि के दौरा निधन हो जाय, के आश्रित को राज्य सरकार द्वारा पांच लाख रुपये की एकमुश्त धनराशि एक बार वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करने की व्यवस्था की जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
सै0 मजहर अब्बास आब्दी,
प्रमुख सचिव।

No. 2373/LXXIX-V-1–07-1(ka)56-2007

Dated Lucknow, November 21, 2007

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon ki Uplabdhiyan aur Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 39 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on *November* 19, 2007:

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 2007

[U.P. ACT No. 39 of 2007]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) *Act*, 1980.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-Eighth Year of the Republic of India as follows:

Short Title and commence-ment

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) (Second Amendment) Act, 2007.

(2) It shall be deemed to have come into force on May 13, 2007.

Insertion of new section 26-A in U.P. Act. no 23 of 1980

2. After section 26 of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980, the following section shall be inserted namely :-

"26-A Financial assistance to dependent of deceased members

If a sitting member, dies during the tenure of his or her office, a sum of Rs. 5 lacks shall be granted by the State Government to his/her dependent as lump sum one time financial assistance.

Explanation-"Dependant" in relation to a member means his or her spouse, son, daughter, father or mother in order of preference, residing with and wholly dependant on such member.""

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The members of either House of the State Legislature are entitled to get monthly emoluments and other facilities under the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980. Ex-members are also entitled to get pension and other benefits under the said Act. But there is no provision for giving any financial help to the dependant of a sitting

member, who dies during the tenure of his/her office. It has, therefore, been decided to amend the said Act to provide for granting by the State Government a lump-sum. One time financial assistance of five lack rupees to the dependant of a sitting member who dies during the tenure of his/her office.

The Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Second Amendment) Bill, 2007 is introduced accordingly.

By order,
S.M.A. ABIDI,
Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1
संख्या 520/79-वि-1-08-1(क)11-2008
लखनऊ 14 मार्च, 2008

अधिसूचना
विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 14 मार्च, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2008

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2008)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये।

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।

(2) यह 1 जून, 2008 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 5 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 5 में उपधारा (1) में शब्द और अंक ''और 1 जून, 2005 से एक लाख पचास हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक'' के स्थान पर शब्द और अंक ''और 1 जून, 2005 से एक लाख पचास हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक और 1 जून, 2008 से दो लाख रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक'' रख दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

राज्य विधान मण्डल के सदस्य रेल यात्रा हेतु एक लाख पचास हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक के रेल कूपन पाने के हकदार हैं। राज्य के विधायकों की निरन्तर मांग को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे कूपनों की वार्षिक सीमा में वृद्धि करना लोक हित में समीचीन समझा गया है। अतः उक्त प्रयोजन के लिये यह विनिश्चय किया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 को संशोधित किया जाये।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2008 पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

सै0 मजहर अब्बास आब्दी,

प्रमुख सचिव।

No. 520/LXXIX-V-1–08-1(ka)11-2008

Dated Lucknow, March 14, 2008

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon ki Uplabdhiyan aur Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 2008) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 14, 2008.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 2008

[U.P. ACT No. 11 of 2008]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

Further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) *Act*, 1980.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows:

Short Title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2008.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 1, 2008.

2. In the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980, in section 5, in sub section (1) for the words and figures "and not exceding one lakh fifty thousand rupees per annum from June 1, 2005" the words and figures "and not exceeding one lakh fifty thousand rupees per annum from June 1, 2005 and not exceeding two lakh rupees per annum from June 1, 2008" shall be *substituted*.

Amendment of section 5of U.P. Act no. 23 of 1980

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The members of the State Legislature are entitled to get railway coupons not exceeding one lakh fifty thousand rupees per annum for rail travel. In view of the consistent demand of the State Legislature it has been considered expedient in public interest to increase the annual limit of railway coupons. It has therefore been decided to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1980, for the said purpose.

The Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Bill, 2008 is introduced accordingly.

By order,

S.M.A. ABIDI,

Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1
संख्या 397/79-वि-1-10-1(क)10-2010
लखनऊ 05 मार्च, 2010

अधिसूचना
विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्य और अधिकारी तथा सुख सुविधा विधि) (संशोधन) विधेयक, 2010 पर दिनांक 03 मार्च, 2010 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2010 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2010

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2010)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 और उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 तथा उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये-

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जायेगा।

अध्याय-दो

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की, जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में उपधारा (1) में शब्द ''तीन हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''आठ हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 3 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द ''पन्द्रह हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''बाइस हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे। धारा 4 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 15-क में शब्द ''छः हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दस हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे। धारा 15-क का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 18-क में खण्ड (क) में शब्द ''छः हजार रुपये'' के स्थान शब्द ''दस हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे। धारा 18-क का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 24 में उपधारा (1) में- धारा 24 का संशोधन

(क) शब्द ''छः हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''सात हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

(ख) प्रथम परन्तुक में आये शब्द ''पांच सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''सात सौ रुपये'' रख दिये जायेंगे।

7-मूल अधिनियम की धारा 26-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी- धारा 26-क का संशोधन

''26-क (1) यदि सदस्यता की अवधि के दौरान किसी आसीन सदस्य की पारिवारिक मृत्यु जो जाये तो मृत्यु के समय उनकी जो पेंशन अनुमन्य पेंशन होती हो, उसके 50% के बराबर पारिवारिक पेंशन का ऐसा पति/पत्नी आजीवन हकदार हो जायेगा।

(2) यदि भूतपूर्व सदस्य, जो धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत पेंशन का हकदार हो, की मृत्यु हो जाये, तो मृत्यु के समय उनको मिलने वाली पेंशन के के उसके 50% के बराबर पारिवारिक पेंशन का ऐसा पति/पत्नी आजीवन हकदार हो जायेगा।

परन्तु यह कि यदि पति/पत्नी धारा 3 के अन्तर्गत वेतन अथवा धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी पेंशन का हकदार हो, तो वह उपधारा (1) या उपधारा (2) के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन का हकदार नहीं होगा।''

अध्याय-तीन

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1952 की धारा 2 का संशोधन

8-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 की, जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में शब्द ''पांच हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''बारह हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (3) में शब्द ''दस हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पन्द्रह हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

अध्याय-चार

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1981 की धारा 3 का संशोधन

10-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1981 की धारा 3 में-

(क) उपधारा (1) के शब्द ''पांच हजार रुपये'' के स्थान पर ''बारह हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) के शब्द ''चार हजार रुपये'' के स्थान पर ''दस हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

राज्य विधान मण्डल के सदस्यों एवं अधिकारियों तथा मंत्रीगण को अनुमन्य वेतन, भत्तों, पेंशन एवं अन्य सुख-सुविधाओं का बहुत समय से पुनरीक्षण नहीं किया गया है। कीमतों में बढ़ोत्तरी एवं जीवन यापन के मूल्यों में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 तथा उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 का संशोधन करके राज्य विधान मण्डल के सदस्यों एवं अधिकारियों तथा मंत्रीगण के वेतन भत्ते, पेंशन एवं अन्य सुख-सुविधाओं को पुनरीक्षित किया जाय जिससे वे अपने निर्वाचन क्षेत्र की सेवा सार्थक रूप से कर सके।

ऐसा अनुभव किया गया है कि राज्य विधान मण्डल के मृत सदस्यों और भूतपूर्व सदस्यों के पति/पत्नी को कठिन परिस्थितियों में जीवन निर्वाह करना पड़ता हे। उनके द्वारा धृत पद की गरिमा को दृष्टिगत रखते हुये यह भी विनिश्चय किया गया है कि सन् 1980 के उपर्युक्त अधिनियम में राज्य विधान मण्डल के मृत सदस्यों और भूतपूर्व सदस्यों के पति/पत्नी के लिए पारिवारिक पेंशन का प्रावधान किया जाये।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) विधेयक, 2010 पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,

सचिव।

No. 397(2)/LXXIX-V-1–10-1(ka)10-2010

Dated Lucknow, March 05, 2010

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal Sadasy Aur Adhikari tatha Mantri Sukh-Suvidha Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 2010) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor. on *March* 05, 2010.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE MEMBERS AND OFFICER AND MINISTERS AMENITIES LAWS (AMENDMENT) ACT, 2010

[U.P. ACT No. 9 of 2010]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

Further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) *Act, 1980 and the Uttar Pradesh State Legistative (Officers Salaries and Allowances) Act, 1952 and the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981.*

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:

CHAPTER-I

Preliminary

Short Title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature Members' and Officers and Ministers Amenities Laws (Amendment) Act, 2010.

CHAPTER-II

Amendment of the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) Act, 1980

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 23 of 1980

2. In section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) Act, 1980 *hereinafter* referred to in this chapter as the principla Act. in sub-sections (1) *for* the words "three thousand rupees" the words "eight thousand rupees" shall be *subsituted.*

3. In section 4 of the principal Act *for* the words "fifteen thousand rupees" the words "twenty two thousand rupees" shall be *substituted.* Amendment of section 4

4. In section 15-A of the principal Act *for* the words "six thousand rupees" the words "ten thousand rupees" shall be *subsitututed.* Amendment of section 15-A

5. In section 18-A of the princpal Act in clause (a) *for* the words "six thousand rupees" the words "ten thousand rupees" shall be *substituted.* Amendment of section 18-A

6. In section 24 of the principal Act. in sub-section (1),- Amendment of section 24

(*a*) *for* the words "six thouand rupees" the words "seven thousand rupees" shall be *substituted;*

(*b*) *for* the words "five hundred rupees" appearing in the first provision the words "seven thousand rupees" shall be *substituted.* Amendment of section 26-A

7. *For* section 26-A of the principal Act. the following section shall be *substituted* -

"26-A(1) Family Pension. If a sitting member dies during the tenure of his or her office, the spouse of such member shall be entitled to a family pension equal to 50% pension otherwise admissible to the deceased member at the time of death, for the life-time of such spouse.

(2) If an *ex*-member, who is entitled to a pension under sub-section (1) of section 24, dies, the spouse of such *ex*-member shall be entitled to a family pension equal to 50% of pension of such *ex*-member at the time of death, for the life-time of such spouse:

Provided that if the spouse is entitled to a salary uner section 3 or a pension under sub-section (1) of section 24 she/he will not be entitled to receive family pension under sub-section (1) or sub-section (2).

CHAPTER-III

Amendment of the uttar Pradesh State Legislature (Officers' Salaries and Allowances) Act, 1952

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 11 of 1952

8. In section 2 of the Uttar Pradesh State Legislature (Officers Salaries and Allowances) Act, 1952, *hereinafter* referred to in this chapter as the principal Act. in sub-sections (1) *for* the words "five thousand rupees" the words "twelve thousand rupees" shall be *subsituted.*

Amendment of section 4

9. In section 4 of the principal Act, in sub-sections (3) *for* the words "ten thousand rupees" the words "fifteen thousand rupees" shall be *substituted.*

CHAPTER-IV

Amendment of the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 14 of 1981

10. In section 3 of the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Act, 1981,-

(*a*) In sub-section (1) *for* the words "five thousand rupees" the words "twelve thousand rupees" shall be *substituted:*

(*b*) In sub-secrtion (2) *for* the words "four thousand rupees" the words "ten thousand rupees" shall be *substituted.*

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The pay, allowances, pension and other amenities admissible to the members and officers of the Sate Legislature and to the ministers have not been revised for a quite some time. In view of the prices rise and escalation in cost of living it has been decided to revise the same so that the may serve the cause of their constituency in a meaningful manner by amending the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) Act, 1980, the Uttar pradesh State legislature (Officer's Salaries and Allowances) Act, 1952 and the Uttar Pradesh Ministers (Salaries, Allowances and Miscellanceous Provisions) Act, 1981.

It has been experienced that the spouses of deceased members and *ex*-members of legislature have been facing hardship and have been living in penury. In difference to the dignity of officer which they have held it has also been decided to provide for making, in the aforesaid Act of 1980, provision for family pension to the spouse of the decased members and *ex*-members and *ex*-members of the State Legislature.

the Uttar Pradesh State Legislature Members and Officers and Ministers Amenities Law (Amendment) Bill, 2010 is introduced accordingly.

By order,

P.V. KUSHWAHA,

Sachive.

उत्तर प्रदेश सरकार

संसदीय कार्य अनुभाग-1

संख्या 1457/90-सं0-1-2010-77सं0-2005

लखनऊ 30 दिसम्बर, 2010

अधिसूचना

सा0प0नि0-69

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, सन् 1980) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्य की उपलब्धियाँ और पेंशन) (तेइसवॉ संशोधन) नियमावली, 2010

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ ओर पेंशन) (तेइसवाँ संशोधन), नियमावली, 2010 कही जायेगी।

(2) इस नियमावली के नियम 5 ओर 6 दिनांक 05 मार्च, 2010 से प्रवृत्त हुए समझे जायेगें और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

नियम 37 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) नियमावली, 1981 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 37 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात-

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
विद्यमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
37–इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नाम निर्दिष्ट सदस्य से भिन्न, सभा को प्रत्येक सदस्य अपनी सदस्यता की अवधि के दौरान राज्य सरकार की लागत पर राष्ट्रीय रोमिंग सहित एस0टी0डी0 सुविधा के साथ मोबाइल फोन का एक सिम कार्ड प्राप्त करने तथा निम्नलिखित प्रत्येक स्थान पर एक टेलीफोन लगाये जाने का हकदार होगा, अर्थात–	37–इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नाम निर्दिष्ट सदस्य से भिन्न, सभा को प्रत्येक सदस्य अपनी सदस्यता की अवधि के लिए एस0टी0डी0 और इंटरनेट की सुविधा के साथ निम्नलिखित का हकदार होगा–
	(एक) राज्य सरकार की लागत पर निम्नलिखित प्रत्येक स्थान पर एक टेलीफोन लगाये जाने अर्थात–
(क) लखनऊ नगर में अपने सामान्य निवास–स्थान पर, और	(क) लखनऊ नगर में अपने सामान्य निवास–स्थान पर, और
(ख) लखनऊ नगर के बाहर राज्य में अपने सामान्य निवास स्थान पर, या अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी स्थान पर।	(ख) लखनऊ नगर के बाहर राज्य में अपने सामान्य निवास स्थान पर, या अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी स्थान पर, और।
	(दो) राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा सहित मोबाइल फोन का एक सिम का कार्ड।

3–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 38 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्– नियम 38 का संशोधन

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
38-इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सभा का प्रत्येक नाम निर्दिष्ट सदस्य और परिषद् का प्रत्येक सदस्य इसी तरह राष्ट्रीय रोमिंग सहित एस0टी0डी0 सुविधा के साथ मोबाइल फोन का एक सिम कार्ड प्राप्त करने तथा निम्नलिखित प्रत्येक स्थान पर एक टेलीफोन लगाये जाने का हकदार होगा, अर्थात-	38-इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन रहते हुये सभा का प्रत्येक नाम-निर्दिष्ट सदस्य और परिषद् का प्रत्येक सदस्य भी एस0टी0डी0 और इंटरनेट की सुविधा के साथ निम्नलिखित का हकदार होगा- (एक) राज्य सरकार की लागत पर निम्नलिखित प्रत्येक स्थान पर एक टेलीफोन लगाये जाने अर्थात-
(क) लखनऊ नगर में अपने सामान्य निवास स्थान पर, और	(क) लखनऊ नगर में अपने सामान्य निवास स्थान पर, और
(ख) लखनऊ नगर के बाहर, राज्य में अपने सामान्य निवास स्थान पर, या अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी अन्य स्थान पर।	(ख) लखनऊ नगर के बाहर अपने सामान्य निवास स्थान पर, या अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर किसी अन्य स्थान पर, और। (दो) राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा सहित मोबाइल फोन का एक सिम का कार्ड।
परन्तु जहां ऐसे सदस्य का सामान्य निवास लखनऊ नगर में हो और लखनऊ नगर के बाहर राज्य में सामान्य निवास न हो, वहां ऐसा सदस्य खण्ड (ख) में निर्दिष्ट टेलीफोन लखनऊ नगर में उसी तरह अपने ऐसे सामान्य निवास पर लगाये जाने का हकदार होगा जो अधिनियम की धारा 16 के अधीन दिये गये आवास से भिन्न हो।	परन्तु जहां ऐसे सदस्य का सामान्य निवास लखनऊ नगर में हो और लखनऊ नगर के बाहर राज्य में सामान्य निवास न हो, वहां ऐसा सदस्य खण्ड (ख) में निर्दिष्ट टेलीफोन लखनऊ नगर में उसी तरह अपने ऐसे सामान्य निवास पर लगाये जाने का हकदार होगा जो अधिनियम की धारा 16 के अधीन दिये गये आवास से भिन्न हो।

4–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 40 के खण्ड (घ) और (ङ) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्–

नियम 40 का संशोधन

स्तम्भ–1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
(घ) यथास्थिति, नियम 37 के खण्ड (क) या नियम 38 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट स्थान पर लगाये गये किसी टेलीफोन के सम्बन्ध में कोई सीधी ट्रंक डायलिंग (एस0टी0डी0) सुविधा उपलब्ध न होगी।	(घ) निकाल दिया गया।
(ङ) सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र तथा लखनऊ आवासों पर लगे टेलीफोनों पर 95 डायलिंग की सुविधा के लिये इस शर्त पर हकदार होंगे कि राज्य सरकार टेलीफोन और मोबाइल बिलों का छः हजार रुपये प्रतिमास से अनधिक की धनराशि का भुगतान करेगी, और छः हजार रुपये से अधिक की धनराशि सम्बन्धित सदस्य के वेतन/अन्य देयों से काट ली जायेगी :	(ङ) सदस्य एस0टी0डी0 और इंटरनेट की सुविधा के साथ निम्नलिखित का हकदार होंगे :– (एक) अपने निर्वाचन क्षेत्र और लखनऊ आवासों पर लगे टेलीफोन और– (दो) एक मोबाइल फोन इस शर्त पर कि राज्य सरकार टेलीफोन और मोबाईल बिलों का छः हजार रुपये प्रतिमास के अनधिक की धनराशि का भुगतान करेगी और छः हजार रुपये से अधिक धनराशि सम्बन्धित सदस्य के वेतन/अन्य देयों से काट ली जायेगी :
परन्तु किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या प्रान्तीय दल, जिसकी सदस्य संख्या विधान मण्डल के सदस्यों की कुल	परन्तु किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या प्रान्तीय दल, जिसकी सदस्य संख्या विधान मण्डल के सदस्यों की कुल

स्तम्भ-1 **विद्यमान नियम**	स्तम्भ-2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
संख्या का 3 प्रतिशत से अन्यून हो, के किसी विधान मण्डल दल का नेता अपने लखनऊ आवास पर निःशुल्क स्थानीय टेलीफोन काल का हकदार होगा।	संख्या अन्यून 3 प्रतिशत हो के किसी विधान मण्डल दल का नेता अपने लखनऊ आवास पर निःशुल्क स्थानीय टेलीफोन काल का हकदार होगा।
स्पष्टीकरण-शंकाओं के निराकरण के प्रयोजनार्थ एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि सदस्य इस खण्ड में उल्लिखित धनराशि की सीमा के भीतर दो टेलीफोनों एवं एक मोबाइल फोन की सभी सुविधाओं का या किसी सुविधा का प्रयोग कर सकता है।	**स्पष्टीकरण-**शंकाओं के निराकरण के प्रयोजनार्थ एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि सदस्य इस खण्ड में उल्लिखित धनराशि की सीमा के भीतर दो टेलीफोनों एवं एक मोबाइल फोन की सभी सुविधाओं का या किसी सुविधा का प्रयोग कर सकता है।

नये नियम 43-क का बढ़ाया जाना

5-उक्त नियमावली में, नियम 43 के पश्चात निम्नलिखित नया नियम बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :

पारिवारिक पेंशन

43-क (1) अधिनियम की धारा 26-क की उपधारा (1) के अधीन पारिवारिक पेंशन का हकदार कोई व्यक्ति, प्रमुख सचिव को प्रपत्र-'थ' में, दो प्रतियों में आवेदन-पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी या राज्य विधान मण्डल के किसी वर्तमान सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित पासपोर्ट आकार के अपनी तीन नवीनतम फोटो और नमूने के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करेगा।

(2) अधिनियम की धारा 26-क की उपधारा (2) के अधीन पाारिवारिक पेंशन का हकदार कोई व्यक्ति, प्रमुख, को प्रपत्र-'द' में, दो प्रतियों में आवेदन-पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी या राज्य विधान मण्डल के किसी वर्तमान सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित पासपोर्ट आकार के अपनी तीन नवीनतम फोटो और नमूने के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत करेगा।

(3) धारा 26-क की उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट पारिवारिक पेंशन पर नियम 43 से 47 तथा अधिनियम/नियमाली के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। जहां किसी दिवंगत सदस्य या पूर्व सदस्य के प्रति कोई सरकारी देय बकाया होने की सूचना दी जाय तो प्रमुख सचिव द्वारा पारिवारिक पेंशन से ऐसे देय की कटौती की जाएगी।

6-उक्त नियमावली में, प्रपत्र त के बाद निम्नलिखित प्रपत्रों को बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात- नये प्रपत्र थ और द का बढ़ाया जाना

प्रपत्र-थ

पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन-पत्र

भाग-एक

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 26-क (1) देखिये]

(वर्तमान सदस्य के पति या पत्नी द्वारा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जायें।)

प्रेषक,

श्री/श्रीमती..

....

....

सेवा में,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद्,

विधान भवन, लखनऊ।

विषय-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 के अधीन पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति।

महोदय,

मुझे आपको सूचित करना है कि मेरी पत्नी/पति/श्रीमती/श्री............... की मृत्यु दिनांक .... को हो गयी है। वह दिनांक ....से दिनांक............ तक और दिनांक...............से दिनांक................. तक कुल............ वर्षों तक जिला ....निर्वाचन क्षेत्र .... से उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद् के/की सदस्य रहे थे/रही थीं। (समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न की जाय।)

2-यह अनुरोध है कि कृपया मुझे अधिनियम की धारा 26-क (1) के अधीन पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने के लिये कार्यवाही की जाय। मैं अपनी पेंशन ....स्थित सरकारी कोषागार से लेना चाहता/चाहती हूँ।

3-मैं इसके साथ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी या राज्य विधान मण्डल के वर्तमान सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहा/रही हूँ।

(एक) अपने हस्ताक्षर का तीन नमूना।

(दो) पासपोर्ट आकार में नवीनतम फोटो की तीन प्रतियाँ।

4-(एक) मेरा वर्तमान पता .... है।

(दो) मेरा स्थायी पता... है।

5-(एक) मेरा जन्म का दिनांक ईस्वी सन् के अनुसार .... है।

(दो) लम्बाई ....

(तीन) पहचान चिन्ह ....

(चार) अंगुठा और उंगलियों का चिन्ह ....

अंगुठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

6-पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति के पूर्व मेरी मृत्यु होने की स्थिति में और मेरी मृत्यु पर मेरे जीवित रहने की समयावधि की देय पेंशन के बकाया के भुगतान के लिए मैं श्री/श्रीमती............................(सम्बन्ध) को नाम निर्दिष्ट करता हूं।

7–मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि–

(एक) वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद् का सदस्य नहीं हूं।

(दो) मैं न तो उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद् का सदस्य रहा हूं और न ही मैं किसी पूर्व सदस्य के रूप में पेंशन प्राप्त कर रहा हूं।

भवदीय,

(   )

नाम– ....

स्थान....................

दिनांक ....

भाग–दो

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती................................ दिनांक .... से दिनांक ....तक और दिनांक................ से दिनांक ....तक उत्तर प्रदेश विधान सभा/परिषद् के सदस्य रहे/रहीं।

प्रमुख सचिव

विधान सभा/विधान परिषद्।

भाग–तीन

लेखा अनुभाग, उत्तर प्रदेश विधान सभा

लेखा अनुभाग, उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

श्री/श्रीमती.......................को दिनांक............से.............. रुपये (............रुपये) मात्र प्रतिमास की पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जाती है।

स्वीकृति प्राधिकारी

पदनाम।

प्रपत्र द

पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन-पत्र

भाग-एक

[उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 26-क(2) देखिए]

(पूर्व सदस्य के पति या पत्नी द्वारा दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाये।)

प्रेषक,

श्री/श्रीमती...

....

....

सेवा में,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद्,

विधान भवन, लखनऊ।

विषय-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 के अधीन पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति।

महोदय,

मुझे आपको सूचित करना है कि मेरी पत्नी/पति/श्रीमती/श्री............... की मृत्यु दिनांक .... को हो गयी है। वह दिनांक ....से दिनांक............. तक और दिनांक..............से दिनांक.................. तक कुल...................... वर्षों तक जिला ....निर्वाचन क्षेत्र .... से उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद् के/की सदस्य रहे थे/ रही थी और मृत्यु के समय वह पेंशन भुगतान आदेश संख्या............... दिनांक............ के अधीन जिला कोषागार .... से .... रुपये (......... रुपये) प्रतिमास की पेंशन ले रही थी/ ले रहे थे। (समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र पेंशन भुगतान आदेश की प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न की जाय।)

2–यह अनुरोध है कि कृपया मुझे अधिनियम की धारा 26–क (2) के अधीन पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने के लिये कार्यवाही की जाय। मैं अपनी पेंशन ....स्थित सरकारी कोषागार से लेना चाहता/चाहती हूँ।

3–मैं इसके साथ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी या राज्य विधान मण्डल के वर्तमान सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहा/रही हूँ।

(एक) अपने हस्ताक्षर का तीन नमूना।

(दो) पासपोर्ट आकार में नवीनतम फोटो की तीन प्रतियाँ।

4–(एक) मेरा वर्तमान पता .... है।

(दो) मेरा स्थायी पता.. है।

5–(एक) मेरा जन्म का दिनांक ईस्वी सन् के अनुसार .... है।

(दो) लम्बाई ....

(तीन) पहचान चिन्ह ....

(चार) अंगुठा और उंगलियों का चिन्ह ....

अंगुठा तर्जनी मध्यामा अनामिका कनिष्ठिका

6–पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति के पूर्व मृत्यु होने की स्थिति में और मेरी मृत्यु पर मेरे जीवित रहने की समयावधि की देय पेंशन के बकाया के भुगतान के लिए मैं श्री/श्रीमती.............................(सम्बन्ध) को नाम निर्दिष्ट करता हूं।

7–मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि–

(एक) वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद् का सदस्य नहीं हूँ।

(दो) मैं न तो उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद् का/की सदस्य रहा/रही हूँ और न ही मैं किसी पदेन सदस्य के रूप में पेंशन प्राप्त कर रहा/रही हूँ।

भवदीय,

नाम .... ( )

स्थान ....

दिनांक ....

भाग–दो

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती................................ दिनांक .... से .... तक और दिनांक............... से दिनांक ....तक उत्तर प्रदेश विधान सभा/परिषद् के सदस्य रहे/रहीं और .... रुपये (..................रुपये) मात्र प्रतिमाह पेंशन पा रहे थे/रही थी।

प्रमुख सचिव

विधान सभा/विधान परिषद्।

भाग–तीन

लेखा अनुभाग, उत्तर प्रदेश विधान सभा

लेखा अनुभग, उत्तर प्रदेश विधान परिषद्

श्री/श्रीमती....................को दिनांक................से............. रुपये (...........रुपये) मात्र प्रतिमाह पेंशन स्वीकृत की जाती है।

स्वीकृति प्राधिकारी

पदनाम।

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is leased to order the publication of the following English translation of notification no. 1457/XC-S-2010-77S-2005, dated December 30, 2010:

No. 1457/XC-S-1-2010-77S-2005

Dated Lucknow, December 30, 2010

In exercise of the powers under section 30 of the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) Act, 1980 (U.P. Act no. 23 of 1980), the Governor in pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) Rules, 1981.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBER'S EMOLUMENTS AND PENSION) (TWENTY THIRD AMENDMENT) RULES, 2010

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh State Ligislature (Member's Emoluments and Pension) (Twenty third Amendment) Rules, 2010.

Short title and Commenceme

(2) Rules 5 and 6 of these rules shall be deemed to have come into force on March 05, 2010 and the remaining provisions shall come into force at once.

2. In the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) Rules, 1981 hereinafter referred to as the said rules, *for* rules, 37 set out in Column I below, the rule as set out in Column II Shall be *substituted*, namely:–

Amendment of rule 37

COLUMN-I	**COLUMN-II**
Existing Rule	*Rule as hereby substituted*
37. Subject to the provision of this Chapter, every member of the Assembly other than a nominated member shall be entitled, for the duration of his membership to have a Sim-card of Mobile Phone with Subscribers. Trunk Dialing (S.T.D.) alongwith National roaming facility and a telephone installed at the cost of the State Government, at each of the following places, namely:–	37. Subject to the provision of this Chapter, every member of the Assembly other than a nominated member, shall for the duration of his membership be entitled to,– (i) a telephone installed at the cost of the State Government at each of the following places namely:–
(a) the place of his normal residence in Lucknow city, and	*(a)* the place of his normal residence in Lucknow city, and
(b) the place of his normal residence outside Lucknow city	*(b)* the place of his normal residence outside Lucknow

in the State or any place within his constituency.	city in the State or any place in his constituency; and (ii) a Sim card of Mobile phone with National roaming facility, with the facility of Subscribers Trunk Dialing (S.T.D.) and internet.

Amendment of rule 38

3. In the said rules, for rule 38 setout in Column I below the rule as set out in Column II Shall be *substituted*, namely:–

COLUMN-I *Existing Rule*	**COLUMN-II** *Rule as hereby substituted*
38. Subject to the provision of this Chapter, every nominated member of the Assembly and every member of the Council shall likewise be entitled to have a Sim-card of Mobile Phone with Subscribers. Trunk Dialing (S.T.D.) along with National roaming facility and a telephone installed at the cost of the following places, namely:–	38. Subject to the provision of this Chapter, every nominated member of the Assembly and every member of the Council, shall likewise be entitled to,– (i) a telephone installed at the cost of the State Government at each of the following places namely:–
(a) the place of his normal residence in Lucknow city, and	*(a)* the place of his normal residence in Lucknow city, and
(b) the place of his normal residence outside Lucknow city in the State or any other place within his constituency :	*(b)* the place of his normal residence outside Lucknow city in the State or any other place within his constituency : and (ii) a Sim card of Mobile phone with National roaming facility, with the facility of Subscribers Trunk Dialing (S.T.D.) and internet :

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing Rule	*Rule as hereby substituted*
Provided that where such member has his normal residence in Lucknow city and has no normal residence outside Lucknow city in the State then such member shall likewise be entitled to have the telephone referred to in clause (b) installed at his normal residence in Lucknow city other than the accommodation provided to him under section 16 of the Act.	Provided that where such member has his normal residence in Lucknow city and has no normal residence outside Lucknow city in the State then such member shall likewise be entitled to have the telephone referred to in clause (b) installed at his normal residence in Lucknow city other than the accommodation provided to him under section 16 of the Act.

4. In the said rules, in rule 40, for clauses (d) and (e) setout in Column-I below, the clauses as set out in Column-II shall be *substituted, namely*:– Amendment of rule 40

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing Clause	*Clause as hereby substituted*
(d) No Subscribers Trunk Dialing (S.T.D.) facility shall be available in respect of telephone installed under rule 37 or rule 38.	(d) *omitted*
(e) The members shall be entitled for the facility of 95 dialing on the telephone installed at their Constituencies and at Lucknow residences with the condition that the State Government shall make payment of the amount of telephones and mobile bills not exceeding six thousand rupees	(e) the members shall be entitled to,– (i) the telephone installed at their Constituencies and at Lucknow residences and (ii) Mobile phone with the facility of Subscribers Trunk Dialing (S.T.D.) and internet wih the condition that the State Government shall make payment

COLUMN-I *Existing Clause*	COLUMN-II *Clause as hereby substituted*
per month and the amount exceeding rupees six thousand shall be deducted from the salary/other dues of the member concerned:	of the amount of telephones and mobile bills not exceeding six thousand rupees per month and the amount exceeding rupees six thousand shall be deducted from the salary/other dues of the member concerned:
Provided that the Leader of a Legislature Party of a Recognized National or Provincial Party having number of members not less than 3 percent of total number of members of the legislature, shall be entitled for free of charge local telephone call at their Lucknow residence.	Provided that the Leader of a Legislature Party of a Recognized National or Provincial Party having number of members not less than 3 percent of total number of members of the legislature, shall be entitled for free of charge local telephone call at their Lucknow residence.
Explanation :–For the removal of the doubt it is hereby explained that a member may use either all the facility of two telephones and one Mobile phone or any of the facility within the limit of the amount mentioned in this clause.	*Explanation* :–For the removal of the doubt it is hereby explained that a member may use either all the facility of two telephones and one Mobile phone or any of the facility within the limit of the amount mentioned in this clause.

Insertion of new rule 43-A

5. In the said rules, after rule 43, the following new rule shall be inserted namely :–

Family Pension

"43–A(1) Any person, entitled to family pension under sub-section (1) of section 26-A of the Act shall apply in Form-Q in duplicate to the Principal Secretary, along with his three passport size latest photographs and specimen signatures, which shall be duly attested by a *Gazetted* Officer or a sitting member of the State Ligislature.

(2) Any person entitled to family pension under sub-section (2) of section 26-A of the Act, shall apply in Form-R in duplicate to the Principal Secretary, along with his three passport size latest photographs and specimen signatures, which shall be duly attested by a Gazetted Officer or a sitting member of the State Legislature.

(3) The provisions of rules 43 to 47 and of Act/Rules shall, *mutatis ntutandis* apply to the family pension referred to in sub-section (1) and (2) of section 26-A. Where any Government dues are reported to be outstanding against an expired member or ex-member, such dues shall be deducted by the Principal Secretary from the family pension.

6. In the said rules, *after* Form P the following forms shall be *inserted*, namely :– Insertion of new forms Q and R

FORM-Q

Application for family pension

part-I

[See section 26-A(1) of the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) Act, 1980]

(To be submitted in duplicate spouse of sitting member)

From,

Sri/Smt ....

....

....

To,

The Principal Secretary,

Uttar Pradesh Legislative Assembly/

Legislative Council, Council House,

Lucknow.

Subject:–Sanction of Family Pension under the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980.

Sir,

I have to inform you that my wife/husband Smt/ Sri.......................has expired on dated............ He/She remained member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly/Legislative Council from ....Constituency Distt. ....from to.............and from.............to.......................total..........................years.

(an attested photo copy of death certificate issued by an appropriate Authority should be enclosed)

2. It is requested that steps may kindly be taken to sanction family pension to me under section 26-A(1) of the Act. I desire to draw my pension from Government treasury at ....

3. I enclose herewith the following documents duly attested by a first class Magistrate/Gazetted Officer belonging to Central Government or a State Government /a sitting member of State Legislature–

(i) Three specimen signatures.

(ii) Three copies of latest photograph in passport size.

4. (i) My present address is...................................

(ii) My permanent address is..............................

5. My date of Birth by Christian era.

(ii) Height

(iii) Identification marks.

(iv) Thumb and finger impression.

Thumb Fore-finger Middle-finger Ring finger Little finger.

6. In the contingency of my death occurring before sanction of family pension as well as for payment of arrears of pension due on my death I nominate Sri/Smt.........................(relation) who will receive the pension for the period I remain alive.

7. I hereby declare that–

(i) at present I am not a member of Uttar Pradesh Legislative Assembly/Legislative Council.

(ii) I have neither been a member of Uttar Pradesh Legislative Assembly/Legislative Council nor I am getting any pension as an ex-member.

Yours faithfully,

( )

Name ....

Station..........................

Date ....

Part II

Certified that Sri/Smt..............................remained a member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly/Council from....................to..................and from....................to.

Principal Secretary

Legislative Assembly/Council

Part III

Account Section Uttar Pradesh Legislative Assembly

Account Section, Uttar Pradesh Legislative Council

A family Pension of Rs................(Rupees................) only per mensem is sanctioned to Sri/Smt...................... with effect from......................

Signature.

Sanctioning Authority

Designation.

FORM-R

Application for family pension

Part I

[See section 26-A (2) of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension Act, 1980)]

(to be submitted in duplicate by spouse of ex-member)

From,

Sri/Smt ....

....

....

To,

The Principal Secretary,

Uttar Pradesh Legislative Assembly/ Legislative Council.

Council House,

Lucknow.

Subject:–Sanction of Family Pension under the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) act. 1980.

Sir,

I have to inform you that my wife/husband Smt/Sri.......................has expired on dated............ He/She remained member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly/Legislative Council from Constituency Distt.........................from.............to........... and from.............to.................total.................years and at the time of death she/he was getting a pension of Rs.........(Rupees.............) only per mensem under Pension Payment Order no. .... dated.......................... from Distt. Treasury .... (attested photo copies of Death certificate issued by an appropriate Authority and Pension Payment Order should be enclosed.)

2. It is requested that steps may kindly be taken to sanction family pension to me under section 26-A(2) of the Act. I desire to draw my pension from Government treasury at ....

3. I enclose herewith the following documents duly attested by a first class Magistrate/Gazetted Officer belonging to Central Government or a State Government /a sitting member of State Legislature–

(i) Three specimen signatures.

(ii) Three copies of latest photograph in passport size.

4. (i) My present address is....................................

(ii) My permanent address is..............................

5. My date of Birth by Christian era......................

(ii) Height...

(iii) Identification marks....................................

(iv) Thumb and finger impression......................

Thumb Fore-finger Middle-finger Ring-finger Little-finger

6. In the contingency of my death occurring before sanction of family pension as-well as for payment of arrears of pension due on my death I nominate Sri/Smt............................... (relation) who will receive the pension for the period I remain alive.

7. I hereby declare that :–

(i) at persent I am not a member of Uttar Pradesh Legislative Assembly/Legislative Council,

(ii) I have neither been a member of Uttar Pradesh Legislative Assembly/Legislative Council nor I am getting any pension as an ex-member.

Yours faithfully,

( )

Name ....

Station..........................

Date ....

Part II

Certified that Sri/Smt..............................remained a member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly/Legislative Council from...................to..................and from to .... and was getting a pension of Rs. .... (Rupees ....) only per mensem.

Principal Secretary
Legislative Assembly/Council

Part III

Account Section Uttar Pradesh Legislative Assembly

Account Section, Uttar Pradesh Legislative Concil

A family Pension of Rs......................(Rupees................) only per mensem is sanctioned to Sri/Smt...................... with effect from......................

Signature,
Sanctioning Authority
Designation.
By Order,
PRADEEP KUMAR DUBEY,
Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1
संख्या 373/79-वि-1-13-1(क)-5-2013
लखनऊ, 26 मार्च, 2013

अधिसूचना
विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2013 पर दिनांक 26 मार्च, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2013 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2013

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2013)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 2013 कहा जायेगा।

(2) यदि दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 5 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5 में-

(क) उपधारा (1) में शब्द और अंक और 01 जून, 2008 से दो लाख रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक के स्थान पर शब्द और अंक 01 जून, 2008 से दो लाख रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक और 01 जून, 2013 से दो लाख पचास हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में शब्द ''पचास हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''साठ हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे;

(ग) प्रथम परन्तुक के खण्ड (ख) में शब्द ''आठ हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दस हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 15 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 15 में-

(क) उपधारा (1) में शब्द ''पॉच सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''सात सौ पचास रुपये'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में शब्द ''दो सौ पचास रुपये'' के स्थान पर शब्द ''चार सौ रुपये'' रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (3) में शब्द ''दो सौ पचास रुपये'' के स्थान पर शब्द ''चार सौ रुपये'' रख दिये जायेंगे;

धारा 16 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (3) निकाल दी जाएगी।

धारा 24 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 24 में, उपधारा (1) में शब्द ''सात हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''आठ हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 26-क का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 26-क में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्-

''(3) उपधारा (2) ऐसे भूतपूर्व सदस्यों, जिनकी मृत्यु 05 मार्च, 2010 से पूर्व हुई है, के पति/पत्नी, जो उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2013 के आरम्भ के दिनांक को जीवित है, पर भी लागू होगी। ऐसे पति/पत्नी 01 अप्रैल, 2013 से पारिवारिक पेंशन के हकदार होंगे।''

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 के अधीन राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के सदस्य मासिक उपलब्धियाँ और अन्य सुविधाएँ पाने के हकदार हैं। भूतपूर्व सदस्य भी उक्त अधिनियम के अधीन पेंशन और अन्य सुविधाएँ पाने के हकदार हैं। भूतपूर्व सदस्यों, जिनका निधन 05 मार्च, 2010 को या उसके पश्चात् हुआ हो, के पति/पत्नी भी अधिनियम के अधीन पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार हैं।

मूल्य वृद्धि और उत्तदायित्वों की बढ़ोत्तरी को देखते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के अनुमन्य भत्ते, रेलवे कूपनों और अन्य सुख-सुविधाओं को पुनरीक्षित किया जाय और भूतपूर्व सदस्यों को अनुमन्य पेंशन एवं रेलवे कूपनों में वृद्धि की जाय।

भूतपूर्व सदस्यों, जिनका 05 मार्च, 2010 के पूर्व निधन हो गया है, के पति/पत्नी को पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। इस विसंगति को दूर करने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि ऐसे पति/पत्नी को पारिवारिक पेंशन का लाभ प्रदान करने के लिए प्रावधान किया जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2013 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
एस0 के0 पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

No. 373(2)/LXXIX-V-1-13-1(ka)5-2013

Dated Lucknow March 26, 2013

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constituion, the Govemor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon ki Upalabdhiyan Aur Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 2013) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 26, 2013.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBER'S EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 2013

(U.P. ACT NO. 4 OF 2013)

(AS Passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) Act. 1980.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commence-ment

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall come into force on April. 01, 2013.

Amendment of section 5 of U.P. Act no. 23 of 1980

2. In section 5 of the Uttar Pradesh State Legislature (Members Emoluments and Pension) Act, 1980, hereinafter referred to as the principal Act,–

(*a*) in sub-section (1) *for* the words and figures "and not excceding two lakh rupees per annum from June 01, 2008" the words and figures "and not exceeding two lakh rupees per annum from June 01, 2008 and not exceeding two lakh fifty thousand rupees per annum from June 01, 2013" shall be *substituted;*

(*b*) in sub-section (2) *for* the words "fifty thousand rupees" the words "sixty thousand rupees" shall be *substituted;*

(*c*) in the first proviso, in clause (b) *for* the words " eight thousand rupees" the words "ten thousand rupees" shall be *substituted;*

Amendment of section 15

3. In section 15 of the principal Act,–

(*a*) in sub-section (1) *for* the words "five hundred rupees" the words "seven hundred rupees" shall be *substituted;*

(*b*) in sub-section (2) *for* the words "two hundred fifty rupees" the words "four hundred rupees" shall be *substituted;*

(c) in sub-section (3) *for* the words "two hundred fifty rupees" the words "four hundred rupees" shall be *substituted;*

Amendment of section 16

4. In section 16 of the principal Act, sub-section (3) shall be *omitted*;

5. In section 24 of the principal Act, sub-section (1) *for* the words "seven thousand rupees" the words " eight thousand rupees" shall be *substituted;* Amendment of section 24

6. In section 26-A of the principal Act, *after* sub-section (2) the following sub-section shall be *inserted*, namely:– Amendment of section 26-A

"(3) sub-section (2) shall apply also to a spouse who is alive on the date of commencement of the Uttar Pradesh State Legislature (Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2013 of such ex-member as died before March 05, 2010. Such spouse shall be entitled for family pension with effect from April 01, 2013".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The members of either house of State Legislature are entitled to get monthly emoluments and other facilities under the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) Act, 1980 *Ex-members* are also entitled to get pension and others benefits under the said Act. Spouses of *ex-member* who died on or after March 05, 2010 are also entitled to get family pension under the Act.

In view of price rise and increase of responsibilities, it has been decided to revise, the allowances, railway coupons and other amenities admissible to the members of the State Legislature and to increases the pension and railway coupons admissible to *ex-members.*

The spouses of *ex-member* who died before March 05, 2010, are not getting benefit of family pension. To remove this discrepancy it has also been decided to provide for giving the benefit of family pension to such spouses.

The Uttar Pradesh State Legislature (Members Emoluments and Pension) (Amendment) Bill, 2013 is introduced accordingly.

By order,
S. K. PANDEY,
pramukh Sachiv

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 439/79-वि-1-13-1(क)-5-2013

लखनऊ, 17 अप्रैल, 2013

अधिसूचना

शुद्धि-पत्र

विधायी अनुभाग-1 की दिनांक 26 मार्च, 2013 की अधिसूचना संख्या 373/79-वि-1-13-1 (क)-5-2013 तथा अधिसूचना संख्या 373 (2)/LXXIX-V-1-13 (ka)-5-2013, जिनके द्वारा उसी दिनांक के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-1 खण्ड (क) में क्रमशः हिन्दी तथा अंग्रजी में उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2013) प्रकाशित किया गया है, के

(क) हिन्दी पाठ की द्वितीय पंक्ति में अंक तथा शब्द ''26 मार्च, 2013'' के स्थान पर अंक तथा शब्द ''25 मार्च 2013'' पढ़ा जाय;

(ख) अंग्रेजी पाठ की पंचम पंक्ति में शब्द तथा अंक "March 26, 2013" के स्थान पर शब्द तथा अंक "March 25, 2013" पढ़ा जाय।

आज्ञा से

एस0 के0 पाण्डेय,

प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1
संख्या 445/79-वि-1-15-1(क)-16-2015
लखनऊ, 30 मार्च, 2015

अधिसूचना
विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015 पर दिनांक 30 मार्च, 2015 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2015 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2015

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2015)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 01 अप्रैल, 2015 से प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 3 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में शब्द ''आठ हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दस हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द ''बाइस हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''तीस हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 5 में,-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्-

''(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभा या परिषद् के प्रत्येक सदस्य को, चाहे वह धारा (2) के खण्ड (झ) में किसी पद पर आसीन हो या नहीं, 01 जून, 2015 से तीन लाख पच्चीस हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक मूल्य के कूपन विहित रीति से दिये जायेंगे जो ऐसे सदस्य के द्वारा अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए किसी रेल से किसी श्रेणी में किसी समय उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर यात्रा के लिए ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार, जो विहित किये जायें, उपयोग में लाये जा सकते है।''

(ख) उपधारा (2) में शब्द ''साठ हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''अस्सी हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे,

(ग) उपधारा (2) के प्रथम परन्तुक में,-

(1) खण्ड (क) में शब्द ''समान मूल्य के कूपन'' के स्थान पर शब्द समान मूल्य के कूपन या किराये की प्रतिपूर्ति'' रख दिये जायेंगे,

(2) खण्ड (ख) में शब्द ''दस हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''अट्ठारह हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 15 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 15 में,-

(क) उपधारा (1) में शब्द ''सात सौ पचास रुपये'' के स्थान पर शब्द ''एक हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (2) में शब्द ''चार सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''आठ सौ रुपये'' रख दिये जायेंगे,

(ग) उपधारा (3) में शब्द ''चार सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''आठ सौ रुपये'' रख दिये जायेंगे,

धारा 15-क का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 15-क में शब्द ''दस हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पन्द्रह हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 18-क का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 18-क में, खण्ड (क) में,-

(क) शब्द ''दस हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''बीस हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

(ख) शब्द ''राज्य सरकार'' के पश्चात् शब्द ''या किसी सदस्य को, उसके विकल्प पर ऐसे चिकित्सा उपचार और सुविधाओं जिसमें औषधि भी सम्मिलित है पर उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकती है।'' बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 24-क का संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा 24 में,-

(क) उपधारा (1) में शब्द ''आठ हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दस हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

(ख) परन्तुक में शब्द ''सात सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''एक हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 26-क का संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 26-क में,-

(क) शब्द तथा अंक ''मृत्यु के समय उनकी जो पेंशन अनुमन्य होती हो उसकी 50 प्रतिशत के बराबर'' के स्थान पर शब्द ''मृत्यु के समय दिवंगत सदस्य को अन्यथा अनुमन्य पेंशन या रुपये दस हजार की पेंशन जो भी अधिक हो'' रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) में शब्द और अंक '' जो धारा 24 की उपधारा (1) के अन्तर्गत पेंशन का हकदार हो'' को निकाल दिया जायेगा और शब्द और अंक ''मृत्यु के समय उनको मिलने वाली पेंशन के 50 के बराबर'' के स्थान पर शब्द ''मृत्यु के समय ऐसे पूर्व सदस्य की पेंशन या रुपये दस हजार की पेंशन, जो भी अधिक हो'' रख दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) ऐसे पति/पत्नी जो उत्तर प्रदेश राज्य विधान-मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 के आरम्भ के दिनांक को जीवित है, पर भी लागू होगी।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 के अधीन राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के सदस्य मासिक उपलब्धियां और अन्य सुविधायें पाने के हकदार हैं। भूतपूर्व सदस्य भी उक्त अधिनियम, के अधीन पेंशन और अन्य सुविधायें पाने के हकदार है। भूतपूर्व सदस्यों, के पति/पत्नी भी अधिनियम के अधीन पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार हैं।

मूल्य वृद्धि और उत्तरदायित्वों की बढोत्तरी को देखते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के अनुमन्य वेतन, भत्ते, रेलवें कूपनों और अन्य सुख-सुविधाओं को पुनरीक्षित किया जाय और भूतपूर्व सदस्यों को अनुमन्य पेंशन एवं रेलवे कूपनों में वृद्धि की जाय।

उन भूतपूर्व सदस्यों, जिनका निधन वर्ष 1977 के पूर्व हुआ हो, के पति/पत्नी को पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। इस विसंगति को दूर करने के लिये यह विनिश्चय किया गया है ऐसे पति/पत्नी को पारिवारिक पेंशन का लाभ प्रदान करने के लिए प्रावधान किया जाय। इसके अतिरिक्त पेंशन, अतिरिक्त पेंशन और पारिवारिक पेंशन की धनराशि भी बढ़ायी जा रही है और पारिवारिक पेंशन के लिए रुपये 10,000.00 की न्यूनतम सीमा भी आरम्भ की जा रही है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अनिरूद्ध सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 445(2)/LXXIX-V-1-15-1(ka)-6-2015

Dated Lucknow March 30, 2015

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constituion of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon ki Upalabdhiyan Aur Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 2015) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 30, 2015.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 2015

(U.P. ACT no. 3 OF 2015)

(AS Passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) Act. 1980.

IT IS HEREEBYenacted in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commence-ment

1.(1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Members Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force on April. 01, 2015.

Amendment of section of U.P. Act no. 23 of 1980

2. In section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Members Emoluments and Pension) Act, 1980, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1) for the words "eight thousand rupees" the words "ten thousand rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 4

3. In section 4 of the principal Act for the words "twenty two thousand rupees" the words "thirty thousand rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 5

4. In section 5 of the principal Act–

(*a*) for sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted* namely :–

"(1) Subject to the provisions of this Act, every member of the Assembly or the Council, whether or not he holds any office referred to in clause (i) of section 2, shall be provided, in the manner prescribed with railway coupons of such value not exceeding three lakh twenty five thousand rupees per annum from June 01, 2015 as may be used by such member for himself and for the members of his family for travel by any railway in any class at any time within or outside Uttar Pradesh in accordance with such principles as may be prescribed."

(*b*) in sub-section (2) for the words "sixty thousand rupees" the words "eighty thousand rupees" shall be *substituted;*

(*c*) in the first proviso to sub-section (2),–

(i) in clause (a) for the words "coupons of equal value" the words "coupons of equal value or reimburse the fare" shall be *substituted;*

(ii) in clause (b) for the words "ten thousand rupees" the words "eighteen thousand rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 15

5. In section 15 of the principal Act,–

(*a*) in sub-section (1) for the words "seven hundred fifty rupees" the words "one thousand rupees" shall be *substituted.*

(*b*) in sub-section (2) for the words "four hundred rupees" the words "eight hundred rupees" shall be *substituted;*

(*c*) in sub-section (3) for the words "four hundred rupees" the words "eight hundred rupees" shall be *substituted.*

6. In section 15-A of the principal Act for the words "ten thousand rupees" the words "fifteen thousand rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 15-A

7. In section 18-A of the principal Act, in clause (a),–

Amendment of section 18-A

(*a*) for the words "rupees ten thousand" the words "twenty thousand rupees" shall be *substituted;* and

(*b*) after the words "State Government" the words "or a member at his option, may be reimbursed for actual expenses incurred on such medical treatment and facilities including medicine" shall be *inseried*.

8. In section 24 of the principal Act.–

Amendment of section 24

(*a*) in sub-section (1) for the words "eight thousand rupees" the words "ten thousand rupees" shall be *substituted;*

(*b*) in the proviso for the words "seven hundred rupees" the words "one thousand rupees" shall be *substituted.*

9. In section 26-A of the principal Act.–

Amendment of section 26-A

(*a*) in sub-section (1) for the words "50% pension otherwise admissible to the deceased member at the time of death" the words "pension otherwise admissible to the decased member at the time of death or a pension of rupees ten thousand whichever is greater" shall be *substituted.*

(*b*) in sub-section (2) the words and figures "who is entitled to a pension under sub-section (1) of section 24" shall be *omitted* and for the figures and words "50% pension of such *ex-member* at the time of death or a pension of rupees ten thousand whichever is greater" shall be *substituted.*

(*c*) for sub-section (3) the following sub-section shall be *substituted*, namely :–

"(3) in sub-section (1) and sub-section (2) shall also apply to a spouse who is alive on the date of commencement of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2015".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The members of eithcr house of State Legislature are entitled to get monthly emoluments and other facilities inder the Uttar Prdesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980. *Ex-members* are also entitled to get pension and other benefits under the said Act. Spouses of ex-members are also entitled to get family pension under the said Act.

In view of price rise and increase of responsibitities, it has been decided to revise, pay, allowances railway coupons and other amenities admissible to the members of the State Legislature and to increase pension and railway coupons admissible to *ex-members*.

The spouses of those ex-members who expired before the year 1977 are not getting benefit of family pension. To remove this discrepancy it has also been decided to provide for giving the benefit of family pension to such spouses. Moreover amounts of pension, additional pension, family pension are enhanced and a minimum limit of Rs. 10.000.00 for family pension is also introduced.

The Uttar Pradesh State Legislature (Members Emoluments and Pension) (Amendment) Bill, 2015 is introduced accordingly.

By order,

ANIRUDDHA SINGH,

Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार
संसदीय कार्य अनुभाग-1
संख्या 760/सं0-1-2015-125-सं0-2007
लखनऊ, 14 जुलाई, 2015

अधिसूचना

सा0प0नि0-38

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल रिवाल्विंग फण्ड नियमावली, 2009 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल रिवाल्विंग फण्ड (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल रिवाल्विंग फण्ड (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2015 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल रिवाल्विंग फण्ड नियमावली, 2009 में, नियम 2 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (ङ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान खण्ड	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(ङ) 'परिवार के सदस्यों' का तात्पर्य जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली,	(ङ) 'परिवार के सदस्यों' का तात्पर्य- (एक) सदस्य या भूतपूर्व सदस्य,

1949 में परिभाषित है, किसी सदस्य यथास्थिति, के पति या पत्नी से है; और

स्तम्भ-1 **विद्यमान खण्ड**	स्तम्भ-2 **एतद्‌द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
या भूतपूर्व सदस्य की पत्नी/पति वैध बच्चों और ऐसे सौतेले बच्चों से है जो उनके साथ निवास कर रहे हों और उन पर पूर्णतया आश्रित हों।	(दो) माता-पिता, बच्चे, सौतेले बच्चे, अविवाहित/तलाकशुदा/परित्यक्त बहनें, अवयस्क भाई और सौतेली माता से है, जो सदस्य या भूतपूर्व सदस्य पर पूर्णतः आश्रित हैं और सामान्यतया सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के साथ निवास कर रहे हैं। **टिप्पणी-1** किसी परिवार के ऐसे सदस्यों, जिनकी उपचार आरम्भ होने के समय, सभी स्रोतों से आय रु0 3,500 और रु0 3,500 प्रतिमाह की मूल पेंशन पर अनुमन्य महंगाई के योग से अधिक न हो, को पूर्णतया आश्रित माना जायेगा। **टिप्पणी-1**-आश्रितों के लिए आयु सीमा निम्नवत् होगी :- (1) पुत्र-सेवायोजित हो जाने या 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने या विवाहित हो जाने तक, जो भी पहले हो। (2) पुत्र-सेवायोजित हो जाने या विवाहित हो जाने तक, जो भी पहले हो। (3) ऐसा पुत्र जो मानसिक या शारीरिक स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त हो-जीवनपर्यन्त। (4) तलाकशुदा/पति से परित्याजित/विधवा आश्रित पुत्रियां और अविवाहित/तलाकशुदा/पति से परित्याजित विधवा आश्रित बहनें-जीवनपर्यन्त। (5) अवयस्क भाई-वयस्कता प्राप्त करने तक।

आज्ञा से,

अनिरुद्ध सिंह,

प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN SANSADIYA
KARYA ANUBHAG–1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 760/XC-S-1-2015-125-S-2007, dated July 14, 2015 :

NOTIFICATION

No. 760/xc-s-1-2015-125-s-2007

Dated Lucknow, *July* 14, 2015

In exereise of the powers under clause (2) of Article 283 of the Constitution of India, *read* with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh State Legislature Revolving Fund Rules, 2009.

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE REVOLVING FUND (FIRST AMENDMENT) RULES, 2015

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh State Legislature Revolving Fund (First Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force with effect from the date of publication in the *Gazette*.

Amendment of rule 2

2. In the Uttar Pradesh State Legislature Revolving Fund Rules, 2009, in rule 2 *for* clause (e) set out in Column-I below, the clause as set out in Column-II shall be *substituted*, namely:–

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing Clause	*Clause as herby substituted*
(e) 'family members' means the wife/husband, legitmate children and step children of a member	e) 'family members' means– (i) husband or wife as the case may be, of the member or the ex-member, and

COLUMN-I *Existing Clause*	COLUMN-II *Clause as herby substituted*
or ex-member residing with and wholly dependent upon him/her as defined in the Uttar Pradesh Government Servants (Medical Attandance) Rules, 1946.	(ii) the parents children, step-children, unmarried/divorced/ seperated daughter unmarried/ divorced/seperated sisters, minor brother (s) and step mother, who are wholly dependant on the member or the ex-member and are normally residing with the member or the ex-member. **NOTE-1.** Such members of a family will be considered wholly dependant whose income from all sources does not exceed the sum of Rs. 3,500 and the D.A. admissible on the basic pension of Rs. 3,500 per month at the time of the commencement of the treatment. **NOTE-2.** The age limit for the dependants would be as follows :– (1) Son–Till the time he is employed or attaining the age of 25 years or till he is married, whichever is earlier. (2) Daughter–Till the time she is employed or she is married, whichever is earlier. (3) Son who is suffering from permanent mental or physical disability–Till lifetime.

COLUMN-I *Existing Clause*	COLUMN-II *Clause as herby substituted*
	(4) Dependent and divorced/ seperated from husdand/widow daughters and dependent/unmarried/ divorced/seperated from husdand/ widow sisters– Till lifetime. (5) Minor broothers–Till attains majority.

By order,
ANIRUDDHA SINGH,
Pramukh Sachiv

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग–1
संख्या 1409/79 वि–1–161(क) 32 2016
लखनऊ, 16 सितम्बर, 2016

अधिसूचना
विविध

'भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2016 पर दिनांक 14 सितम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः–

(संशोधन) अधिनियम, 2016

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2016)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 3 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) अधिनियम, 1980 में जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में उपधारा (1) में शब्द ''दस हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पच्चीस हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द ''तीस हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पचास हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 5 में-

(क) उपधारा (1) में,

(एक) शब्द ''तीन लाख पच्चीस हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''चार लाख पच्चीस हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे,

(दो) शब्द अपने परिवार के सदस्यों'' के स्थान पर शब्द ''अपने परिवार के सदस्यों या अपने सहवर्तियों'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में,-

(एक) शब्द ''अस्सी हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''एक लाख रुपये'' रख दिये जायेंगे,

(दो) स्पष्टीकरण में तीसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगाः

''परन्तु यह भी कि किसी भूतपूर्व सदस्य को उसको दिये जाने वाले रेल कूपनों में से उसके निजी वाहन के लिए पेट्रोल या डीजल हेतु पचास हजार रुपये से अनधिक वार्षिक की धनराशि का नकद भुगतान किया जायगा'';

(ग) उपधारा (2) के परन्तुक में, खण्ड (ख) में शब्द '' अठ्ठारह हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द पच्चीस हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 15 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 15 में,-

(क) उपधारा (1) में शब्द ''एक हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दो हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में शब्द ''आठ सौ रुपये'' के स्थान पर शब्द ''एक हजार पांच सौ रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 15-क का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 15-क में, शब्द ''पन्द्रह हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''बीस हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 18-क का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 18-क में, खण्ड (क) में, शब्द ''बीस हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''तीस हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

धारा 24 का संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा 24 में,-

(क) उपधारा (1) में शब्द ''दस हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''पच्चीस हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे;

(ख) परन्तुक में शब्द ''एक हजार रुपये'' के स्थान पर शब्द ''दो हजार रुपये'' रख दिये जायेंगे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 के अधीन राज्य विधन मण्डल के प्रत्येक सदन के सदस्य मासिक उपलब्धियां और अन्य सुविधायें पाने के हकदार हैं। भूतपूर्व सदस्य भी उक्त अधिनियम के अधीन पेंशन और अन्य सुविधायें पाने के हकदार हैं। भूतपूर्व सदस्यों के पति/पत्नी भी उक्त अधिनियम के अधीन पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार हैं।

मूल्य वृद्धि और उत्तरदायित्वों की बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को अनमन्य वेतन, भत्ते, रेल कूपनों और अन्य सुख-सुविधाओं को पुनरीक्षित किया जाय और भूतपूर्व सदस्यों को अनुमन्य पेंशन एवं रेल कूपनों में वृद्धि की जाय और उन्हें अनुमन्य रेल कूपनों में से नकद भुगतान की सुविधा प्रदान की जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2016 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से
रंगनाथ पाण्डेय,
प्रमुख सचिव।

N0. 1409(2)/LXXIX-V-1-16-1(Ka)-32-2016

Dated Lucknow, September 16,2016

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following english translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Uplabdhiyan Aur Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 14, 2016:

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBER'S EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 2016

(U.P. Act no. 21 of 2016)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature]*

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) Act, 1980.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows-

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2016. Short title

2. In section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and pension) Act, 1980 hereinafter referred to as the principal Act in sub-section (1) *for* the words "ten thousand rupees" the words "twenty five thousand rupees" shall be *substituted.* Amendment of section 3 of U.P. Act no. 23 of 1980

3. In section 4 of the principal Act *for* the words "thirty thousand rupees" the words "fifty thousand rupees" shall be *substituted.* Amendment of section 4

Amendment of section 5

4. In section 5 of the principal Act,–

(*a*) in sub-section (1),

(i) *for* the words "three lakh twenty five thousand rupees" the words "four lakh twenty five thousand rupees" shall be *substituted.*

(ii) *for* the words "members of his family" the words "members of his family or his companion "shall be *substituted;*

(*b*) in sub-section (2),-

(i) *for* the words "eighty thousand rupees" the words "one lakh rupees "shall be *substituted;*

(ii) in the explanation after third proviso the following proviso shall be *inserted,* namely:

"Provided also that an *ex-member* shall be paid out of the Railway coupons to be supplied to him an amount in cash not exceeding fifty thousand rupees annually for pertrol or diesel for his own vehicle";

(*c*) in sub-section (2) in the proviso, in clause (b) *for* the words "eighteen thousand rupees" the words "twenty five thousand rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 15

5. In section 15 of the Principal Act,-

(*a*) in sub-section (1) *for* the words "one thousand rupees" the words "two thousand rupees" shall be *substituted.*

(*b*) in sub-section (2) *for* the words "eight hundred rupees" the words "one thousand five hundred rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 15-A

6. In Section 15-A of the Principal Act for the words "fifteen thousand rupees" the words "twenty thousand rupees" shall be *substituted.*

7. In Section 18-A of the Principal Act in clause (a) for the words "twenty thousand rupees" the words "thirty thousand rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 18-A

8. In section 24 of the Principal Act,-

Amendment of section 24

(*a*) in sub-seetion (1) for the words "ten thousand rupees" the words "twenty-five thousand rupees" shall be *substituted.*

(*b*) in the proviso for the words "one thousand rupees" the words "two thousand rupees" shall be *substituted.*

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The members of either house of State Legislature are entitled to get monthly emoluments and other facilities under the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980. Ex-members are also entitled to get pension and other benefits under the said Act. Spouses of *ex-members* are also entitled to get family pension under the said Act.

In view of the price rise and increase of responsibilities. it has been decided to amend the said Act to revise, pay, allowances, railway coupons and other amenities admissible to the members of the State Legislature and to increase pension and railway coupons admissible to *ex-members* and to give facility of cash payment out of the coupons admissible to them.

The Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) (Amendment) Bill, 2016 is introduced accordingly.

by order,

RANG NATH PANDEY,

Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार
संसदीय कार्य अनुभाग-1
संख्या 600/90 सं-1-2018-52सं-2013
लखनऊ, 13 सितम्बर, 2018

अधियूचना

सा0प0नि0-78

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980) की धारा 5, के पन्तुक के साथ पठित धारा 30 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) नियमावली, 1988 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा को सुविधा) (पंचम संशोधन) नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदयों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) (पंचम संशोधन) नियमावली, 2018 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) नियमावल, 2018, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 3 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्ः-

स्तम्भ-1	**स्तम्भ-2**
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
3-(1) कोई सदस्य जो अधिनियम की धारा-5 के परन्तुक के अधीन वायुयान द्वारा यात्रा करने का विकल्प करता है, प्रमुख सचिव को अपना विकल्प देगा जिसमें वर्ष के दौरान	3-(1) कोई सदस्य जो अधिनियम की धारा-5 के परन्तुक के अधीन वायुयान द्वारा यात्रा करने का विकल्प करता है, प्रमुख सचिव को अपना विकल्प देगा जिसमें वर्ष के दौरान

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	**स्तम्भ–2** एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
उसके द्वारा अपेक्षित वायुयान कूपनों के मूल्य को इंगित किया जायेगा।	उसके द्वारा अपेक्षित वायुयान कूपनों के मूल्य को इंगित किया जायेगा।
(2) प्रमुख सचिव, इण्डियन एयर लाइन्स से, सम्बन्धित सदस्य के नाम इंगित मूल्य के प्रकीर्ण प्रभार आदेश के क्रय के लिये और अप्रयुक्त प्रकीर्ण प्रभार आदेश की वापसी के लिए भी व्यवस्था करेगा।	(2) प्रमुख सचिव, इण्डियन एयर लाइन्स से, सम्बन्धित सदस्य के नाम इंगित मूल्य के प्रकीर्ण प्रभार आदेश के क्रय के लिये और अप्रयुक्त प्रकीर्ण प्रभार आदेश की वापसी के लिए भी व्यवस्था करेगा।
(3) प्रमुख सचिव, सम्बद्ध सदस्य को अधिनियम की धारा–5 के परन्तुक में निर्दिष्ट वायुयान यात्रा कूपन उपनियम (2) के अधीन क्रय किये प्रकीर्ण प्रभार आदेश के रूप में जारी करेगा।	(3) प्रमुख सचिव, सम्बद्ध सदस्य को अधिनियम की धारा–5 के परन्तुक में निर्दिष्ट वायुयान यात्रा कूपन उपनियम (2) के अधीन क्रय किये प्रकीर्ण प्रभार आदेश के रूप में जारी करेगा।
(4) इस नियम के अधीन जारी किये गये प्रकीर्ण प्रभार आदेश का उपयोग किसी सदस्य के द्वारा अपनी निजी यात्रा के लिये किया जायेगा और उनके द्वारा अपने साथ सहवर्तियों या परिवार के सदस्यों को ले जाने के लिए भी किया जा सकेगाः	(4) इस नियम के अधीन जारी किये गये प्रकीर्ण प्रभार आदेश का उपयोग किसी सदस्य के द्वारा अपनी निजी यात्रा के लिये किया जायेगा और उनके द्वारा अपने साथ सहवर्तियों या परिवार के सदस्यों को ले जाने के लिए भी किया जा सकेगाः
परन्तु यह कि जहां किसी सदस्य ने प्रमुख सचिव द्वारा जारी किये गये प्रकीर्ण प्रभार आदेश का बिना उपयोग किये इण्डियन एयर लाइन्स से भिन्न किसी एयर लाइन्स द्वारा भारत में भ्रमण के लिये कोई यात्रा की हो, तो	परन्तु यह कि जहां किसी सदस्य ने प्रमुख सचिव द्वारा जारी किये गये प्रकीर्ण प्रभार आदेश का बिना उपयोग किये किसी एयर लाइन्स द्वारा भारत में भ्रमण के लिये कोई यात्रा की हो, तो वहां ऐसे सदस्य को नियम 10–क के

स्तम्भ–1	**स्तम्भ–2**
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
वहां ऐसे सदस्य को नियम 10–क के अधीन वायुयान टिकट को प्रस्तुत करने पर ऐसी यात्रा हेतु उसके द्वारा क्रय किये गये वायुयान टिकट के मूल्य के बराबर धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायगी।	अधीन वायुयान टिकट को प्रस्तुत करने पर ऐसी यात्रा हेतु उसके द्वारा क्रय किये गये वायुयान टिकट के मूल्य के बराबर धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायगी।

नियम 10–क का संशोधन

3–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम 10–क के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1	**स्तम्भ–2**
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
10–क–पूर्ववर्ती व्यवस्था के अतिरिक्त जब कोई सदस्य प्रकीर्ण प्रभार आदेश का प्रयोग किये बिना इण्डियन एयर लाइन्स से भिन्न किसी एयर लाइन्स द्वारा नियम–3 में निर्दिष्ट कोई यात्रा करता है, तो प्रमुख सचिव वायुयान टिकट और बोर्डिग पास के साथ प्रपत्र–दो में आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने पर ऐसे सदस्य को वायुयान टिकट के मूल्य के बराबर की धनराशि की प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था करेगा।	10–क–पूर्ववर्ती व्यवस्था के अतिरिक्त जब कोई सदस्य प्रकीर्ण प्रभार आदेश का प्रयोग किये बिना किसी एयर लाइन्स द्वारा नियम–3 में निर्दिष्ट कोई यात्रा करता है, तो प्रमुख सचिव वायुयान टिकट और बोर्डिग पास के साथ प्रपत्र–दो में आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने पर ऐसे सदस्य को वायुयान टिकट के मूल्य के बराबर की धनराशि की प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था करेगा।

4-उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये प्रपत्र-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :- प्रपत्र 2 का संशोधन

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	**स्तम्भ-2** एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
वायुयान टिकट के मूल्य की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन-पत्र जब यात्रा इंडियन एअर लाइन्स से भिन्न किसी एअर लाइन्स द्वारा की जाय। (उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) नियमावली, 1988 का नियम 8 देखिये।	वायुयान टिकट के मूल्य की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन-पत्र जब प्रकीर्ण प्रभार का प्रयोग किये बिना यात्रा किसी एअर लाइन्स द्वारा की जाय। (उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्यों को वायुयान द्वारा यात्रा की सुविधा) नियमावली, 1988 का नियम 8 देखिये।
1-सदस्य का नाम----	1-सदस्य का नाम----
2-पता-	2-पता-
(1)लखनऊ मे ------	(1)लखनऊ मे ------
(2) स्थायी ---------	(2) स्थायी ---------
3-यात्र का दिनांक ---	3-यात्र का दिनांक ---
4-------से------तक	4-------से------तक
5-एयर लाइन्स का नाम-----	5-एयर लाइन्स का नाम-----
6-यात्रा का समय----	6-यात्रा का समय----
7-टिकट नम्बर (मूल रूप में प्रस्तुत)-------	7-टिकट नम्बर (मूल रूप में प्रस्तुत)-------
8-बोडिंग पास नम्बर (मूल रूप में प्रस्तुत)---	8-बोडिंग पास नम्बर (मूल रूप में प्रस्तुत)---
9-किराये की धनराशि-	9-किराये की धनराशि-
10-कोई अन्य सूचना--	10-कोई अन्य सूचना--

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
11-मैं प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि:- (एक) उपर्युक्त यात्राओं हेतु वायुयान टिकट के मूल्य की प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रथम बार किया जा रहा है और इसके पूर्व आहरित नहीं किया गया था। (दो) नियम 3 के अधीन जारी किये गये प्रकीर्ण प्रभार आदेश का उपयोग उपर्युक्त यात्रा हेतु नहीं किया गया था। हस्ताक्षर : (नाम)----------- (दिनांक)---------	11-मैं प्रमाणित करता हूं/करती हूं कि:- (एक) उपर्युक्त यात्राओं हेतु वायुयान टिकट के मूल्य की प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रथम बार किया जा रहा है और इसके पूर्व आहरित नहीं किया गया था। (दो) नियम 3 के अधीन जारी किये गये प्रकीर्ण प्रभार आदेश का उपयोग उपर्युक्त यात्रा हेतु नहीं किया गया था। हस्ताक्षर : (नाम)---------- (दिनांक)--------

आज्ञा से,

सुरेश कुमार गुप्ता,

प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 600/XC-S-1-2018-52(S)-2013, dated August 13, 2018:

No. 600/XC-S-1-2018-52(S)-2013

dated Lucknow, August 13, 2018

In exercise of the powers under section 30 *read* with the proviso to section 5 of the Uttar Pradesh State Legislature (Member's Emoluments and Pension) Act, 1980 (U.P.Act no. 23 of 1980), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh State Legislature (Air Travel Facility to Members) Rules, 1988.

THE UTTAR PRADESH LEGISLATIVE (AIR TRAVEL FACILITY TO MEMBERS) (FIFTH AMENDMENT) RULES, 2018

Short title and commenceme

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Air Travel Facility to Members) (Fifth Amendment) Rules, 2018.

(2 They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette.*

Amendment of rule 3

2. In the Uttar Pradesh State Legislature (Air Travel Facility to Members) Rules, 1988, hereinafter referred to as the said rules, *for* rule 3 set out in Column-I below the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :

COLUMN-I *Existing rule*	COLUMN-II *Rule as hereby substituted*
3. (1) A member, who opts for travel by air under the proviso to section 5 of the Act, shall give his option to the Secretary indication the value of air coupons required by him during the year.	3. (1) A member, who opts for travel by air under the proviso to section 5 of the Act, shall give his option to the Principal Secretary indication the value of air coupons required by him during the year.
(2) The Secretay shall make arrangements with the Indian Airlines for the purchase of miscellaneous charges order of the value indicated in the name of the concerned member and also for the return of unused miscellaneous charges order.	(2) The Principal Secretary shall make arrangements with the Indian Airlines for the purchase of miscellaneous charges order of the value indicated in the name of the concerned member and also for the return of unused miscellaneous charges order.

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
(3) The Secretary shall issue air travel coupons, referred in the proviso to section 5 of the Act in the shape of miscellaneous charges order purchased under sub-rule (2) to the member concerned.	(3) The Principal Secretary shall issue air travel coupons, referred in the proviso to section 5 of the Act in the shape of miscellaneous charges order purchased under sub-rule (2) to the member concerned.
(4) The miscellaneous charges order issued under this rule shall be used by a member for his own journey and may also be used by him for taking his companion or family member along with himself:	(4) The miscellaneous charges order issued under this rule shall be used by a member for his own journey and may also be used by him for taking his companion or family member along with himself:
Provided that where a member has performed a journey for travel in India by any Airlines other than Indian Airlines without using miscellaneous charges order issued by the Secretary, such member shall be reimbursed an amount equivalent to the value of air ticket purchased by him for such journey on submission of Air ticket under rule 10-A.	Provided that where a member has performed a journey for travel in India by any Airlines without using miscellaneous charges order issued by the Principal Secretary, such member shall be reimbursed an amount equivalent to the value of air ticket purchased by him for such journey on submission of Air ticket under rule 10-A.

3. In the said rules *for* rule 10-A set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely : Amendment of rule 10-A

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
10-A-In addition to foregoing arrangements when a member performs a journey referred to in rule 3 by any Airlines other than Indian Airlines withourt using miscellaneous charges order, the Secretary shall on submission of an application in form II along with the air ticket and boarding pass, make arrangement to reimburse an amount equivalent to the value of air ticket to such member.	10-A-In addition to foregoing arrangements when a member performs a journey referred to in rule 3 by any Airlines withourt using miscellaneous charges order, the Principal Secretary shall on submission of an application in form II along with the air ticket and boarding pass, make arrangement to reimburse an amount equivalent to the value of air ticket to such member.

4. In the said rules *for* form-II set out in Column-I below, the form-II as set out in Column-II shall be *substituted*, namely : Amendment of Form-II

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing Form-II	*Form-II as hereby substituted*
Application for reimbursement of the value of air ticket when journey is performed by any Airlines other than Indian Airlines.	Application for reimbursement of the value of air ticket when journey is performed by any Airlines without using miscellaneous charges order.
[*See* rules 8 of the Uttar Pradesh State Legislature (Air Travel Facility to Member's) Rules, 1988]	[*See* rules 8 of the Uttar Pradesh State Legislature (Air Travel Facility to Member's) Rules, 1988]
1-Name of member-	1-Name of member-

COLUMN-I	COLUMN-II
Existing Form-II	*Form-II as hereby substituted*
2-Address-	2-Address-
(1) At Lucknow	(1) At Lucknow
(2) Permanent	(2) Permanent
3-Date of journey------------	3-Date of journey------------
4-From--------to--------------	4-From--------to--------------
5-Name of Airlines----------	5-Name of Airlines----------
6-Time of journey-----------	6-Time of journey-----------
7-Ticket no. (submitted in original)	7-Ticket no. (submitted in original)
8-Boarding pass no. (submitted in original)	8-Boarding pass no. (submitted in original)
9-Amount of fare------------	9-Amount of fare------------
10-Any other information---	10-Any other information---
11-I CERTIFY that :	11-I CERTIFY that :
(i) the claim for reimbursement of the value of air ticket for above journeys is being claimed for the first time and was not drawn before.	(i) the claim for reimbursement of the value of air ticket for above journeys is being claimed for the first time and was not drawn before.
(ii) miscellaneous charges order issued under rule 3 were not used for above journey.	(ii) miscellaneous charges order issued under rule 3 were not used for above journey.
Signature	Signature
(Name) ……………….	(Name) ……………….
(Date) …………………	(Date) …………………

By order,

SURESH KUMAR GUPTA,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–एल0 31 विधान सभा (43)–10–05–2019–500 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।